

# राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति, उत्तीर्णगढ़

आखत बालकार

## वर्दीपरग, बन और जलवायु परिवारि मंत्रालय

पर्यावरण भवन, संसद-भव. नवा नगरपालिका नगर, जिला—नवापुर (पर.)

E-mail : [sesccg@gmail.com](mailto:sesccg@gmail.com)

मिति— राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति (एसडीएसी), उत्तीर्णगढ़ की बिनांक  
13/10/2023 को राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति की बाबत का कार्यकारी बिल्ली

—oo—

राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति (एसडीएसी), उत्तीर्णगढ़ की 400वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को डॉ. वी.पी. नोडरे, अध्यक्ष, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति की बाबत का कार्यकारी बिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में सभितों को विभिन्नतिक वार्ताओं में चर्चा की गयी—

1. डॉ. एम.के. बनदाकर, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति
  2. डॉ. विजय शिंह चूड़, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति
  3. डॉ. मनोज कुमार चौधरी, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति
  4. डॉ. डॉ. चहुल बिहारी, सदस्य सचिव, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति
- सभितों द्वारा एकेस्ट्रा में सम्बन्धित विषयों पर विवादान्वयन विचार गया—

**कार्यकारी बिल्ली का विवर—1:** 400वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को कार्यकारी बिल्ली की उत्तुगोदान की संभावा में।

राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्यांकन समिति (एसडीएसी), उत्तीर्णगढ़ की 400वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 की संपन्न हुई थी। सभितों की आवश्यक वकालत वकालत की दिनांक का कार्यकारी बिल्ली तैयार किया जा रहा है, जिसे सभितों के सभ्य शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उत्ता बिल्ली से सभितों का इच्छा हुई।

**कार्यकारी बिल्ली का विवर—2:** गोल/गुल सभितों एवं औदोरिक परिवेशनाली कार्यकारी बिल्ली के उत्तुगोदान का कार्यकारी विवर विवरण दिया जाएगा।

1. मेहरां जाहिर जाहिर लटी (प्रौ.- डॉ. शी. लालुपाल वर्मा), नाम—मीरा, राहसील—बस्तर, जिला—बस्तर (सभितालीका का वर्ती दिनांक 24/09)
- ओनलाईन आवेदन — इंटरव्यू नम्बर — एसडीएस/ डीसी/ एसडीएस/ 420346 / 2023, दिनांक 17/09/2023 द्वारा पर्यावरणीय लीग्लाइसेंस देखा जावें दिल्ली। परिवेशना प्रशासनक द्वारा प्रस्तुत आवेदन ने सभितों हाँसे के ज्ञापन दिनांक 18/09/2023 द्वारा जनकाली प्रस्तुत करने केरु निर्दिष्ट किया गया। परिवेशना प्रशासनक द्वारा सभिता जानकाली दिनांक 08/09/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गयी।

—oo—

**प्रस्ताव का विवर -** यह समाज विकास का विवर है। यह पूर्ण से संवर्गित युनि पराम (टीएच एनिल) द्वारा है। उदाहरण यात्रा-कारों, नाडील-बसार, बिल-बसार विवर समाज क्रमांक-४३५, कुल कीमत - २.४ हेक्टेकर में है। द्वारा दी अधिकृत यात्रामात्रा-४४,२८१ टका दीर्घित है।

उदाहरण परियोजना उत्तराखण की एक इंग्रजी भाषीयांग के द्वारा दिया ०६/१०/२०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दृष्टित दिया गया।

**वैठक का विवर -**

(१) समिति द्वारा आठवीं वैठक दिनांक १०/१०/२०२३-

प्रस्तुतीकरण हेतु दी जाहिद अंगी अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित है। समिति द्वारा अंगी, प्रस्तुत जामकारी का अवलोकन एवं परिवर्तन उसी पर निम्न विवरि यादी यह -

१. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संकेत विवरण -

- a. पूर्ण में युगा यात्रा यात्रायां जमांक ४३५, कुल कीमत २.४ हेक्टेकर, इमांक १२,४३५ टका दीर्घित हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विवर सारीय पर्यावरण समाप्ति विवरण प्रस्तुत, जगदलपुर, बिल-बसार द्वारा दिनांक ०६/०२/२०१७ को जारी की गयी।
- b. यह पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा जारी की जात्यरि यहां सीज विभाग दिनांक ०६/११/२०१८ से ०६/११/२०२३ अवधि ३० वर्षों तक प्रदान की गई। उत्तराखण काशीलय कलेक्टर (स्पेशल राज्य), जगदलपुर, बिल-बसार के द्वारा जमांक ३८१९/स्पेशल/वार्ता/४०५४२/०६/२०१७ जगदलपुर, दिनांक १२/०६/२०१७ द्वारा जारी जामकारी अनुमति अनुमति सीज का द्वारा द्वारा दी गया दूसरी अवधि के नाम पर दिया गया है।
- c. परियोजना उत्तराखण द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तरीं के यात्रा में योगी योगी की स्थ-प्रस्तुति जामकारी प्रस्तुत की गई है। अधिकृत प्रकरण समाज विकास का है। उठा भाऊ यात्रा, पर्यावरण, यह एवं जगदलपुर परिवर्तन, मनवालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिकृत गोविंदेश्वर विवरण ०६/०६/२०२२ को अनुमति समाज विकास के प्रकरण पर पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तरीं की यात्रा में की गई जारीकारी का यात्रा प्रतिक्रिया दीक्षीकृत कीमीय काशीलय, भाऊ यात्रा, पर्यावरण, यह एवं जगदलपुर परिवर्तन क्षेत्रालय, राष्ट्रपुर द्वारा कर प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।
- d. विवरित जारीनुसार ३८१ नाम प्रस्तुतीकरण दिया गया है।
- e. काशीलय कलेक्टर (स्पेशल राज्य), जगदलपुर, बिल-बसार के द्वारा जमांक ३८१-१/स्पेशल/वार्ता/४०५/४२/०६/२०१८ जगदलपुर, दिनांक ११/०६/२०२३ द्वारा जारी प्रायत्र यह अनुमति वर्ती में दिये गये यात्रानन की जामकारी विभागनुसार है।

वर्ष	जायाकरण (अन्तर्वर्ष)
२०१८-१९	५१५
२०१९-२०	८,०३८
२०२०-२१	७,०६०
२०२१-२२	१,८८०
२०२२-२३	२,३००
२०२३-२४	३,६००

3. एन संवाद का अनावृति उम्मल पत्र – उम्मल के संघ में एन संवाद अधिकारी का विनाश 11/09/2006 का अनावृति उम्मल पत्र प्रकृति दिया गया है।
4. उम्मल सोलन – भौतिकद्वारा कर्ती उम्मल एलाइ लिंग इन्हामटीमेट बिल्डर्स लिंग फ्रैंचाइज कर्ती कर्ती उम्मल पत्र प्रकृति दिया गया है जो अनि अधिकारी, विना-दस्तावेज उम्मल कर्ती का छापन उम्मल 420/सनियर/वन्स. प्लॉट/उम्मल-डॉ. दोसाहा, दिनांक 14/02/2022 द्वारा अनुभावित है।
5. 800 बीटर की परिधि में दिया गयान – कार्यालय कर्तीकर (सनियर शास्त्री), विना-वन्स. के छापन उम्मल 420/सनियर/वन्स. 42/09/2022 उम्मलपुर, दिनांक 08/04/2022 उम्मल कार्यालय उम्मल से 800 बीटर के बीतर कार्यालय अन्य सहानी की संख्या दिया है।
6. 200 बीटर की परिधि में दिया गार्डनिंग सेवा/सेवनमत् – कार्यालय कर्तीकर (सनियर शास्त्री), विना-वन्स. के छापन उम्मल 420/सनियर/वन्स. 42/09/2022 उम्मलपुर, दिनांक 08/04/2022 द्वारा जारी छापन पत्र उम्मल उम्मल शहर सहानी के 200 बीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सेवा जैसे बैंक, बैंकिंग, फार्मट, पुस्तकालय, अस्पताल, स्कूल, एवं इंस्टीट्यूट वाला एवं उस आनुसृत वाली इतिहासिक सेवा दिया गया है।
7. शू-स्वामिन – शूमि भी उम्मल की नाम यह थी। शूमि शूमि 30 वर्षीय उम्मल दिनांक 08/11/2006 से 08/11/2020 तक रहा है। उम्मल शहर कार्यालय कर्तीकर (सनियर शास्त्री) उम्मलपुर, विना-वन्स. के छापन उम्मल 2919/सनियर/वन्स. 42/09/2017 उम्मलपुर, दिनांक 12/09/2017 द्वारा जारी अस्पताल कार्यालय अनुसार शूमि का द्वारा उम्मल शहर कार्यालय के नाम यह दिया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2010 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रकृति की वह है।
9. एन लिंग का अनावृति उम्मल पत्र – लीज लीज से लिंगटाम एन लीज एन अनावृति/एनटीए उम्मल की वालाहिं शूमि का उल्लेख करते हुए उन्नामहलहिंकरी से जारी अनावृति उम्मल पत्र वही प्रती प्रकृति दिया गया अनावृति है।
10. वालाहिं उम्मलकरों की शूमि – लिंगटाम अकादी चाम-गाँवीत 400 बीटर, उम्मल चाम-गाँवीत 400 बीटर एवं अस्पताल चाम-गाँवीत 400 बीटर की शूमि पर दिया है। गाँवीय उम्मलकरों 6.8 लिंगी एवं उम्मलकरों 6.8 लिंगी शूमि है। नालाल्यी गाँवी 40 बीटर एवं लिंग लिंग 760 बीटर शूमि है।
11. परिवेशीकरणीय/विविधिकरणीय संवेदनशील सेवा – परिवेशीकरण उम्मल द्वारा 50 लिंगी एवं वालों में अस्पतालहिंकरी लीगा, गाँवीय उम्मल अस्पताल, हिन्दीय अस्पताल लिंगटाम कीही द्वारा परिवेशीकरणीय प्रौद्योगिक एवं विविधिकरणीय



सहित नहीं करना का गोपनीयता विषय का विषय नहीं होना आवश्यक निकलता है।

12. खाद्य संग्रहा एवं खाद्य का विषय – विशेषज्ञता विकार विकार 8,73,383 रुपए एवं वार्षिक विकार 4,19,446 रुपए है। लौज की 7.5 मीटर ओरी सीमा पट्टी छलखना के लिए प्रतिवर्षीय बोर्ड का लेनदेन 1,320 रुपये है। औपचारिक कारबंड से भूमिकापूर्ण विकार के दाखलन किया जाता है। छलखना की प्रत्यारोपित वर्षिक वार्ड 18 मीटर है। लौज लौज में उपरी विद्युत की बोर्ड 1.5 मीटर है तथा युल बाज़ 2,020 रुपये है इस कारबंड की विद्युत की 7.5 मीटर (प्रत्यारोपित बाहरी) सीमा में फैलावत प्रकारण को लिए उपलब्ध किया जाता है। बोरी की दूरी 1.5 मीटर एवं बोरी 1.5 मीटर है। खदान की संख्यित आमु 10 लीटर है। जेल हैमत से ड्रिलिंग द्वारा कट्टूल बासीटग किया जाता है। सीज लौज में छलखना संभवित है, विशेषज्ञता विकार 600 रुपये है। परिवेशना प्रसारण का द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा छलखना का यथा कि इस छलखने की 3 वर्षीय उपलब्ध लौज लौज से इटाया जाना प्रस्तुतित है। खदान में बायु प्रदूषण विकार हैं तथा का विकार किया जाता है। विशेषज्ञता प्रसारण का विषय विभाग्युक्त है—

क्रम	प्रस्तुतित छलखना (रुप)	क्रम	प्रस्तुतित वालखन (रुप)
खदान	32,990.00	खदान	17,680.00
प्रतीय	34,458.75	खदान	34,117.50
प्रतीय	34,533.75	खदान	41,095.00
खदान	30,963.75	खदान	49,065.00
खदान	60,263.75	खदान	40,827.50

13. खल अनुभूति – परिवेशना हैं छलखना खल की बाज़ 3 रुपये प्रतिमीटर विकार होती है। खल की अनुभूति बोर्डें के बाल्कन से की जाती है। इस बाबत संनुष्ठान प्रसारण वीटर अधीक्षित से अनुभूति की इसी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाया है।

14. प्रकारण कारबंड – परिवेशना प्रसारण द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा लौज लौज की सीमा में बाहरी ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा ऐर गार्डिंग लौज में 1,200 रुपये प्रकारण किए जाने का प्रसारण प्रस्तुत किया गया है। विभिन्नी ता यह है कि लौज लौज की सीमा में बाहरी ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा ऐर गार्डिंग लौज में 1,800 रुपये प्रकारण किए जाने का प्रसारण प्रस्तुत किया गया जाना आवश्यक है ताकि ही प्रस्तुतित कुली हैं यीं भी, लौजिंग, खाल एवं चिंचाई तथा तथा तथा के लिए 5 वर्षी (50 वर्षिता लौजन का का आवार पर) का प्रारूपण ज्यादा का विषय प्रस्तुत उत्ताप लौजित जाना आवश्यक है।

15. खदान की 7.5 मीटर की बीढ़ी सीमा पट्टी में छलखना – लौज लौज की बाहरी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का युल लौजकर 1,320 रुपये प्रतिमीटर है जिसमें से 100 रुपये प्रतिमीटर के 6 मीटर की दूरी 1.5 मीटर वालखना है, जिसका उल्लेख अनुभूतित कराये जाना गया है। प्रतिवर्षीय 7.5 मीटर बीढ़ी सीमा पट्टी में उलखनन किए जाना आवश्यकीय बीढ़ीकृति की बाती जब उल्लंघन है। जब परिवेशना प्रसारण के लिए युल विभाग्युक्त विभिन्न कारबंडही किया जाना आवश्यक है। लौजित का ता है कि उलखना 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का प्रुत्यारोपित योग (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उत्तीर्णीय है कि यारा उपकार, कार्बनात, जल एवं प्रदूषण परिवर्ती कानून यह दिल्ली द्वारा नीति कोड कार्बन एक्सिंग फ़ोरेस्ट्स के द्वारा अनुमती दी गई है। जली दूसरी भवित्व की अनुमति—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

जली नामक ही के अनुमति द्वारा दी गई जली की ओर 7.5 मीटर दीड़ जली जीन में दूसरी भवित्व की अनुमति दी गई है।

17. ऐर मार्केट बोर्ड - जली सेवा की वापराती नहीं आ गीत रहा है। जली वापराती नहीं की ओर न्यूनतम 100 मीटर दूरी तकी तुम्हे जील जीन में 1,000 इक्विटी बोर्ड की ऐर मार्केट सेवा दी गया है। फ़िरवा चालों अनुमति दी गया है जिसे दी गया है।

18. कॉर्पोरेट एवं इन्वेस्टरील एक्टिविटी (C.E.R.) - वरिष्ठोंका प्रबलाला द्वारा गीर्हित (Corporate Environment Responsibility) द्वारा वरिष्ठों की जागा दिखाये गए यही उपकार निम्नानुसार दर्शाये गए हैं:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
45.51	2%	0.903	Following activities at, Govt. High School Village- Madhota Plantation school	0.903
			Total	0.903

19. श्री दुर्जान की अनुरूप अनुमति परिवर्तन पर (जाम, नीम, करम, दीपत एवं जामुन) वृक्षारोपण द्वारा प्रदूषित प्रकार अनुमति 130 लक्ष गीतों के लिए यहाँ 6,800 रुपये हैं—जारी के लिए यहाँ 52,000 रुपये, जाट के लिए यहाँ 1,300 रुपये, नियमित लक्ष एवं उच्च अदि के लिए यहाँ 6,000 रुपये, इस प्रकार प्रकार जली में जल दी गयी 68,400 रुपये तथा जामनी 4 लंबे व दूसरे 28,160 रुपये हैं यह प्रत्यक्षाल जल का विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्री दुर्जान की जली प्रकारित अनुमति के प्रारंभिक (Principals) यह जहानी पर प्रस्तुत किया गया है।

वरिष्ठों द्वारा दिखाये गएकान्तर नामानुसार विवरण दिया गया है—

1. जूँ में जारी प्रदूषितीय लीकेटि के गती के प्रत्यय में जी यह जारीवाही का प्रत्यय लीकेटि एक्सिंग कार्बनात्, जली कार्बन, पर्फॉर्मेंस, जल एवं अन्यान्य परिवर्तन प्रकार एवं अन्युर जल का अनुमति किया गया।
2. उत्तीर्णीय है कि जूँ-जानी की जहानी पर (Motorized) प्रस्तुत किया गया।



3. नीम कीमा से विकल्पन का लैंड एवं अपार्टमेंट/रहठान चाहान की वास्तुओं मूर्ति का उत्तोष करती हुई वायावालादिकारी ने आदि अनाधिकारिक चाहान पर की असुल लिया जाए।
4. नीम कीमा के बारे और 7.5 वील की कीमा घट्टी में जब ऐर वाइमेंट क्रम में 1,800 नम बुलाईयां हैं, तो नीम का रोपण, लोगिन, खाद एवं लिंगाई जब लू—लाल की लिए ह वक्ती का घटकाव जब वक्ता विकल्प विकल्प प्रसार नहिं असुल लिया जाए।
5. अनाधिकारिक 7.5 वील की कीमा घट्टी का प्रवालान प्राप्त (Restoration plan) असुल लिया जाए।
6. नहाने वालिंग लिये जाने वाले वायावालान पर (Notarized undertaking) असुल लिया जाए।
7. वाइमेंट नीम की जब लाल बुलाईयां लिये जाने एवं लोगिन कीमा का लालाफ़ाल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत वृद्धिमिति लिये जाने वायावालान पर (Notarized undertaking) असुल लिया जाए।
8. वरियोजना प्रवालान क्षात्र विभाग का वृद्धिमिति लिया (Minerals Concession Rule) के अनुसु वायावाली लियाने क्षात्र विभाग का कार्य वृद्धिमिति लिये जाने वायावाले पर (Notarized undertaking) असुल लिया जाए।
9. वरियोजना प्रवालान क्षात्र लियी में प्रवाल का दूरीक जात का इवाज प्रवालिक जल कीमी, तात्त्वान्, गदी, वायावा में जही लिये जाने एवं बुक्सों वायावाल लिये जाने वायावाले पर (Notarized undertaking) असुल लिया जाए।
10. वरियोजना प्रवालान क्षात्र विभाली के लाल वायावाल लोगों की वीकास दिये जाने हेतु वायावा पर (Notarized undertaking) असुल लिया जाए।
11. वरियोजना प्रवालान क्षात्र वायावा पर (Notarized undertaking) असुल लिया जाए कि उन्होंने विकल्प द्वारा वरियोजना/वायावा की वायावाल विभाल वायावाल प्रवाल देश की वायावाल लियी गई व्यावालता में लौटी गई है।
12. वरियोजना प्रवालान क्षात्र वायावा पर (Notarized undertaking) असुल लिया जाए कि उन्होंने विकल्प द्वारा वायावाल, वायावाल, वाय और वायावाल वरियोजने वायावाल की अधिकारिकता वायावा, 804(अ), दिनांक 14/03/2017 की अवधान की वायावाल प्रवाल वायावाल लिया गई है।

वायावाल वायावा मूर्ति वायावाली/वायावाल प्रवाल लिये जाने वायावाल वायावाली की वायावी।

वरियोजना प्रवालान क्षात्र लालायावार लूपित लिया जाए। वाय की एकीकृत लोकीत वायावाल, वायावाल, वायावाल, वाय एवं वायावाल वरियोजने वायावाल, वायावाल की वाय लेत लिया जाए।

2. वेस्टी वायावाल विभाल (वीक्सेन्टी लैंड लैंड लैंड, डी.— की वायी लिये), वाय—वीक्सेन्टी, लालील—वायन, लिला—दुर्वी (वायिकालय का वायी वायावा 1836) कीवालाईन लैंड—दुर्वी में वायेजल वायन — एमावाई/ लीवी/ एमावाल/ 201886/ 2021, दिनांक 29/08/2021 द्वारा लीवील द्वारा लैंड लिया जाए। वायावा में वायेजल वायन — एमावाई/ लीवी/ एमावाल/ 436721/ 2023.

दिनांक 24/04/2023 द्वारा सामग्रीय वर्गीकृति काम करने के लिए वर्गीकरण दिए जाएं। निचोड़े प्रस्तुत की गई है।

वर्गान का विवर — यह प्रस्तुति द्वारा यात्रा (रीत वर्गित) काम है। इसमें गोलीबारी, गोलीबारी-पाठ्य, विला-दुर्ग विवर काम के 343, 347, 348, 349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 360/2, 360/3, 360, 462/1, 462/2, 360/1 एवं 360/2, द्वारा श्रेष्ठता—4.76 (विकेट्स में उपलब्ध है) काम की अधिकृत उत्पत्तिकाम काम का 4.99/346 द्वारा प्रतिवर्ण है।

पूर्व में एकाईएसी उत्पत्तिकाम के लिये इसका 134, दिनांक 29/04/2023 द्वारा प्रकाशित थी। लैटेगढ़ी का द्वारा की काम का काम लाभार, यात्रीवाह, यात्रा और अत्यधिक परिवर्तन वर्गान का द्वारा अधीत, 2013 में प्रस्तुति दिए गए दार्ता और विकेट (ट्रैकिंग) की दिए गई एवं इसकी निचोड़े पर गोलीबारी/एकाईएसी विवराद्वयित्व द्वारा उल्लेख की गयी अधीत अधीत, 2006 में दीर्घ समय (पूर्व) का द्वारा दीक्षित गोलीबारी (जोकि द्वारा गुणवार्ता दीक्षित) द्वारा दिया गया है।

लाभानुभाव अदियोगना प्रस्ताव की एकाईएसी उत्पत्तिकाम के लाभ दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकाम हेतु सूचित दिया गया।

वैधता का विवरण —

(अ) वार्षिकी की 482वीं वैधता दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकाम हेतु की अनियंत्रित दूर्ग, असिकूत अधिकृति एवं वर्गीकरण कामकार के काम में वैधता की एक दूर्ग द्वारा विश्वास, गोलीबारी/एकाईएसी की ओर से की गयी दूर्ग द्वारा उपरिकृत हुए। वार्षिकी द्वारा नहीं, प्रस्तुत कामकारी का अनुसारीकाम द्वारा वर्गीकरण करने पर दिया दियती गई है—

- पूर्व में जारी प्रस्तावलीय वर्गीकृति कोकी विवर— इस काम को पूर्व में प्रस्तावलीय वर्गीकृति जारी नहीं की गई है।
- इस विवरण का अनावश्यक उपलब्ध वात्र— उत्पत्तिकाम के उपर ने इस विवरण को दीक्षित का दिनांक 15/03/2021 का अनावश्यक उपलब्ध वात्र प्रस्तुत दिया गया है।
- उत्पत्तिकाम गोलीबारी— जारी गया प्रस्तुत दिया गया है, जो लंगूरा—गोलीबारी (3612), गोलीबारी का यात्रिकाम, या लंगूरा बाट्स नाम के ग्राम का 4452/वार्षि 05/पार्स्यानुसारी/वार्षि 05/2020/2020/2020 या लंगूर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा प्रस्तुतिकृत है।
- 300 मीटर की दूरी के विवर काम— कार्यालय कालेक्टर (अनियंत्रित दूर्ग), विला-दुर्ग के लाभ इनांक 300/वार्षि 3002/अनियंत्रित/2021 द्वारा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रस्ताव यत्र अनुसार उक्त काम की 300 मीटर की दूरी के दौर्तु जीव सांख्यिक सेवा दीर्घ अवधि, अवधार, वस्तु, पुरा, एकीकृत, उपलब्ध, राष्ट्रीय एवं सामाजिक आदि भौतिकियों के अनियंत्रित दूर्ग दियती नहीं है। उक्त एवं नहर—नहरी 300 मीटर की दूरी की वर्गीकृति ने दिया है।
- 300 मीटर की दूरी के विवर कार्यालय की/संरक्षणात्— कार्यालय कालेक्टर (अनियंत्रित दूर्ग), विला-दुर्ग के लाभ इनांक 300/वार्षि 3002/अनियंत्रित/2021 द्वारा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रस्ताव यत्र अनुसार उक्त काम की 300 मीटर की दूरी के दौर्तु जीव सांख्यिक सेवा दीर्घ अवधि, अवधार, वस्तु, पुरा, एकीकृत, उपलब्ध, राष्ट्रीय एवं सामाजिक आदि भौतिकियों के अनियंत्रित दूर्ग दियती नहीं है। उक्त एवं नहर—नहरी 300 मीटर की दूरी की वर्गीकृति ने दिया है।

- ii. यूपी एवं उत्तराखण्ड संसदीय विभाग – यूपी एवं उत्तराखण्ड, गोपनीय राज्यसभा विभाग के नाम पर हैं जो कांगड़ालप कलेक्टर (अधिकारी शास्त्री), विला-यूपी के द्वारा दायरा 342/विविध/वा.प./2021 द्वारा, दिनांक 08/06/2021 द्वारा उत्तराखण्ड संसदीय विभाग की ओर से बोर्ड द्वारा दिनांक से 1 वर्ष की अवधि का था। उत्तराखण्ड संसदीय विभाग की विभाग द्वारा बहुत संयुक्त-संयोगीक (अधिकारी विभाग), संयोगीकरण, वीरियती तथा विविध, जब तक उत्तराखण्ड अद्यत नगर के द्वारा दा. 4804/वारी-३/वा.प. ५०/२०२३ तक उत्तराखण्ड अद्यत नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा याति तथा अवधारा “आवाय यज ती ऊपां द्विः उत्तराखण्डीय न्यायालय संघरणम्, वीरियती तथा वीरियती के सम्बन्ध में पुनर्विभाग किया गया है। हीना बताया गया है। इसीलिए यह यज ती कि उत्तराखण्डीय विभाग द्विः की इसी प्रकार का उत्तराखण्ड विभाग जाना आवश्यक है।
- iii. विस्तृत कर्ती रिपोर्ट – वर्ष 2019 की विस्तृत जर्दी रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रकार यहां नीचे दर्शाई गई है।
- iv. वर्ष विभाग का अवार्द्धी घटाव यज – कांगड़ालप उत्तराखण्डविभागी, दूर्ल उत्तराखण्ड, विला-यूपी के द्वारा दायरा 342/विविध/वा.प./2020/4824 द्वारा, दिनांक 08/12/2020 से याति अवार्द्धी घटाव यज अनुसार अधिकारी तथा विभाग तक दायर की गयी तो ६० दिनों दूर है।
- v. यहांतर्दूरी चालनाली की दूरी – विभागीय आवाय राम-गोदावरी ३ दिनों, रामूर राम-गोदावरी १२ दिनों एवं कांगड़ालप संघरण ३ दिनों की दूरी पर विभाग है। उपर्युक्त वार्तामार्ग १८ दिनों एवं वार्तामार्ग १५ दिनों दूर है।
- vi. वार्षिकीयतिवार्ष/वीरियतिवार्ष संवेदनालील कीर्ति – वार्षिकीयता इसाविक द्वारा 10 दिनों की दौरी में अवार्द्धी दोष, राष्ट्रीय उदान, अमावास्या, गुरुवार अद्यतन विभाग द्वारा दीर्घ विविध विभागीय वीरियती वीरियती एवं वार्षिकीयतिवार्ष संवेदनालील कीर्ति का दीर्घ विविधता तंत्र विभाग नहीं हीना विभिन्नता विभाग है।
- vii. वर्षन संघरण दूर व्यवहा का विभाग – विविधविभाग विभाग 22,70,500 रुप. वार्षिक विभाग विभाग 14,95,300 रुप. एवं विकासवेत्तल विभाग 14,20,500 रुप. है। लीज दौरी ७.५ मीटर दौरी कीमत वाहनी (उत्तराखण्ड की लिए वार्षिकीयता दीर्घ) का कीमत ७,४०० रुपये/मीटर है। लोपन करने की विकासवेत्तल विभाग से वाहनवाहन विभाग जाएगा। उत्तराखण्ड की अवार्द्धी अविभाग वाहनी २० मीटर है। लीज दौर में कुली विद्युती की दौरी ०.१५ मीटर, याता ५,५०० रुपये/मीटर है। लोपन करने की दौरी ०.८५ मीटर, याता ४४,३५५ रुपये/मीटर है। ये दो दौरी १.५ मीटर एवं दौरी १.५ मीटर है। व्यवहा की अवार्द्धी आय ५ वर्ष है। लीज कीर्ति में उत्तराखण्डविभाग विभाग जाना व्यवहारित नहीं है। लीज ईवर से विविध एवं विभिन्नता विभाग जाएगा। उत्तराखण्ड में यातु उत्तराखण्ड विभाग हीना जान का विभागवाहन विभाग जाएगा। वार्षिकीयता वाहनवाहन का विभाग विभागनुसार है:-

वर्ष	प्रवालित वाहनवाहन [रुप.]
घटाव	1,76,700
द्वितीय	3,20,620
यूरोप	4,23,566
प्राय	4,56,346

ii. यस अनुमति - वीरोजना हेतु आवश्यक जल की जाति २ प्रमाणित प्रतिशत होगी। जल की अनुमति संस्थान के माध्यम से दी जाएगी। इस बाबत गोपनीय प्रबलाक लैटर अनुमति से जारी अनुमति इमान वाल इकाज दिया गया है।

iii. घुटारीमन कार्य - लीज लेंड की जीवा में जारी होने वाले टी.ए. वीटर की पट्टी में १.४८८ लग. (वी.ए. आर. नक्षा एवं आमूल जारी) घुटारीमन दिया जाएगा। वरिष्ठोजना प्रबलाक द्वारा लीज संभव की जीवा घुटारीमन के लिए नियमानुसार कार्य प्रसारित है:-

दिवाल	उत्तम (लघु राहि)	द्वितीय (लघु राहि)	तृतीय (लघु राहि)	घुटारी (लघु राहि)	पंचम (लघु राहि)
घुटारीमन (३० प्रतिशत लीजन दर) हेतु राहि	1,12,480	11,248	11,248	11,248	11,248
वीरोजना हेतु जारी	2,36,360	—	—	—	—
सारा हेतु जारी	11,110	1,110	1,110	1,110	1,110
नियमित एवं वर्ष-वर्ष द्वेष्ट राहि	2,76,000	2,26,000	2,26,000	2,26,000	2,26,000
कुल राहि = ५५,५३,०००	8,29,000	2,36,360	2,36,360	2,36,360	2,36,360

iv. यद्यपि की टी.ए. वीटर की द्वितीय जीवा पट्टी में जाएगा - लीज लेंड की जारी होने वाले टी.ए. वीटर की जीवा पट्टी में जाएगा जारी की दिया गया है।

v. उत्तम विस्तर का विवरण-

- जल की वायु अदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - वीरोजिटरिन वार्ष वार्ष २०२२ से वार्ष २०२३ तक यह दिया गया है। १० विभिन्नों वीटर के अंतर्गत १० जलों पर वीरोजिटरिन वायु गुणवत्ता मापन, १० जलों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, १० जलों पर व्यावर यापन, १० जलों पर जलीय जल गुणवत्ता इत्यादि १० जलों पर विनियोग के नाम से वीरोजिटरिन द्वारा विवरण दिया गया है। वीरोजिटरिन प्रबलाक द्वारा दिये गये वीरोजिटरिन हेतु पंचवामा प्रस्तुत दिया गया है।
- वीरोजिटरिन वरिष्ठोजनी की गोपनीय लीज, एवं, एवं, का सारांश दिया-

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>2.5</sub>	25.18	43.18	60
PM <sub>10</sub>	43.81	88.45	100
SO <sub>2</sub>	9.13	14.48	60
NO <sub>2</sub>	10.55	18.13	80

- वीरोजिटरिन जल की जानकारी की गुणवत्ता- इत्यादि के Chapter Description of environment में दातावे दिये द्वारा गोपनीय वीरोजिटरिन, वायुद्वेष्टक, जलवाय, कार्बोनेट्स, लैट, अमीरिका एवं अन्य राज्यान्वित तत्त्वों का जानकार लेखन जारीय रूप से करा गया है।

- वीरोजिटरिन वायु की जारी-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise Level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L <sub>dn</sub>	45.11	60.21	70
Night L <sub>dn</sub>	31.04	49.11	70

जो उक्त शीर के नियमित रूप से नहीं है।

- v. फौसीदू की समस्या— जाहि वाहनों / वाहनीएवज्ञान द्वारा वाहनों की समर्पित करते हुए इंगित कर्मचार लियोर अनुसूत की गई है, जिसके अनुसार वाहन में 1,080 फौसीदू इंगित एवं बी/बी अनुसूत (BC ratio) 0.18 है। प्रतिक्रिया अविद्योजना एवज्ञान 210 फौसीदू की गुणि होती है। अन्यथा यह 1,200 फौसीदू इंगित एवं बी/बी अनुसूत (BC ratio) 0.21 होती है। बी—इंटरियल/डोक्टर के विवरण हेतु उक्त वाहन की ओर लिया गया नियमित गणक (Benchmark) के बीतर है।
- vi. परियोजना प्रशासन द्वारा वाहन (Fitter) एवं भीना (Pawna) की जनकारी प्रस्तुत कीजा जाता है।
- vii. जोक सुनार्ह दिनांक 17/04/2023, अवान 1200 वाहन, वाहन- जाहाजीय उत्तरार्द्ध वाहन, वाहन—बीड़ी-बीड़ी, ताहील-पाटन, जिला—गुर्जर में सफल हुई। जोक सुनार्ह दस्तावेज सदस्य जापिय, उत्तरार्द्ध परियोजना वाहन वाहन, वाहन राष्ट्रीय वाहन नगर, जिला—गुर्जर के पश्च दिनांक 08/06/2023 द्वारा प्रसिद्ध जिला जाता है।
- viii. जानकारी के दीर्घ सुधार काय से जिल सुनार्ह/जिलार प्रस्तुत जिवे यहै है—
- i. वाहनों में ही वाहन में 25 वाहन हैं, जिलार जनकारी छैल रहे हैं, वाहन नहीं वाहनों वाहनीय वाहन की वाहनी है। वाहन से वाहन की वाहनी कुछवाहन ही रहा है।
  - ii. वाहनों के वाहन से यूट—मिट्टी उठता है, वाहन जाहाजीय द्वारा ऐसे जाहाजीय एवं जात जिलार अविद्यि करते कर वाहा वाहते हैं, जीवित कोई जात जिलार नहीं करती है।
  - iii. वाहनों में अवैध वाहनन से गहराई एवं उत्तरान ही यहा है, जिलार विवाहज वाहन गिरता जा रहा है, अविद्यि में इनकी पेपलत नहीं जिल आयेगा।
  - iv. वाहन में हीने वाहने वाहनीय से यांव वाहने इत्यावित ही रहे हैं, वाहन में वाहन विवाह है तथा वाहन के वाहन से खेल में अवैध योग नहीं हो पा रहा है। जिलार वाहन विवाह के लिए वाहन जिला जा रहा है।
  - v. जाहाज बन्दा ही रहा है, जिलारे नहाया भी नहीं जा सकता। वाहन से प्रस्तुत की जानकारी हीती है, जाहाज पर यानी भी नहीं जाता जाता।
- जोक सुनार्ह के दीर्घ सुधारे यहै जिलिन कुद्दों के जिलारन की जिला में वरियोजना प्रशासनी की ओर से संघर्षित इतिहिति/कांस्ट्राटर के कायन विवाहानुसार है—
- i. वाहन वाहन से + जिली दूषी यह है, जिलारे वाहन की कोई सुखावाह नहीं होता। इस वाहन में लोजान देतु वाहन के जीवों को ही इत्याविता की जाएगी।
  - ii. इत्याव वाहन वाहन से वाहनी दूषी यह है, जिलारे वाहन की कोई सुखावाह नहीं होता। वाहन की यूट डूक नहीं जाये इसके लिए यानी का विकास एवं अधिक—अधिक सुवाहोग जिला जाएगा।
  - iii. वाहनीय वाहन अनुसूत की उत्तरान एवं जिला जाएगा। उत्तरान की गहराई यू—जह वाहत तक नहीं पहुँचेगा।

३. अग्रणी कार्यकरण की विवादी में ही बहुती व्यवस्थित विषय आएगा। विवादी गांव या बाली को विवादी की प्रकार का संघीय युद्धान्वय नहीं होगा।
४. बालान बालान से बाली हो है, तो इसके बालान को संघीय युद्धान्वय नहीं होगा। बालान में वैशिष्ट्य कह कर बाली उसका युद्धान्वय बनाए हुए हिस्से में प्राप्ति की विवाद की विवाद से बाली विवाद कच्ची काल्पनी पर करिए तथा उसी की विवाद से इस का विवाद आएगा।
५. बालान हेतु कीमत इन्हायरेंटेज ऐंजिनीट पक्ष – परिवर्तना इन्हायरेंट द्वारा बालान गांव की आवंशिक बालान को बालान करते हुये कामकार में यहू ३५ लाखने आती है। अब बालान में बालिन बालानी द्वारा कीमत इन्हायरेंट ऐंजिनीट द्वारा इन्हायरेंट पक्ष की विवाद की विवादी बनाए गए हैं। कीमत इन्हायरेंट ऐंजिनीट पक्ष की विवाद निम्न कार्य इन्हायरेंट हैं—

विवाद	प्रकार (लिए)	द्वितीय (लिए)	तृतीय (लिए)	चतुर्थ (लिए)	पंख (लिए)
प्राप्ति विवाद हेतु विवाद के दौरान साक्षी/पर्वत वार्ग से इन्हायरेंट भूल बालानी की विवादी हेतु जल विवाद, पर्वत वार्ग की यहू लम्बाई १० फीट।	२,८८,०००	२,८८,०००	२,८८,०००	२,८८,०००	२,८८,०००
१०००० बीटर लम्बे पर्वत वार्ग के दौरान साक्षी/पर्वत वार्ग से इन्हायरेंट भूल बालानी (वीए, आए, एवज एवं इन्हायरेंट अधीनी) हेतु	५८,८०,०००	८,७६,७९६	८,७६,७९६	८,७६,७९६	८,७६,७९६
साक्षी/पर्वत वार्ग के रास-वालान हेतु	२,००,०००	२,००,०००	२,००,०००	२,००,०००	२,००,०००
इन्हायरेंट विवाद की विवादी वार्ग से इन्हायरेंट विवादी एवं अन्य वार्ग	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००
<b>कुल राशि = १,८८,८०,०००</b>	<b>५८,८०,०००</b>	<b>१२,८६,७९६</b>	<b>१२,८६,७९६</b>	<b>१२,८६,७९६</b>	<b>१२,८६,७९६</b>

कीमत इन्हायरेंट ऐंजिनीट पक्ष में विवादी इन्हायरेंट की सहभागीता विवादी वार्ग होनी।—

विवाद	प्रकार (लिए)	द्वितीय (लिए)	तृतीय (लिए)	चतुर्थ (लिए)	पंख (लिए)
प्राप्ति विवाद हेतु विवाद के दौरान साक्षी/पर्वत वार्ग से इन्हायरेंट भूल बालानी की विवादी हेतु जल विवाद, पर्वत वार्ग की यहू लम्बाई ८०२ बीटर, साक्षी/पर्वत वार्ग के रास-वालान हेतु एवं हिन्दू विवाद की विवादी वार्ग	४९,८१२	४९,८१२	४९,८१२	४९,८१२	४९,८१२
८०२ बीटर वार्ग के दौरान (२०० वार्ग) युद्धान्वयन(वीए, आए, एवं इन्हायरेंट अधीनी) हेतु	१,४६,८०८	१७,१९६	१७,१९६	१७,१९६	१७,१९६
<b>कुल राशि = ९,८१,८०८</b>	<b>१,४६,८०८</b>	<b>१७,१९६</b>	<b>१७,१९६</b>	<b>१७,१९६</b>	<b>१७,१९६</b>

 

19. मात्रा व्यवस्था, पर्यावरण, पर्यावरण और संवर्धन की नीति, जहां विद्युती ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग के सम्बन्ध में इनकारात्मक विचारों के लाभान्वी एवं नाफरीय एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्था द्वारा उपलब्ध इन्डियनेट ऐमेजेंट व्यवस्था द्वारा दिया जाना आवश्यक है।

समीक्षा का मत है कि व्यवस्था में सामिल सभी लादानी द्वारा लाने की व्यवस्थीय दृष्टिकोणीय की दृष्टिकोण हेतु लादानी की वित्तीय एवं वैज्ञानिक अनुभवित सुनिश्चित विद्या जाना आवश्यक है।

समीक्षा का मत है कि व्यवस्था में जाने वाले लादानी की व्यवस्था गतिविधिओं से व्यवस्थीय दृष्टिकोण पर पढ़ने काले दुष्प्रभावों की दृष्टिकोण हेतु व्यवस्था में जाने वाले सभी लादानी को सामिल करनी हुई, व्यवस्था हेतु लादाना इन्डियनेट ऐमेजेंट व्यवस्था द्वारा दिये जाने वाले कर्तव्यों से विवरित करने वाले हेतु संचालक, संचालनवाला, वैज्ञानिक ज्ञान लानी, इकाई की जगत्, याता यातुर अद्वा जगत्, जिला – यातायुर (प्राचीनवाद) की राह से प्रवृत्त कर्तव्यों किया जाना आवश्यक होगा।

20. **वौद्धिक व्यवस्थीय दर्शन (C.I.R.)** – परिवेशान्वयन प्रकल्पक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समीक्षा की वास्तविकता विभाग प्रस्तुत करता है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
135	3%	2.70	Following activities at, Village- Dondpandri	
			Paratra Van Niranjan	16.875
			Total	16.875

वौद्धिक व्यवस्थीय दर्शन द्वारा विवरित व्यवस्था हेतु प्रस्तुत प्रकल्प अनुसार 1,000 नव लैडी के लिए जिति 70,000 रुपये, कॉलिंग के लिए जिति 210,000 रुपये, लाट लो लिए जिति 7,500 रुपये, छोपन विद्या लायलस्ट के लिए जिति 1,00,000 रुपये, लिंगर्ज लाट लाट-साधा अदि के लिए जिति 2,01,000 रुपये, हुक ग्राम प्रदान की में कुल जिति 6,44,500 रुपये तथा लादानी 4 लाई में कुल जिति 9,37,400 रुपये हेतु प्राप्तव्यवान व्यवस्था का विवरण प्रवृत्त किया जाता है। परिवेशान्वयन प्रकल्पक द्वारा जाम व्यवस्था गोडारेखी की व्यवस्थी व्यवस्था कालांदेव व्यवस्था (व्यवस्था नम्बर 718/1, लोकपत्र 643 हेटिला की कुल जगा में) के संबंध में जानकारी प्रवृत्त की जैसी है।

21. व्यवस्था हेतु विभान्न इन्डियनेट ऐमेजेंट व्यवस्था द्वारा दिया जाना व्यवस्था लादानी के एक नवीनी वैज्ञानिक दृष्टिकोणीय अनुसार दिया जाता है।
22. व्यवस्था में जाने वाले सभी लादानी को लिए दिया जाना इन्डियन इन्डियनेट ऐमेजेंट व्यवस्था हेतु सभी लादानी की व्यवस्था एवं देशांतर वासित नवीनी में दर्शाई हुई पुनर्विविध व्यवस्था दिया जाता है।
23. लीज की रेट में लादानी विद्युती की वैद्यती 0.15 लीटर जाका 6,660 रुपयीहै। विद्युती से 4,300 रुपयीहै जादी विद्युती की 7.5 लीटर वैद्यती जीवा घटी में

- प्रैसवार्क युक्ताधीन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे 2340 परमाणुक  
उपरी निटटी को संवैधान बदल दी गयी (जनता अधिक 362/2, संवेदन 025  
संवेदन) द्वारा मैं संवैधित कर संवैधान रखा जाता है। औंडर कार्ड की नंबर 025  
पीटर याता 44,356 परमाणुक है। लिंगे संवैधान करने की गयी (जनता अधिक  
362/2, संवेदन 025 संवेदन) द्वारा मैं संवैधित कर संवैधान रखा जाता है।  
अभिनीत का यह है कि प्रैसवार्क युक्त को दृष्टिकोण से उपरी निटटी द्वारा  
बोल कर्त्तव्य का अवश्यक हेतु जम दी जैवार्ड व पीटर याता अधिक 28 लिंगों से  
अधिक य करने द्वारा उपरी निटटी द्वारा औंडर कार्ड का प्रयोग उत्तम लिंग  
याता आवश्यक है।
24. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यक या जनता पत्र (Notarized undertaking)  
प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ द्वारा जोड़ युक्तार्ड को औंडर लिए गए जनता  
आवश्यक युरे लिंग आएगी।
25. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित जनता मैं उद्योग लोगों द्वारा लिकान्स  
आवश्यकी द्वारा को निर्दिष्टी को दीवाराव मैं प्राप्तगिक्का लिंगे याते जाएं जाएं जनता पत्र  
(Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा दीवार इन्फ्राक्षेटिक लैंडरेट जनता को औंडर लो गई  
है। इस पर लैंडिंग जनता युक्ताधीन का करने करने लाया दीव द्वारा की दीवा  
मैं यादी और 7.5 पीटर की चटटी द्वारा दीवार इन्फ्राक्षेटिक लैंडरेट जनता की  
जहाँ लिंग याते युक्ताधीन याता दीवार को उठाने निर्दिष्ट करनी दी  
जानकारी लिंडोटर फॉटोडायल लैंडर अंदराधिक लिंडोट मैं यादीकरने करने द्वारा  
प्रस्तुत किये जाने याते जनता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. उपरी निटटी को दीव द्वारा याते यादी उठाने 7.5 पीटर की बाटटी लोडी नहीं है।  
इस पर लैंडिंग जनता युक्ताधीन का करने करने लाया दीव द्वारा की दीवा  
मैं यादी और 7.5 पीटर की चटटी द्वारा दीवार इन्फ्राक्षेटिक लैंडरेट जनता की  
जहाँ लिंग याते युक्ताधीन याता दीवार को उठाने निर्दिष्ट करनी दी  
जानकारी लिंडोटर फॉटोडायल लैंडर अंदराधिक लिंडोट मैं यादीकरने करने द्वारा  
प्रस्तुत किये जाने याते जनता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा लिंगों की एकार का दूरीत याता का प्रयोग इन्फ्राक्षेटिक  
जनता करना, राज्याव, नदी, नदा मैं नहीं लिंगे जाने एवं इसको संकाय लिंगे जाने  
जाना उपर्युक्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. अवैनिंग का कर्त दीवान्हास द्वारा अवैनिंग लिसेटक जाईसीस जनता  
(Explosive License Holder) द्वारा करने जाने याते जनता पत्र (Notarized  
undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. अवैनिंग दीव द्वारा करने करने युक्ताधीन लिंगे जाने एवं संकिंच दीवी का  
नामांक्यता रेट (Burndown rate) दी उपरित युक्तिवाल लिंगे जाने याते जनता जनता  
पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परिचोदना से लिंग-लिंग याती से प्रत्यक्षित जनता उत्तावी होगा। इस याती  
पर लिंगित यात लिकान्स की जनता लिंगे जाने याते जनता पत्र (Notarized  
undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. परियोजना प्रसारक द्वारा नियम कानूनी रिम गोवारा Coronation Rule के तहत कानूनी रिमाई द्वारा नीतिकाल का तर्फ सुनिश्चित रिम जाने वाले राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. परियोजना प्रसारक द्वारा आंदोलित द्वारा में खेत कुटी की उत्तरियों की जानकारी प्रस्तुत रिमे जाने वाले ही उस कुटी की अवासकाल यहाँ एवं एकी सभी परियोजनी की अनुसारि उपलब्ध रिमे जाने वाले राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. अधिकृत द्वारा नियम को जारी कर यात्रा करने वाले राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रसारक द्वारा भवित्व में परिवर्तनीय संशोधनी द्वारा रिमे रिम जानकारी करने एवं जानकारी राप्ता की अधिक यात्राकाल का कार्य नहीं करने वाले राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रसारक द्वारा राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि एकाहे विकल्प द्वारा परियोजना/यात्रान की अंतिम बोर्ड नियमालाकीय उत्तराधिकार की अंतिम रिमी भी न्यायालय में लाभित नहीं है।
38. परियोजना प्रसारक द्वारा राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि एकाहे विकल्प द्वारा जानकारी, परियोजना का और जानकारी परियोजना अधिकृत द्वारा द्वारा दिया जाना नहीं है।
39. परियोजना प्रसारक द्वारा राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि एकाहे द्वारा भीड़जार की अंतिम रिमे जाने वाले यात्राकाल का 6 तकी तक रात-रात्रि रिम जारीगा।
40. परियोजना प्रसारक द्वारा परिवर्तनीय संशोधनी (ई.सी.) यात्रा की न्यायालय अधीक्षण, भारतीय उच्च न्यायालय, भारतीय राष्ट्रीय बीम ट्रॉफिकल रिम(जी.टी.) और रिमी भी एक न्यायालय के आदेश/रिमें रहे अधिन हैं, सामन्य यात्रा की जारी हो लागू ही रखती है जब यात्री जारी कर यात्रा करने वाले राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
41. परियोजना प्रसारक द्वारा राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय सुनिश्चित कर्त्ता द्वारा रिमाई 02/08/2017 की Common Cause vs. Union of India With Petition [C] 114 of 2014 में दिया गए रिम परियोजना का भी द्वारा यात्रा करने जारीगा।
42. परियोजना प्रसारक द्वारा राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि MOEFCC की दम नं. 8-13313/30/2004-ए.ए.ए.प. दिनांक 29/10/2004 द्वारा दिए गए यात्रा यात्राओं का यात्रा करने गे, रिमके अनुसार बिलियों एवं यात्रा नालिकेशियों का यात्रा- यात्रा परियोजनाओं से लेकिया युक्त रिममें बिलियों और यात्रा नालियों है, यात्रा द्वारा होनी या बिलियों का हिस्सा प्रस्तुत भेज से रिम सुनिश्चित होता है।
43. परियोजना प्रसारक द्वारा राप्ता राप्ता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि यात्रन बहु की स्थानिय में रिमी भी यात्राय के लिए MOEFCCSEAA की सुनिश्चित किया जायेगा, यदि स्थानिय में कोई परियोजना होता है या यात्रन यहाँ अनावश्यक होता है। परियोजना प्रसारक को यात्रा-यात्रा पर संतोषित इकाई

- लेखि, इसके पैरा 11 के प्राप्तियों के अनुसार परिवर्तीय नियमों के उल्लंघन के लिए आवेदन करना चाहिए।
- ii. परिवर्तीय उल्लंघन द्वारा जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सहिताकारी कानूनी लिंग के लिए अनुचित मिशन जाह्नवी होने पर की जानकारी दी गई है।
  - iii. आवेदन के लिए यहाँ की प्राप्तियों की अनुसारी प्रस्तुत किया जाए। यहाँ की एक यहाँ की अनुसारी यहाँ पर की जानकारी उल्लंघन प्रतिक्रिया से अनुचित उल्लंघन के लिए जाने जाने जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाता है।

परिवर्तीय द्वारा किया जाने वाले उल्लंघनों से निष्पत्तिकार नियम लिया जाए—

1. एलओआर की वित्ती विधि की जटि प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अधिकारीय भूज्यों के उल्लंघनों से उपर्युक्त एवं अधिक बड़ी का अनुसारी उल्लंघन की जटियता 1 दीटर तक सीधे 25 फिटों से अधिक न करनी चाही उपर्युक्त एवं अधिक बड़ी का प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपर्युक्त विधि जानकारी/उल्लंघन प्राप्त होने सम्बन्धीय कार्रवाई की जाएगी।

परिवर्तीय उल्लंघन की निष्पत्तिकार लूप्त किया जाए।

3. ऐसी कमिश द्वारा बहुत उल्लंघन, जाम विवरण बरिशा, जाम-करिशा, जामनील-जामना, जिला-जाति बहुत कांचें (स्थिरान्वय का नामी इनाम 2023) अधिकारीय उल्लंघन — उपर्युक्त नम्र — एलओआर/ सीजी/ एलओआर/ 440001/2023, दिनांक 10/02/2023 द्वारा अधिकारीय लौटायी उल्लंघन की जानकारी की जाएगी।

उल्लंघन का विवरण — यह उल्लंघन द्वारा [दीन लैनिक] कराया गया है। जाम-करिशा, जामनील-जामना, जिला-जाति बहुत कांचें विवरण पर्याप्त अधिक जामना इनाम 725, घूस छोड़कर—4.00 एकड़ियां में उल्लंघित है। जामनील जामनील से लिया जाना उल्लंघित है। जामना की आंदोलन युक्तावल जामना—78.550 रुपयों रुपयों है। निष्पत्तिकार परिवर्तीय उल्लंघन को एलओआर, अधिकारीय की जामना दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रदूषीकरण उल्लंघन किया जाए।

वित्ती का विवरण —

- (i) उपर्युक्त विधि वित्ती दिनांक 13/10/2023;

उपर्युक्तवाले उल्लंघन की अधिक युक्ति नहीं, जामना उल्लंघन है। उपर्युक्त द्वारा जामनील का उल्लंघन एवं विवरण कराये जा विवरण लियी गई नहीं—

1. यहाँ में जारी अधिकारीय लौटायी जानी लिया जाए— इस उदास को यहाँ में उल्लंघन की जानी नहीं की जाए है।
2. याम विवरण का उल्लंघन प्रभाव प्राप्त — उल्लंघन की जांच में याम विवरण लैनिक का दिनांक 14/02/2023 का अनुपर्याप्त उल्लंघन प्रभाव प्रस्तुत किया जाए है।

3. विनाशित/सीमित - कार्यालय कलेक्टर, अधिक साथ से आपा उपर्युक्त पर अनुसार वह सदाच विनाशित/सीमित कर दिया है।
4. आवास सोबत - यह ऐसे सेह गांव यात्रा इत्या यह है, जो दृष्टि-पाठ्यालय (प्राची), विष्णु-उत्तर बस्तुन कालेंग के छाप्यम् उपर्युक्त 1273/वन्मित्र/उत्तर गो.अम./१३/2023-24 द्वारा कालेंग विष्णुक 23/08/2023 द्वारा अनुशासित है।
5. 500 घीटर की परिमि में विष्णु सदाच - कार्यालय कलेक्टर (वन्मित्र यात्रा), विष्णु-उत्तर बस्तुन कालेंग के छाप्यम् 1281/वन्मित्र/वाति./१३/2023 कालेंग विष्णुक 23/08/2023 के अनुसार अनुशासित यात्राम् से 500 घीटर की घीटर अवैधित आपा ऐसे यात्रानी की लाभा फ्रेड है।
6. 200 घीटर की परिमि में विष्णु सार्वजनिक लोड़/सेवनाम् - कार्यालय कलेक्टर (वन्मित्र यात्रा), विष्णु-उत्तर बस्तुन कालेंग के छाप्यम् 1280/वन्मित्र/वाति./१३/2023 कालेंग विष्णुक 23/08/2023 द्वारा यात्री उपर्युक्त पर अनुसार यात्रा यात्राम् के 200 घीटर की परिमि में लौटुं यीं सार्वजनिक लोड़ यीं द्वारा उत्तर उत्तराम्, युवा यात्रा, एवं एवं यात्रा अनुशासित आपा वार्तिवाली लोड़ विष्णुक नहीं है।
7. एक-को-अर्थ, का विष्णु - एक-को-अर्थ, यात्राम्, यात्रा यात्रायत करिता की नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (वन्मित्र यात्रा), विष्णु-उत्तर बस्तुन कालेंग के छाप्यम् 1209/वन्मित्र/वाति./१३/2023 कालेंग विष्णुक 14/08/2023 द्वारा यात्री की नहीं, जो यात्री विष्णुक से 12 यात्रा यात्रा की अवधि हेतु फ्रेड है।

प्रतीकाम् यात्राम्, वन्मित्र सदाच विष्णु, मंडलम्, भाजनी यात्रा, यात्रा उत्तर उत्तर नगर द्वारा यात्रीकाम् यीं वन्मित्र कालान रेता (यात्रान एवं यात्राम्) विष्णु, 2019 हेतु मानोलेन अधिकूरका विष्णुक 09/08/2023 के यात्री की नहीं है। यात्रा अधिकूरका के विष्णु 4 अनुसार “उत्तराम् यात्रा” की कालानी—साकारन रेता के मंडलम् हेतु उत्तराम् यात्रा यात्रा की कालानी के लिए उत्तर विष्णु यात्रा। यात्रा यात्रा की अवधि की यात्रा उत्तराम् यात्रा यिसेक के चंद्रीयन विष्णुक से विष्णु यात्रा।” का यात्रोत्तर है।

8. एन विष्णु का अनुशासित इमान यात्रा - कार्यालय का गणकालीकारी, कालेंग यात्रा उत्तर, विष्णु-उत्तर बस्तुन कालेंग के छाप्यम् 1209/वाति./१३/2023 कालेंग विष्णुक 10/08/2023 से यात्री अनुशासित इमान यात्रा अनुशासित आपा विकल्पन एन लोड़ से 00 फ्रेड दूर है।
9. विनट्रीवर्क यात्री रिपोर्ट - यात्री 2019 की विनट्रीवर्क यात्री रिपोर्ट (District Survey Report) की यात्री अनुशासित की नहीं है।
10. बहुवाही संघरणाम् की दूरी - विकल्पन आपादी यात्रा-वारी 1.1 फ्रेड, अनुशासित 1.2 फ्रेड, एवं आपदान यात्रा 3.15 फ्रेड की दूरी पर विष्णु है। यात्रीय यात्राम् 3 फ्रेडी, एवं उत्तराम् 1.85 फ्रेडी, दूर है। नहा 3.6 फ्रेडी, एवं एकांक 1.15 फ्रेडी, यात्राम् 1.1 फ्रेडी, एवं पुल 0.70 घीटर दूर है।
11. यात्राम् यात्रा यात्री की यात्रा की योजाई एवं यात्राम् की नदी यात्रा की दूरी - अनुशासित अनुशासित यात्राम् यात्रा यात्री की यात्रा की योजाई - अधिकूरक 282 घीटर, न्यूनाम् 220 घीटर यात्रा यात्राम् यात्रा की योजाई - अधिकूरक 213 घीटर, अनुशासित 209 घीटर एवं यात्राम् यात्रा की योजाई - अधिकूरक 100 घीटर, अनुशासित 114 घीटर।

40 बीटर जारी कर्ता है। समाज की जरी उत्तर के लिये से दूसरी अधिकार 47 बीटर, अनुकूल 35 बीटर है।

12. सहान सप्त पर ऐत की खेती – आवेदन अनुसार सप्त पर ऐत की गहराई – 4.25 बीटर तथा ऐत सुनन की उत्तराधिकार वहराई – 2.25 बीटर जारी कर्ता है। अनुदोषित पहाड़ीने पराम अनुसार सहान में भाइयोल ऐत की गहराई – 78.500 प्रति एकड़ी है। ऐत सहानम द्वारा उत्तराधिकार सप्त पर कृषिकाल में उपलब्ध ऐत सप्त की खेती जानेवे के लिए उत्तराधिकार सप्त पर 6 बहराई (Beds) संविधान उपलब्ध कालिक वहराई का गायन कर, जिसका लियान से उत्तराधिकार जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार ऐत की उपलब्ध खेती खेती 4.25 बीटर है। जो की उत्तराधिकार वहराई हेतु प्रयुक्त रिया गया है।
13. सहान लैंप में ऐत जलक की दोहराई – ऐत सहानम द्वारा उत्तराधिकार सप्त एवं उत्तराधिकार सप्त की जारी रात्र 35 बीटर तथा 35 बीटर के लिये लियुक्ती पर लियान 17/05/2023 की ऐत जलक के लैंपन (Levels) सेकर, उन्ही उत्तराधिकार लियान से उत्तराधिकार सहान सीटोंयानक सहित जानकारी/उत्तराधिकार लियुक्त की गई है।
14. कर्मचारी परिवर्तीय वारिता (C.E.R.) – परियोजना प्रशासक द्वारा जारी की गयी उपलब्ध Pariyuktam लियुक्त प्रशासक अनुकूल रिया गया है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
28.53	2%	0.56	Following activities at, Village- Kartha	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

15. गीरुआर के जलीत सप्तम की जारी और कूआंदेपा (जाम, कटहल एवं अनुकूल) हेतु प्रयुक्त प्रशासक अनुसार तुल 45 ग्रा लियान से 10 ग्रा तक तूर्ण से ताजात की जारी और अवधिकार है। तो 30 नम खेती के लिए तांति 3,000 करबड़ी, जौसिंग के लिए तांति 4,500 करबड़ी, जाद के लिए तांति 1,500 करबड़ी, लियान्ड तथा चम्प-चम्प जादी के लिए तांति 16,000 लखये द्वारा प्रशासक द्वारा जारी में कुल तांति 25,000 करबड़ी तथा जानकारी 4 लर्न में कुल तांति 50,000 करबड़ी हेतु प्रशासक द्वारा जारी का लियान प्रयुक्त लिया गया है। परियोजना प्रशासक द्वारा जाम विधायक जनिहा के लहरीती लूपता उपलब्ध सप्तम (जाम 400, कटहल 120 ट्रैक्टर्स) के लिये जानकारी प्रयुक्त की गई है।
16. कूआंदेपा कार्य – जारी के लिए जन जानकारी चूमि (जामदार छमांक 437, कुल रात्रा 0.31 हेक्टेकर) में 1,000 नम कूआंदेपा जनने हेतु प्रशासक द्वारा लिया गया है, जो लियान्तार है।



विवरण	प्रथम बर्ष (लाखों)	द्वितीय बर्ष (लाखों)	तृतीय बर्ष (लाखों)	चतुर्थ बर्ष (लाखों)	पाँचवां बर्ष (लाखों)
प्रमुख नियन्त्रण हेतु दरिद्रहम के दैनिक लागतों/प्रत्येक वर्ष के उत्पन्न घूल लाभार्थी के नियन्त्रण हेतु जल वित्तकारा	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नई टट (लाभार्थीय भूमि) में (1,000 घर)	कृषीनियन्त्रण हेतु वासि क्षेत्रीय हेतु वासि	1,00,000	—	—	—
	वाहन हेतु वासि	50,000	50,000	50,000	50,000
	विद्यालय काला-काला आदि हेतु वासि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
	<b>कुल राशि</b>	<b>16,05,000</b>	<b>5,05,000</b>	<b>2,50,000</b>	<b>2,50,000</b>
<b>कुल राशि = 16,05,000</b>	<b>5,05,000</b>	<b>2,50,000</b>	<b>2,50,000</b>	<b>2,50,000</b>	<b>2,50,000</b>

17. परिवोजना से जिम-जिम जाती ही प्रयुक्तिहीन काट उत्पादन होता। इस अपर्याप्त प्रति नियन्त्रित जल वित्तकार की आवश्यकता जिसे जाने वाला जलवा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. जाहाज सेवा की आवा-आवा नई टट द्वारा प्रत्येक वर्ष में जलवा कृषीनियन्त्रण विद्या जाने वाले सुरक्षित घैसी का संरक्षणहस्त रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत प्रयुक्तिहीन विद्या जाने वाला जलवा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. अस्तीर्णवाद अवशी तुनवीस जीति की जलवा कृषीनिय जींगी को गोबरगार विद्या जाने हेतु जलवा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परिवोजना इसावाक द्वारा जिसी भी जलवा का दृष्टिकोण जल (जहि जालन होता है तो) का इसके प्रयुक्तिहीन जल संवेदन, तापांग, चरि, जाल में जहि जिसे जाने एवं इसके जालांग जिसे जाने वाला जलवा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परिवोजना इसावाक द्वारा इस आकाश का जलवा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जि उनकी विकल्प इस जलवा से नियन्त्रित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देज के अन्तर्गत जिसी भी न्यायालय में लाइट नहीं है।
22. परिवोजना प्रयुक्तिहीन द्वारा इस आकाश का जलवा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जि उनकी विकल्प जलवा गोबरगार, पर्यावरण, इन और जलवायु अधिकारीय जलावाह की अधिकृत्यना कानून 804(3), दिनांक 24/03/2017 के अन्तर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकल्प नहीं है।
23. भावनीय सुदृग कोटि द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause no. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गये नियन्त्रित जल विद्या जाने वाला जलवा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. याचिका युक्ति कोर्ट द्वारा फैसला 08/01/2020 की नं. petition (2) Civil No. 114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिए गए नियमों का पालन किये जाने वाला वापस वापस वापस (Notarized undertaking) प्राप्त होता है।
25. परिवेशक प्रभावक द्वारा इस आवाय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त होता है जो एकल द्वारा इन्डिएटर एवं नोटरिएशन वाइल्डलाईन कोर्ट संघ 2020 की प्रकल्पों का पालनहित जारी करना अनुमतिदित उत्तरानन दीखता है जिसे नियमों का 25. परिवेशक नियम हो उत्तरानन दिया जाता है।
26. परिवेशक प्रभावक द्वारा इस आवाय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त होता है जो उत्तरानन में उत्तरानन के दीर्घ लाटेमेन्ट नीव नामिंग वाइल्डलाईन 2020 द्वारा इन्डिएटर एवं नोटरिएशन वाइल्डलाईन कोर्ट संघ 2020 की प्रकल्पों का पालन किया जाता है।
27. परिवेशक लीकूप्टि में दिये गये जारी का पालन किये जाने एवं इस प्रकारी परिवेशक परिवेशक लीकूप्टि में उत्तरानन का पालन वापस वापस पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त होता है।
28. परिवेशक प्रभावक द्वारा शीट्झार के तहत प्रत्याहित जारी के बारे दूरी तर लेने के उपराना संबंधित यात्रा परिवहन की कठिनपूर्ण परिवेशक द्वारा कर, नियोटेप फोटोशाक लाइट जानकारी परिवेशक लीकूप्टि हेतु यथा किये जाने जाने अनिवार्य नियोटेप में साधाहित कर प्राप्त होने जाने वाला वापस वापस पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त होता है।
29. परिवेशक प्रभावक द्वारा वापस वापस पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त होता है जो नियोटेप लाइट से लक्ष्य 1.5 किमी, असालाल 3.16 किमी, एवं आवादी कोड 4.1 किमी, जी दूरी यह है जो द्वि दृष्टि, गोप वर्गिक वर्गिक 2016 में संरचित यात्रा लीकूप्टि की अधिक है, या यात्रा, असालाल एवं आवादी कोड में उत्तरानन नामिंग होता। यात्रा कोड से लक्ष्य, असालाल एवं आवादी कोड में होने वाले यात्रा वापसगारी के नियोटेप में होना चाहय किये जाएं—
- i. यात्रा होते ही आवा—यात्रा जहाँ तक एवं लक्ष्य यार्थ में जारी और साध्य लीकूप्टि किया जायेगा, जिसको लक्ष्य, असालाल एवं आवादी कोड में उत्तरानन नामिंग होता।
  - ii. लक्ष्य(लाइट) के नियोटेप के द्वारा यार्थ को लिक्केवर किया जायेगा, जिसको लक्ष्य, असालाल एवं आवादी कोड में उत्तरानन नामिंग होता।
  - iii. हमारे द्वारा यात्रा का नियोटेप लाइकोलिंग से ढंक कर किया जायेगा, जिसकी लक्ष्य, असालाल एवं आवादी कोड में उत्तरानन नामिंग होता।
  - iv. हमारे द्वारा यात्रा लक्ष्य एवं आवादी कोड में दीम इन्वाकर व्याप्ति लिक्केवर कराया जायेगा।
  - v. हमारे द्वारा यात्रा में नियत तालाब में परिवेशक जागत की 2 प्रतिशत लक्षि शीट्झार के लक्ष्य तालाब के जारी और उत्तरानन के नियम लाइकोली, जारी

एवं राष्ट्रकल अधि के नीति पर संकेत एवं युक्ति हेतु विवेचन करा उ वही जगत्  
समूहीं देखनाम लिया जायेगा।

- vi. राष्ट्रकल का उकित राष्ट्र-जगत् एवं युक्ति अधि के युक्ति हेतु विवेचन जगत्  
देखनाम लिया जाईगा, तो, असाधी, असुल अधि पर युक्ति का व्यवाह नगरण  
होगा।
- vii. चरित्योजना प्रसारण का युक्ति में ऐत उत्तरानन का कर्ता नहीं लिये जाने  
वाले जगत् जब (Motivated undertaking) असुल लिया जाया है।
- viii. समर्पित का जात है जि लीज सेव के नीति पर वार्डिंग सेव में जीवा संभव  
लगाया जाना आवश्यक है। लीज सेव के जाती जीवों तथा जीवा लाईन के जात  
में सीमेंट के जावे प्रकाश आवश्यक है ताकि लीज सेव नहीं में रफत दृष्टिपोन्न  
हो सके।
- ix. बीड़जार कर्ता एवं नहीं जट में व्यापारियन कार्य के व्यापिकारिय एवं व्यापिकार द्वारा  
कि-पर्याप्त समिति (जोनलाइटर/प्रोटीक्सि, जाम एवं वेवेट के प्राक्तिकारी/प्राक्तिकि  
जूत लिया प्रशासन का व्यापारियन व्यापार जोखान व्यापक  
के व्यापारियानी/प्राक्तिक्षि, वार्डित लिया जाना आवश्यक है। जाप ही बीड़जार एवं  
नहीं जट में व्यापारियन का कार्य दूरी लिये जाने के उत्तरानन व्यक्ति कि-पर्याप्त  
समिति से सम्पादित जगत् जाना आवश्यक है।
- x. ऐत उत्तरानन वैनुल लिये से एवं भवाई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना  
आवश्यक है। समिति का जात है जि लीज सेव द्वारा योग वाहन की बेंची की है।  
अत यदृक् का कार्य वैनुल लिये से ही कराई जावे। याती वाहनों के नहीं में  
प्रोत्ता की अनुमति नहीं होती।
- xi. परियोजना व्यापारक द्वारा 2.25 पीसर की गहाई जात उत्तरानन की अनुमति यादी  
है। अनुमोदित व्यापारन प्राइवेट में उत्तरानन लिये जाने वाले सेव की व्यक्ति जूत  
मून्भवन संबंधी अव्यापक कार्य एवं उत्तराननी जाकरी का व्यापारियन नहीं लिया जाया  
है। व्यापारी बही नहीं है जहां युक्ति व्यापारक में सामन्यता 1.6 पीसर गहाई से  
अधिक नेत का पुनर्व्यापक होने की जापानन है।

समिति द्वारा लियाव विभाव उत्तरानन व्यापारियन से विभान्नान विभाव लिया जाया—

1. अवैदित व्यापार (जाम-कर्मिय) का व्यापक 4.00 हेट्टेयर है। व्यापार की जीवा से  
400 पीसर की व्यापकी में व्यापार/व्यापारित व्यापारी का युक्ति द्वारा 2.5 हेट्टेयर  
का उत्तराननी का व्यापक जूत जागा दी-उ सेवी की जानी गयी।
2. परियोजना व्यापारक ऐत व्यापार सेव में जागाई 1.5 को में विभान्न जात अव्यापक  
(Innovation Study) करायीय, ताकि ऐत के पुनर्व्यापक (Replenishment) व्यवह वाली  
जांकारी, ऐत उत्तरानन का नहीं, व्यापार, व्यापारीय व्यवाहारी, जीव एवं युक्ति जीवी  
जूत प्राक्तिक तथा नहीं के जानी की व्युष्यता पर ऐत उत्तरानन के उत्तरान की जानी  
जापानारी जाए हो करी।
3. लीज सेव की सत्त्व का व्यवाहारित जाया—
  - i. ऐत उत्तरानन व्यापक उत्तरानी के दूरी एप्पलेक्यानुसार विवेचित लिये विभुती पर  
नहीं में ऐत की जागा की जाती (Leaveable) का कर्ता कर, उत्तरानी जांकारी  
उत्तरान जूतईजाईए, उत्तरानारी की अनुमति लिये जाये।
  - ii. पीसर-मून्भव (व्यापार/व्यापार जात में ऐत उत्तरानन व्यापक उत्तरानी के दूरी)  
इनी लिये विभुती में व्यापिय जीव सेव जूत जीव के अपार्टीम एवं  
व्यवहार

- कारबनस्टूप्स में 100 फीटर तक तथा गंगा नदी के बहार / नदी दो (दोनों ओर) से 100 फीटर तक के क्षेत्र में नदी गंगा की लवर (Levee) का यह पूर्ण विवरणित विवर विवरणीय का दिया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार ऐसा गंगा यापत्ति गंगासूप्त के पूर्ण (सूर्य महा के अंतिम अवधार/पूल के द्वारा रखाया) इनी विवर विवरणीय का योग गंगा के लेवल्स (Levee) का यापत्ति दिया जाएगा।
  - iv. ऐसा गंगा के पूर्ण विवरणित विवर विवरणीय का ऐसा गंगा के लेवल्स (Levee) का यापत्ति का लवर आगामी 5 वां तक नियंत्रण दिया जाएगा। पीएस-गंगासूप्त के अवधार दिवाली 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं दी-गंगासूप्त के अवधार अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अधिकारी कम से एकहाँसाईएट् छातीसगढ़ को उन्नता दिये जाएंगे।
  - v. अधिकारी द्वारा दियार विवरणीय यापत्ति गंगासूप्त की भौमिका करिता हुए गंगा (गंगाधर, गंगा वाहन वर्षिया), गंगा और गंगा अवधार 725, गंगा-वर्षिया, लहरील-गंगाधर, विला-गंगाधर वाहन वाहन, घुल सीज लेवल 4.00 फीटरपर के बूल 60 अंतिम लीडरकल में ही ऐसा गंगासूप्त अधिकारी 1.5 फीटर की गंगाधर का लीडरिंग लालों द्वारा घुल 44.900 घनमीटर प्रीरिकों द्वा गंगासूप्त हेतु पर्यावरणीय स्थिरता गंगासूप्त वाहन वाहन के विवरण की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरण-एवं वार्षिक द्वारा (Manually) की जाएगी। दिवर देख (River view) में यादी वाहनों का ग्रोवा विवरणित कीया। लीज क्षेत्र में दिया द्वा गंगाधर वाहन (Excavation pits) से लीडिंग घट्टों तक ऐसा का वरिष्ठान द्वारा द्वारा दिया जाएगा।
  - vi. गंगासूप्त संबंध नार्थिय रिफरेंस गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ग्रान्योर्गेंस एवं गोपीनाथ गाइडलाइन्स एवं संबंध नार्थिय, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार वाहन से यात्रा गंगाधर विवरण दिया जाए।
- उपर वार्षिक वार्षिक प्रभाव गंगासूप्त अधिकारी (एकहाँसाईएट्) छातीसगढ़ को गंगासूप्त योगित दिया जाए।

- a. भौमिकी अधिकारी द्वारा कीवी एवं ली अपय गंगासूप्त (गंगा-वर्षिया, लहरील-गंगाधर, विला-जंगाधर (गंगाधर का लवर आगामी 2024)) अधिकारीन वाहन - अंतिम नम्बर - एकहाँसाईएट्/ लीडरी/ एमआईएस/ १४३२४/२०२३, दिनांक ११/०८/२०२३ द्वारा दी जाएगा हेतु वार्षिक दिया जाया है।
- b. वर्षाव का विवरण - यह गंगा विवार का वर्षाव है। यह पूर्ण से वार्षिक गंगासूप्त वर्षाव (विवर वर्षिय) जाता है। गंगा-वर्षिया, लहरील-गंगाधर, विला-जंगाधर विवार वर्षाव ५०१/१, वर्षा लीडरकल-४ हेल्परपर में है। वर्षाव की अधिकारी उत्तरान साम्पत्ति-१५.०००.३५ टन प्रतिवर्ष है।

गंगासूप्त वर्षियोंवाला गंगासूप्त की एकहाँसाईएट् छातीसगढ़ के द्वारा दिया ०५/१०/२०२३ द्वारा गंगासूप्तीकरण हेतु योगित दिया जाया।

**विवरण का विवरण -**



(३) सीधी की दस्ती विवर दिनांक १०/१०/२०२१

उपलब्धिकाला हेतु यह अभय कुमार शिंदे अधिकृत प्रतिभित्ति उपलब्धित है। सीधी की दस्ती उपलब्धिकाला का उपलब्धिकाला एवं विवर करने पर जिम्मा दिलाई गई थी।

#### १. हेतु में जारी पर्यावरणीय सीधीकृति संक्षीप्त विवरण—

१. हेतु में उपलब्धिकाला एवं विवर करना अनुकूल ४०१/१. युवा कलेक्टर ५ हेतु उपलब्धिकाला एवं सीधीकृति विवर उपलब्धिकाला उपलब्धिकाला निर्धारित प्रतिकाला, दिनांक-जानवर द्वारा दिनांक १५/०३/२०१७ को जारी की गई।
२. परिवर्तनक प्रवाहक द्वारा उपलब्धिकृति की ओर कार्यालय, भारत राज्यालय, वर्धावर्ष, यह एवं असलायु चरित्रान्वयन प्रवाहक, यहा रायगढ़ जलज यगद यही हेतु में जारी पर्यावरणीय सीधीकृति का उपलब्धिकाला उपलब्धिकाला एवं वह प्रस्तुत गई जिम्मा दिया गया है।
३. आर्यालय कलेक्टर (अग्रिम जारी), दिनांक-जानवर के उपलब्धिकाला ३०८/४५६५. या. /२०२१ जानवर दिनांक ०७/१०/२०२१ द्वारा दिलाई गई में जिम्मे दिये उपलब्धिकाला की जानकारी जिम्मागुणार है—

क्रम	उपलब्धिकाला (दिनांकित)	क्रम	उपलब्धिकाला (दिनांकित)
१९९९	१,६२९	२०१०	५८८
१९९९	२५०	२०११	४२
२०००	१२०	२०१२	५१६
२००१		२०१३	६३
२००२	१६०	२०१४	१०६
२००३		२०१५	१०६
२००४	४०६	२०१६	१७६
२००५	१००	२०१७	१०९
२००६	५८८	२०१८	१४३
२००७	६०	२०१९	५९
२००८	५८८	२०२०	५६
२००९	५८८	२०२१	२०

सीधीकृति का यह है कि को २०२१ को उपलब्धिकाला की उपलब्धिकाला की अद्यतन जानकारी जागिर जिम्मा से उपलब्धिकाला कराराना प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।

४. याय प्रधानका का उपलब्धिकाला प्रधान पत्र — उपलब्धिकाला की जांच में जान प्रधान प्रधानका का दिनांक २३/०१/१९९७ का उपलब्धिकाला प्रधान पत्र प्रस्तुत दिया गया है।
५. उपलब्धिकाला सोखना — नीतिकालीन जारी प्रधान एवं उपलब्धिकाला कलेक्टर प्रधान प्रस्तुत दिया गया है, जो एष-सोखनका (एस.) विवर-उपग्रह के उपलब्धिकाला उपलब्धिकाला ५०९/४५६५-३/२०२२ यायपत्र, दिनांक ०५/०२/२०२२ द्वारा अनुमोदित है।
- ६०० मीटर की उपलब्धिकाला में जिम्मा उपलब्धिकाला — आर्यालय कलेक्टर (अग्रिम जारी), विवर-जानवर के उपलब्धिकाला ५०९/४५६५/२०२२ यायपत्र, दिनांक ०५/०२/२०२२ के अनुमान अधिकृत उपलब्धिकाला में ६०० मीटर के मील अनुमोदित अन्य उपलब्धिकाला की जांचका ५. दिनांक १८.०२.२०२२ है।

6. 200 वीटर की परिधि में नियम संवर्जनिक सेतु/संतुष्टि - यह परिवार कलेक्टर (कलेक्टर शाम)। निया-जलालुर के जलान इनामक 366/राजपिंडा/2022 जलालुर, नियाम 29/03/2022 द्वारा यांत्रि प्रणाले पर जलान जल छापा है 200 वीटर की परिधि में कोई भी संवर्जनिक सेतु या ऐसे संटुष्टि जलान रखनार्थी यह राजधानी, बेलसाईन, चठर, जलानाम, चिंद्र, नियाम, गुलबग़ाह, गलव, सांवर्जनिक जलान आदि प्रतिक्रिया सेतु नियमत नहीं है।
7. गृहि एवं लौज का नियाम - यह जालानीय भूमि है। यह में लौज की कार्रिया नियम गृहुता के नाम पर ही। लौज लौज 30 वर्ग अर्कि नियाम 07/07/1997 से 05/07/2027 तक की अवधि हुई है। जलानाम कार्रिया कलेक्टर (कलेक्टर शाम)। निया-जलालुर के जलान इनामक 366/राजपिंडा/2021 जलालुर, नियाम 04/01/2021 द्वारा लौज का हालानाम की अभ्यास गृहुता लौज के नाम पर निया करा है।
8. नियाम का कार्रिया प्रणाले पर - परियोजना जलानाम द्वारा जलान यांत्रि के लिए संगीरवाल जलान अर्केनक के जलान इनामक 267/1 यह जलान 4 वीटर की कार्रिया कानक-कलेक्टरी, जलान जलानाम जलालुर के जलान इनामक/परिया/2011/3007, नियाम 29/03/2011 से जली कार्रिया प्रणाले प्रणाले जलालुर निया करा है। कार्रिया का नाम है लौज लौज में नियामत यह लौज की कार्रिया जूरी जलान उल्लेख जाती हुई जानकर्ताओंकी से जली कार्रिया प्रणाले जलान पर ही लौज प्रणाले निया जलान अभानाम है।
9. जलालुरी जालानीयों की दृष्टि - नियामत आवाही राज-जीवानी 13 नियामी, जलालुर राज-जीवानी 2 नियामी, एवं अभ्यास गृहुती 10 नियामी, जी दृष्टि पर निया है। राजीव जलानाम 266 नियामी, एवं जलानाम 11 नियामी हुए हैं। नियामत यह 1.6 नियामी दृष्टि है।
10. परियोजनायीय/कलेक्टरीय जालानीयों की दृष्टि - परियोजना जलानाम द्वारा 10 नियामी, जी नियोजित हो जाना, राजीव जलान, जलानाम, जीवीय प्रणाले नियंत्रण कोई द्वारा योग्य नियोजित वीटर्टेक एवं योग्य परियोजनायीय जालानीयों की या योग्य जीवानीयों की निया नहीं होना चाहिए निया है।
11. जलान जालाना एवं जलान का नियाम - नियोजितनियाम नियाम 29.08.2016 द्वारा जालानीयत नियाम 6,00,216 रुपये एवं नियोजितनियाम नियाम 6,75,100 रुपये है। लौज की 7.5 वीटर लौज सीधा जलानीय जलानन के लिए प्रयोजित लौज का जीवान 7,410 रुपयोंमें है। जीवान जलान मेन्युल नियाम से जलानन किया जाता है। जलानन की जलानिया जलानन गलती 22.5 वीटर है। लौज लौज में लौजी नियोजित नहीं है। जीव की जलानी 1.5 वीटर एवं जीवानी 1.5 वीटर है। जलान की जलानिया जलान एवं जीवानी है। नियाम कीजान 1,000 रुपयोंमें है। जीव नियाम से जीवानी एवं जीवानी जलानिया नहीं किया जाता है। जलान में कांडु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का नियामत निया जाता है। जलान प्रस्तावित जलानन का नियाम नियामगुणार है।

वर्ष	प्रस्तावित जलानन (टर्न)
प्रथम	1.00.036

प्रिंटेस	1,00,000
कर्टीज	1,00,000
प्रिंट	1,00,000
सामग्री	1,00,000
बहुम	1,00,000

12. जल आवृत्ति – परिवेशना द्वारा अनावश्यक जल की जाता 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। संभिति का बत है कि जल की आवृत्ति संतोष एवं संबोध जाता है औनापरित इनाम का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. कृषीकृषक कार्य – सीज होते ही सीज में याती होने 7.5 बीटर की पट्टी में 800 नया कृषीकृषक किया जाएगा।
14. जलान की 7.5 बीटर की सीजी गीता पट्टी में उत्कृष्ण – सीज होते ही याती होने 7.5 बीटर की सीज पट्टी में उत्कृष्ण कार्य नहीं किया जाया है।
15. माननीय एनजीटी, प्रियेश बैरा, नई दिल्ली द्वारा जारीदर वार्षिक विकास भवन भवन विकास विभाग द्वारा जारी वार्षिक विकास भवन विभाग नं. 100 ओव 2018 द्वारा जारी (परिवेशना द्विसंकेतन नं. 100 ओव 2018 द्वारा जारी) में दिनांक 13/09/2018 की वार्षिक जारीदर में नुस्खा का दो विभागीय विवरण दिया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEDAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual house size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

संभिति द्वारा विकास भवन विकास विभाग से विभागीय विवरण किया गया:-

- जारीकृत कार्यक्रम (जारीदर जाता), बीरे-जलान के जलान जलान 500/प्रति वर्ष/2022 जलान, दिनांक 29/03/2022 अनुमान आरोपित जलान के 800 बीटर की वीटर अनुमित्त 6 जलानी, सीजकाल 10.800 हेक्टेक्टर है। आरोपित जलान (जाम-जोकारी) का जाता 4 हेक्टेक्टर है। इस प्रकार आरोपित जलान (जाम-जोकारी) की विस्तार युक्त जलान 20.800 हेक्टेक्टर है। जलान की वीटर की 800 बीटर की वीटर में जोकारी/जारीकृत जलानी का युक्त जोकार 6 हेक्टेक्टर ही अनिवार्य का विवरण दिया गया है। जोकी की वीटर रहती है।
- जारीकृत सीजी वार्षिक, भालू जलान, वालू जलान, वन एवं जलानायु परिवर्तन संचालन, नवा जलान भवन यात्रा सी यूं ही जाती परिवर्तनीय सीजी का जलान अनिवार्य प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- गरिमा द्वारा विकास विभाग जलान विकास विभाग से प्रकल्प 'वी' के द्वारा का जीवे के जलान जलान जलान, जलान एवं जलानायु परिवर्तन संचालय द्वारा आरोपित 2018 में प्रकल्पित नीतिहार्ता द्वारा दीका विवरण (टीडीएस) और दीक्षांत 7/द्विसंकेतन, विवरण द्वारा प्रकल्प/एकटीरिटीज विकासविभाग इन्डियनर्सिटी जीवीजीस जलान है अर्थात् 7 नीतिहार्ता जलान, 2006 में गरिमा दीकी 100% का नीतिहार्ता दीक्षांत द्वारा दीक्षांत जलान जलान जलान एवं जलानायु परिवर्तन है। विवरण विवरण द्वारा दीक्षांत का जाता जाने की अनुमति की गई।

- i. Project proponent shall inform SEIAA & I.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit production details from 01/01/2022 to till date from the mining department.
- vi. Project proponent shall submit the NOC from DFO, Forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- vii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall submit details of pollution control arrangement in crusher.
- ix. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 11 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 604(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 105 feet height and shall

maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.

- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation work alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

साथ सहीय पर्यावरण प्रभाव अनुमति प्राप्तिकार्य (एप्लीकेशन), इलेक्ट्रोनिक की तदनुसार सुचित भित्र जाए। साथ ही पर्यावरण कीमित कार्यवाही, भागी संखार, पर्यावरण, या एवं अवश्य विवरण भेजलें, जब तक नहु लाल बहर द्वारा कार्यवाही कानूनसामान्यतावाची, फैसले-दर्शावा की जाए तेज भित्र जाए।

- ii. ऐसी सहीवाही केरव गढ़ी (साल्पंच, राम पंचायत कार्यवाही)। राम-कार्यवाही, रामोल-बेलगामा, भित्र-बिलाम्पुर (दिनांकात्मक का नमी दिनांक 2023)

जीवविवरण आवेदन - आवेदन नमी - एसडीए/ बीटी/ एसडीए/ 440028 / 2023, दिनांक 12/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय सीमित हेतु आवेदन भित्र गया।

प्रभाव का विवरण - यह उत्तराधि द्वारा उत्तराधि (सीम सुनिश्च) द्वारा है। उत्तराधि राम-कार्यवाही, रामोल-बेलगामा, भित्र-बिलाम्पुर भित्र यह आंक रामोल दिनांक 204/1, युल दीपावली-4 दिनांक में प्रस्तुति है। उत्तराधि अवया नमी की वित्र जाना प्रस्तुति है। रामान की आवेदन उत्तराधि जाता-45,000 अन्वीक्षणीय है।

तदनुसार पर्यावरण उत्तराधि की एसडीए, इलेक्ट्रोनिक की जायन दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्राप्तुरीकरण हेतु सुचित भित्र गया।

मैट्रिक का विवरण -

- (a) नमीकी जी 45000 मैट्रिक दिनांक 03/10/2023-

प्राप्तुरीकरण हेतु जी की उत्तराधि, उत्तराधि उपरिभूत है। नमीकी इस नमी, प्रस्तुत प्राप्तवाकी का उत्तराधि एवं उत्तराधि करने का वित्र विवरण यह यह -

1. यह में जीकी पर्यावरणीय सीमिति जीकी विवरण - इस उत्तराधि को यह में पर्यावरणीय सीमिति जीकी जीकी यह है।
2. राम पंचायत का उत्तराधि उत्तराधि यह - द्वारा उत्तराधि के संकेत में राम पंचायत कार्यवाही का वित्र दिनांक 25/01/2023 का उत्तराधि प्राप्त यह उत्तराधि गया है।
3. विचारित/ बीमारित - कार्यवाही कार्यवाही, जीकी जाता ही जाव उत्तराधि यह उत्तराधि यह उत्तराधि विचारित/ बीमारित कर दीकी है।
4. उत्तराधि योजना - वित्र द्वारा योजना योजना प्राप्त भित्र गया है, जो यह योजना (प्राप्ता), भित्र-बिलाम्पुर के इत्यन दिनांक 1159/ बीमी/ बीत/ उत्तराधि जाता/ 2023, भित्र-बिलाम्पुर, दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्राप्तुरीकरण है।
5. 500 मीटर की विस्तृति में वित्र उत्तराधि - उत्तराधि कार्यवाही (जीकी जाता), भित्र-बिलाम्पुर के उत्तराधि दिनांक 1150/ बीमी/ बीत/ उत्तराधि यह/ 2023

बिलासपुर, दिनांक 24/07/2023 के अनुसार आवेदित जमान की 200 बीटा की वैदिक अन्त जमानी की संख्या निम्न है।

1. 200 बीटा की वैदिक में नियत अवधिग्राहक भूमि/संरचना - कार्यलय कलेक्टर (अधिकारी जाता)। विला-बिलासपुर के ज्ञापन इनांक 1180/सभि/पैत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 24/07/2023 द्वारा इनी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त जमान के 200 बीटा की वैदिक में कोई भी वहाँजगिर क्षेत्र या कोई वार्तीय जमानी जात्यजाती, पुल, बांध, कम्बल, अपघात, गढ़िर, गविष्ठ, पुष्टद्वारा प्रदान एवं एकीकरण क्षेत्र प्रतिवेदित क्षेत्र नहीं है। कोई 200 बीटा की दूरी पर नियत है।
2. एक बीटा का विवर - एक बीटा कार्यलय, जात्यजाती वार्ता प्रदान अवधिग्राहक की जाती वैदिक संख्या भूमि (अनुसार इस जमान) नियम, 2019 की अनुसार अधिसूचना दिनांक 09/05/2023 की जाती की दूरी है। उक्त अधिसूचना के निम्न 4 अनुसार "उक्तजमान पट्टे की वार्ताजाती-जात्यजाती जमान की उत्तरान और उत्तरान पट्टा पांच दूरी की वार्ताजाती की लिए जड़ान लिया जाएगा। पांच दूरी की अनुसार जमान उत्तरान पट्टा विवेद के पंजीयन दिनांक से लिया जाएगा।" तो उल्लेख है।
3. जमान जमान का अनुसारी प्रमाण पत्र - कार्यलय वर्तमानकालिकारी, बिलासपुर अनुसार, विला-बिलासपुर के ज्ञापन इनांक/पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 09/05/2023 से जाती अनुसारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रदानित इस जमान की नियन्त्रण वर्त बीत से 4 दिनों दूर है।
4. डिस्ट्रीक्ट जाती रिपोर्ट - दर्श 2019 की डिस्ट्रीक्ट जाती रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रकृति की दूरी है।
5. बहुतसूरी संरचनाओं की दूरी - नियन्त्रण जमान की इस-अवधिग्राहक 200 बीटा, चालूल राम-बैठगहना 1.1 किमी, एवं अस्पताल कीटा 1.3 किमी की दूरी पर नियत है। उक्तीय जमानानी 1.3 किमी, एवं जात्यजाती 18.4 किमी दूर है। जामीन काथी संक्ष 140 बीटा, जात 380 बीटा, जात्य 480 बीटा, नीह पुल 615 नीहन, नाला 1.36 किमी, एकीकरण 2 किमी एवं जात 6 किमी दूर है।
6. जमान जमान पत्र नहीं की याद की जौकाही एवं जमान की जाती तट से दूरी - अविदेन अनुसार जमान जमान पत्र नहीं की याद की जौकाही - अधिकारी 142 बीटा, न्यूनतम 42 बीटा तथा जमान जमान की जौकाही - अधिकारी 433 बीटा, न्यूनतम 280 बीटा एवं जमान जमान की जौकाही - अधिकारी 63 बीटा, न्यूनतम 39 बीटा जातीहै नहीं है। जमान की जाती तट के लियने से दूरी अधिकारी 18 बीटा, न्यूनतम 9 बीटा है। जमान की जूल संकालन का 40 अंतिकात तीव्र में एक्स्ट्रान कार्य लिया जाना उक्तावैत नहीं है। जमान का वर्त्तमान वर्द्धित प्रवान में लिया गया है।
7. जमान जमान पत्र ऐत की जौकाही - अविदेन अनुसार जमान पत्र ऐत की जौकाही - 3.13 बीटा तथा ऐत जमान की उक्तावैत जौकाही - 3 बीटा जातीहै नहीं है। अनुसारित वर्द्धित प्रवान जमान अनुसार जमान में वर्द्धित ऐत की जात - 48,000

प्रभावित है। ऐसा सुनहरा हेतु प्रत्यक्षिक जल वा वायराज में उपलब्ध होने की भी नीताएँ बनाने के लिए प्रत्यक्षिक जल वा वायराज में गढ़वा इम्प्रोवीमेंट जलकरी प्रक्रिया की जरूर है। इसके अनुसार ऐसी नीताएँ बनायी 2.125 लीटर हैं। यह की प्रत्यक्षिक गहराई हेतु प्रयोगमा प्रयुक्त किया जाया है।

13. नदीना सीधे में ऐसा साधा हो सकता है – ऐसा सुनहरा हेतु प्रत्यक्षिक जलमें 20 लीटर गुण 35 लीटर के लिए जिम्मेदार पर दिनांक 12/06/2023 की ऐसा नीता के अन्तर्गत जिम्मेदार (Lender), लेकर उसी समिक्षा विभाग में प्रयोगीकरण द्वारा योगीयामात्र कीरित प्राप्त करी दस्तावेज़ / दस्तावेज़ अनुरूप किये जाये हैं।

14. कौरिशि पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना द्वारा द्वारा गोप्तव्य (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिक्षा की सम्भालित विभाग प्रयुक्त प्रयोग जारी किया जाया है।—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.78	2%	0.32	Following activities at, Village-Pandey Plantation at Village Pond	0.60
			Total	0.60

15. गोप्तव्य अर्थ के अन्तर्गत जलम की यांत्री और क्षात्रीयामात्र (प्राच, काटकल एवं जाग्य) हेतु प्रयुक्त द्वारा अनुसार युल 40 नग जिलमें से 10 नग युवा दूर्दी में जलम की यांत्री और अन्तर्गित है। ऐसे 30 नग यांत्री के लिए राशि 3,000 रुपये, जीर्णित की लिए राशि 4,500 रुपये, जलम के लिए राशि 1,500 रुपये, जिम्मेदार नग-जलम अंडी के लिए राशि 12,000 रुपये इस प्रकार जलम वाले से युल यांत्री 22,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में युल यांत्री 38,000 रुपये हेतु जलकारी यज्ञ का विवरण प्रयुक्त किया जाया है। परियोजना द्वारा द्वारा यांत्री प्रयोग की जानकारी जारी की गई है।

16. कृषकसंघ कार्य – नीति के तह पर द्वारा प्रदायन कर्त्तीकरण के जहानी समर्थन शासकीय भूमि विकास अवांक 45/1/1, युल नगमा 44.5 हेक्टेकर में से 2 (दोहराएँ) में 800 नग कृषकसंघ वाले हेतु जलम दिया जाया है, जो जिम्मेदार है।—

विवरण	प्रयोग राशि (रुपये)	हितीय राशि (रुपये)	तुरीय राशि (रुपये)	जारी राशि (रुपये)	वाल राशि (रुपये)
प्रदूषण विकास हेतु परिवर्तन के लिए सहायी/प्रयुक्त यांत्री की जलम वाले वाले की विवरण हेतु जल	50,000	60,000	50,000	50,000	60,000

विवरण							
नवी तट [जानकीरो मृण] में (300 लम्ब)	कुलसंगत रुपा दराई	80,000	—	—	—	—	—
[जानकीरो मृण] में (300 लम्ब)	केसिय रुपा दराई	74,500	—	—	—	—	—
	काल दराई	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुलसंगत रुपा ज्ञान-ज्ञान दराई दराई	रिपोर्ट एवं ज्ञान-ज्ञान दराई दराई	1,46,000	1,46,000	1,46,000	1,46,000	1,46,000	1,46,000
<b>कुल दराई = 13,06,000</b>		<b>3,86,000</b>	<b>2,36,000</b>	<b>2,36,000</b>	<b>2,36,000</b>	<b>2,36,000</b>	<b>2,36,000</b>

17. परियोजना के दिन-दिन जबली से फूटियिंग काट प्रक्रिया होता, तब जबली पर निश्चिह्न जाते रिक्वेट की अवधारणा किये जाने वाला राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. जामन दीप के ज्ञान-ज्ञान दरी एवं एवं ज्ञान दरी में जामन कुलसंगत रिपोर्ट जाने एवं संवर्तित दर (Survival rate) 80 प्रतिशत मूर्खियिक किये जाने वाला राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. जामनीगढ़ आदर्श तुनवीस नीरी के दरहू रुपानीक लीखी की संज्ञान रिपोर्ट जाने एवं ज्ञान राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रक्रियाके द्वारा रिपोर्ट भी प्रक्रिया का दृष्टिकोण (यानि उत्पादन दीप होता है) का इवान प्राकृतिक जल स्तर, तापादि, नदी, जल में जीवी रिपोर्ट जाने वाला राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रक्रियाके द्वारा इस ज्ञान दर का राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि एकांक निकट इस ज्ञान से संबंधित कोई व्यावाहीय उत्पादन दीप के अन्तर्गत रिपोर्ट भी न्यायालय में लाभित नहीं है।
22. परियोजना प्रक्रियाके द्वारा इस ज्ञान दर का राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि एकांक निकट जात जातार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विवाद की अधिकृतना कानू. 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अन्तर्गत कोई उत्पादन का उत्पादन लाभित नहीं है।
23. गान्धीन मूर्खीन कोई द्वारा दिनांक 03/08/2017 की common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने वाला राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. जामनीय मूर्खीन कोई द्वारा दिनांक 08/01/2020 की ज्ञान petition (S) Civil No. 114 of 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये निर्देशों का पालन किये जाने वाला राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. पर्यावरण स्वीकृति वा दिये गये जीवी का जालन किये जाने एवं जामनीय पालन परियोजना पर्यावरण कानूनिक वै ज्ञान जालने वाला राष्ट्र पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रकारक द्वारा इस आवाह का समय परा (Notarised undertaking) प्रकृति दिया गया है कि उन्होंने द्वारा ईन्फोर्मेट एवं नीटिलिंग बाईबलसाईन कीर संघ 2020 के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया प्राप्ति एवं अनुमोदित जनताना दीजना वे द्विए नाईबेल रिसोर्स का 60 प्रतिशत रिसोर्स की समझन किया जाएगा।
27. परियोजना प्रकारक द्वारा इस आवाह का समय परा (Notarised undertaking) प्रकृति दिया गया है कि उदान में उन्होंने सही जनतान की दीजन सहीबेल एवं नीटिलिंग बाईबलसाईन 2016 एवं ईन्फोर्मेट एवं नीटिलिंग बाईबलसाईन कीर संघ 2020 हो द्वारा दी गई प्रतिक्रिया जाएगा।
28. परियोजना प्रकारक द्वारा दीई आवाह के द्वारा जनतान की वार्ता दूरी का सेवन की जनतान का वर्णित यात्रा परियोजन को जनतान की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कर, जिसीटोंपा जाहिर जनतान की परियोजन कीदूरी है तु जनता दिये जाने जनता अधिकारिक रिसोर्स में समर्थित कर प्रकृति दिये जाने वर्तमान आवाह परा (Notarised undertaking) प्रकृति दिया गया है।
29. परियोजना प्रकारक द्वारा जनता आवाह परा (Notarised undertaking) प्रकृति दिया गया है कि आदेशित जनता की वर्तुल 1.1 कीनी असताल 1.1 दियी एवं आवाही दूरी 250 मीटर की दूरी पर है जो कि द्वारा दीन जनतान अधिकारिक 2015 में जनता जनता दूरियों के अधिक है, जो सही, असताल एवं आवाही दूरी में अभ्यास नगर्य होता। जनता की वर्तुल असताल एवं आवाही दूरी में हीने जाने जनता जनतान के नियमानन द्वारा दिये जाते—
- जनता दूरी के आवाह की जट एवं वर्तुल जनता में जानी जाने समय जूनारेपन दिया जाएगा, जिससे सही, असताल एवं आवाही दूरी में अभ्यास नगर्य होता।
  - सुन (इन्स्ट) के नियमानन के द्वारा परी की जिक्राव दिया जाएगा, जिससे सही, असताल एवं आवाही दूरी में अभ्यास नगर्य होता।
  - हमारे द्वारा जनतान का परियोजन सामर्थ्यानन के दूरी का दिया जाएगा, जिससे जनता में जानने की जानियों न दिये।
  - हमारे द्वारा वर्तुल एवं आवाही दूरी के दूरी जही दिया जाएगा, जिससे सही, असताल एवं आवाही दूरी में अभ्यास नगर्य होता।
  - हमारे द्वारा सही एवं आवाही दूरी में जीव जनाकर जनता आवाह कराएगा।
  - हमारी द्वारा जनता में दिया जाना एवं परियोजना जनता की 2 अधिकार वर्ती दीई आवाह के द्वारा जनता की वार्ता और आवाह को दियान अधिकारी, जनता एवं वर्तुल जनता के दीई का सेवन एवं सुनान है तु परियोजना का 6 वर्षी दूरी जनता दूरियों द्वारा जनता दिया जाएगा।
  - जनतानी का सुनित रखा—जाना एवं सुन आवी की सुनान है तु दियान अल दियकार दिया जाएगा, दूरी, आवाही, सही आवी एवं सुन का अभ्यास नगर्य होता।
30. परियोजना प्रकारक द्वारा जनता जनता में दिया जाना एवं जनता जनता आवाह परा (Notarised undertaking) प्रकृति दिया गया है।

21. निम्नों का ना है कि लीज सेत की गीत ये वार्षिक दौड़ में लीज उत्तर लगाना चाहा जानकार है। लीज सेत की जाते लीजों तक लीज लार्ड्स की एक में लीजेट की जाने पड़ना जानकार है ताकि लीज सेत की में एक दृष्टिगोचर हो सके।
22. गीर्ह अव कार्य एवं गही रट में शुल्कदारी कार्य के वार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्ट/प्रतिवर्षीय/प्रतिवर्षीय/प्रतिवर्षीय एवं रिपोर्ट इत्यादि का अस्तीतिहासिक पर्याप्ततम लोक्यत गवाहत के पर्याप्तिकार्य/प्रतिवर्षीय) गठित रिपोर्ट इत्यादि जानकार है। याम ही गीर्ह अव एवं नदी रट में शुल्कदारी का गही गूँज रिपोर्ट कार्य के प्रधान गठित गीर्ह अव की वार्षिक जानकार है।
23. ऐत उत्तरानन बैन्डल रिपोर्ट से एवं भवाई का कार्य लीजर द्वारा कारबा जाना प्रस्तावित है। निम्नों का ना है कि लीजर लीजी योज यादि जाहन की सेवी की है। एवं भवाई का कार्य बैन्डल रिपोर्ट से ही कर्म्म जारी। भवी जाहनों की नदी के ओर की अनुचित नदी होती।
24. परिवेशना प्रशासन द्वारा 2 वीटा की गार्ड्स तक उत्तरानन की अनुमति नहीं है। अनुमतिहासित उत्तरानन योजना में उत्तरानन रिपोर्ट जाने काते सेत की वार्षिक एवं उत्तरानन सेवी अधिकार कार्यकारी अधिकारी का जामानों नहीं रिपोर्ट याद है। उत्तरानन नदी लोटी नदी है तथा इसमें वार्षिकता में जानामहा 1 वीटर गहार्ड से अधिक रिपोर्ट का पुनर्भवण होने की संभावना है।

**निम्नों द्वारा रिपोर्ट उत्तरानन कार्यकारी से रिपोर्ट लिया जाया-**

- आर्थिक रुदान (एन-कर्नीलार्ड) का वक्ता 4 वीटर्यर है। रुदान की लीज में 600 वीटर की वार्षिक में करीकूत/संवार्षित रुदानों का जूत लोक्यत 5 वीटर्यर या जामाने रुम होने के उत्तरानन वह रुदान दी-2 सेवी की जानी जाती।
- परिवेशना प्रशासन द्वारा रुदान की जूत में जानामी 1.5 वर्ष में रिपोर्ट याद अद्यतन (Retention Sheet) करायेगा, ताकि रिपोर्ट की पुनर्भवण (Replenishment) कारबा यादी अंतर्वेदी तथा उत्तरानन का नदी, नदीतत्त्व, तथायीय जानकारी, लीज एवं द्वारा लीजी या उत्तरानन नदी की फाली की गुणवत्ता पर ऐत उत्तरानन की जानी जामानों द्वारा हो सकती है।
- लीज सेत की जाहन का बैन्डलाईन जारा -

- ऐत उत्तरानन प्राप्ति करने के पूर्व उत्तराननपुलार फ्रीडिल रिपोर्ट रिपोर्टों पर नदी में ऐत की जाहन के जारी (Levee) का जारी रहा, जासके आकारी जाक्यता दूसरी-दूसरी, अस्तीतिहासित की जानुपरि जारी।
- बैन्डल-जानहन (बैन्डल/जानहन याह में ऐत उत्तरानन प्राप्ति करने के पूर्व) इन्हीं रिपोर्ट रिपोर्टों में वार्षिक लीज सेत तक लीज सेत के जानहन एवं जातनस्तूरीमें 100 वीटर तक जानहन लीज के जाहन/नदी कर (लोनो लीज) से 100 वीटर तक के द्वारा में जारी जाहन के जारी (Levee) का जारी पूर्व रिपोर्टिंग रिपोर्ट रिपोर्टों पर लिया जायेगा।
- इन्हीं द्वारा ऐत जानहन जानामी जानमूल के पूर्व (एवं जाह की अंतिम जानमूल/द्वारा की जान जानमूल) इन्हीं रिपोर्ट रिपोर्टों पर ऐत जाह के जानहन (Levee) का जानन लिया जायेगा।

- v. इस तरह की युक्ति द्वारा नियुक्ती कर दी गयी कोर्ट अपार्टमेंट (Court Apartment) की उत्पत्ति का कारण आगमी 6 जून 2023 तक फ्रेस रिप्प जाएगा। फ्रेस-यानदूर के आवासी डिलायर 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 एवं बी-यानदूर के आवासी डिलायर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 तक अधिकारी द्वारा इस दृष्टिकोण से एमईआरएए, अस्थिरात्मक की घस्तुत घोषित जायेगी।
4. विभिन्न द्राघि नियार नियारी प्रबलत अस्थिरात्मकी के बेसी कार्यालयार संभव नाईन (अस्थिर, याच प्रबलत अस्थिरात्मक), पार्ट ऑफ लायर डिलायर 204/1, याच-कार्यालयार, अहलीज-वेस्टवेस्ट, फ्रेस-डिलायर, युक्त दील शेष्यालय + डिलायर में से 60 अस्थिरात्मक दील ने द्वि द्राघि अस्थिरात्मक + गीला की युक्ताई दृक लीमिट रखते हुए युक्त 24,000 प्राप्तीट अस्थिरी द्रेत लायरान द्वि याचिकारीय लीमिट, याच प्रबले के नियारान की लायिका में याच दृक ली अस्थिरी द्वि याचिकार-42 में लीमिट रखी के अधीन दिये जाने की अनुमति की जह। इस की युक्ताई अस्थिरी द्राघि (Manuscript) की जाएगी। रिपर बेड (Repair Bed) में याच याची का प्रोत्ता अस्थिरात्मक रहेगा। लीज कोव में नियार द्रेत युक्ताई बदल (Excavation plus) में लीजिंग याकूट रखा द्रेत का अस्थिरात्मक द्रुती द्राघि निया जाएगा।
5. सहोनेवल संचय नाईरिंग नियारीट याकूटलाईना 2010 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2010) एवं इन्वोल्वमेंट एवं नीप्रेटरिंग याकूटलाईना 2016 (Engagement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुमति कार्यार्थी की प्राप्त युक्तिशील घोषित जाए।

उच्च लाईट प्रबलत याच प्रबलत अस्थिरात्मक (एमईआरएए) अस्थिरात्मक की अनुमति युक्ति दिया जाए।

6. मेलकी करिल याकूटिंग नियारीट याकूट नियिटेक (युक्त याकूट रहेते अस्थिरी, याकूटिंग-की करिल अप्राप्त), याच-युक्त, याकूट-रिस्ट, रिस-याकूट (अस्थिरात्मक का अस्थी क्लायर 2026)
- अंगाराई आवेदन – प्राप्तीट याच – एमईआरएए/ लीजी/ एमआरएए/ 43847/2023 नियार 12/06/2023 द्राघि की जी.ओ.ए. द्वि आवेदन दिया गया है।  
प्राप्तीट का नियारन – यह दृक से याकूटिंग युक्त प्राप्तीट (लीज याकूट) रहेगा है। याच-युक्त, याकूटिंग-रिस्ट, रिस-याकूट नियार याचा डिलायर 410/5, 434/5, 429/1, 428/2, 467/2, 467/3, 467/5, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4 एवं 469/5, युक्त डिलायर-4774 डिलायर में है। याचान की अस्थिरी प्रबलत अस्थिरात्मक-85,880 टन प्रीविय है।

मालत याकूटार के प्रक्रियार, बन दृक याकूटिंग बिकासार, जह दिली द्राघि अस्थिरी नियोगितान नियार 28/04/2023 याची दिया गया है। नियारके द्रेत 4 में नियार अप्राप्त है।

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble MCA in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.06.2016 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time

period of one year from the date of issue of this OM. ECAs shall transfer all such files where ECAs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM.”

जात अधिकार विभाग के लगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिस समीय प्रदर्शन आवाहन प्रतिक्रिया में जारी परिवर्तनीय सीमूल्य की तुल अनुमति (re-appraisal) हेतु एसईएसी, उत्तराखण्ड की जात अधिकार विभाग द्वारा दी गयी थी।

उत्तराखण्ड परियोजना प्रस्तावक की एसईएसी, समीक्षात ने इसमें दिनांक 06 / 10 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया था।

पैठन का विवरण –

(x) जारी हो आयी दिनांक 13 / 10 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु जी जात अधिकार विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का आवश्यकन एवं परिकल्पन करने का विषय जिम्मेदारी नहीं नहीं-

1. जारी की जानकारी द्वारा जारी एवं 2013 के लगत जिम्मेदारी जापित वार्डिंग विभागीय प्रक्रिया विभिन्न की विवरिकरण की प्रती उत्तराखण्ड की गई है, जिसमें अनुप्राप्त कामयी की जारी और अधिकारी की जानकारी अवधारणा एवं जी जात अधिकार एवं जी जात अधिकार है।

2. यहाँ में जारी परिवर्तनीय सीमूल्य संबंधी जिम्मेदारी-

1. यहाँ में दूना पालक जात अधिकार दिनांक 416 / 5, 424 / 6, 425 / 1, 429 / 2, 427 / 2, 427 / 3, 427 / 5, 428 / 1, 429 / 2, 429 / 3, 429 / 4 एवं 429 / 5, जूल संग्रहीत-4.774 ट्रिलियन, रुपया-85,860 एवं दर्जित हेतु जिस जारी परिवर्तन जानकारी प्रतिक्रिया विभाग, दिन-18 फरवरी 2020 की जारी की गई। यह जारी होनी दिनांक से 05 वर्षों के लिए ही है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कामया तथा जी जात अधिकार, परिवर्तन, जी जात अधिकार, परिवर्तन जानकारी, यहाँ जारी होनी द्वारा जारी अधिकार विभाग दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुमति-

“**Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.**”

कामरेवा अधिकार विभाग परिवर्तनीय सीमूल्य की जारी दिनांक से दिनांक 25 / 02 / 2024 तक ही हैं।

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यहाँ में जारी परिवर्तनीय सीमूल्य के जारी के पासन में की नहीं कर्तव्याधीनी की जी-प्राप्तिकर्ता जानकारी उत्तराखण्ड की गई है।
- ii. थर्फिल अधिकार ज्ञातेवाला नहीं किया गया है।
- iv. दिनांक उत्तराखण्ड (जनरिल जारी), दिन- रायगढ़ की जानकार दिनांक 2011 / वर्षीय / वर्षीय / 2023 रायगढ़ दिनांक 03 / 08 / 2023 द्वारा दिनांक जारी में किये गये उत्तराखण्ड की जानकारी निम्नलिखित है।

कार्य	प्रभावित (ल)
दिनांक 02/04/2018 से दिनांक 31/03/2019	80
2018-19	111
2019-20	निम्न
2020-21	460
2021-22	22,460

3. साम परिवहन का अनापूर्ति प्रमाण पत्र – इसका एवं लोगों की जानकारी के संबंध में साम परिवहन पूर्त का दिनांक 21/12/2018 का 10 वर्षी ऐतु अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। यहां अनापूर्ति प्रमाण पत्र में लोगों की समस्त लोगों का उल्लेख किया गया है। जिसमें यह भी है कि लोगों की समस्त लोगों का उल्लेख किया गया है। अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत इत्याहारे लिंकों के साथ इस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. यात्रकर्ता लोगों – लोगोंकीजीवन क्षमता प्राप्ति, इन्कार्यकारीपूर्ति लोगोंकीजीवन प्राप्ति इसका ग्रन्थ है। जो संयुक्त-संघातक (सिए) संघातनकार्य, लोगोंकीजीवन क्षमता, या लोगों लोगों के दृष्टिकोण अन्यथा 3430/-वर्षी 03/वायायाग्रामीय/निकट/04/2018(1) या लोगों, दिनांक 10/06/2023 द्वारा अनुसूचित है।
5. 500 मीटर की परिसीमि में वित्त लोगान – कारपीलग कलेक्टर (अनियंत्रित लोगों) वित्त-लाप्तुर की इसका दिनांक 2011-A/वर्षी/ निकट/ 2023/ लाप्तुर दिनांक 03/08/2023 के अनुसार अनोडित लोगान से 500 मीटर की परिसीमि अन्य 44 लोगों, लोगोंका 31,061 हुएठेहर है।
6. 200 मीटर की परिसीमि में वित्त लाक्ष्यकीर्ति लोगों/लोगोंनारे – लोगोंका प्रस्तावक द्वारा उल्लिख लोगोंकर (खालील लोगों), वित्त-लाप्तुर की इसका दिनांक 2011-A/वर्षी/ निकट/ 2023/ लाप्तुर दिनांक 03/08/2023 के अनुसार अनोडित लोगान से 200 मीटर की परिसीमि में वित्त लाक्ष्यकीर्ति लोगों/लोगोंनारे हुए जाती लाक्ष्यकीर्ति लोगों प्रस्तुत किया गया है। उक्त कालीन लोगों में लोगों 200 मीटर की परिसीमि में वित्त लाक्ष्यकीर्ति लोगों की जानकारी की ओर से इस्तुत नहीं की गई है।
7. ग्रन्थ एवं लोगों का वित्तन – ग्रन्थ एवं लोगों की जानकारी ग्रन्थीकरण लिंकों के नाम पर है। लोगों लोगों 30 वर्षी अवधि दिनांक 02/04/2018 से 01/04/2048 तक होता है।
8. विद्युतीकरण सर्वे लिंकों – वर्ष 2019 की विद्युतीकरण सर्वे लिंकों (District Survey Report) की जानकारी द्वारा होती है।
9. इन लिंकों का अनापूर्ति प्रमाण पत्र – लोगोंका प्रस्तावक द्वारा लोगों का यह अनोडित की जानकारी दिनांक 337/2, 337/4, 337/17, 638/2, 638/7, 638/11, 638/12, 338/2 एवं 338/2 हुए उल्लिख अनापूर्तिकारी लोगों लाप्तुर लाप्तुर की इसका दिनांक/वर्षी/निकट/ लाप्तुर दिनांक 03/08/2023 के जाती अनापूर्ति प्रमाण पत्र अनुसार अनोडित लोगों की जीवा वी 350 मीटर की जानकारी द्वारा दी गयी है।
10. लाप्तुरपूर्वी लोगोंकीजीवा की दृष्टि – लिंकोंका जानकारी दाम-पूर्व 900 मीटर, लाप्तुर पूर्व 1.1 लिंकों एवं अन्यतात्त्व लोगोंका 7.4 लिंकों की दृष्टि पर लिंक है।

राष्ट्रीय राजमार्ग १२५ किमी एवं राज्यमार्ग २.५ किमी. दूर है। जालन जली २१.६ किमी, बोइंग १४ किमी, संपर्क १ किमी, तालाब ३८० मीटर, नीतसी जला ३२० मीटर, रानीगंगा नदी की सफाई २५० मीटर एवं नहर १४० मीटर दूर है।

11. परिस्थितिकीर्ति/वैज्ञानिका वौद्यवील क्षेत्र – परिस्थितिका प्रबलाशक द्वारा १० किमी, वह चारों ओर में बांधनवीय हीन, राष्ट्रीय उत्तान, अन्यायालय, नीतीय प्रदूषण विवरण बोई द्वारा प्राप्ति विविक्ती प्रतिकृति द्वारा दृष्टिकोण, परिस्थितिकीर्ति वौद्यवील क्षेत्र या घोषित वैज्ञानिका क्षेत्र जिया नहीं होना इतिहासित जिया है।
12. खानग संसदा एवं खानग का विवरण – जियोस्ट्रोजिल सिवर्वे ३३,८१,६६२ टन, गढ़वाल जिला १२,२७,६३० टन एवं रिक्षवाल जिला ११,८८,६६३ टन है; लौज की ७.५ मीटर गहरी सोमा पट्टी विवरण के लिए प्रतिकृति बोई का वौद्यवील ११,८७२ वर्गमीटर है। खानग जलट सेवी पैकेजिंग जियो के वौद्यवील जिया जाता है। खानग की इसारित अधिकारी बहलड़ी ३२ मीटर है। लौज की जियो की गहराई ०.२५ मीटर है जबकि जला ८.३८ घनमीटर है। लौज और जलट की गहराई १.२५ मीटर है जबकि जला १.४३८ घनमीटर है। जल की गहराई ३ मीटर एवं बहलड़ी ३ मीटर है। खानग की संभासित आयु ५५ वर्ष है। लौज क्षेत्र में जलार संभासित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं जिया गया है। लौज ईमर से ड्रिलिंग एवं बंटुल लासिंग जिया जाता है। खानग में बहु उद्योग उत्पन्न होने का विवरण जाता है। लौज इसारित वौद्यवील का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित वौद्यवील (टन)
छानग	८५,६६२
बिलिय	८५,६३६
गुलिय	८५,६६३
गढ़वाल	८५,६३०
पंचम	८५,६४२

13. जल कार्यालयी – परियोजना हेतु आवायक जल वही जल के घनमीटर इतिहास होगा। जल की कार्यालयी कोर्सेज के नाम्बर से वही जाएगी। इस जलट केन्द्रल एंजिन एवं इंजीनियरी का अनावसित प्रभाव पर्याप्त प्रस्तुत जिया गया है।
14. बुखारीयन कर्तव्य – लौज क्षेत्र की जीवा में जली और ७.५ मीटर की पट्टी में जल २,२०८ नम बुखारीयन जिया जाता है। बर्फिल में १,००० नम बुखारीयन जिया गया है, जीव १,३०८ नम बुखारीयन प्रस्तावित है। अभियांत्रिक जल का नाम है जिलीज क्षेत्र की जली और ७.५ मीटर की जीवा पट्टी में १,००० नम बुखारीयन हेतु जीवों का उपयोग, वर्सिंग, खाद एवं जिलीज का जल-प्रसार के लिए है जो का बहुविकास वाय का विवरण निम्नपूर्ण प्रस्ताव सहित प्रस्तुत जिया जाना आवश्यक है।
15. खानग की ७.५ मीटर की गहरी सीमा पट्टी में वौद्यवील – लौज क्षेत्र की जली और ७.५ मीटर की गहरा पट्टी में वौद्यवील कर्तव्य नहीं जिया गया है।
16. प्रस्तुतीवाला के दौरान परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया है कि यहाँ में अनोन्य गोली बंदरगाह जला बेललाईन छाटा कर्सेजल का कार्य १० दिसम्बर २०२१ से १० जून २०२२ की तारीख तक जाया जाय। अलगाय बेललाईन छाटा कर्सेजल की सूखना ही गई ही। आर्थिक बनावटर (एनिज जाला)।

रिक्षा-ट्रॉलेर द्वारा जली उपलब्ध जल में अधिकतम सरकारी 500 मीटर की लीला अवधित सरकारी में लुप्त संवाद का नत्यांग है। अतः अधिकतम सरकार यह संवाद का गति है, जिसके लिए इंजीनियर लोडी यूनि में भी गति है। परियोजना प्रभावक द्वारा उक्त अधिकतम संस्थान जल का उपयोग करने के अन्तर्गत, जिसके लिए जाने देख अनुमति दिया गया है, जिसके साथी सहमत है।

५८. परियोजना प्रभावक द्वारा प्रभावीकरण के लीला संवाद जाना है कि संस्थान जल की संवाद का अवधि १५ फ़रवरी २०२१ से १० जून २०२२ तक जाना जाए।

५९. मानवीय एवं जीवीय विभिन्न सेवा, जहाँ रिक्षा द्वारा लोडी पालडीय विशेष भासा संवाद, लोडीलाल बन और उपलब्ध अधिकारी विभाग, जहाँ रिक्षा एवं जून (परियोजना एवं संस्थान में ५०० मीटर २०१८ एवं अप्टी) में जिनका १३/०९/२०१८ की परियोजना आदेत में यूज़ फ़ार के विभागीय विविध जिला जाना है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

परियोजना विभाग जिली उपराज विभागीय से रिहायज़ेर फ़िल्ड लिया गया—

- कार्यालय कर्मसूल (परियोजना जाली), रिक्षा-ट्रॉलेर की इकान अवधि २०११-१२/ लॉटि./ नं. ४/ २०२३/ रख्यूर, दिनांक ०३/०९/२०२३ अनुसार अधिकतम सरकार से ५०० मीटर की लीला अवधित का जाली, क्षेत्रफल ७१.०८। लोडीलाल है। अधिकतम सरकार (परियोजना) का जलना ५.७३। लोडीलाल है। इस जलन अधिकतम सरकार (परियोजना) की विभागत यूज़ जलना ८१.८०। लोडीलाल है। जलान की लीला से ५०० मीटर की लीला में नदीयत/ लोडीलाल सरकारी का यूज़ संत्रिप्ति ३ लोडीलाल से अधिक का वलस्टर अधिकतम होने का जलन यह जलान है। लेनी की जानी गई।
- अधिकतम सरकार विभाग जिली उपराज विभागीय से प्रबन्धन "जी" संलग्नी का जीने की जलान भासा संवाद, परियोजना, बन और उपलब्ध अधिकारी विभाग द्वारा अधिक, २०१८ में प्रकाशित नटोर्नही टम्स ऑफ रिक्षोर (ट्रॉलेरार) जीने इंजीनियर /इंजीन फ़िल्ड, रिक्षोर लॉटि. एवं एक्स्ट्रीमिटेशन विभागीय उन्नायलॉटि लोडीलाल अपहन इंजीनियर, जॉर्डिनेशन, २०१८ में दर्जी जीनी १८(१) का संभवत ट्रॉलेर (ट्रॉलेर सुन्नारी वाली) जीन जलन अधिकतम लोडीलाल है। यह विभाग अधिकारी विभागीय की सभ्य जानी जिसे जाने की अनुमति ही रहे—

- Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- Project proponent shall submit the top soil / overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- Project proponent shall submit Latest Gram Panchayat NOC mentioning all Khassias.
- Project proponent shall submit a copy of the information about the public area located within a radius of 200 meters attached to the covering letter.

- v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court cases pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Gectag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्रायोगिक वर्तन के लिए अनुमति प्राप्तिकरण (प्रायोगिक वर्तन के लिए अनुमति प्राप्तिकरण) प्रदान की जाएगी।

7. निम्न लिखित नामिता रेफरेंस लिपिको (यह अधिक चाहिए अवश्यक ही कठोर अवधार), धर्म-जैन, भास्त्र-तिर्य, बौद्ध-बौद्ध (विविधता का नाम देवा 2027)
- अधिकारी का नाम - उचित नाम - एमएस/ सीडी/ एमएस/ 400004 /2023, रोक्ट 12/08/2023 तात्पुरता द्वारा दिलाई गई अधिकारी का है।

**प्रकाश का नियम -** यह पूर्ण के पासवाली द्वारा जारी (दोनों संस्कृत) गणना है।  
ग्रन्थ—पूर्ण, अधिकारी—प्रिया, विजय—वायुपुर फिल्म जनरल इन्डिया 403/2, 404,  
405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 406/4, 408/1, 470/2, 471/1, 471/2,  
471/3, 471/4, 471/5, 471/6, 471/7, 471/8 एवं 471/9, युज इन्डिया—409  
हेल्पर में है। जाकर जी अधिकारी जनरल इन्डिया—100,000 टरा घोषित है।

ग्रन्थ कालानंद के पासवाली, जन एवं वायुपुर जनरल एवं फिल्म इन्डिया  
हेल्पर फिल्म 29/04/2023 द्वारा जारी गया है। नियम के बिना 4 में फिल्म  
जनरल इन्डिया है—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEACCs/DEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACCs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 16.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

इस अधिकारी नियम के तहत पासवाली प्रकाश कुरा फिल्म इन्डिया जनरल  
जनरल फिल्म जनरल इन्डिया से जारी पासवालीय संीकृति की तुम अनुहान (re-  
appraisal) हेतु एकट्रैडी, जनरलान्ड के तहत अनिवार्य आदेश दिया गया है।  
तदनुसार पासवाली प्रकाश की एकट्रैडी, जनरलान्ड की जाकर फिल्म  
08/10/2023 द्वारा प्रकृतिकरण हेतु घोषित फिल्म गया।

#### **तीसरा जन नियम -**

इस अधिकारी की 402वीं फिल्म फिल्म 13/10/2023-

प्रकृतिकरण हेतु जी तात्काल जनरल जनरल जनरल द्वारा। नियम इसी ग्रन्थ  
प्रकृतिकरण का अनावृत्त एवं परिवर्तन करने पर नियम घोषित पाई गई—

1. पासवाली प्रकाश कुरा कोनी एक 2013 के तात्काल नियम कामनी उपरिल  
संीकृति फिल्म इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड की अनिवार्य और एकट्रैडीजन की प्रति  
अनुहान की गई है, जिसके अनुसार कामनी के बाहे और जीपोलनी की जाकर  
अनावृत्त, जी तात्काल अपाराध एवं जी तात्काल अपाराध है।
2. पूर्ण जी जारी पासवालीय संीकृति जारी नियम—

1. पूर्ण जी चुना जातार जनरल जनरल 403/2, 404, 405/1, 405/2,  
405/3, 405/4, 406/4, 408/1, 470/2, 471/1, 471/2, 471/3  
471/5, 471/6, 471/7, 471/8 एवं 471/9, युज इन्डिया—409  
हेल्पर, जनरल—100,000 एवं द्वितीय हेतु फिल्म इन्डिया जनरल जनरल  
फिल्म इन्डिया, विजय—वायुपुर द्वारा पासवालीय संीकृति फिल्म  
29/02/2018 को जारी की गई। यह संीकृति जारी फिल्म से 5 वर्ष की  
अवधि हेतु खेल गई।

पासवाली प्रकाश कुरा जाकर गया है। भवत जनरल, जनरल, कम और  
जनरल जनरल जनरल जनरल, जारी फिल्म इन्डिया जारी अनिवार्य फिल्म  
09/01/2021 अनुहान—

"(A) Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

प्रतीक्षित अधिकारी के अनुसार परीक्षणीय अधिकृती की वित्ती वर्ष का दिनांक से दिनांक 25/03/2020 तक है।

- i. परीक्षणीय प्रतीक्षण अधीकृती की वित्ती वर्ष में कोई विभिन्नता नहीं की गई कामनाएँ नहीं लग-जारीकैर जानवारी प्रक्रिया की गई हैं।
- ii. प्रतीक्षित जनन्युक्ति जननीयता नहीं दिया गया है।
- iii. अवधिकारी कलेक्टर (अधिकारी वाला), फ्री-रायरु के वित्ती वर्ष 2012-A/एडि./राय./2023 द्वारा, दिनांक 03/08/2023 द्वारा दिया गया उत्तरानन की जानकारी निभान्युक्त है:-

वर्ष	उत्तरानन (ठन)
दिनांक 22/04/2018 से दिनांक 31/03/2019	87
2019-20	111
2020-21	716
2021-22	540
2022-23	10,467

1. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तरानन एवं जननीयता के संबंध में याम पंचायत मूरु का दिनांक 01/12/2014 का 10 वर्षीय द्वितीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण उत्तरानन प्रमाण पत्र में लीज सेव की जानकारी का उल्लेख नहीं है। उत्तरानन का नाम है कि लीज सेव की जानकारी का उल्लेख कर्ता हुए उत्तरानन याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र पाईन्हात है। आईट. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना अनावश्यक है।
2. उत्तरानन लीजना – बीडिपाइक लीजी प्लान, इन्सायर्टेंट ऐक्स्प्रेस प्लान एवं उत्तरानी कलीजन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कांगुल-गोमांवर (आप) लीजनानालय, बीडिपाइक लीज बागिचाएँ, जना रायपुर, छट्टगंगा-रायपुर के द्वारा द्वारा दिनांक 3428/एडि/ 05/मा पर अनुमोदित/माननीय/2019(1) द्वारा रायपुर, दिनांक 18/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 लीटर की परीक्षी में दिया जाना – कार्बोफ्लॉट लीजनालय (अधिकारी वाला), दिल्ली-रायपुर के द्वारा दिनांक 2012-A/एडि./राय./2023 द्वारा, दिनांक 03/08/2023 के अनुसार आधिकृत जननीय की 500 लीटर की परीक्षी द्वारा अनिवार्य जना 44 वर्षों के लिये 70.845 हेक्टेयर है।
4. 200 लीटर की परीक्षी में दिया जाना जारीजनिक सेव/संरक्षणीय – कार्बोफ्लॉट लीजनालय (अधिकारी वाला), दिल्ली-रायपुर के द्वारा दिनांक 2012-A/एडि./राय./2023 द्वारा, दिनांक 03/08/2023 द्वारा 200 लीटर की परीक्षी में दिया जारीजनिक सेव/संरक्षणीय द्वितीय अनुमति दिया गया है। उक्ता

कानूनी लौल में उत्तम 200 फीट की ऊंचाई में विभिन्न सार्वजनिक कानून की उपलब्धता की प्रति उपर्युक्त नहीं की गई है।

7. यूनि एवं लौल का विवरण - यूनि एवं लौल ऐसे सर्वोन्मत्त विशेषज्ञ लिपिबद्ध के नाम पर हैं। लौल दील 30 वर्ग की अवधि दिनांक 02/04/2018 से 01/04/2048 तक की अवधि हेतु दिया है।
8. प्रिस्टीज़ की जिवार्ट - एवं 2018 की प्रिस्टीज़ की जिवार्ट (District Survey Report) की प्रति उपर्युक्त की जाए है।
9. बन विभाग का अनावृति प्रगति वर्त - जिवार्टीज़ इसका द्वारा बनाया गया है। जारीहित के लिए फॉर्मलर्स इस जारीहित के बाहर द्वारा 387/2, 387/4, 387/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/12, 386/2 एवं 388/2 द्वारा वार्षिक अनावृति प्रगति की जाए। राष्ट्रपुर की द्वारा 387/4, 387/2, 639/2, 639/7, 639/11, 639/12, 386/2 एवं 388/2 द्वारा वार्षिक अनावृति प्रगति पर अनावृति अनेकिता लेकर विकलान बन लेते की सीधा में 250 मीटर की अवधिलाय दूरी से अधिक है।
10. वाहनमूले संवरपनकी की दूरी - विकलान आवारी दाम-मूल 360 मीटर, वाहन दाम-दूरी 1.2 फिटीं, एवं अवलम्बन साथापांच 7.3 फिटीं, की दूरी पर विभाग है। वाहनमूल 17.43 फिटीं, एवं वाहनमूल 2.38 फिटीं, दूर है। वाहन वर्ड 22 फिटीं, नाला 990 मीटर, वाहनमूल 300 मीटर, नाल 370 मीटर, बांध 900 मीटर एवं बोरा फिल 13 फिटीं की दूरी पर विभाग है।
11. नारिनीविलालीय/जीर्णविलाली संवरपनकी लौल - जिवार्टीज़ इसका द्वारा 10 फिटीं की दूरी में अवरोधकीय लौल, राष्ट्रीय राघव, अनावृति, फॉर्मलर्स द्वारा विकलान बोरे द्वारा प्रोतीत विविहितीय पौल्युट्रेट लौल, नारिनीविलालीय संवरपनकी लौल का द्वारा प्रोतीत जीर्णविलाली लौल विभाग जीर्णविलाली द्वारा विभाग जीर्णविलाली द्वारा विभाग जीर्णविलाली द्वारा विभाग है।
12. वाहन संघर्ष एवं वाहन का विवरण - विवोल्वोबीकर विभाग 32,26,500 टन, नारिनीविलालीय विभाग 10,73,800 टन एवं विवक्षणविलालीय विभाग 16,74,800 टन है। विभाग की 7.5 मीटर चौड़ी सीधा वट्ठी (एल्कान की लिए प्रतिक्रिया द्वारा) का लंबावन 7,150 मीटरमीटर है। ओपन कार्बन सीधी गोबोनार्थित लिये के वाहनमूल विभाग जाता है। वाहनमूल की प्रस्तावित अविकलान तहत 30 मीटर है। लौल लौल में वाहनमूल 0.25 मीटर है, नाला 6,112.5 मीटरमीटर है। लौलहर बहीन की बोराई 2.25 मीटर है, नाला 85,012.5 मीटरमीटर है। बोरा की लंबाई 3 मीटर एवं बोराई 3 मीटर है। वायाप की वांचावित जागु 10 वर्ग है। लौल लौल में वाहन संवरपन नहीं है एवं वाहनकी वाहनमूल का वाहनमूल नहीं विभाग गया है। लौल हेतु उत्तम जल का विकलान जाता है। वाहनमूल प्रस्तावित एल्कान का विभाग विभागनुसार है-

क्रम	अवलम्बन वाहनमूल (टन)
वाहन	39,993
हिलीप	10,999
पुर्सिन	10,992
चर्टीप	10,999
पंथर	10,999

प्रिस्टीज़

13. जल अनुमति – परियोजना हिन्दू जलाधारा यात्रा की जाता है ग्रामीण अधिकारी हैं। यात्रा की अनुमति बोर्डों के जलाधारा की जाती है। इस कानून संगत वाटा अधिकारी का अनुचित प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया गया है।
14. जलाधारा कार्य – लौज सेत्र की जीवा में यात्रा की 7.5 बीटर की घटडी में कुल 1,422 नग जलाधारा पत्र किया गया है। यात्रायात्रा में 1,000 नग जलाधारा पत्र किया गया है। और 422 नग जलाधारा प्रदर्शित है। अधिकारी का यात्रा है जिसे लौज सेत्र की यात्रा और 7.5 बीटर की जीवा घटडी में 1,000 नग जलाधारा हिन्दू पीठी का जलाधारा, जीवा एवं जीवाद्वय यात्रा रथ-रथाय के लिए 5 कारी का भवनावाह यात्रा का विवरण विस्तृत प्रलाप परिचित प्रदर्शित किया गया उपलब्ध है।
15. खदान की 7.5 बीटर की जीवा जीवा घटडी में उत्तरानन – लौज सेत्र की यात्रा और 7.5 बीटर की जीवा घटडी में उत्तरानन कार्य नहीं किया गया है।
16. अनुरीकरण की दीर्घी परियोजना प्रलापक द्वारा कार्य गया कि कूप में जलाधारा नीति के लालू लटीन द्वारा विस्तृत आदा कलेक्शन का कार्य 10 दिसंबर 2021 से 10 नवंबर 2022 को कर दिया गया था। जलाधारा विस्तृत आदा कलेक्शन की लूपना की गई थी। जलाधारा कलेक्शन (जलिया लूपना), जिला—राष्ट्रपुर द्वारा जलाधारा पत्र में अधिकारी खदान से 500 बीटर के भौतिक अवधिक खदानों में एक खदान का उल्लेख है। अत अधिकारी खदान का कलेक्शन का जाय है, जिसके लिए इंडिक्ट, गटकी पूरी में की गई थी। परियोजना उत्तरानक द्वारा कक्षा अधिकारी विस्तृत आदा का उपयोग कर इंडिक्ट, लिंगोट द्वारा जिले पासे हिन्दू जनुरोद्धरण किया गया है, जिसके अधिकारी जागत द्वारा।
17. परियोजना प्रलापक द्वारा प्रलापिकरण की दीर्घी कार्य गया है जिसे विस्तृत आदा कलेक्शन का कार्य 10 दिसंबर 2021 से 10 नवंबर 2022 तक किया गया।
18. मनमीद एन.जी.टी., विशिष्ट वैद्य, नई जिली द्वारा जारी जारीकृत विश्वविद्यालय विद्यार्थी, विशिष्ट वैद्य, जिला जलाधारा परिवर्तन विभाग, नई जिली एवं जलाधारा परिवर्तन विभाग (नई जिली एवं जलाधारा परिवर्तन विभाग में 1990 और 2010 एवं अब) में विद्यालय 03/09/2010 की परिवर्तन आदीत में युवा कार्य से विभागीय विभिन्न किया गया है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- अधिकारी द्वारा विद्यार्थी जलाधारा संवर्तनकी से विभागीय विभिन्न किया गया—
- जारीकृत जलाधारा (जलिया लूपना), जिला—राष्ट्रपुर के ज्ञान अवास 2012-A/प्र. लिए/नं. ३/२०२२ राष्ट्रपुर, विद्यालय 03/09/2022 अनुसार अधिकारी खदान से 500 बीटर के भौतिक अवधिक अव. 44 खदानों को जलाधारा 70,845 हिन्दूदीय है। अधिकारी खदान (जलाधारा) का जलाधारा 4,36 हिन्दूदीय है। इस राष्ट्रपुर अधिकारी खदान (जलाधारा) को विस्तृत जलाधारा 75,805 हिन्दूदीय है। खदान की जीवा से 500 बीटर की वर्तिति में लौजाधारा/जलाधारा खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हिन्दूदीय से अधिक का जलाधारा विवित होने की कारण यह लौजान ही बेही की जानी गई।

- ii. विभिन्न प्राकृतिक धनों का संग्रहालयी की अपेक्षा "की" कीमति का 10% के काम का सात सरकारी पैसेवा, का एवं अतिरिक्त संग्रहालयी कीमति का 10% अधिक, 2016 में व्यापक लैंडसॉफ्ट एवं एव्हरिंग (इलेक्ट्रो) एवं ग्राम्य / शहरी धनों की लैंडसॉफ्ट / इलेक्ट्रो बोर्डों के अनुसार व्यापक लैंडसॉफ्ट एवं एव्हरिंग, 2006 में लैंड की 10% का लैंडसॉफ्ट इलेक्ट्रो (एवं ग्राम्य लैंड) की कोर्स मार्गिन दर्शका द्वारा व्यापक लैंडसॉफ्ट की अपेक्षा नहीं है।
- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the top soil / overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iii. Project proponent shall submit valid Gram Panchayat NOC mentioning with all Khurssas.
  - iv. Project proponent shall submit a copy of the information about the public area located within a radius of 200 meters attached to the covering letter.
  - v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - ix. Project proponent shall submit the copy of penchnama and photographs of every monitoring station.
  - x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
  - xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
  - xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half

yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

सभ्य कर्तव्य परिवर्तन प्रकार आवलन प्रतिक्रिया (एमटीआईए), अस्तीतिहास की सामग्री के सुचित लिखा जाए।

- ii. निम्न लिखा का प्रकार उद्देश्य, पाट नं. ५३१, रामोहारा इंडस्ट्रीजल हाईवे, विला-रायपुर (सरियोजन का नस्ती अन्तिक २०२४)

अधिकारीय आवेदन - इपोर्टर नम्बर - एमआईए/ नीती/ आईएनी/ ४४००१/ २०२३, दिनांक १४/०८/२०२३ द्वारा दीज़ोलर हेतु आवेदन लिखा गया है।

प्रकार का लिखा - निम्नोंका प्रकारका द्वारा प्रस्तुति वालीकालीन के तहत यात्रा नं. ५३१, रामोहारा इंडस्ट्रीजल एरिया, विला-रायपुर लिखा गुल लीकाल -०.७१६३ हेक्टेयर में ऐक्स्ट्राक्षेल तथा एक्स्ट्राक्षेल और दीज़ोलर लिख लाम्हा -२९.६०० टन प्रतिहरि वो बहावक ५५.८०० टन छोड़ा हेतु आवेदन लिखा गया है। प्रस्तुति कार्योंका उपर्युक्त वारियोंका वी लिखियों ३.२ कठोर लगते हैं।

सामग्री का परिवर्तन प्रकारका को एमटीएगी, अस्तीतिहास के लायन दिनांक ०८/१०/२०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित लिखा गया।

विवर का लिखा -

(x) नामिति वी ५३३ी विवर दिनांक १३/१०/२०२३-

प्रस्तुतीकरण हेतु लोड वी इक्स्ट्राक्षेल उपकृति नहीं है। निम्नोंका प्रकारका द्वारा लोड अनुरोध पर प्रस्तुत नहीं लिखा गया है।

नामिति द्वारा लिखा लिखी उत्तरांश लालोहारी वी लिखा लिखा गया कि निम्नोंका प्रकारका द्वारा नामित लालोहारी एवं अनुरोध पर प्राप्त होने पर इसानी कार्यकारी वी जारीगी।

परिवर्तन प्रकारका को सामग्री के सुचित लिखा जाए।

- iii. नेहरी वी लिखीका लोड इक्स्ट्राक्षेल, लोट नं. ५०९ एवं ५१०, यात्रा इंडस्ट्रीजल एरिया, लहरील व विला-रायपुर (सरियोजन का नस्ती अन्तिक २०२४)

अधिकारीय आवेदन - इपोर्टर नम्बर - एमआईए/ नीती/ आईएनी/ ४४०५१/ २०२३, दिनांक १४/०८/२०२३ द्वारा दीज़ोलर हेतु आवेदन लिखा गया है।

प्रकार का लिखा - निम्नोंका प्रकारका द्वारा लोड नं. ५०९ एवं ५१०, यात्रा इंडस्ट्रीजल एरिया, लहरील व विला-रायपुर, लुल लीकाल -०.५३०५ हेक्टेयर में ऐक्स्ट्राक्षेल और वी-डीज़ एक्स्ट्राक्षेल लाम्हा - ५.००० टन छोड़ा हेतु आवेदन लिखा गया है। निम्नोंका लोड लिखियों १.२ कठोर लगते हैं।

सामग्री का परिवर्तन प्रकारका को एमटीएगी, अस्तीतिहास के लायन दिनांक ०८/१०/२०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित लिखा गया।

## कृषि का विवरण -

(ii) नमिती की 422वीं दिन दिनांक 13/10/2023

प्रस्तुतीकारन ईडी की विशेष विभाग, लोकसभा राज्यसभा है। नमिती द्वारा नमिती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिचय दर्शाये गए विषयों पर विस्तृत पाठ्य यह—

### 1. जल एवं जल सम्पत्ति —

- लोकीय कार्यालय, उत्तरीसाहू पर्यावरण संसाधन मंडल, रायपुर से बी-टी-एल (बीटीएल) प्रोजेक्टमा जलमा—8,000 एकड़ी इडी जल एवं जल सम्पत्ति दिनांक 23/10/2004 की जारी की गई है। विस्तृतीय कामकाजी नवीनीकरण विभाग दिनांक 30/04/2020 तक है।
- परियोजना प्रकारक द्वारा जारीकरण में विवरित इकाईयों ईडी उत्तरीसाहू पर्यावरण संसाधन मंडल द्वारा जारी कामकाजी रत्ती के जालम में जी गंगा जारीकरणी की विन्दुपात्र जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। जमिती का नह है कि जलमान में विवरित इकाईयों ईडी उत्तरीसाहू पर्यावरण संसाधन मंडल द्वारा जारी कामकाजी रत्ती के जालम में जी गंगा जारीकरणी की विन्दुपात्र जानकारी उत्तरीसाहू पर्यावरण संसाधन मंडल से इसके बारे जन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

### 2. जलीयकारी विभाग की जानकारी —

- जलीयकारी जानकारी याम—उदाहरण 1.1 फिल्मी नमूने जिसकी ओर दूसरी जल विभाग है। विभाग के लिये संक्षिप्त जनकृति 8 फिल्मी एवं ज्यादी विभागान्तर विभागान्तर, माना, रायपुर 24 फिल्मी की दूसरी जल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 फिल्मी दूर है। जलम नदी 35 फिल्मी दूर विभाग है।
- विरोधकारी प्रकारक द्वारा 10 फिल्मी की जारीकी में जलीयकारी जीव, जलीयकारी जलान्, अभ्यासन्, परिवर्तितीय संवेदनकारी लंबा एवं जीवित जीवविभाग जैसे विभाग नहीं होना विभिन्नता विभाग है।
- लीज लीक का विवरण — उत्तरीसाहू लौट इमाराटीयाल लैंडलाइन लैंडलाइन विभिन्नीक त्रुटा नेतृत्वों द्वारा विभिन्न लैंडला प्राकृतिक विभिन्नी, द्वारा इमाराटीयाल एकिका लैंडलाल व विभा—रायपुर को लौट एवं 509 एवं 610, लैंडलाल 46,230 एकड़ी (1.07 एकड़ी) ईडी लीज दिनांक 03/07/2020 से दिनांक 01/09/2023 तक जारी रखा गया है।
- जल सुरक्षा फैटलीट —

S.No.	Particular	Area (In SqM)	Area (%)
1.	Building & sheds	2,130	49.5
2.	Road	226	5.3
3.	Green Belt Area	1,722	40
4.	Open Area	225	5.2
	Total	4,303	99.0

### 3. नी—कारोबारिक —

S.No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1	Billets	9,500	Open Market	By Road

## **a. प्रस्तुति कार्य संकीर्ण व्यापकता :-**

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products - 9,000 TPA

**i. वासु चट्टग्राम नियोजन व्यापकता -** प्रस्तुतिकाल के दौरान वरिष्ठोंना प्रस्तावित कार्य व्यापकता यह है कि भारतीय सरकार अपारिंष री-स्ट्रिंग फॉर्म नीतिंग में जल्दी लिए जाएं। वर्तमान का यह है कि नीतिंग में-स्ट्रिंग फॉर्म नीतिंग में वासु चट्टग्राम नियोजन व्यापकता है तो वहां परामर्श है, जिससे वार्डिंग्स्टोट बैरो का उत्तराधिक ५० मिलीमीटर लाइन वर्किंग इनिशियर्स द्वारा यहां उपलब्धित है।

**ii. दीर्घ अवधिक अवश्यक व्यापकता -** नीतिंग में से नीति स्कॉर्स-२०० टन प्रतिदिन एवं दृग्दश कर्टिंग-३०० टन प्रतिदिन अवधिक दो कार्य में व्यवहार होता है। जिस वर्कों पर एवं एक्स्ट्रिंग की व्यवहार वर्कों वर्कों की विभव विश्व व्यापक व्यापकता यहां है।

### **b. जल व्यवहार व्यापकता -**

- \* जल व्यापक एवं स्थान - वरिष्ठोंना हैनु बुल & वर्कोंटर वर्क टार्फ्स बीटर दिनोंहै। वरिष्ठोंना के नियंत्रित व्यवहार हैनु बीटर बुल & एनवीटर प्रतिदिन १५०००००० टन २ एनवीटर ड्रिंग्स, बुलानीयन एवं बन्द व्यवहार के लिए, एनवीटर प्रतिदिन एवं बोल्ट लुपव्यापक हैनु १५ एनवीटर प्रतिदिन) व्यवहार विद्या यादगा। जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से हो जाती है।
- \* जल चट्टग्राम नियोजन व्यापकता - वरिष्ठोंना प्रतिदिन सीमित व्यवहार व्यापक व्यवहार व्यापक जल की उच्च वर्त तुर्क दृग्दिंग हैनु जलव्यापक में लाया जाता है। वार्डु, दृग्दिंग जल के व्यवहार हैनु सीमित दैर्घ्य एवं सोल पीट स्थापित है। गूर्हा व्यवहार की विभव नहीं जाती है।
- \* गू-जल व्यवहार व्यवहार - वरिष्ठोंना जल सीट्रल बोर्ड व्यवहार बोर्ड के अनुसार विनियोजित दौरा में आता है। जिसके अनुसार-
  - (अ) वृहत एवं व्यापक व्यवहार की कम के कम ५० लाईला दूर्जित जल का पुनर्व्यवहार एवं दुर्व्यवहार विद्या यादगा है।
  - (ब) जायज्ञ वाटर विकास हैनु अपनाई वही लाईला व्यवहार रेलव्यापक बासीटिंग / अंटिक्विविल जल विद्यार्थी की आवाय वर्त गू-जल विकास जल की अनुसारी लैट्रिल व्यवहार वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रवाहन है। जल व्यवहार द्वारा वर्कों वर्क में रेलव्यापक बासीटिंग व्यवहार की जाना व्यापक है।
- \* ऐन बीटर इंस्ट्रिंग व्यवहार - ऐन बीटर इंस्ट्रिंग व्यवहार की विभव विनाम्रा/जानवाली वर्कोंल द्वारा है। लिंबों के वाल व्यवहार विद्या यादगा उपलब्धित है।

**c. विद्युत आपूर्ति व्यवहार -** वर्कोंना में वरिष्ठोंना हैनु ५०० कोरोड़ विद्युत की आवायव्यता है। विद्युत की आपूर्ति व्यवहार व्यवहार व्यवहार व्यवहार की विभव विनियोग में विद्या यादगा है। वर्तमान का यह है कि वैकल्पिक व्यवहार हैनु की



की, एवं विभिन्न एवं विभिन्न की दौड़ी के लिए ये जागतिकी परामर्शदाता हैं। अंग्रेज रिपोर्ट के बाब्त प्रस्तुत विषय यहां आजाहार है :

11. गुजरात सरकारी जानकारी – इनि परिवेश के विषय में गुजरात संसद के 0.1722 लेटेपर (0.17 डिसेम्बर) बैठक में 430 वाले वीडी का गुजराती विषय जारी का प्रस्ताव दिया गया है। सभिति का नाम है कि गुजरात के द्वारा (वीडी का नाम) (0.17 डिसेम्बर द्वितीय दर सहित), गुजरात द्वारा फॉलोग, बाब्त एवं विभिन्न तथा नव-नवाच के लिए 6 वाली का उपचार प्रतिक्रिया एवं जागतिक विषय का विवरण नहिं। प्रस्तुत प्रस्ताव परामर्शदाता अंग्रेज रिपोर्ट के बाब्त प्रस्तुत विषय यान्त्र आजाहार है।
12. अनुदीक्षण के द्वितीय परिवेशका प्रस्तावक द्वारा दिया गया है कि जानकारी का वर्ष 15 अक्टूबर 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच दिया जाये।
13. गोता गोवार, पुरावर, एवं एवं वालापु वरिष्ठांव संसदम्, नहीं देखी द्वारा जारी अधिकारीका अनांक का.ए. 3250(१), दिनांक 20/07/2022 की अधिकारीका "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation."

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का अर्थ है।

सभिति द्वारा दिया हुआ सर्वकामिति से यात्रा जागतिक, एवं एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं देखी द्वारा जारी अधिकारीका अनांक का.ए. 3250(१), दिनांक 20/07/2022 की अनुदार अंग्रेज रिपोर्ट की देखी दिनांक (दिनांक) परि इंग्रजी/इंग्रजी, रिपोर्ट एवं विवेकम्/विवेकम् विवेकम् विवेकम् विवेकम् अनांक इंग्रजी, वीटिकालान् 2006 में दिया गयी ३२१) का अधिकारीका द्वारा दिया गया अंग्रेज रिपोर्ट की अनुदार अंग्रेज रिपोर्ट (दिनांक एवं नीन-वीन) में दिया गया अंग्रेज रिपोर्ट (दिनांक एवं नीन-वीन) में दिया गया अंग्रेज रिपोर्ट (दिनांक एवं नीन-वीन) में दिया गया अंग्रेज रिपोर्ट (दिनांक एवं नीन-वीन) की गई-

- i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).
- v. EIA study shall be done at minimum 3 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- vi. Project proponent shall submit the copy of panchnamas and photographs of every monitoring station.

- vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- viii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- ix. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 03/09/2017.
- xii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01/05/2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

प्रकाश संस्था परिवर्तन द्वारा जारी की गयी अधिकारी (एम्सीएम्सीए), अन्ध्रप्रदेश के उपलब्धता सुनिश्चित होता है।

16. ऐसी में बालना कीहिनी कठीन खट्टी (प्री- लीनी बील बालना), छाप-शिर, तहसील-बालना, फैस-खाल बालर खट्टी (परिवालय का गवर्नर डाक्टर 2630) अनिलकृष्ण बालेन - इकायल नम्बर - एम्सीएम्सीए / लीजी / एम्सीएम्सीए / 440321 / 2023, फैसल 14/08/2023 द्वारा प्रदानवाली कीवृत्ति हुई आठवें विवा नम्बर है।

प्रदान का विवर - यह घृंगी की लालित बालना बालन (लीनी बालन) जाता है। लालन लाम-लौटेल, तहसील-बालन, लिङा-बालर बालर कांकड़ फैसल बालन जाता है, जूल लौकल-२ लौकल में है। जाता है जूल लौकल बालन क्रमांक-38736 द्वारा प्रदित्त है।

भाला बालन की परिवर्तन, जो एक जलवायी बालन है, नहीं दिल्ली द्वारा अधिकारी कीहिनी फैसल 29/04/2023 द्वारा दिया गया है, फैसल ५० + मैन जाता है।

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-

appraise the ECs issued by DEAs between 15.01.2016 and 13.09.2019 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEA within a time period of one month from issue of this OM."

**साता अधिनियम के द्वारा नीतिकाला व्यवायक द्वारा जिला सरकारी पदोन्नत समाजिक प्रशिक्षण के जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे अनुसारा (पर्यावरणीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण के बारे औन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार जिला व्यवहार परियोग्या प्रशासन को एसडीएसी, अस्त्रीयामाद के ज्ञान दिवाल 06/10/2023 द्वारा प्रभागीकरण हुए जूषित किया गया।**

#### **मुख्य ज्ञान दिवाल –**

(ii) नीतिकी दी 450वीं मुख्य दिवाल 13/10/2023-

प्रभागीकरण हुए से ज्ञान व्यवहार अधिकृत अधिनियम जारी किया हुए। नीतिकी द्वारा नीती, प्रभागीकरण व्यवहार करने पर गिर्या जिप्पित यार्ड एवं-

#### **1. यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति कार्यकीय विवरण–**

- यूर्ज में व्यवायक प्रशासन (जिला सरकार) ज्ञान व्यवहार क्रमांक 36, चूल हीरापाल 2 इंडियर, हाला-38735 एवं प्रशिक्षण हुए पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सरकारी पर्यावरण समाजिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण, जिला-प्रशासन व्यवहार कार्यक्रम द्वारा दिवाल 26/12/2016 की जानी वी गई।
- परियोग्यता व्यवहार हुआ यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के कारी व्यवहार में भी यहु कार्यकारी वी सर-प्रधानित प्राप्तवारी प्रभागीकरण की वहु है।
- नीतिकी का यह है कि यूर्ज में जारी व्यवहारीय स्वीकृति के कारी के अनुसार नीतिकी व्यवहार व्यवहार व्यवहारीय स्वीकृति के कारी में संबंधित Humberstone एवं पीटे के नाम का उल्लेख किया जानार कोटोइस्ताना सर्विय जानकारी प्रभागीकरण किया जाना आवश्यक है।
- व्यवहारीय व्यवहार (अधिकृत ज्ञान), जिला-प्रशासन व्यवहार कार्यक्रम के पु. अप्यन दिवाल 2018/अधिकृत/अधिकृत/१५.५./२०२२ वार्ड, दिवाल 11/10/2023 द्वारा दिवाल यार्ड में दिये गये उल्लेखन की जानकारी प्रभागीकरण है।

वर्ष	उल्लेखन (प्रत्येक)
2016-19	8,181
2019-20	2,898
2020-21	11,837
2021-22	15,642
2022-23	12,325

नीतिकी का यह है कि पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञान व्यवहार के उल्लेखन में दिवाल 31/03/2018 एवं दिये गये उल्लेखन वी जानकारी नीतिकी दिवाल की ज्ञान व्यवहार व्यवहार किया जाना आवश्यक है।

- यार्ड व्यवहारीय व्यवहारीय स्वीकृति एवं उल्लेखन व्यवहार की जानी में यार्ड व्यवहारीय कीटेजा की दिवाल 23/09/2011 की अनुचित इमाल यार्ड व्यवहार दिया गया है।

3. इकाई कीमत - कार्यालय प्रबन्ध किया गया है, जो वापि अधिकारी, नियंत्रण-दर्शक बाहर की छापन इमारत 301/स्ट्रीट/2016 दीवार, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमति दी गई है।
4. 500 भौतिक की परिसीढ़ी में नियंत्रण छापन - कार्यालय कर्मचारी (अधिकारी वाला) नियंत्रण-दर्शक बाहर कार्यालय की छापन इमारत 301/स्ट्रीट/कली/दीवार /2023-24 कार्यालय दिनांक 12/05/2023 से अनुमति अन्तिम छापन से 500 भौतिक की भौतिक वार्तान्वयन आव्याप्त है। वार्तान् वार्तान्वयन 1.07 दिनांक है।
5. 200 भौतिक की परिसीढ़ी में नियंत्रण सार्वजनिक सीढ़ी/संवर्धनाएँ - कार्यालय कर्मचारी (अधिकारी वाला) नियंत्रण-दर्शक बाहर कार्यालय की छापन इमारत 303/स्ट्रीट/कली/दीवार /2023-24 कार्यालय दिनांक 12/05/2023 से अनुमति अन्तिम छापन से 200 भौतिक की परिसीढ़ी की दृष्टि वाली सार्वजनिक सीढ़ी दीवार वार्तान्वयन, वार्तान्वयन, स्वतंत्र, पुल, पुल, वर्निकर, बांध एवं वार्ता अनुमति अद्यि अधिकारी द्वारा नियंत्रण नहीं है। वार्तान्वयन मात्र लापन 60 भौतिक की दृष्टि पर है।
6. न्यूनि एवं लीज का विषयन - वह जारीकीय चूपि है। लीज कीमती भौतिक वार्तान्वयन के नाम पर है। लीज कीमत 39 वर्षी अद्यि दिनांक 08/10/2022 से 07/10/2032 तक वाली अद्यि हेतु दीय है।
7. डिस्ट्रीब्यू फर्म रिपोर्ट - वह 2023 की डिस्ट्रीब्यू फर्म रिपोर्ट (Product Survey Report) की अद्यि प्रबन्ध की नहीं है।
8. यह विभाग का अनावश्यक प्रबन्ध वार्ता - कार्यालय उन ग्रामान्वयिकारी, वार्तान्वयन सम्बन्धी, कार्यालय की छापन इमारत/मालि/1026 कार्यालय, दिनांक 26/08/2022 से जारी वार्ता अनुमति विया गया है। अनावश्यक का यह है कि नियंत्रण यह सीधे से आधिकारिक हाथ की दृष्टि का वार्तान्वयन करती हुए कार्यालय ग्रामान्वयिकारी का अनावश्यक प्रबन्ध वार्ता अनुमति दिया जाना आवश्यक है।
9. वार्तान्वयन सार्वजनिकों की दृष्टि - नियंत्रण आवादी नाम-कॉटेल 1 किमी, स्वतंत्र वार्ता-कॉटेल 1 किमी, एवं अपवाहन लापनावाली 45 किमी, की दृष्टि वाला नियंत्रण वार्तान्वयन 6.3 किमी, एवं वार्तान्वयन 16.4 किमी, दूर है। महानदी 25 किमी, दूर विया है।
10. परिविवरितीय/प्रौद्योगिकीय सार्वजनिकील सीढ़ी - दीर्घांडना प्रस्तावन द्वारा 10 किमी की दृष्टि में अनावश्यकीय सीढ़ी, स्वतंत्र वार्तान्वयन, अपवाहन, कॉटेल वार्ता अनुमति वियावाला वार्ता एवं परिविवरितीय सार्वजनिकील सीढ़ी या योग्य दीर्घांडना सीढ़ी विया वाली होना आवश्यक विया है।
11. वार्तान्वयन संपर्क एवं वार्तान्वयन का विषय - वियावालीवाल वियों 6,63,013 एवं एवं वार्तान्वयन वियों 3,29,708 टर्न है। लीज की 1.2 भौतिक वाली लीज वार्तान्वयन के लिए अधिकारी द्वारा लीज की वार्तान्वयन 4,014 वार्तान्वयन है। और वार्तान्वयन सेवी वियावाली वियि से वार्तान्वयन विया जाता है। वार्तान्वयन की वार्तान्वयन अविवाली वार्तान्वयन 22 भौतिक है। लीज दीवार में जानी वियों की वार्तान्वयन 1 भौतिक है। दीवार की वार्तान्वयन 3 भौतिक एवं वार्तान्वयन 3 भौतिक है। वार्तान्वयन की वार्तान्वयन आव्याप्त 10 वर्ष है। लीज दीवार में कारार अपवाहन विया वार्तान्वयन 173 वार्तान्वयन है। दीवार से विद्युतिक एवं कंट्रोल वार्तान्वयन विया जाता है। वार्तान्वयन में आपु प्रदूषण

निवेदन हेतु जल का नियन्त्रण किया जाता है। वर्तमान प्रक्रमित उत्तराधि जल नियन्त्रण समिति है:-

क्र.	उत्तराधि (मी)	क्र.	प्रक्रमित उत्तराधि (मी)
1	34,367	2	31,132
2	34,367	3	31,132
3	34,367	4	31,132
4	31,132	5	31,132
5	31,132		

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाति 4 एकड़ीयर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति कोसिल की आवश्यकीय की जिम्मा जाता है। इस जल कोट्टुल बाटुल बाटुल अधीक्षित का आवासित प्रयोग पर प्रकृत जिम्मा दिया गया है।
13. शुद्धारोपण कार्य - सीज बीच की दीवाने में जलों को 7.5 मीटर की चूड़ी में कुल 1,120 नम (छातुर, नीम, फौसल, लाल, लीला, अनामिय) शुद्धारोपण किया जाना प्रत्यापित है। छातुर जलाल अनुकार 1,120 नम खींची के लिए जाहि 81,600 लम्बे, जलों के लिए जाहि 11,700 लम्बे, फौसल के लिए जाहि 3,70,000 लम्बे, लीला के लिए जाहि 1,20,000 लम्बे एवं लाल-बालाज खींची के लिए जाहि 30,000 लम्बे, इस प्रयोग उद्देश्य को में जाहि 6,25,000 लम्बे एवं आवासी 4 रक्की में कुल जाहि 6,81,440 हेतु उत्तराधि जल का जिम्मेदार प्रकृत जिम्मा दिया गया है।
14. जलान की 7.5 मीटर की बीड़ी सीना चूड़ी में उत्तराधि - सीज की 7.5 मीटर बीड़ी सीना चूड़ी (उत्तराधि के लिए प्रतिवर्षीय सेवन) का कुल क्षेत्रफल 4,014 एकड़ीयर है। जिसमें से 1,807 एकड़ीयर क्षेत्र की जलान्दी तक प्रत्यापित है, जिसका उत्तराधि अनुकूलित जाहि जलान में जिम्मा दिया गया है। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर बीड़ी सीना चूड़ी में उत्तराधि जिम्मा जाना परीक्षणीय खींचुरी की जाति का उत्तराधि है। जल बीड़ी उत्तराधि जिम्मानुदार जलान्दी खींचुरी जिम्मा जाना प्रत्यापित है। जल ही एक उत्तराधि क्षेत्र को कुण्डलाज जिम्मे जाने हेतु रेस्टोरेंट जलान उत्तराधि जिम्मा जाना आवश्यक है।
15. उत्तराधिकारी है जि यात्रा वालाओं, पर्यावरण का एवं जलान्दी एकार्यकारी व्यवस्था, नई फिल्टरी द्वारा जल की सांस्कृतिक और व्यावहारिक हेतु मानव उत्तराधिकारी जारी की जाए है। जर्द आवासी जाति की अनुकार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the leases. The whole green belt shall be developed within first 6 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the IEC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उत्तराधि जाति की अनुकार नार्थेन लीज बीड़ी की जल 7.5 मीटर बीड़ी सीना में शुद्धारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. एकीकृत उत्तराधिकारी (C.E.R.) - परियोजना प्रबन्धक द्वारा एकीकृत (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के नाम फिल्टर जो एक उत्तराधि जिम्मानुदार उत्तराधि प्रकृत जिम्मा दिया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)	
40	2%	0.8	Following activities at Pauri by Govt. Primary School, Village-Kotela		
			Plantation	1.348	
			Total	1.348	

सीड़ीआर को लानी वाले चारों परिवार में शुकारीया (विम, लाल, लाल, लिले एवं जाहुन) हेतु प्रदूषण प्रभाव अनुमति 100 नम फीसी को लिए जाती 5,000 रुपये, लाल को लिए जाती 1,000 रुपये, लिले को लिए जाती 2,000 रुपये, जाहुन को लिए जाती 20,000 रुपये, इन चारों द्वारा जो मैं सुन रखी 35,000 रुपये तक आगामी 4 जून में कुल जाती 35,000 रुपये हेतु प्रदूषणात्मक का नियन्त्रण प्रदूषण नियम द्वारा है। समिति का नाम है कि सीड़ीआर को लानी वाले चारों परिवार में लिए जाने वाले शुकारीया हेतु प्रदूषणात्मक चारों परिवार का लाभान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा है।

17. भवता उत्तराखण की जातीयता, का एवं जलवायु व्यवस्था, नई नियमी हावा नियम 22/04/2023 को जाती अधिकारी बैठकोंमें लिये गये नियम का नियुक्त व्यवस्था लिये जाने वाले व्यावहारिक या व्यावहारिक व्यवस्था या (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया गया है।
18. अधिकारीजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का उत्पाद या (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया गया है कि विद्युत नीटीयित की कुल वार्षा 10,425.4 रुपये में से आवायाकाल अनुमति वालों में नियम दिया जानीया एवं अधिकारी जाती वाले वी अधिक नियम को जान्मति से लिया दिया जायेगा।
19. अधिकारीजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का उत्पाद या (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया गया है कि जिसी वी उत्तराखण का दृष्टित व्यवस्था द्वारा प्रदूषित जल वालों, तालाब, नदी, नाला में नहीं दिया जाएगा एवं इसमें जानकारी हेतु अधिकारी व्यवस्था लिया जायेगा।
20. उदान में कांटों का अधिकारी लिये जाने वाले व्यावहारिक या (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया गया है।
21. प्रकृतिग लोज ईड को अंदर आवाय शुकारीया दिये जाने एवं संभित फीसी का जालार्काना ईड (Survival case) 60 द्वीपीय शुकारीया दिये जाने वाले व्यवहारिक या (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया गया है।
22. अधिकारीजना प्रस्तावक द्वारा नियन्त्रण करनीसामन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बनायी दियनेवाला द्वारा लीमालान का राई शुकारीया दिये जाने वाले व्यवहारिक या (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया गया है।
23. अधीकारी अवधी शुकारीया नीति के तहत शुकारीय लोगों को संज्ञान दिये जाने हेतु व्यवहारिक या (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया जाएगा।



३४. परियोजना प्रलापक द्वारा इस आवधि का समय गत (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके बिल्डर इस परियोजना/सुदूरान ऐप्स की संवित और जापानीय उड़ान देश के अधिकार किए भी जापानी ऐप्स में समित नहीं है।
३५. परियोजना प्रलापक द्वारा इस आवधि का समय गत (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि याको बिल्डर भारत सरकार, पर्यावरण का और विद्यायु परिवर्तन परिवर्तन की जापानी ऐप्स का जा. ८०५(१), दिनांक १४/०३/२०१७ के अनुरूप की वास्तविकता का इच्छना समित नहीं है।
३६. परियोजना प्रलापक द्वारा इस आवधि का समय गत (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि यूई चालाकारी वर्तीकृति के पालन इतिहाय और योगी जापान संवित परिवर्तन संस्थान में भी प्रस्तुत किया गया है।
३७. परियोजना से जिन-जिन काली से व्युत्थित झटके उत्पन्न होना, जन काली पर नियमित जल फ़िल्टर की जलतथा किये जाने वाला समय गत (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

**कानिकि द्वारा दियी एप्लाइ चैर्चमैटि के निष्पान्तर विवरित किया गया—**

१. यूई ने जारी व्यापारीय वर्तीकृति के कान्डी के निष्पान्तर विवरित जानानुसार किये जाने वाले यूएसोप्स की बीचों में उत्पादन (Manufacturing) एवं बीचों के बाय का प्राप्तेना किया जानकारीटीकारी का अनुरूप प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया जाए।
२. पर्यावरणीय वर्तीकृति जान होने के तरावाहे से दिनांक २१/०३/२०१८ तक किये जाने वालीकारी चालिक विनान से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
३. वर्षत्रीय विद्युति की बाजा एवं उत्पादन वौद्धना प्रस्तुत किया जाए।
४. नियोजन वर्ष की अधिकारी को यूई का नल्लेक्च काली खुल कालीमूल उपग्रहशालीकारी का अनुरूप प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया जाए।
५. कोर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) के अन्तर्गत वर्तुल वरितर से किये जाने वाले यूएसोप्स द्वारा प्रस्तुति वर्तुल की जानानकारी का अनुरूप प्रस्तुत किया जाए।
६. यहाँ लीज लीज के बाबी और २.५ मीटर लांबी सेवली खोन के उत्तरानुसार की युक्तिगत विवर जाने हेतु रेस्टोरेशन जान प्रस्तुत किया जाए।
७. यहाँ लीज लीज के बाबी और २.५ मीटर लांबी सेवली खोन की युक्त बाय में किये जाने उत्पादन की जानकारी जलतथा यूएसोप्स (Manufacturing Massurement) के संकेत में जारा लीज लीज को अंतर वर्त्तिकृति कियाजालायी के बाल्य उत्पादन प्रस्तुत के विवेदन हेतु आवधक उपायों वाले यूएसोप्स अधिक की किये जानुविक एप्लाइ चैर्चमैटि बाबी वाला संपर्क, भौमिकी तथा उत्पादन, इंटराक्टी बाबी, नया यात्प्रयाप्त उत्पादन वर्त्तर, वित्त - उत्पादन (उत्पादनवार्ता) वाले दूर लोक किया जाए।
८. उत्तिविक्ति २.५ मीटर लांबी सेवली लाली पहुंची के अन्तर उत्पादन जाने जाने पर यीवं उपर्युक्त निष्पान्तर विवरित करतीकारी किये जाने हेतु जानानकारी, उत्पादनकालीन एवं प्रबन्धन की छाति पहुंचाने हेतु उत्पादनकालीन प्रबन्धन संचालन मंडल, नया यात्प्रयाप्त अठल बाबी वाला जानानकारी कारीगारी की जाएगी।

उपर्युक्त यूई जानकारी/उत्पादन प्रस्तुत किये जाने उपर्युक्त अगामी कारीगारी की जाएगी।

परिपेक्षा प्रवालक को उत्तमतम् रूपी भित्ति दिया जाए। सभा की समाजसंबंधीय समिति एवं परिवेश की ओर पहुँचने हेतु जनरियल परिवेश संकाय संकाय नहीं बल्कि उत्तम अद्यतन करने की परम उम्मीद दिया जाए।

11. मैंने इस वाक्यना आविष्कारी चट्टान की (प्रौद्योगिकी वाक्यना), राज-वीलेक्स, राजसील-वाक्यना, फिल्म-वाक्यन वाक्यन कार्ड (आविष्कारण का नमूना) 2023।  
जीवनशास्त्रीय अधीक्षण - छोटीजल वाक्य - एकात्मीय/ वीडी/ एवजाइन/ 44339/ 2023, दिनांक 14/ 08/ 2023 द्वारा प्रदानित वीडीयू द्वारा अधीक्षण दिया गया है।

प्रवालक का विवरण - यह पूर्ण वीडीयू प्रवालक वाक्य (प्रौद्योगिकी) वाक्य है। वाक्यन राज-वीलेक्स, राजसील-वाक्यन, फिल्म-वाक्य वाक्यन वाक्यन दिया गया छापांक 362, युवा वीलेक्स-210 छापटीयर में है। वाक्यन की आविष्कार वाक्यन कमात-41,729 टा० अनियत है।

वाक्य वाक्यन की वाक्यन, इन दो वाक्यामुख संकाय, नई फिल्म द्वारा आविष्कार दिये गये थे। फिल्म दिनांक 28/ 04/ 2023 वाली वाक्य है, फिल्म पृष्ठ 4 में विवरण दिया गया है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEVA shall be reappraised through SEAC/SEVA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEMAs between 16-01-2016 and 13-09-2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEVAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEMAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEVA within a time period of one month from issue of this OM."

यह अधिकारी कार्यालय की द्वारा परिपेक्षा प्रवालक द्वारा दिया गया वाक्यन वाक्यामुख विवरित आविष्कार की जारी प्रवालकीय वीडीयू के पुनः अनुसंधान (re-appraisal) हेतु एकात्मीय, वीडीयू की वाक्य जीवनशास्त्रीय अधीक्षण दिया गया है। उत्तमतम् जीवनशास्त्रीय प्रवालक की एकात्मीयी, जलविद्यालय के वाक्य दिनांक 08/ 10/ 2023 द्वारा प्रदानित हेतु दूसिंह दिया गया।

वीडीयू का विवरण -

(ii) वाक्यीयी की वाक्यीयी वाक्य दिनांक 13/ 10/ 2023-

उत्तमतम् जीवनशास्त्रीय वाक्य की वाक्य वाक्यामुख द्वारा दिया गया उत्तमतम् जीवनशास्त्रीय वाक्य वाक्यामुख एवं प्रवालक वाक्यने पर विवर दिया गया है:-

i. यहाँ में जारी प्रवालकीय वीडीयू की विवरण-

- i. यहाँ में जारी प्रवालक वाक्य (प्रौद्योगिकी) वाक्यन वाक्यामुख 362, युवा वीलेक्स-21 हैलेटीयर, कमात-41,729 टा० दियार्ही हेतु प्रवालकीय वीडीयू दिया गया वाक्यामुख वाक्यामुख फिल्म द्वारा दिया गया वाक्य वाक्यन कार्ड द्वारा दिनांक 28/ 13/ 2023 की जारी की गई।
- ii. प्रवालकीया प्रवालक द्वारा पूर्ण में जारी प्रवालकीय वीडीयू के जारी के वाक्यन में उसी वाक्य कार्यकारी की वाक्य-प्रवालकीय वाक्यामुख वाक्य ही गई है।

iii. समिति का नाम है कि यहाँ में जारी जनीवरीय सीमिति के बार्ड के अनुसार प्रतिवर्ष जनजनुसंख्या किए गए पूर्णांकों के लिए वे जारी करना जन्मावास संगठन जननकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (संचित जाता), जिला-प्रभाव बदल कांस्टर के पु. छापन अन्तर्क्रम 2070/संचित/संचित/प.प. 1997 कांस्टर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा दिया गया वर्षी में किए गए जन्मावास की जननकारी जिम्मेदार है:-

वर्ष	जन्मावास (जिम्मेदार)
2018-19	2,981
2019-20	1,960
2020-21	4,867
2021-22	16,508
2022-23	15,887

समिति का नाम है कि जनीवरीय सीमिति इसके होने के समय से जिम्मेदार 01/05/2016 तक किए गए जन्मावास की जननकारी संचित जिम्मेदार से जन्मावास प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. छापन जन्मावास का अन्वयित प्रमाण पत्र – जन्मावास एवं उसके बदल कांस्टर के लिए दोनों प्रमाणपत्रों का अन्वयित प्रमाण पत्र इस्तुत नहीं किया जाता है।
3. जन्मावास संकेता – कार्यालय प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, जो जारी जनीवरीय जिला-प्रभाव बदल कांस्टर, द्वारा जारी करने अन्तर्क्रम 300/संचित/2016 द्वारा कांस्टर, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमतियां हैं।
4. 500 बीटर की परिमि में दिया जायान – कार्यालय कलेक्टर (संचित जाता) जिला-प्रभाव बदल कांस्टर के प्राप्त अन्तर्क्रम 505/संचित/संचित/प.प. /2023-24 कांस्टर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण एवं जन्मावास याचक जायान से 500 बीटर की परिमि में कार्बू भी सांकेतिक कीमत की संधी, गोपनीय, सम्पादन, स्थूल, पुरा, एवं बाहर, बाहर एवं जल जननकी अवधि अनिवार्य होता किया जाता है। राष्ट्रीय जनजनुसंख्या जायान 100 बीटर की दूरी पर जाया जानी जानमन 70 बीटर की दूरी पर है।
5. शुष्मि रुप लीज का दियान – यह जायानीय दृष्टि है। लीज की जाया बदल के बाये जाता है, लीज की 25 वर्षी अवधि दिनांक 01/04/1997 से 13/03/2022 तक की अवधि होती रही है। जन्मावास लीज की 5 वर्षी अवधि दिनांक 14/03/2022 से 31/03/2027 तक की अवधि होती रही जिम्मेदारी की जाता है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – की 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की दृष्टि इस्तुत की जाती है।
7. जन जिम्मेदार का अन्वयित प्रमाण पत्र – कार्यालय एवं बदल कांस्टरी, जननकारी जन बदल, कांस्टर के प्राप्त अन्तर्क्रम/प.प./संचित/संचित/प.प. कांस्टर,

दिनांक 21/03/1987 से जारी पर अनुसार लैंबा सोने से लगे हुए सोने में पूर्ण में लगभग 3 या 4 लाई पूर्ण उदाहरणिकी विभाग द्वारा बहलू रोपण कराया गया था। अतः काशू सोने से संबंधित पूर्ण विवरण, संबंधित विभाग में प्रमाण करना आवश्यक होता एवं इस द्वारा सोने की एक वाली पूर्ण से लगभग लगभग वृत्ति पूर्ण एवं ज्ञान-पात्र विभाग कर रही छातीयों को विवरण पर विभिन्नी प्रकार का प्रमाण मिल सकता है। इस संकाय में संबंधित विवरण अधिकारियों से जानकारी द्वारा कर एवं विभिन्न सामग्री पर विभिन्न विवरण इस से विभाग विभाग 5 वर्षों से ऊपर विवरण के लिए विवरण के लिए जानकारी का उत्तीर्ण करता है। संबंधित का मत है कि विवरण विभाग इन सांखेयिक दृष्टि की दृष्टि का विवरण जानकारी द्वारा विवरण विवरण का अनुरूपि प्रमाण एवं प्रस्तुत विवरण जानकारी आवश्यक है।

9. महाराष्ट्री संविधानसभा की दृष्टि – विवरण जानकारी इन-डिपोजिटों 2 फिल्म, अनुसू दाम-लक्षण्यांक 3 फिल्म, एवं अन्यायाल इन-लक्षण्यांक 5 फिल्म की दृष्टि पर विभाग है। राष्ट्रीय राज्यमर्यादा 1971 विभाग दूर है। महाराष्ट्री 43 फिल्म दूर विभाग है।
10. विविधालिकाय/जैवविविधाय संविधानसभा सोने – विविधालिका प्रकार द्वारा 10 फिल्मों की विभाग में अन्यायालीय सीमा, राष्ट्रीय विवरण, अन्यायालीय उदाहरण विवरण बोहं द्वारा विविध विविधालिकी वील्युटेक विविध, विविधालिकीलीय संविधानसभा सोने का विविध विविधालिका सोने विभाग नहीं हीमा प्रतिविविध विभाग है।
11. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण – विविधालिकाल विभाग 19,86,332 रुप. नार्सु-विवरण विभाग 4,88,060 रुप है। लौंग की 7.5 मीटर और 3 लींग वहली विवरणमें से विविध विविध सोने का लंबावाल 4,422 वर्षोंमें है। लौंग वास रोपी विविधालिका विभाग 35 वीटर है। लौंग सोने में उपरी विहृती की वीटर 0.5 वीटर है। वींग की वीटर 0.3 वीटर एवं चीकार्ड 0.3 वीटर है। खदान की संभागित काम 12 रोप है। लौंग सोने में लौंग विवरण है, विवरण लंबावाल 422 वर्षोंमें है। लौंग विवरण से विविध एवं कंट्रोल विविध विभाग द्वारा है। खदान में वायु प्रदूषण विविध उत्तु जल का विविधालिका जाता है। वर्षावाह विवरण विवरण का विवरण विभाग द्वारा है।-

क्रम	उत्तरावाल (रुप)	क्रम	प्रतिविविध विवरण (रुप)
प्रथम	33,997	पहला	41,729
द्वितीय	33,997	द्वादश	41,729
तीसीय	33,997	त्रिश	41,729
चतुर्थ	30,411	चतुर्थ	41,729
पंचम	41,729	दहान	41,729

12. जल आर्थिकी – विविधालिका हेतु जलवाहक जल की मात्रा 4 राष्ट्रीय विविधालिका हीरी है। जल की आर्थिकी विविधालिका के नामान से विभाग जाता है। इस वाया लंबावाल वाया विविधालिका का उन्नावाल प्रकार एवं प्रस्तुत विभाग गया है।
13. वृक्षालय वाया – लौंग सोने की विभाग में वाया 7.5 मीटर की वहली में कुल 1,080 मीटर (ब्लून, जामुन, बीम, बीमल, बादाम, लीकु, अमलाला) वृक्षालय विभाग जाना प्रतिविविध है। प्रस्तुत प्रकार अनुसार 1,080 मीटर वीटर के विविध 73,800 वर्षों, खदान के विविध राहि 10,000 वर्षों, विविध के विविध राहि 3,40,250

करते, नियमी के लिए राशि 1,20,000 करों तक रहा-जाता जहाँ के लिए यहाँ 30,000 करों, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में राशि 6,00,000 करों तक आवाही 4 वर्षों में कुल राशि 6,00,000 हैं तो प्रत्येकवर्ष यहाँ का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. स्थान की 7.5 मीटर की ओरीं सीमा पट्टी में उत्तराधि – लीज की 7.5 मीटर की ओरीं सीमा पट्टी (उत्तराधि को लिए प्रतिशेषित कीज) का क्षेत्रफल 4,487 वर्गमीटर है, जिसमें 10,434 वर्गमीटर के 26 बीटर की गहराई तक एवं 2,083 वर्गमीटर के 6 मीटर की गहराई तक उत्तराधि है, जिसका उत्तराधि अनुशेषित प्रस्तुति प्राप्त में दिया गया है। प्रतिशेषित 7.5 मीटर की ओरीं सीमा पट्टी में उत्तराधि विवरण जाना चाहीएगा सीमापट्टी की गति का उल्लंघन है। अतः जीव संवर्धन विवरणप्रस्तुति कठोरही जिता जाना आवश्यक है। सभी की लक्ष प्रस्तुति के कुनौनाव लिए जाने हैं तो प्रतिशेषित प्राप्त विवरण जाना आवश्यक है।
15. उत्तराधि है जो भाल बालादृ, पर्यावरण वन एवं उत्तराधि परिवर्तन विभाग, जैव विवरण द्वारा जीव जीव संवर्धन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ का जीवसंवर्धन क्षेत्र की गई है। यह जीवाल जीवाल के अनुसार –

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

जीव संवर्धन की अनुसार यहाँ लीज द्वारा की गयी 7.5 मीटर की ओरीं सीमा में कुनौनाव लिया जाना आवश्यक है।

16. जीवीक पर्यावरणीय वार्ता (C.E.R.) – परिवेशना उत्तराधि द्वारा लिया जाना जीवीक पर्यावरणीय वार्ता की गई है। जीव संवर्धन जीवाल के अनुसार –

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
42.5	2%	0.85	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Akhirkheda	
			Plantation	1.345
			Total	1.345

जीवीक पर्यावरणीय वार्ता के अनुसार यहाँ विवरण में कुनौनाव (मैदान, जाम, कब्ज़ा, फैसल एवं जामुन) हैं तो प्रस्तुत विवरण अनुसार 100 नग पीड़ी के लिए राशि 8,000 करों, जाम के लिए राशि 4,000 करों, नियमी का यहाँ रहा-जाता जहाँ के लिए राशि 36,000 करों, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 36,000 करों तक आवाही 4 वर्षों में कुल राशि 144,000 करों हैं तो प्रत्येकवर्ष यहाँ का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का बता है कि जीवीक पर्यावरणीय वार्ता के अनुसार यहाँ विवरण में दिये जाने वाले

कुलारोपन हेतु असाधिक रकूत की अवधारणा का व्यवधान पर उपरुत्त लिया जाना आवश्यक है।

16. ग्राम समाज के परिवार, जन एवं जलवाय बालबाल, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29/04/2023 की तारीखी अधिकारी बैठकोंमें में लिये गये निर्देश का अनुदान जातने लिये जाने वाला ग्राम पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है।
17. परिवेशना अवधारणा द्वारा इस आवाय का उपरांत पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है कि बिहट गढ़वालीयत की रकूत रकम 10,000/- रुपये से ऊपर अवधारणा अनुदान वाले में अवधारणा लिया जानी वाली अधिकारी नहीं होते तो अधिकारी द्वारा इस आवाय की लिखत लिया जाएगा।
18. परिवेशना अवधारणा द्वारा इस आवाय का उपरांत पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है कि निवासी भी ग्राम का दूरित छत का जाल अनुदान जल बचाव, जलसंग्रह, नदी, नाला में नहीं लिया जाएगा परं इसकी संरक्षण हेतु शीघ्रपिण्ड का निर्भीत लिया जाया है।
19. ग्राम में काटोल बालिंदा लिये जाने वाला आवाय पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है।
20. अद्वितीय लीज दोष की जाए गायन कुलारोपन लिये जाने एवं संरक्षित लीजी का अवधारणा द्वारा (Survival rate) 50 प्रतिशत सुनिश्चित लिये जाने वाला आवाय पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है।
21. परिवेशना अवधारणा द्वारा निम्नत कन्सेसन लियन (Minerals Concession Law) के द्वारा बदलावी लियाँ हुए लीमान का जारी सुनिश्चित लिये जाने वाला आवाय पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है।
22. प्रतीकारक अवधी तुलनीय लीजी के द्वारा क्षारीय लोगों को लंबानाम लिये जाने हेतु आवाय पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया जाए।
23. परिवेशना अवधारणा द्वारा इस आवाय का उपरांत पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है कि उनके लिये इस परिवेशना/कुदान से संबंधित कोई अवधारणीय प्रकार के लोगों लियी भी न्यायालय में लिपि नहीं है।
24. परिवेशना अवधारणा द्वारा इस आवाय का उपरांत पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है कि उनके लिये बाल बालबाल, पर्यावरण, जल और जलवाय परिवेशना की अवधारणा का रकम 500/- (500/-), दिनांक 14/03/2017 के अन्तर्गत कोई उल्लंघन का प्रकार लिपि नहीं है।
25. परिवेशना अवधारणा द्वारा इस आवाय का उपरांत पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है कि यूं पर्यावरणीय करीबुली की वालन परिवेशन की लोगी आवाय संरक्षित पर्यावरण संरक्षण नीति की उपरुत्त लिया गया है।
26. परिवेशना से लिये-जिये लोगों से अनुलिपियाँ बाल उल्लंघन होना, उन लोगों पर निधनीय जल लियुलाय भी आवाय लिये जाने वाला आवाय पर (Notarized undertaking) उपरुत्त लिया गया है।

परिवेशनी द्वारा लियाँ जानी वाली अवधारणी को लियाउनार लियी लिया गया-

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1. यूटी में नामी व्यवसंचारीय स्टीम्बरिंग के तहत के अनुसन्धान निवारण विधि नये क्रमसंचालन की ओर्डर में संख्यावाचन (Numbering) एवं फैटी के नाम का संख्यावाचन विधि जाहाज व्यवसंचारीय स्टीम्बरिंग व्यवसंचारीय प्रक्रम दिया जाए।
2. व्यवसंचारीय स्टीम्बरिंग प्राप्त होने के उपलब्ध से दिनांक 21/03/2016 तक दिये गये जाहाजन की जानकारी सहित विधि से प्राप्त कर इन्हें दिया जाए।
3. जाहाजन एवं जाहाज जाहाजन के संघर्ष में जाम व्यवसंचार का जाहाजरी व्यवसंचार पर जाहाजरी विधि सहित इन्हें दिया जाए।
4. जाहाज निर्दीर्घी की जांच यूटी प्रबोधन वोजान इन्हें दिया जाए।
5. विकास का संज्ञा के आवेदित क्षेत्र की दूरी का जाहाजन करते हुए व्यवसंचार विनाशकालिकाएँ का जाहाजरी व्यवसंचार एवं इन्हें दिया जाए।
6. लीड-आर. (Corporate Environment Responsibility) के संलग्न सूचना परिभर में दिये जाने वाले क्रमांकान्वय द्वारा प्रतिक्रिया व्यवसंचार का जाहाजरी व्यवसंचार पर इन्हें दिया जाए।
7. नाईन लीज संज्ञा के तहत और 7.5 बीटर और सेल्टी जॉन के जाहाजरी व्यवसंचार के पुनर्वाप्ति दिये जाने हेतु ऐटोरिएशन व्यवसंचार इन्हें दिया जाए।
8. नाईन लीज क्षेत्र के तहत और 7.5 बीटर और सेल्टी जॉन के कुछ भाग में दिये गये जाहाजन के जाहाज इस के उपरान्ती उपायी (Remedial Measures) के संघर्ष में जाम लीज क्षेत्र के लिए व्यवसंचारी व्यवसंचारी के जाहाज जाहाजन प्रदूषण के विवरण हेतु व्यवसंचार के उपरान्ती एवं क्रमांकान्वय अदि के लिये सम्मुचित जाहाजी वाहन विवाहक, संचालनालय, भीमिकी जाम व्यविधि, इंद्रावली भवन, नाम वाहन विवाह वाहन विवाह - नाम्पुर (अल्लोवाहन) की वज्र लेख दिया जाए।
9. प्रतिवर्षित 7.5 बीटर भौमि लीज वट्टी में जाहाज जाहाजन का ये जाने वाले लीज उपरान्ती विवरण इन्हें जाहाजरी व्यवसंचार, संचालनालय, भीमिकी जाम व्यविधि एवं व्यवसंचार के उपरान्ती व्यवसंचार हेतु इंद्रावली व्यवसंचार विवाह वाहन, नाम वाहन विवाह वाहन विवाह का वज्र लेख दिया जाए।
10. यहांका समस्त पूर्ण जानकारी/जाहाजरी व्यवसंचार दिये जाने उपरान्त जागावी कर्तव्याती की जाएगी।  
वरिष्ठोंवाला प्रबोधन को जाहाजरार सूचित किया जाए। जाम की विवाहक, संचालनालय, भीमिकी जाम व्यविधि एवं व्यवसंचार के उपरान्ती व्यवसंचार हेतु इंद्रावली व्यवसंचार विवाह वाहन, नाम वाहन विवाह वाहन को वज्र लेख दिया जाए।
11. वैष्णवी व्यवसंचार वाहन (प्रौ.- श्री लिला लिंग व्यविधि, व्यवसंचारिका परिषद-वाचा, राजनीति-वाचा, विवाह-जाहाजरी वाहन (व्यविधिवाच वा नामी व्यवाह 2006))  
जीवनकार्य वाहन - व्यवसंचार वाहन - एक्स्प्रेस/ लीजी/ एक्स्प्रेस/ 443415/ 2023, दिनांक 16/06/2023 हुआ व्यवसंचारीय स्टीम्बरिंग हेतु आवेदन किया गया।  
जाहाज का विवर - यह प्रबोधन वाहन जाहाज (वीज व्यविधि) है। जाहाज व्यवसंचारिका परिषद-वाचा, राजनीति-वाचा, विवाह-जाहाजरी वाहन विवाह वह जीवनकार्य व्यवाह 2006, कुल वीजवाह-८ लील्डीयर में प्रकाशित है। जाहाजन हुआवाह वाहन

को नियम जारी घोषित है। इसमें की अधिकारी पदाधार रुपमत-71,250 रुपयों का दर्ज है।

उत्तराखण्ड परिवहन बोर्ड की एकड़िएवं उत्तीर्ण वे इसमें दिनांक 05/10/2023 द्वारा घोषित करना चाहिए।

विवर का लिया गया है-

(अ) समिति की कार्यवाही वेळा का दिनांक 13/10/2023

घोषित करना द्वारा की गयी कृपया, अधिकारी पदिकारी उचितिभूत है। समिति द्वारा नहीं, घोषित जारीकरण का आवश्यकता एवं परिषद्वारा करने पर निम्न लिखित पांच गढ़-

1. दूर्दृगे जारी पदिकारीमें वरीकृति संकेती लिया गया- इस लियान की दूर्दृगे पदिकारीमें वरीकृति जारी नहीं की गई है।
2. नवनामिका परिषद का अनापनित अनाम पर- ऐसे नवनामन के बोर्ड में नवनामिका परिषद द्वारा का दिनांक 09/12/2022 का अनापनित अनाम पर घोषित किया गया है।
3. लिंगाकृति/सीमिति- वार्षिक वर्तमान योगिज लाभ की जास्त इनाम पर अनुसार वह लियान लिंगाकृति/सीमिति कर दी गयी है।
4. उत्तराखण्ड योजना- लियर बैंक संख्या नामांकन इनाम अनुसार लिया गया है, जो समितिकारी, लिंग-वरीदा की इनाम इनामक 1482/लिंग/वरीदा/2023-24 द्वारा, दिनांक 01/08/2023 द्वारा अनुसूचित है।
5. 600 वीटर की परिमि वे लियत लियान- कर्मालय कर्तव्यकार (लिंगिज लाभ), लिंग-वरीदा-योजा की इनाम इनामक 2759/लिंग./वरी/2023 लिंग-वरीद, दिनांक 10/07/2023 के अनुसार लार्यार्ड लियान के 600 वीटर की परिमि उचित लिया जाना वीर संस्था नियम है।
6. 200 वीटर की परिमि वे लियत सार्केजिल लीज/सारकारी- - कर्मालय कर्तव्यकार (लिंगिज लाभ), लिंग-वरीदीर योजा की इनाम इनामक 2756/लिंग./वरी/2023 लिंग-वरीद, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी इनाम वह अनुसार लिया लियान के 200 वीटर की परिमि वे लियत लीज वीर संस्था उचित लिया जाना वीर संस्था उचित लिया जाना वीर संस्था नियम है।
7. उत्तराखण्ड का लियान- एकड़िएवं वी लियेव लिंग वरीद की यात्रा पर है, जो कर्मालय कर्तव्यकार (लिंगिज लाभ), लिंग-वरीदीर योजा की इनाम इनामक 2277/लिंग वरीद/वरी/ वरी/ 2023 लिंग-वरीद, दिनांक 20/05/2023 द्वारा जारी की गयी, लियानी लियत योजी दिनांक से 6 महीने की अवधि तक है।

उत्तराखण्ड लाभ, लिंगिज लाभ लियान, वरीदीर वरीद, नव उत्तराखण्ड नगर द्वारा घोषीकरण गोपनीय लियान की इनामन के अनुसार (ये अनुसार) लियान, 2019 हेतु लार्यार्ड अधिकारी दिनांक 09/05/2023 की जारी ही गई है। यह अधिकारी की लियान 4 अनुसार “उत्तराखण्ड वटही की कलावनी-लाभानन द्वारा जारी उत्तराखण्ड वटही योग कर्ते की कलावनी की लियान प्रदान किया जाएगा। योग वर्ते की अवधि की यात्रा उत्तराखण्ड वटही लियेव के वरीदन दिनांक से लिया जाएगा।” का बल्लेश्वर है।

6. यह विषय का अन्तर्गत उम्मत या - नालंडा कलापलाभिकारी जांचीय सम्बन्धित खास्य के लालव इस्टेट/भा.पि./3439 पाया, दिनांक 29/08/2020 से यारी अन्तर्गत इमाल या अनुसार जांचित सेव विषय यह होती रही थी जो 10 फिटी तूर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी व्यवस्था की गई है।
8. नहरावर्ती चारोंकाली की दृष्टि - विश्वास आवादी दाम-दाता 130 मीटर, न्यून दाम-दाता 100 मीटर एवं अन्यताल दाम-दाता 1.15 फिटी की दृष्टि पर विषय है। नहरावर्ती वालमार्ग 1.55 फिटी, एवं वालमार्ग 1.30 फिटी तूर है। तालाब 990 मीटर, नहर 1.5 फिटी, नाला 1.25 फिटी, एकीकरण 1.4 फिटी एवं दोहर विजा 1.25 फिटी, की दृष्टि पर विषय है।
9. लग्न स्वास्थ एवं नदी के घाट की चौकाई एवं वाहान की जड़ी तट से दृष्टि - आवेदन अनुसार लग्न स्वास्थ एवं नदी के घाट की चौकाई - अधिकाराम 370 मीटर, न्यूनतम 250 मीटर तथा लग्न कलाव तो चौकाई - अधिकाराम 381 मीटर, न्यूनतम 279 मीटर एवं लग्न कलाव की चौकाई - अधिकाराम 134 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर चौकाई गई है। याढ़न की नदी के घाट विनारे से दृष्टि - अधिकाराम 94 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर है।
10. वायाव लखल पर ऐत की चौकाई - आवेदन अनुसार लखल पर ऐत की चौकाई - अधिकाराम 4.04 मीटर तथा ऐत वायाव की अन्तरिक्ष गहराई - 1.5 मीटर चौकाई गई है। अनुसारित वायाविग पालन अनुसार याढ़न में महाविष्वेष ऐत की भाँड़ा - 71,260 प्रामाणीटर है। ऐत वायावन ऐत प्रस्तावित लखल पर आवेदन ले अपाराव ऐत वायाव की चौकाई जानने के लिए प्रस्तावित लखल पर 3 एकड़े 1000 मीटर लंबाई करावायी वायाविक गहराई का वायाव कर, अधिक विषय की अनुसारित यावासी इन्स्प्रेक्शन की गई है। इसके अनुसार ऐत की अपाराव अंतर गहराई 4.04 मीटर है। ऐत की वायाविक गहराई ऐत प्रस्तावित वायाव यावा है।
11. याढ़न कोश में ऐत सरह की लेवल्स - ऐत वायावन ऐत प्रस्तावित लखल में 25 मीटर तुला 25 मीटर की विह विन्दुओं पर विनांक 01/08/2020 को ऐत सरह के व्यापक लेवल्स (Levels) लिए, एवं उनके विविध विषयों में प्रधानीकरण द्वारा निर्दिष्ट जनकारी/वायाविक व्यवस्था विषय दिये गये हैं।
12. कोर्पोरेट एवारेन्चरीय वायिल (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा चीज़जार (Corporate Environmental Responsibility) ऐत समिति के वायाव विषय से यारी जारी विनांकनाम विषय प्रवाह विषय यावा है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
₹1.50	3%	4.50	Following activities at Nagar Palika Parishad-Champa Plantation 36 1.70 Village pond Total 1.70	1.70

15. नीति-कार्य के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परिवार विभाग द्वारा जापुर्य सुवारोदास हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमति ५० नग विलय से ३५ नग द्वारा दूर्घट रो तालाब की जारी और अनुमित है। इन ५० नग विलय से लिए गए ८,००० लक्षणीय लोहिंग की लिए लगि १०,००० लक्षणीय जल के लिए लगि ३,००० लक्षणीय लिंगार्थ उत्तराखण्ड विलय से लिए गए ३५,००० लक्षणीय द्वारा उत्तराखण्ड विलय से लिए गए ३५,००० लक्षणीय जल आपाती ५ वर्ष में कुल लगि १.१४,००० लक्षणीय हेतु चलकर्वन व्यवस्था विवरण प्रस्तुत लिया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिका परिवर्त द्वारा के सहभागी उपर्यात संचालित जलान् विलय (जलसत अमृत १८२०, फैज़ाबाद २,०८८ लैक्टोयर) के लिये वे जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. सुवारोदास कार्य – नदी के तट पर जाकरीय भूमि (जिला अमृत १८४/१, जल सत २.८ लैक्टोयर) में १,००० वर्ग लक्षणीय विलय हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नलिखित है:-

विवरण	प्रथम वर्ग (लक्षणीय)	द्वितीय वर्ग (लक्षणीय)	तृतीय वर्ग (लक्षणीय)	चतुर्थ वर्ग (लक्षणीय)	पंचम वर्ग (लक्षणीय)
प्रस्तुत लियोगा हेतु परिवर्तन के द्वारा जाकरीय भूमि के उत्तराखण्ड विलय की जलान् विलय के लिये लिया गया है।	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००
नदी तट (जाकरीय भूमि) में (५०० नग)	सुवारोदास हेतु नदी	१,५०,०००	—	—	—
परिवर्तन के लिये लिया गया	परिवर्तन हेतु नदी	५२,०००	—	—	—
जल तट नदी	जल तट नदी	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००
सुवारोदास हेतु	सुवारोदास हेतु जल तट नदी लगि	१,५६,०००	१,५६,०००	१,५६,०००	१,५६,०००
कुल लगि =	१४,३७,०००	४,३७,०००	२,६०,०००	२,६०,०००	२,६०,०००

17. परिवोजना की लिये-लिये जली की व्युत्तिहित रहने वालवर्वन होता, जून जली पर निष्पत्ति जल लियोगा की जाकरा लिये जाने वाले जलव या (Notarized undertaking) प्रस्तुत लिया गया है।

18. जलान् विलय के अलां-जाक नदी तट द्वारा प्रदूष नदी में जलान् सुवारोदास लिये जाने एवं जल रोपित नदी का सावधानीय रह (Parasitic rule) ५० लिंगार्थ सुनिश्चित लिये जाने वाले जलव या (Notarized undertaking) प्रस्तुत लिया गया है।

19. जलान् सुवारोदास लिंगार्थ नदी के अलां-जाक नदी का जलान् विलय जलान् विलय जलान् विलय या (Notarized undertaking) प्रस्तुत लिया गया है।

20. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा लियोगी की प्रकार का दूसिंह जल (जली उत्तराखण्ड होता है जो प्रकार प्रकारित जल जलान् विलय, जलान् विलय, नदी, नदी) में नदी लिये जाने एवं इसके लियोगा लिये जाने वाले जलान् विलय या (Notarized undertaking) प्रस्तुत लिया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसे उल्लेख कियदृश इस आवाय से संबंधित कीर्ति व्यापारालयीन आवाय होता ही आवाय किसी भी व्यापारालय में अद्वितीय नहीं है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसे उल्लेख कियदृश आवाय व्यापारालयीन पत्र और व्यापारालयीन व्यापारालय की कठिनाकृता करता है। तिथि 14/03/2017 को आवाय कीर्ति उल्लेखन का प्रस्ताव लिखित नहीं है।
33. भारतीय सूचीम बोर्ड द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India जारी petition (C) 114 of 2014 में दिये गये नियंत्रण का आवाय किसे जाने वाला जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. भारतीय सूचीम बोर्ड द्वारा दिनांक 08/01/2020 की जारी petition (B) Civil No. 114 of 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये नियंत्रण का आवाय किसे जाने वाला जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. व्यापारालय स्ट्रीकूटि में दिये गये आवाय का आवाय किसे जाने एवं उपलब्धी आवाय व्यापारालय प्राप्तिकरण व्यापारालय में प्रमाणात्मक आवाय जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसे उल्लेख कियदृश एवं व्यापारालयीन व्यापारालयीन वीर सेप्ट 2020 की प्राप्तिकरणी का आवाय व्यापारालयीन व्यापारालयीन व्यापारालयीन वीर सेप्ट 2020 की प्राप्तिकरणी का आवाय किया जाएगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसे व्यापारालय में उल्लेख सुनान के द्वारा समर्त्तनवाल सेवा व्यापारालयीन वीर सेप्ट 2019 एवं इन्फोर्मेट एवं व्यापारालयीन व्यापारालयीन वीर सेप्ट 2020 की प्राप्तिकरणी का आवाय किया जाएगा।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के तहत प्रस्तावित आवाय के कार्य कूल लीगे के उपरान्त संबंधित वाय प्रबन्धन से उल्लेखीय प्रतिवेदन घास छार, विकेटेंग बोर्डीवाक व्यापारालयीन आवाय का आवाय स्ट्रीकूटि हेतु जना किसे जाने वाले अंतरालिक विचारों में सम्बंधित जन प्रस्तुत किये जाने वाला जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जाह्नवी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसे अंतरित व्यापार में स्वूत्र गोपनीय, अस्पताल 1.15 गोपनीय, एवं आवायी सेवा 130 बीहार की दृष्टि पत्र है जो कि इन गोपनीय अंतिमियता 2015 में अंतिम नायक दुर्दिली के अधिक है जहाँ स्वूत्र अस्पताल एवं आवायी सेवा एवं उपचार व्यवस्था हींगा। आवाय आवायी सेवा स्वूत्र अस्पताल एवं आवायी सेवा में हींगे जाने वाले व्यापारालयीन के नियमकरण हेतु जिन सुधार किये जाएंगे-
- i. आवाय शीर्ष के आवा—आवाय वर्दी तक एवं यहाँ व्यापार में जाने वाले व्यापारालयीन किया जाएगा। जिससे स्वूत्र अस्पताल एवं आवायी सेवा में उपचार व्यवस्था हींगा।

10/03/2021

- i.** यून (एसटी) के नियमकान्त्र के लिए देश की हाथा खानी को विकास किया जानीगा, जिससे सहुन असाधारण एवं अत्यधिक दोष में जमान नगम्य होगा।
  - ii.** हमारे हाथा अधिक वा परिवहन उपकरणोंकी सेवा कर दिया जानीगा, जिसके द्वारा यात्री वा यात्राकारी वाहन से होकर नहीं दिया जानीगा, जिससे सहुन एवं असाधारण दोष में जमान नगम्य होगा।
  - iii.** हमारे हाथा यात्री का परिवहन सहुन एवं अत्यधिक दोष से होकर नहीं दिया जानीगा, जिससे सहुन असाधारण दोष में जमान नगम्य होगा।
  - iv.** हमारे हाथा यात्री एवं अत्यधिक दोष में दैनिक उत्तराधर स्थानों परिवहन करना जानीगा।
  - v.** हमारे हाथा याम में दिया जाना वा विभिन्न वाहनों की २ इकाई रुपी सीईआर को तात्पुर घोषणा की गयी और यात्रा के विभिन्न प्रक्रियाओं, सहुन एवं कठुनाल आदि के बीच का संबंध एवं सुखा हेतु विभिन्न तथा ३ वर्षी तक समूर्ध देखनाल किया जानीगा।
  - vi.** सहुनी का विभिन्न लाल-लाल एवं यून आदि से युखा हेतु नियमित या विकास किया जानीगा, गोद, अत्यधिक यात्रु आदि पर यून का प्रयोग नगम्य होगा।
३०. विविधजना प्रस्तावका हाथ वर्षी अट्टे में ऐत उत्तरान का कर्वे नहीं दिये जाने वाले उत्तरान पत्र (Notarized undertaking) दर्शुन किया गया है।
३१. विविधजना का यह है कि लौंग दोष के गोपन वा नहुनिन दोष में लौंग लगाना यान्म असाधारण है। लौंग दोष के बादी कोनो तरफ लौंग लालून की नगम्य में लौंगेट के बाब्दे यात्राका असाधारण है ताकि लौंग दोष नहीं में लालू दृष्टिकोण हो सके।
३२. सीईआर कर्वे एवं यदी छट में असाधारण कर्वे की नीरिटिंग एवं वर्ड्रेसिंग हेतु वि-प्रोटोकॉल नीरिटि (प्रोकॉलटिव/प्रोटोकॉल), यात्रा प्रस्तावक के पदलिकली/इकिली एवं दिया प्रस्तावन वा असाधारण कठीनाल उत्तरान कानून के पदलिकली/इकिली विभिन्न विभिन्न यात्रा असाधारण है। यात्रा ही सीईआर एवं नहीं छट में युखालून का कर्वे यूनी दिये जाने के उपरान विभिन्न वि-प्रोटोकॉल नीरिटि से लालूरित करना यान्म असाधारण है।
३३. ऐत उत्तरान दैनिकल दिये से एवं भार्ती का कर्वे लौंगर हाथा करना जाने असाधारण है। विविधजना का यह है कि लौंगर जैसे दोष भारी यात्रु की लंबी हो सकती है। ऐत भारी का उत्तरान दैनिकल दिये से दी कर्वे आदि। भारी यात्रु के नहीं में लौंगर की अनुचिती नहीं होती।
३४. विविधजना प्रस्तावका हाथा ३ लौंगर की गाहाई एवं उत्तरान की अनुचिती भारी है। कठुनालित उत्तरान गोपना में उत्तरान दिये जाने वाले दोष की वर्णन ऐत पुरावान सबकी असाधारण कर्वे एवं उत्तरान की आकड़ी का समावेश नहीं किया गया है। हमारेव नहीं बही नहीं है यात्रा दूली असाधारण में सामान्यत १.५ लौंगर यात्रा एवं अधिक ऐत का पुरावान होने की संभावना है।

**नीरिटि हाथा विभार दियो उपरान कर्वे-नीरिटि से लिमानुपात विविध विभार गया—**

१. आरोहित उपरान (नामावलिन विभिन्न-सांघर्ष) का यक्षा ५ हेक्टेयर है। उपरान की सीमा से ५०० फीट की ऊर्ध्वांति में सीमान्त/वाचालित उपरानी का यक्ष लौंगरल ५ हेक्टेयर या उपरानी का दोनों का उपरान वा उपरान दो-२ कर्वी की सीमा नहीं।

- i. अरियोजना अध्ययन के संदर्भ में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत ग्राम अवधान (Assessment Study) करायेगा, ताकि इस की पुनरावलय (Replacement) वापस लाई जाएगी। ऐसा उत्तराधिकार का नहीं, नहीं हाल, लकड़ीय बनावटी जीव एवं सूख प्रीवी वर्ष अपने लिए नहीं के फलों की वृद्धिशक्ति पर ऐसा उत्तराधिकार के अभाव की सही जानकारी नहीं हो सकी।
- ii. जीव जीव की काला का वैसलाईन कारा –
- ऐसा उत्तराधिकार ग्राम करने के पूर्व जागीरात्मकान्दार निर्विवित शिक्षिक्षण विद्युतीय वर्ष नहीं में इस की जाता के कारों (Levels) का नहीं कर, उसके अनेकों अवधान एवं अर्थात् एवं एवं अवधान को इन्सुल लिये जाएं।
  - वीरदू—सालमून (स्लेटबर) / बायम्ब वाह में ऐसा उत्तराधिकार ग्राम करने के पूर्व इन्हीं शिक्षिक्षण में जाइरात्मक जीव जीव लीज लीज को अवधान एवं जागीरात्मक में 100 मीटर तक जाव जमान लीज की बाहर/वाही तक (जीवी और) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नहीं काला के कारों (Levels) का नहीं पूर्व निर्विवित शिक्षिक्षण विद्युतीय पर लिया जायेगा।
  - इसी प्रकार ऐसा उत्तराधिकार ग्राम को पूर्व (भौमि वाह के अधिन समाझ/सून की अवधार ग्रामाद) इन्हीं शिक्षिक्षण पर ऐसा जाता के संवत्सर (Levels) का वायन लिया जाएगा।
  - ऐसा जाता के पूर्व निर्विवित शिक्षिक्षण पर ऐसा जाता के संवत्सर (Levels) की वायन का जारी आगामी 9 वर्ष तक लियाया जाएगा। वीरदू—सालमून की आगामी लियाया 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं वी—सालमून की आगामी आगाया 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अधिकारी काय से एवं एवं एवं एवं अवधान को इन्सुल लिये जाएंगे।
  - समिति द्वारा लिया गया सर्वेक्षणीय से खेतों पांच सौ छह सौविंश (51—५१ विनेश शिक्षिक्षण), पाट लीक जावा जनाक ३०८, जागीरात्मक परिवद्य—जावा, जाहीलीय—जावा, जिला—जाजीरी जावा, कुल लीज लीजकाल ५ हेक्टेयर में से ५० प्रतिशत लीजकाल में जीस उत्तराधिकार अवधान १.५ मीटर की वाहताई तक जीमित रखते हुए, कुल ४५,००० जागीरात्मक जीवितों ने ऐसा उत्तराधिकार देखा जागीरात्मक जीवित जीवी के अधीन लिये जाने की अनुमति की गई। ऐसा की सुरक्षा बरीषहानी (Monsoon) की जायगी। लिया देह (Other Bed) में जारी जाहानी का प्रदेश परिवर्तित रहेगा। लीज क्षेत्र में लिया ऐसा सुरक्षा वद्ध (Excavation plus) की लीजिंग पाठी तक ऐसा का परिवर्तन द्वारा द्वारा लिया जाएगा।
  - सार्वजनिक संग्रह महाविद्युतीय मैट्रिक्युलेट वाहिलाईन, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्मेट एवं एन्फोर्मेट वाहिलाईन सीए एन्फोर्मेट ग्राम, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुमान जाहाई की पालन गुणितात्मक लिया जाए।
- कृष्ण जातिय जागीरात्मक ग्रामव जावान जावीलाई (एसडीआईए) अवधान को उदानुसार गुणित लिया जाए।

## प्रतीक्षा आवास अनुसूची-३

परिवोजना प्रस्तावकी द्वारा ग्रेटर नोएडा पालकानी/दक्षिण याता प्रशासनी में अवलोकन प्रक्रम विषय कर परिवर्तीय स्थिरता / दोलाय / जना अवलोकन निर्णय दिया जाय।

- मैला गुरुदीपरिंग नटीन चाहौन (प्री- वी नंबर क्रमांक), जन-गुरुदीपरिंग, अहमदाबाद-गोदावरी, विला-कोरिया (संभिकालय का नंबर क्रमांक 3466) अभिलङ्घन आवेदन - अधिकार नम्बर - एमआईए/ कोरी/ एमआईए/ 431389 / 2022, दिनांक 31/05/2023 द्वारा परिवर्तीय स्थिरता हेतु आवेदन दिया गया।

इसलिये का विवरण - यह पूर्ति से संबंधित प्राप्तान्य प्रत्यक्ष (प्री-वी नंबर) जाता है। प्राप्तान्य जन-गुरुदीपरिंग, अहमदाबाद-गोदावरी, विला-कोरिया विला जाता क्रमांक 25, कुल शेषकाल 1, होमेडा में है। जाता वी अवधिकार प्रत्यांगन क्रमांक-8,496,84 रुपये (8,004.23 रुपयीटर) प्रतिवर्ष है।

मात्र जातान्य के परिवर्तन, जन एवं जातान्य मंत्रालय, नई विला द्वारा अधिका संभिकालय दिनांक 28/04/2023 जाती दिया गया है, जिसके पीछे 4 में निम्न जातान्य है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEVA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEAAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEAAAs within a time period of one month from issue of this OM."

यहां अधिका संभिकालय के तहत परिवेशना प्रस्तावक द्वारा दिला स्थायी परिवर्तन सम्पादन प्रतिक्रिया को जाती अवधिकारीय स्थिरता के पुनः अनुसार (re-appraisal) हेतु एसईएसी, अहमदाबाद के जाता अभिलङ्घन आवेदन दिया गया है। उद्योगसाल परिवेशना प्रस्तावक को एसईएसी, अहमदाबाद के जाता दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित दिया गया।

विवरों का विवरण -

(म) संभिति वी 4582 दिनांक 28/07/2023:

उपर्युक्तान्य हेतु वी मंबक अवधार, प्रमाणांक उपर्युक्त तुरंत। संभिति द्वारा नई, उपर्युक्त प्राप्तान्य का अवलोकन एवं परिवर्तन जाते या निम्न दियति यहूँ वहुँ -

- पूर्ति में जाती परिवर्तीय स्थिरता जाती दियत्वा-

- पूर्ति में उपर्युक्त प्रत्यक्ष सम्पादन क्रमांक 25, कुल शेषकाल-1 फ्रैट्स, क्रमांक-8,004.23 रुपयीटर (8,496.84 रुपये) जाती हेतु परिवर्तीय स्थिरता दिला स्थायी परिवर्तन सम्पादन नियंत्रित प्रतिक्रिया, विला-कोरिया द्वारा दिनांक 27/09/2018 को जाती वी गयी। यह स्थिरता उपर्युक्त प्रत्यक्ष के अधार पर 10 वर्ष अधिक दिनांक 31/03/2028 तक प्रदान की जाती गयी।

RD



परियोगिता प्रत्यापना द्वारा की गयी थी। इसके बावजूद, इसका उत्तीर्ण अवधि 18/01/2021 तक है।

“D. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during the period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.”

परियोगिता की अनुमति की वैधता जीवनी द्वारा 21/02/2021 तक होती है।

- I. परियोगिता प्रत्यापना द्वारा दी गई संविधानीय कार्यक्रम की वैधता के बाबत में एक ऐसी कार्यक्रमीय की वैधता की अनुमति दी जाती है। इसीलिए का यह है कि परियोगिता प्रत्यापना द्वारा संविधानीय कार्यक्रम, भवता वालकार, वालकार, तथा एवं अन्य अनियंत्रित विकास, दायरे में दी गई संविधानीय कार्यक्रम द्वारा की अनुमति वैधता की वैधता जीवनी द्वारा दी जाती है।
- II. परियोगिता की वैधता दिया गया है।

- III. कार्यक्रम कालिकार (अधिकारी वाला) विकासपूर, फिला-कोरिया के ज़ामन जालांक 116/अधिकारी वाला/2023 विकासपूर कोरिया, दिनांक 28/05/2023 द्वारा यादि प्रधान पर अनुमति दिया गयी हो तब तब वही अनियंत्रित रिकार्ड्युलर है।

वर्ष	संघरण विनाशक
01/09/2018 से 31/03/2019	2,430
2019-20	1,220
2020-21	2,864
2021-22	2,780
2022-23	2,480

1. एस. पर्यावरण का कानूनी इमान यह – कानूनम् एवं नियम के संकेत में सामूहिक संरक्षण का दिनांक 26/01/2014 का कानूनी इमान यह प्रस्तुत किया गया है।
2. कानूनम् दीजना – कानून प्रस्तुत किया गया है, एवं जीवनी दिला-कोरिया के ज़ामन जालांक 2022/अधिकारी वाली/2018 कोरिया, विकासपूर, दिनांक 28/05/2023 द्वारा अनुमतित है।
3. 500 वीटर की परिमि द्वारा कानून प्रस्तुत किया गया है, एवं जीवनी दिला-कोरिया के ज़ामन जालांक 2022/अधिकारी वाली/2018 कोरिया, विकासपूर, दिनांक 28/05/2023 द्वारा अनुमतित होता है।
4. 500 वीटर की परिमि द्वारा कानून प्रस्तुत किया गया है, एवं जीवनी दिला-कोरिया के ज़ामन जालांक 2022/अधिकारी वाली/2018 कोरिया, विकासपूर, दिनांक 28/05/2023 द्वारा यादि प्रधान पर अनुसार उक्त ज़ामन से 500 वीटर की परिमि द्वारा की जानी वाली विनाशक सेवा दीजी
5. 200 वीटर की परिमि द्वारा कानून प्रस्तुत किया गया है, एवं जीवनी दिला-कोरिया के ज़ामन जालांक 2022/अधिकारी वाली/2018 कोरिया, विकासपूर, दिनांक 28/05/2023 द्वारा यादि प्रधान पर अनुसार उक्त ज़ामन से 200 वीटर की परिमि द्वारा की जानी वाली विनाशक सेवा दीजी

- परिवर्तन अधिकारी, सरकार, दूसरे नदी, रोड लाइन, अमरावती, अनुसूत, एनीजन और दूसरे जल संग्रहीत कार्यालय के बाहर नहीं है।**
6. **सीज जा लिया गया -** दीज वी बांध के पास अवास के बास घर है। जीज कीज जो उसे अवृत्ति दिनांक 25/01/2019 से 24/01/2047 तक की अवृत्ति होने वाली है।
  7. **मू-कार्यालय -** बूमी वी बूमी के बास घर है। उत्तराखण्ड में भूमि कार्यालय का सहायी वापर प्रभाव दिया गया है।
  8. **डिस्ट्रीक्ट लौट रिपोर्ट -** वार्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट लौट रिपोर्ट (District Survey Report) की छाँटी अनुसूत की गई है।
  9. **कम लियाग का अवासीय प्रशासन पत्र -** कमलिया वनवायलियाली, बीमिया वनवायल, बैकुण्ठपुर के जलम जलाल/नामि/1533 बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/08/2013 द्वारा दीज पत्र प्रब्लूम दिया गया है। अनुसूतिकरण के दीजन वार्तियोगना अवासीय प्रशासन का उत्तराखण्ड प्रशासन द्वारा दीजोर्सट के बासार से आवेदित होते हैं 10 फिल्मी की परिधि में कोई वार्तीय उत्तराखण्ड का कम दीज अवासीय अवासीय नहीं होने का बताया है।
  10. **महावृत्ती संरक्षणकी की दूरी -** निकटतम अवासीय बाम-मुक्तिक्षेत्र 440 मीटर, अनुसूत बाम-मार्टियाना 2.3 किमी, एवं जलवायल बैकुण्ठपुर 0.38 किमी की दूरी पर दिया है। अनुसूत बाममार्टी 0.25 किमी, एवं बाममार्टी 16.2 किमी, दूर है। बीमिया बाला 1.0 किमी, एवं नदी 1.3 किमी, नाम 420 मीटर एवं जलाल 410 मीटर दूर है।
  11. **पारिस्थितिकीय/जीवविविधता वर्गीकरणीय सीज -** परिवोष्यना प्रकारका द्वारा 10 फिल्मी की परिधि में बांधवायीय सीज, बांधीय सुखान, अमरावती, कुन्दीय प्रदूषण विवरण सीज द्वारा दीज वार्तियोगनीय लैस्युटेक दीजिया, पारिस्थितिकीय संरक्षणकील सीज का वर्गीकरण दीजियोगिता केर दिया नहीं होना अविवेदित दिया है।
  12. **खाली खाली दर्शक जल का लियाग -** नाईजिंग खाल अनुसार विकासीजिकल दियां 1,40,000 टन, नाईनेशल दियां 82,710 टन एवं रिक्केशल दियां 82,446 टन था। खालान में विकासीजिकल दियां 1,00,338 टन, नाईनेशल दियां 56,056 टन एवं रिक्केशल दियां 50,456 टन थे हैं। दीज की 7.5 मीटर बीमी सीज बांधी (खालान के लिए प्रतिक्रिया होते) की खाल पर 3 मीटर बीमी सीज बांधी (खालान के लिए प्रतिक्रिया होते) का संरक्षण 1,306.67 कर्गोटर है। अधिक खाल की खालान्कृष्ण दियो के खालान दिया जाता है। खालान की प्रत्यक्षित अविकल्प गहराई 6 मीटर है। दीज सीज में जलानी विद्युती की गोलाई 1 मीटर है तथा यूल खाला 2,734.03 यानीटर है, जिसमें सी 776 यानीटर जलानी विद्युती की दीज की 7.5 मीटर बीमी सीज बांधी (खालान के लिए प्रतिक्रिया होते) में विकासीज द्वारा दीज की दीज सीज की बहार सहनीय प्रकल चूमि (खालान जलाना 346/3, जीजाल 0.24 इंचेंस, गू-लाली की कृपाल जिला) में वर्गीकृत कर संरक्षित रखा जाएगा। दीज की दीज 1.5 मीटर एवं बीमाई 1.5 मीटर है। खालान की संरक्षित अनु 10 वर्ष है। दीज बोर्ड के द्वितीय दिया जाता है। बालिंग नहीं दिया जाता है। दीज सीज में जलान जलायित है, जिसका संजाल 1,000 यानीटर है। खालान में अनु प्रदूषण विवरण हेतु जल का विकास दिया जाता है। जलान उत्तराखण्ड का दिव्यता विभाग नाम है।

कार्य	प्रवर्तन (₹)	कार्य	प्रवर्तन वर्गीकरण (₹)
प्राप्ति	8,495.84	प्राप्ति	8,495.84
प्रिसेन्ट	8,495.84	प्राप्ति	8,495.84
सुरक्षा	8,495.84	प्राप्ति	8,495.84
वाहन	8,495.84	वाहन	8,495.84
पेश	8,495.84	दाता	8,495.84

13. जल कानूनी - परियोजना द्वारा आवश्यक जल की आपातक अवधीन रहिए हैं। जल की आनुभवी बोर्ड के माध्यम से जल की आपातक अवधीन रहिए हैं। इस वजह से जल का उत्तम उपयोग बनाए रखना चाहिए।
14. ग्रामांशेषण कार्य - क्षेत्र की जीवा में जली और 7.5 फीटर की घट्टी में युल 436 वर्ग ग्रामांशेषण लिया जाएगा। उत्तराखण्ड में 300 वर्ग ग्रामांशेषण लिया जाया है, जोक 236 वर्ग ग्रामांशेषण लिया जाएगा। परियोजना प्रकल्पक द्वारा क्षेत्र की जीवा वर्धानशील प्रक्रिया के लक्ष्य निर्माणात्मक कार्य वर्गीकरित है:-

विवरण	अवधि (वर्षों)	प्रथम (वर्षों)	द्वितीय (वर्षों)	तीसरी (वर्षों)	चौथी (वर्षों)	पंचम (वर्षों)
प्राप्ति लिया जाना है ग्रामांशेषण की जीवा वर्धानी/पानी कार्य की जागतिक ग्रामांशेषण युल उत्तराखण्ड में लिया जाना है जल विकास		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
जल की वाराष्ट्री में (306 वर्ग) ग्रामांशेषण है	ग्रामांशेषण (30 वर्षों की वाराष्ट्री में)	33,500	--	--	--	--
	संतोष द्वारा लिया	33,000	--	--	--	--
	स्वाद द्वारा लिया	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750
	लियाई एवं रक्षा-प्रबोध से लिया	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
	अन्य कार्य द्वारा	5,000	--	--	--	--
	कुल राशि = 11,74,250	2,87,250	2,21,750	2,21,750	2,21,750	2,21,750

15. जलान की 7.5 फीटर की जीवा जीवा घट्टी में उत्तराखण्ड - जीवा द्वारा की जारी और 7.5 फीटर की जीवा घट्टी में उत्तराखण्ड कार्य नहीं लिया जाया है।
16. जीवरिट वर्धानशील उपयोग (C.E.R.) - परियोजना प्रकल्पक द्वारा समिति के नाम से जीवा उपयोग नियमनात्मक विभूति उत्तराखण्ड प्रभुता लिया जाया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.63	2%	0.6326	Following activities at Hearty Village Pond, Village- Modipara  Plantation around village pond	0.75

		Total	874
--	--	-------	-----

17. वीट्रॉफर के लोगों तक सब एवं अन्य गुप्तांक द्वारा दर्शाये गए जमीन के लिए जाति 4,200 करोड़ रुपयों के लिए जाति 6,300 करोड़, बाहर के लिए जाति 2,500 करोड़, विवाही तथा एवं बहाव जाति के लिए जाति 15,000 करोड़, इस इतार इतने तर्फ से जुल जाति 25,000 करोड़ तथा अन्याई 4 लाख में कुल जाति 50,000 करोड़ द्वारा दर्शाया जाय का लिए इतना अनुमति दिया गया है। परिवोजना प्रशासन द्वारा इस प्रधानत लोगोंका कुल अपनी व्यापक जमान (विवाह जाति 200, बेचकर 0.4200 इतारेव) के कुल में जानकारी प्रदर्शित की गई है।
18. परिवोजना प्रशासन द्वारा इसी मिट्टी की लीज लोअर के द्वारा सेवाएँ जैसे में :- वीट्रॉफर की जीवाई तक भव्यातित दिये जाने, ऐसे लघुती मिट्टी को लीज लोअर के जाहर में बंदारित दिये जाने। इस प्रकार भव्यातित लघुती मिट्टी का लिये वीट्रॉफर का दुखांकण न जाने लिये एवं अन्य कानूनी में लघुतीका नहीं दिये जाने। इस मिट्टी का उपयोग दुखांकण द्वारा दर्शाया जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को एवं उनके नियमों/प्रमाण के द्वारा नियमित करने वाली जाकर पत्र (Notarized undertaking) दर्शाया जाया है।
19. परुषितित ग्रह द्वारा जाकर्ता के लियाजन द्वारा नियमित ग्रह मियकान दिये जाने वाला जाकर पत्र (Notarized undertaking) दर्शाया जाया है।
20. नाम्प्रिया लीज लोअर के द्वारा इस गुप्तांक दिये जाने एवं लोकित गीती का जाकर्ताकर रेट (General rate) वा इतिहास गुप्तांक दिये जाने वाला जाकर पत्र (Notarized undertaking) दर्शाया जाया है।
21. इतिहासक आठवीं दुखांकण नीति के तहत लघुतीका लीजी को द्वारा दर्शाया दिये जाने द्वारा जाकर पत्र (Notarized undertaking) दर्शाया जाया है।
22. परिवोजना प्रशासन द्वारा लोकित नीति के तहत लघुतीका लीजी को द्वारा दर्शाया दिया जाया जाकर पत्र (Notarized undertaking) दर्शाया जाया है।
23. परिवोजना प्रशासन द्वारा जाकर पत्र (Notarized undertaking) दर्शाया जाया है जिस द्वारा जाकर जीवाई वीट्रॉफर का दुखांक जल (जीवी जावन छोड़ दी गई) का द्वारा दियी वीट्रॉफर जल न्योज, तालाब, नदी, नहरा में जही दिया जाएगा इसमें द्वारा जाकरन को लियी वीट्रॉफर की कोई जाति नहीं परुषित जाकरी, एवं नाम्प्रिया जल न्योज, नहरा, नदी, तालाब के संचालन और उपर्युक्त द्वारा दिया जायेगा : -
- आंकेडित जाकरन से लियी वीट्रॉफर का दुखांक जल जापन वही होता है जबकि लियी वीट्रॉफर को दुखांक जल का द्वारा दियी वीट्रॉफर जल करोन में जही दिया जायेगा।
  - जाकरन कारबाहिय से जाकरन एवं अभिन्नी के लियाजन के लिए संविधान द्वारा दिये जही दिया जाएगा।
  - सतही जल के कारबाहिय के लिए जाकरन की जाती और जाकरी द्वारा एवं संविधान द्वारा के द्वारा उपयोगित करके ही अन्य करोन में जीवा जायेगा।

iv. व्यवास के बींदर को द्वारा नियम पालन की उपलब्धि करते जानकारी-उपलब्धि  
सामीक्षी को तुष्टीकृत कराया जाएगा।

v. व्यवास की कार्यता के बारे और समय सुनारोधन किया जाएगा।

vi. याता यापन तात्पर्य के बारे और भी समय सुनारोधन किया जाएगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित व्यवास से तात्पर नहीं बींदर तथा अबर 400 बींदर की  
दृष्टि पर है जो कि उत्तीर्णगढ़ नीम खानिका अधिनियम, 2015 में वर्गीकृत याता  
सुनिको से अधिक है। याता यापन संघरण के दोहरा उपर्युक्त विन्दु अन्तर्गत (ii) वा  
(iv) के पालन की तात्पर्य एवं नहीं याता यापन को दोहरा या बढ़ाया।

24. परियोजना प्रस्तावका द्वारा यापन पाल (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया  
है कि उनको विन्दु इस परियोजना/व्यवास से संबंधित कोई व्यापारात्मक व्यवास  
दोहरा या अनुरूप किसी भी व्यापारात्मक में संवित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावका द्वारा यापन पाल (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया  
है कि याता के विन्दु याता यापन, पर्यावरण, या और जलवाया परिवर्तन मंडलाद  
की अधिकार्यका कार्यालय (A.C.U.O), विनाम्र 14/03/2017 के अंतर्गत कोई यातायापन  
का प्रकाशन नहीं होता है।

26. परियोजना प्रस्तावका द्वारा यापन पाल (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया  
है कि यातायापन की लोक सुनारोधन की दोहरा या भी जारीत, सुनारा या मुद्राएं नहीं  
होते हैं यातायापन में द्वारा प्रस्तुत किये गये याता और यातायापन की अनुसार  
नियमावलय किया जाएगा।

27. यानवीय सुनीय कोर्ट द्वारा विनाम्र 02/08/2017 की Common Cause Vs.  
Union Of India With Petition (C) 114 of 214 में रिए याद किया जाने का यातायापन  
कार्ये याता यापन पाल (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. यानवीय सुनीय कोर्ट द्वारा विनाम्र 06/01/2020 की Writ Petition (S) Civil  
No. 114 of 2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में रिए याद किया  
जाने का यातायापन कार्ये याता यापन पाल (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया  
गया है।

29. परियोजना प्रस्तावका द्वारा यापन पाल (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया  
है कि इसने द्वारा यूनि यापनियों के नियत अधिकारों को याता में लगाए द्वारा  
नियमावलय नियोजित सुनारोधन तथा सीजनार या अधिकारों का अवलम्बन यूनि  
यापनियों की उपलब्ध कराया जाएगा।

30. परियोजना प्रस्तावका द्वारा याता यापन का यापन पाल (Notarized undertaking)  
प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित व्यवास की अनुल 23 किसी, अन्याय 63 कि.  
से, एवं आवायी दोष 400 बींदर की दृष्टि पर है जो कि उत्तीर्णगढ़ नीम खानिका  
अधिनियम, 2015 में वर्गीकृत याता सुनिको से अधिक है। याता यापन, अन्याय 63  
आवायी दोष में द्वारा नगरण होता। याता यापन की अनुल 23 के आवायी  
दोष में होने वाली याता यापनियों को नियमावलय हेतु किया जाएगा—

i. याता यापन का यापन याता सुनिको से याता यापनियों की अनुल 23 के आवायी दोष  
में होता, अन्याय 63 एवं आवायी दोष में द्वारा नगरण होता।

ii. दूसरा [अन्य] के नियमावलय की रिए देखने को द्वारा पारी कर नियमावलय किया  
जाएगा याता यापन, अन्याय 63 एवं आवायी दोष में द्वारा नगरण होता।

- iii. हमारे द्वारा जांचित का परिवहन संस्थानियों की इच्छा लिया जाएगा, जिसकी तरीके में बदलन से जांचित ना हो।
- iv. हमारे द्वारा बदलनी का परिवहन स्थल एवं आवादी सेव से होकर वही लिया जाएगा जिसको स्थल, अवधारण एवं आवादी सेव में परिवहन का प्रमाण बनाया होना।
- v. हमारे द्वारा स्थल एवं आवादी सेव में जीव उत्पादन उत्पादन परिवहन बनाया जाएगा।
- vi. हमारे द्वारा स्थल में नियोजित उपगति ३ प्रतिशत लीड्यूट, से बदल जाए जिसका लिया जाएगा।
- vii. जांचित का चाहिए उत्पादन एवं सूख आदि से सुखा होने विविध जल विकास लिया जाएगा, जिसके स्थल, अवधारण एवं आवादी सेव में सूख का प्रमाण बनाया होना।
- viii. जांचित के जांचने में यह लक्ष्य आया कि परिवोरका उत्पादन का प्रस्तुत प्रतिवर्ती फैला में सीज की २.५ बीटर और भीड़ी गीता बढ़ती (उत्पादन के लिए प्रतिवर्ती लीड्यूट) को बदल या ३ बीटर और भीड़ी गीता बढ़ती (उत्पादन के लिए प्रतिवर्ती लीड्यूट) छोड़ते हुए जिसकी गणना की जाए है। जांचित उत्पादककार्य के द्वारा उत्पादित उत्पादक का जीव उत्पादन की कटौति उत्पादित, औपन काम सेवी बेटीनाईल लिये के उत्पादन एवं उत्पादित उत्पादक ८ बीटर लिया जाना चाहया यह है। जांचित का यह है कि सुखा के जांचित को सीज सेव को जारी और २.५ बीटर प्रतिवर्ती लीड्यूट छोड़ते हुए जिसकी जीव सूख गणना कर जांचित अनुरोधित कारोबारी प्रदान प्रस्तुत लिया जाना चाहया है।

जांचित द्वारा उत्पादन जांचितीय से नियमानुसार लिया गया था—

- प्रतिद्वारा लीड्यूट जारीसंघ भवति उत्पादन, परिवर्ती, या एवं उत्पादन विविध उत्पादन स्थल पर सूखे में जारी प्रतिवर्तीय जीवकृति का उत्पादन उत्पादित उत्पादक उत्पादन प्रस्तुत लिया जाए।
- सुखा के जांचित सीज सेव के जारी और २.५ बीटर प्रतिवर्ती लीड्यूट छोड़ते हुए जिसकी जीव सूख गणना कर जांचित अनुरोधित कारोबारी प्रदान प्रस्तुत लिया जाए।

उत्पादन जांचित भावकारी/इकाई प्रदान होने वाला अगामी कारोबारी की जाएगी।

उत्पादन एवं एसी, उत्पादन की ४५००० ऐकड़ दिनांक २८/०७/२०२३ की परिवर्ती में उत्पादन का उत्पादक द्वारा द्वारा दिनांक २०/०९/२०२३ की जागतिकी/उत्पादक उत्पादन प्रस्तुत लिया गया।

(१) जांचित की ४५००० ऐकड़ दिनांक १३/१०/२०२३

जांचित द्वारा जारी, प्रस्तुत जारीकरी का उत्पादन एवं परिवहन करने का दिन लिया जाए यह—

- प्रतिद्वारा उत्पादन का प्रस्तुत यह में जारी प्रतिवर्तीय जीवकृति को जारी के गणना में की जाए उत्पादकी की एवं उत्पादित जारीकरी उत्पादक की जाए है।
- सुखा के जांचित सीज सेव के जारी और २.५ बीटर प्रतिवर्ती लीड्यूट छोड़ते हुए जिसकी जीव सूख गणना कर जांचित अनुरोधित कारोबारी प्रदान प्रस्तुत लिये जाने की जाएगी में उत्पादन का उत्पादक द्वारा उत्पादन का उत्पादक द्वारा उत्पादन की जाएगी।

कार्यिता नहीं किया जाएगा एवं उत्तराखण्ड विभाग में लोक संघ के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विवर ३. पैटर शोरों द्वाये अधिकाराम रखनाहै ६. नीलगंग कम नियंत्रण की गणना की गई है। इसीलिए विवर कार्यिता का उत्तराखण्ड विभाग नहीं किया जाये दीएफआर में भी कार्यिता का कर्तव्य भी उत्तराखण्ड नहीं किया जाये है। कौकौटी, नेमुटियां कम लोकों की वन्दुओं कार्यिता करना चाहा जाये। कौकौटी, की रासायनिक वायर २५ की संतोषित इसी उभयुल की गई है। आप उत्तराखण्ड विभाग की संतोषित विवर जाने वाला नियंत्रण का विवर इसी जाने का अनुरोध किया जाए है।

३. समिति का यह है कि लीड्सआर एवं कृष्णार्थ कार्य के वैभिन्नतम् एवं पर्याप्तान् नियु. विद्यु-सदरस्वीय परिवर्ति (स्ट्रेचर्टर/इंटीरिंग), इस परामर्श के अधिकारी/इंटीरिंग एवं विवर उत्तराखण्ड का ग्रामीणाभू पर्याप्तता संस्कार विभाग के परामिकारी/इंटीरिंग विभिन्न विवर जाना आवश्यक है। याथ ही लीड्सआर एवं कृष्णार्थ का कार्य पूर्ण विवर जाने की वापरतात् परिवर्ति विद्यु-सदरस्वीय समिति से संबद्धता वाला जाना आवश्यक है।
४. ग्रामीण एवं ग्रामीनी, विविध विवर, नहीं दिलती हावा सार्वदृष्ट विस्तृत वाता वालावार, पर्याप्तता, वन और जलवायु परिवर्तन बंजाराव, नहीं दिलती एवं अन्य विभिन्नवाल एविस्तोत्तर नं. १५८ (दिन २०१८ एवं रात) में दिनांक १३/०९/२०१८ की परिवर्ति वालों में सुन्दर का से निम्ननुसार विवेचित विवर यह—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हावा विवार विवरी इन्वेंटरी वर्तित्वात् विभाग विवर यह—

१. कार्यालय कर्लोटर (विभिन्न जाता) के बृहुत्यारुप विवर-विविता के जावन इमार ११७/विभिन्न/दिव./२०२३ बृहुत्यारुप विविता, दिनांक २८/०९/२०२३ अनुसार विवेचित वादाव की ३०० बीटर के पैटर अविभिता १. वादाव, कुल क्षेत्रफल ३.८९ हेक्टेक्स है। आवेदित वादाव (जाम-मुद्रीजारिया) का क्षेत्रफल १. हेक्टेक्स है। इस वादाव आवेदित वादाव (जाम-मुद्रीजारिया) को विवारता कुल क्षेत्रफल ५.६९ हेक्टेक्स है। वादाव की सीधा की ३०० बीटर की परिवर्ति वे विवित/मध्यावधि वादावों का कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टेक्स या उपरोक्त काम हीने के वादाव वाल वादाव की २ कंडी की जानी नहीं।
२. कार्यालय कर्लोटर (विभिन्न जाता), विवर-विविता की ग्राम वालावार के अविभित, वन एवं जलवायु बंजाराव, नहीं दिलती हावा जानी अविभित वैद्योपेश्वर विवर ३८/६४/२०२३ के तहत विविधवाल प्रवालाव को पूर्ण में जानी विविधवालीय विविती के पूर्ण अनुसारी (re-approval) हेतु समिति वासी को इस विवालाव में अविभित विवित विवर जाने हेतु यह लोक विवर जाए।
३. समिति हावा विवार विवरी वापरता मध्यावधि विभागीय विवित वालीन वालीन (प्रौ.- भी वाली अवावार) की जाम-मुद्रीजारिया वालीन-बृहुत्यारुप विवर-विविता की वादाव इमार २५ में विवर वालावार वालावर (विभिन्न विभिन्न) वादाव, कुल क्षेत्रफल-१ हेक्टेक्स, कामा-५.४५ टर (३.०३४ घनबीटर) विवित

के द्वारा अधिकारी-04 के नियम जारी के लिए पर्यावरणीय स्थीरता दिए जाने की अनुमति नहीं।

एवं यहां पर्यावरण उपचार आवास उत्तराखण्ड (एसडीएसए), उत्तराखण्ड की उत्तराखण्ड नियम दिया गया। उपचार की कार्यालय कलेक्टर (अधिकारी जारी), नियम-कोरिया को पर लेख दिया गया।

१. भैरवी बैरामगढ़ ट्रैकली अधिकारी नियम जारी (प्रौ.- दी. सुरेश चन्द्रार्थ), नगर पालिका-भैरवगढ़, तापील-भैरवगढ़, नियम-दीजापुर (उत्तराखण्ड का जारी ज्ञानक 2486)

अधिकारी-04 जारीयन - उपचार नगर - एसडीएस/ दीजी/ एसडीएस/ 421725/ 2023, दिनांक 31/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता द्वारा जारी गया है।

उपचार का नियम - यह प्राकृतिक कूप पर्यावरण (प्रौ. अधिकारी) द्वारा है। उपचार नगर पालिका-भैरवगढ़, तापील-भैरवगढ़, नियम-दीजापुर द्वितीय पाठ वैध उपचार ज्ञानक 216, कुल क्षेत्रफल-2.788 हेक्टेयर में है। उपचार में उपचारित है। उपचार की आवेदित उत्तराखण्ड ज्ञानक-1,00,007 टन इतिहार्ण है।

उत्तराखण्ड पर्यावरण उपचार की एसडीएसी उत्तराखण्ड की जायन दिनांक 24/07/2023 द्वारा अनुमतिकरण द्वारा सुनिश्चित दिया गया।

प्रतीकी का नियम -

- (प्र.) सभिति की वाल्यी बैठक दिनांक 28/07/2023-

अनुमतिकरण द्वारा दी सुरेश चन्द्रार्थ, अधिकारी-04 द्वारा जारी अनुमति द्वारा जारी जारीकरण का उपचार का एवं उपचार उपचार का नियम नियमित पाठ नहीं-

१. यहां में जली पर्यावरणीय स्थीरता नियम- इस उपचार को यहां में पर्यावरणीय स्थीरता कही नहीं की गई है।

उपचार कलेक्टर (अधिकारी जारी), नियम-दीजापुर के ज्ञानक ज्ञानक 442/कली. /सभिति/संप्र./2016 दीजापुर दिनांक 16/03/2016 द्वारा जारी एवं उत्तराखण्ड नगर पालिका बैरामगढ़, तापील-भैरवगढ़, नियम-दीजापुर में नियम वृत्ति उपचार ज्ञानक 216, हेक्टेयर 2.788 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थीरता पर्यावरण (उपचार की ज्ञानक 112) उपचार की जारीकरण दिनांक 02/02/2019 के दिनांक 01/03/2016 एवं वी. नियमक ज्ञानक ही सुना है।

२. कार्यालय अधिकारी, वी.क्लू.दी. ऐसी. बैराम हियोगन दीजापुर की जायन दिनांक 08/12/2022 द्वारा जारी पर उत्तराखण्ड उपचारी-04 (अग्रदलपुर की सुनार सीर, कुल ज्ञानक 112 दिनी) के उपचार जारी आवेदन दिया गया है।

३. नगर पालिका का अनापर्याप्त उपचार पर - उपचार के लंबें में नगर पालिका भैरवगढ़ का दिनांक 17/11/2022 का अनापर्याप्त उपचार पर प्रस्तुत दिया गया है।

४. उपचार कीजन्म - जारी ज्ञानक (उपचारी) नियम इन्वेक्टिवीटी एंटरप्रायर्ट पर्यावरण एवं जलीजन पर्यावरण प्रश्नात दिया गया है, जो एप-संचालक (एप) नियम-उत्तराखण्ड नगर बोर्ड के ये ज्ञानक नं. 808-807/सभिति/उत्तराखण्ड/ १५८/ २०२३ जारी, दिनांक 27/04/2023 द्वारा अनुमतित है।

5. 500 बीटर की पर्याप्ति में निकल लकड़ान - कार्यस्थल कलंकतर (खनिज राज्य), विला-बीजासुर के छालन दरमाक 237/कर्त./खनिज/2023 बीजासुर दिनांक 16/04/2023 अनुसार कार्यस्थल लकड़ान से 500 बीटर की पर्याप्त आवश्यकता अन्य लकड़ानों की गांठत हिस्से है।
6. 500 बीटर की पर्याप्ति में निकल आवश्यक लोअर/संरचनाएँ - कार्यस्थल कलंकतर (खनिज राज्य), विला-बीजासुर के छालन दरमाक 238/कर्त./खनिज/2023 बीजासुर दिनांक 16/04/2023 इतना जारी प्रमाण पर कानूनात उक्ता लकड़ान की 500 बीटर की पर्याप्ति में लोअर की आवश्यकता लोअर जैसे पैदिर, खिजाह, मलह, फुल, चारी, ऐल लाईर, अस्याल, बहुर, एनीकट जैसे एवं जल आवृत्ति अति आवश्यक लोअर निर्मित नहीं है।
7. शूष्ण एवं एलओडाई लोअरी दिवल - यह जासकीय नहीं है। एलओडाई की सुरक्षा घनकाढ़ान के बाहर पर है, जो कार्यस्थल कलंकतर (खनिज राज्य), विला-बीजासुर के छालन दरमाक 640/कर्त./खनिज/2023 बीजासुर दिनांक 29/12/2023 इतनी जारी की गई। विलाकी विला जैसी दिनांक से 3 वर्ष की समयी रात है।
8. डिस्ट्रीक्ट लोअर रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट लोअर रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी अनुसूत की गई है।
9. एवं विभान का अनावसित प्रमाण पत्र - कार्यस्थल वनस्पतिकारी, बीजासुर अनमंडल, विला-बीजासुर के छालन दरमाक/032/4743 बीजासुर दिनांक 18/11/2022 से जारी अनावसित प्रमाण पत्र प्रदूषक नियम गया है। यात्रा ही कार्यस्थल एवं विभान, इकानी दायगढ़ रिपोर्ट, विला-बीजासुर के छालन दरमाक/खनिज/656 विलाकी, दिनांक 01/03/2023 की जारी अनावसित प्रमाण पत्र प्रदूषक आंतरिक दोष एवं वैलगढ़ अव्याधि परिवेश की सीमा से 5 किमी की दूरी पर है।
10. गहरायूणी संरचनाओं की दूरी - निकलतम जारी राम-मैलमढ़ 1.3 किमी, बहुर याम-पैलगढ़ 1.3 किमी, एवं अस्याल राम-मैलमढ़ 1.3 किमी की दूरी जा नियम है। रामटूंक राममार्न 620 बीटर एवं राममार्न 39 लिंगी गहु है। उदासाही नदी 6.3 किमी दूर है।
11. शारिरिकारीय/जीवानिकाता स्वैदेनकालीन लोअर - परियोजना प्रकारक इतना 10 किमी की परियोजने में आवारेनीकी लीन, बीनीय प्रदूषण नियोगम लोअर इतना पौर्णिमिकी फैलावंड एवं विशेष वार्षिकीय स्वैदेनकालीन लोअर का शारिरिकारीय स्वैदेनकालीन लोअर नहीं होना आवश्यक हिस्सा है।
12. रामन लोअर एवं लकड़ान का निकल - विलोलोपिकान रिकवरी 6,28,084 टन, अनिवार्य रिकवरी 2,00,000 टन एवं विलोलोपिकान रिकवरी 1,80,078 टन है। लीज की 7.5 बीटर कीकी लीन पट्टी (उत्तरानन के लिए आवश्यकता लीन) का संचयक 2,700 बीटर है। औपर काट लीने वेक्टरार्क्यू लिये से उत्तरानन नियम आएगा। उत्तरानन की आवश्यक अविकल्प लकड़ान 21 बीटर है। लीज लोअर में जारी भित्ती आवश्यकता नहीं है। लीन की लकड़ान 3 बीटर एवं लोअर 3 बीटर है। लकड़ान की समावित आयु 2 वर्ष है। लीज लोअर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल आवीटन नियम आएगा। लीज लोअर में उत्तर अद्युप नियोजन होने जल का निकलतम नियम आएगा। वर्षान अवस्थात उत्तरानन का निकल निभाऊगार है।-



क्र.	प्रस्तुति वर्णन (रु.)
प्राप्त	1,00,000
द्वितीय	99,995

13. जल आवृत्ति – परियोजना के अधिकारी जल की जल उपलब्धीता प्रतिदिन होती है। जल की आवृत्ति नमूने परीक्षण के मतभेद से भी जारी है। इस बजाए नमूने परीक्षण का अनावृत्ति प्रमाण पर अनुदान दिया गया है।
14. जलाधारण कर्त्ता – जलाधारण की दीर्घ परीक्षण का प्रमाण जल के लिए लोट में उपर्युक्त नहीं होने वाला था। परीक्षण का प्रमाण जलाधारण के लिए लोट में उपर्युक्त नहीं होने वाला था। इस बजाए जल परीक्षण का अनावृत्ति प्रमाण पर अनुदान दिया गया है। जलाधारण के लिए जलाधारण कर्त्ता अनावृत्ति है –

विवरण	प्राप्त कर्त्ता (रुपये)	द्वितीय कर्त्ता (रुपये)	तृतीय कर्त्ता (रुपये)	अनुदान कर्त्ता (रुपये)	पालन कर्त्ता (रुपये)
जलाधारण उपलब्ध 207 के लिए 0.809 हिस्टोरिक में (1,200 नहीं) जलाधारण कर्त्ता	जलाधारण (20 प्रतिशत जीवन के लिए उपर्युक्त जलाधारण) प्राप्त कर्त्ता (लिए जाने वाले जलाधारण) जलाधारण कर्त्ता एवं जलाधारण कर्त्ता	79,200 7,300 7,300 7,300 7,300	7,300 — — — —	7,300 — — — —	7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
जुल राहि = 11,29,460	8,74,200	1,13,820	1,13,820	1,13,820	1,13,820

15. जलाधारण की 7.5 लील की जीवी सीधा पट्टी में उत्तराधार – लील के लिए और 7.5 लील की सीधा पट्टी में उत्तराधार कर्त्ता नहीं दिया गया है।
16. कौरीटि योक्यूलीट दिविय (C.E.R) – परियोजना प्रशासक इला कौरीटि (Corporate Environment Responsibility) द्वारा जारी के साथ दिया है। यह उपर्युक्त प्रस्तुत प्राप्त होया है –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Village- Patarpur	
			Plantation	0.2028
			Total	0.3039

17. कौरीटि के जारी (वीए, डीए, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, अक्टूबर अप्रैल) उपर्युक्त द्वारा उपलब्ध 50 नग लौटी के लिए राहि 1,300 रुपये, पालियन के लिए 15,000 रुपये, छाव के लिए राहि 750 रुपये, फिल्टर जल  
एवं जलाधार अपैटी के लिए राहि 1,43,800 रुपये, इस जलाधार प्रयाम कर्त्ता के लिए

लगभग 1,82,890 रुपये का जमावी और 8 लाख रुपये का ग्रहणकार दायर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवोजना प्रवासक द्वारा इस एक्षयत प्रवासकों के बहुतीय उपयोग जमाव (जमाव अन्तर्भूत 202 शुद्धजम 9,298 रुपये में से 0.80% हैटेक्ट) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

#### **संभिति द्वारा जमाव का संबंधित संवादान्वयि से विचारकार विवर कथा यह—**

1. आवृत्तित जमाव का प्रवासक अनुशार जमिं का संघर्षेन जमावी द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ऐसी ही विवरणीय जमाव का द्वारा ग्रहण अनुशासन 90 प्रतिशत वीजन कानूनित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आवाय का जमाव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. परिवोजना स्वीकृति द्वारा ही जाने की जावाह जमाव एवं के अन्दर जीड़िजार प्रवासक की वाहि का प्रवासित जारी में उपयोग जमावी द्वारा ग्रहणीय जमिनि के सामना प्रस्तुत किये जए प्रवासक में ही जाने विषे जाने वाला जमाव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. बमार्टिंग का कार्ड वीजीएमएस द्वारा अविवृत विवरोंका जारीगिय जावा (Explosive License Holder) द्वारा जमावी जाने वाला जमाव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. जीड़ीजार आवारी ग्रुप्पी वीजि के जमाव जमावीय जमिनि की दैखावार दिये जाने द्वारा जमाव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवोजना से जिन-जिन जमीनि से व्युक्तिरित जमाव जमावीन होगा, उन जमीनि पर विवरित जमाव विवरण की जावाह जमाव किये जाने वाला जमाव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. नीरियोजना प्रवासक द्वारा जमिनि की जमाव जमावी विवरों द्वारा जीड़िजारन का कार्ड सुनिश्चित किये जाने वाला जमाव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परिवोजना प्रवासक द्वारा जिसी भी जमाव का दृष्टित जास का जमाव प्रावृत्ति जमाव जमीन, जालाच, नदी, वाता में जीड़ी किये जाने एवं इसको जालावान किये जाने वाला जमाव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परिवोजना प्रवासक द्वारा इस आवाय का अनुदर्देशिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनकी विवर इस जमाव की वार्दिता कीट न्यायिकानीय प्रवासक ही जीर्णीत जिसी भी व्यावास्य में अवित नहीं है।
9. नीरियोजना प्रवासक द्वारा इस आवाय का जीटी से संवादित अनुदर्देशिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनकी विवर भाला जालावान, पर्यावरण, का और जालाचु परिवर्तन नंजलाय की जीड़िजारा करा. 2014(2), दिनांक 14/03/2017 के अन्तर्भूत कीट जलावान का जमाव लाभित नहीं है।
10. जमावीय गुडीन जीटी द्वारा दिनांक 08/09/2017 की common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में दिये गये विवरों का फलन किया जाएगा। इस वाला अनुदर्देशिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. जमावीय गुडीन जीटी द्वारा दिनांक 08/01/2020 की जमा petition (B) Cm No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विवर

मिट्टी का पक्का बिला जाएगा। इस साथ अनुदानित (Undertaking) भी दिया जाए।

अपेक्षा वार्ता/वानवारी/वानवारी द्वारा ही उपलब्ध आवादी वार्ताओं की जाएगी।

तदनुसार एसटीएसी, राजीवगढ़ की वार्ता दिनांक 28/03/2023 के अधिकार में परिवेशक प्रशासन द्वारा दिनांक 21/09/2023 की वानवारी/वानवारी जारी किया गया।

(३) रामिति की 482वीं दिनांक 13/10/2023:

रामिति द्वारा नहीं, उन्नत आवादी का अवलोकन एवं परिवेश करने का विषय नहीं नहीं नहीं—

1. अवैधिक चालन हेतु प्रभाव बनाने वाली का उपर्योग करने हुए कानूनी बिला जाएगा। रामिति एवं का ५ दर्ते तक सुनिध देखभाल व बन-बनाव करने हुए बनानी वे अधिकार दीवान संतोष सुनिश्चित बिला जाएगा। इस बाबत का वापस यह (Notarized undertaking) जारी किया गया है।
2. एथोडिलीय स्थीरता प्राप्त हो जाने के पश्चात इस जी के अन्य सीईआर अधिकार की दर्ते का असाकित रखने वे उपर्योग करने हुए बनानी वे रामिति के बाबत उन्नत दिवे एवं अधिकार में ही जारी बिले जाने वाला वापस यह (Notarized undertaking) जारी किया गया है।
3. बलमिति का जारी की जीएएस. द्वारा अधिकृत विमोहनक लाईसेंस वाला (Explosive License Holder) द्वारा बनाव जाने वाला बाबत पर (Notarized undertaking) जारी किया गया है।
4. अवैधिक बालों पुनर्वास नीति के बाबत क्षमावीय लोगों की बोलावा बिले जाने हेतु बाबत पर (Notarized undertaking) जारी किया गया है।
5. अधिकारना से जिन-जिन स्थानों से बनानी वे अवैधिक बाल बनावी होगा, उन स्थानों पर रामिति जल विकार की व्यवस्था बिले जाने वाला बाबत पर (Notarized undertaking) जारी किया गया है।
6. अधिकारना बनानक द्वारा बोलित विषयों के बाबत बनानी वे विवरण द्वारा जीमानी वे बालों सुनिश्चित बिले जाने वाला बाबत पर (Notarized undertaking) जारी किया गया है।
7. अधिकारना बनानक द्वारा जिनी वी प्रकार का दूषित जल का बाबत अवैधिक जल की, तालाब, नदी, नदी में नहीं बिले जाने एवं इसके संकाल बिले जाने वाला वापस यह (Notarized undertaking) जारी किया गया है।
8. अधिकारना प्रभाववाल द्वारा जुग आवाद का वापस यह (Notarized undertaking) जारी किया गया है जिसके बिलबु इस बाबत बाबत, अधिकार, बन और अवैधिक अधिकारन की अवैधिकता की वायावासीन अवनाय एवं के अल्पत बिली वी वायावासीन में लक्षित नहीं है।
9. अधिकारना प्रभाववाल द्वारा जुग आवाद का वापस यह (Notarized undertaking) जारी किया गया है जिसके बिलबु इस बाबत बाबत, अधिकार, बन और अवैधिक अधिकारन में अवैधिक वाला वाबत, बन(व), डिनांक 14/03/2017 के अवार्द्ध वी रात्तीपर्यावान प्रकार लक्षित नहीं है।

10. सामनीय सुधीम ने द्वारा दिनांक 02/06/2017 की common cause vs. Union of India वा petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत प्रक्रम पर (Normalized undertaking) असूत्र किया जाता है।

11. सामनीय सुधीम ने द्वारा दिनांक 09/01/2020 की अपील petition (B) Civil No. 114 of 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत प्रक्रम पर (Normalized undertaking) असूत्र किया जाता है।

12. आमिति का नाम है डि-सीट्स एवं सूचीबद्ध इलाके के नियमितियों एवं पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित उपकरणों/उपकरणों एवं वित्त प्रबन्धन का अधीनस्थ पर्यावरण संबंध समूह के उद्दिष्टियों/उद्दिष्टियों विभिन्न रूपों द्वारा आवश्यक है। इसकी सीट्स एवं सूचीबद्ध का कार्य पूरी रूपी रूप से आवश्यक विभिन्न डि-सूचीबद्ध नियमों से सम्बन्धित कानून जाना आवश्यक है।

13. सामनीय एनजीटी, विविध प्रकार की वृक्षों द्वारा प्रदत्त पार्श्व प्रभाव विषय परामर्श पर्यावरण वर्ग और उत्तम उपकरण विभाग सम्बन्धी नहीं दिलाई एवं इस (विभिन्नता द्वारा दिलाई गए 188 अधिक 2018 एवं इन्हें) में दिनांक 13/09/2018 की परिषद आदेश में दुर्घट रूप से विवरणित विवर करता है:-

- Providing for EA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

आमिति द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरणों की विवरणात्मक विवर यह—

- आवश्यक क्षेत्रों (आमिति द्वारा), विभा-वीडियो की इकान उनांक 237/अ. /स्ट्रेप्स/2023 वीडियो, दिनांक 18/04/2023 अनुसार आमिति क्षेत्र से 300 मीटर की ओर अस्तित्व अवासीय क्षेत्र जानकी की दिला रिपोर्ट है। आमिति क्षेत्र (ग्राम पालाता—सैनमढ़ी) का सीक्षण 1 + सैक्षण 2 है। क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी से सौख्य/पानीस्तूर जानकी का यूल सीक्षण 5 सैक्षण या उपरोक्त क्षेत्र द्वारा की जानकारी दी जानी चाही।
- आमिति द्वारा दिया गया जानकारी संरक्षणता की आवश्यक — दोहरी विवरणही आमिति क्षेत्र क्षात्री (प्र०— शी सूखा अवस्था) को नगर विवरण-वीडियो, ग्रामीण-वीडियो, विभा-वीडियो के पाठ और उपकरण इनक 716 में दिला गुण प्रधान (वैल अर्निल) जानकारी कुल क्षेत्रफल-2.785 विक्षेत्र हैं। 1 विक्षेत्र, 2 जाती में यूल जानकारी - 2.02.063 टन से अधिक न हो, ऐसे पर्यावरण-05 में आमिति जाती के लाई पर्यावरणीय सौख्यही दिये जाने की जानुरता ही नहीं।

पार्श्व सूचीबद्ध पर्यावरण इकान आकलन प्रणिकालन (एवर्कार्फार्ड), उत्तीर्णक एवं वायनुसार लूपित किया जाए।

3. बैतांग बासीन खोले रहोने वाले (जी— जी नीतम कुप्राप्त था)। राम—बासीन, राहसील—राजिम, विला—वरियार्ड (संकेतितय का नहीं कहा गया)

बैतांग खोले देव — पूर्णे में उपर्युक्त वाक्य — एसआई/ जीवी/ एसआई/ 42226/ 2018, दिनांक 24/ 10/ 2018 द्वारा दीजीआर द्वारा आदेश दिया गया था। बैतांग में उपर्युक्त वाक्य — एसआई/ जीवी/ एसआई/ 42225/ 2020, दिनांक 27/ 05/ 2020 द्वारा उपर्युक्त जीवीकृति प्राप्त करने द्वारा दीजीआर दिया प्रकृत जी नहीं है।

प्रकाश का विवरण — यह बैतांग खोले रहोने (जीवी जीवी) वाक्य है। बैतांग राम—बासीन, राहसील—राजिम, विला—वरियार्ड विला वाक्य द्वारा ज्ञात 1458/ 1, कुप्राप्त वाक्यमें — 0.52 दीजीआर में प्रकाशित है। बैतांग की अद्वैतिक वाक्यमें ज्ञाता — 2.436184 टन प्रतिक्षेप है।

एकार्ड जी, एकार्डिनार के बाब्ल दिनांक 03/ 02/ 2020 द्वारा ज्ञात थी—। बैतांगी का होने के बाब्ल भाला बालार, बैतांग, जी और जीवीकृत परिवर्तन में ज्ञात द्वारा ज्ञात 2018 में प्रकाशित एटीएस द्वारा ओफ रिपोर्ट (ट्रैकिंग) जीवी दीजीआई/ इ-समयी रिपोर्ट जीवी एकार्डिनार/एकार्डिनार विलावर्ती इन्वार्टर बैतांगीरेस अवधि में आईए जीट्रैकिंगमार 2020 में वर्गीकृत की गई है। जो एटीएस ट्रैकिंग (जीवी कुप्राप्त जीवी) जीवी कोल बार्मिंघम एटीएस द्वारा दीजीआर दीजी दिया गया।

कलानुसार वरियोजना वाक्यमें को एकार्ड जी, एकार्डिनार के ज्ञात वर्ष ई-मेल दिनांक 11/ 06/ 2021 द्वारा प्रकृतीकरण द्वारा कुप्राप्त दिया गया।

बैतांगी का विवरण —

(iii) जीवीकृती की जीवीकृती दिनांक 16/ 06/ 2021-

प्रकृतीकरण द्वारा जीवीकृती दीजी वाले वर्गितिकृत पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवीकृती जीवीकृती एकार्ड विलावर्ती युनिट की ओर से ही, ज्ञानीता दीजी विलियो जीवीकृती के वाक्यमें वीजप्रयोग सुधूर। जीवीकृती द्वारा जीवीकृती का जीवीकृतीकरण एवं एकार्डिनार करने पर विषय विवरिति पाई गई—

- प्रकृतीकरण के दीजी वाक्यमें जीवीकृती का जीवीकृती का वाक्य विवरण दिया होने के बाब्ल, वाक्यमें सी संखी जीवीकृती का जीवीकृती रुपकी जीवीकृतीकरणी वर्गिती जीवीकृती दीजी वाक्यमें जीवीकृती वाक्य का प्रकृत दिया गया है। उनके द्वारा वाक्यमें जीवीकृती एकार्ड जीवीकृती की जीवीकृती विलावर्ती के बाब्ल हस्तांकमें द्वारा दीजी विलावर्ती में आदेश दिया गया है, जो जीवीकृतीकरणी है। जीवीकृती के जीवीकृती जीवीकृती दीजी वाक्य के वाक्य पर विषय विवरिति पाई गई। जीवीकृती द्वारा वाक्य विवरण दिया गया।
- पूर्णे में जीवीकृती पर्यावरणीय जीवीकृती विवरण— द्वारा वाक्यमें को पूर्णे में पर्यावरणीय जीवीकृती जीवीकृती नहीं हो गई है।
- द्वारा जीवीकृती का जीवीकृती विवरण वाक्य — वाक्यमें सी संखी में वाक्य वाक्यमें बासीन जी दिनांक 17/ 02/ 2018 का जीवीकृती प्रमाण पर वाक्य विवरण दिया गया है।
- वाक्यमें वाक्यमें — वाक्यमें वाक्य (जीवीकृती वाक्य, इन्वार्टरमेंट बैतांगीरेस वाक्य) जीवीकृती वाक्यमें प्रकृत दिया गया है, जो वाक्य वाक्यमें ट्रैकिंगप्राप्त, जीवीकृती वाक्य वाक्यकृति, वाक्य वाक्यमें वाक्य वाक्य, एकार्डिनार की

प्राप्ति नमूना क्रमांक 2016-17/सभी 02/प्राप्ति अनुसंधान/प्रक्रम/2019 या  
प्राप्ति उद्देश्य नगर विनाक 14/10/2019 द्वारा अनुसंधान है।

5. 200 मीटर की परिधि में वित्त संकालन – कार्यालय कलेक्टर (प्रतिक्रिया वाला) वित्त-परियोगद के द्वारा क्रमांक 16/सभी/प्रक्र./प्रक्र./2020-21  
परियोगद, दिनांक 21/05/2021 की अनुसार आवेदित संकालन से 200 मीटर की  
लैंडर अवधिया 44 संख्या, संख्या 34-832 दिलेगा है।
6. 200 मीटर की परिधि में वित्त कर्तव्यानिक क्षेत्र/संचयनाएँ – कार्यालय कलेक्टर  
(प्रतिक्रिया वाला) वित्त-परियोगद के द्वारा क्रमांक 705/प्राप्ति/नक्का./2019  
परियोगद, दिनांक 16/11/2019 द्वारा जाहि प्राप्ति प्राप्ति अनुसार संकालन से  
200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालय क्षेत्र यौक्ति नहीं, लैंडर, खेत, बाल्याल, स्थूल, गुल, बांध, एवं जल अनुप्रीती वा दी प्रतिक्रिया क्षेत्र निहित  
नहीं है।
7. बूमि एवं एकांकीकरण, संकेती वित्तन्य – बूमि लंबेदाक के नाम पर है, जिसमें एक  
अंगांकी, कार्यालय कलेक्टर (प्रतिक्रिया वाला) वित्त-परियोगद के द्वारा क्रमांक  
200/सभी/16 वित्तन्य/2018-19 परियोगद, दिनांक 27/04/2019 द्वारा जाहि  
की गई, जिसमें वित्तन्य जाहि दिनांक से 6 वर्ष की अवधि रहा था। इसकी अर्द्ध  
की वित्तन्य बूमि कार्यालय संचयन की वित्तन्य रहा अनिवार्य, या या याकूब  
अठल नगर के पुलारियन प्रकरण क्रमांक 21/2020 द्वारा जाहि परियोग आदेश  
दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार “वित्तन्य के  
अलावा कर पुलारियन प्रकरण कलेक्टर कर्ती हुए, जिसका कार्यालय (प्रतिक्रिया वाला),  
परियोगद के प्रति वित्तन्य में अंगांकीकरण गैरि खंडित विषय, 2019 की वित्तन्य  
एवं एकांकीकरण की वित्तन्य साथ, जिसकी कार्यालय, राजिय जिस  
परियोगद द्वारा कर दिये जाने की वित्तन्य में अंगांकीकरण साथ, खंडित वित्तन्य  
जिसका द्वारा जाहि अंगांकीकरण क्रमांक एवं 4-43/2012/12, दिनांक  
20/04/2020 के वित्तन्य में अंगांकीकरण गैरि खंडित विषय, 2019 की वित्तन्य  
एवं एकांकीकरण के द्वारा कर्ती हुए प्रकरण कलेक्टर, जिसका परियोगद के  
अध्यात्मिक वित्तन्य रहा है” दीक्षा दिया गया है।
8. विद्युत की वित्तन्य – एवं 2019 की विद्युत की वित्तन्य (Power Survey  
Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. यह वित्तन्य का अनावरित प्रकरण यह – कार्यालय वानवानालवित्तनी, परियोगद  
कार्यालय परियोगद, वित्त-परियोगद के द्वारा क्रमांक /सभी/  
अनावरि/6342 परियोगद दिनांक 20/11/2019 की जाहि अनावरित प्रकरण  
एवं अनुसार आवेदित क्षेत्र यह जून चूमि की वित्तन्य से 26 वित्ती, तथा कालवानार  
अन्यवाच्य 60 वित्ती की हुई था है।
10. अकालमूर्ति संचयनाली की हुई – विद्युतन्य अवाली राम-जालीन 0.4 वित्ती,  
खंडित राम-जालीन 0.89 वित्ती, एवं अपवाल जालीन 1.6 वित्ती की हुई यह  
वित्तन्य है। राम-जालीन 11.4 वित्ती, एवं याज्ञवाली 255 वित्ती हुए हैं।  
जीरकी जाली 0.41 वित्ती, एवं गुला जाली 4 वित्ती हुए हैं।
11. परिवेशीकरणीय/वैदिकिया संवेदनशील क्षेत्र – परिवेशना प्रकार का द्वारा 10  
वित्ती, जीरकी जाली में अंगांकीकरण क्षेत्र, गाढ़ीय जालीन, उम्मदालाल, कंचीय  
प्रदूषन विषयक क्षेत्र द्वारा भीवित्तनी विद्युतीय एवं वाहिकाविदीय

संवेदनात्मक दोष का सौमित्र प्रतिवेदिता केरल नियम नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

12. जल संग्रह एवं जल का वितरण – गिरफ्तारीजिल जिले संग्रह 1,12,300 टन, नदीनिवल जिले 22,000 टन एवं निकलनेवल जिले 21,800 टन है। लौज की 7.5 मीटर औरी सीमा वाली गुरुगंगन के लिए प्रतिवेदित कीजा जाएगा। यह गंगन की प्रवाहित अधिकतम वर्षावई इन गीटों हैं। लौज सेव में उपर वर्धायित नहीं है एवं इसकी आवश्यक प्रवाहित नहीं किया जाया है। उपरी गिरफ्तारी की घोटाई 9 मीटर है जबकि गुरुगंगन 16,000 घनमीटर है। बैंग की घोटाई 9 मीटर एवं घोटाई 9 मीटर है। यहाँ की घोटाई लगभग 10 मीटर है। अंतिम प्रवाहित गंगन का वितरण नियन्त्रणार है—

क्रम	प्रवाहित गंगन का वितरण (लिंग)	क्रम	प्रवाहित गंगन का वितरण (लिंग)
प्रथम	2,189	द्वितीय	2,059
तृतीय	2,062	चतुर्थ	2,330
चौथी	2,223	पांचवी	2,299
छठवी	2,066	छठवी	2,330
पांचम	2,216	दशवी	2,435

नोट: गांगिका में दात्यमत्तव के बाद के अंदर को उदाहरणात्मक किया जाया गया है।

13. यस आवृत्ति – परिवारका हेतु आवाहन जल की जाता 3.71 घनमीटर अंतिमिति होती। यस की अवृत्ति यस प्रवाहित गंगन द्वारा दीवार की प्रवाहित होती। इस दीवार पर्याप्त का सहभागी यह प्रवाहित किया जाया है।
14. शुद्धारोपण कार्य – लौज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर ऊपरी खेतों में 42% नए शुद्धारोपण प्रवाह कर्म में ही किया जाएगा।
15. गंगान की 7.5 मीटर की औरी सीमा पट्टी में उत्तरान – लौज सेव के अन्तर्भूत 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरान कर्त्ता नहीं किया जाया है।
16. कंपनीय पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – नियोजिता प्रवाहित गंगन की दीवार (Corporate Environment Responsibility) हेतु गांगिका के कानूनी वितरण से जरूरी उपकार नियन्त्रणार प्रवाहित प्रवाह किया जाया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
14.36	2%	0.29	Following activities at Government Higher Secondary School, Village - Basin Potable Drinking Water Facility with AMC Plantation Total	0.29 0.10 0.39



17. परियोजना प्रशासक द्वारा अनुमतिप्राप्त के द्वारा बताया गया है कि कूल खपत मिट्टी 10,000 घनमीटर अनुमति होगा। कर्मचारी मिट्टी की 7.5 मीटर (आड़न लाभार्थी) में 840 घनमीटर उपरी मिट्टी को एकत्र कर अनुसन्धान विषय का ना प्रस्तुतित है ताकि जीव जलसंग्रहीत जल भूमि पर संरक्षित रखे हेतु नवाच व्यापिकता से अनुसन्धान अवधारणा महारित रिक्त जाएगा।

18. कलकत्ता हेतु कीमत इन्हायरेंसेट विनियोजन एवं प्रशासक द्वारा बताया गया कि कलकत्ता में कूल 45 घासानी आती है। घासानी में 6 घड़ानी के लिए जीव जलसंग्रहीत जीव की गई है, जिनको द्वारा पर्यावरणीय अनुमति के लिए अप्रील मित्र गया है। ऐसे 37 घड़ानी की गई हो की जीवजलसंग्रहीत जीव जलसंग्रहीत द्वारा कीमत नहीं ली जा सकी है। अब कलकत्ता में जीवजलसंग्रहीत जीव जलसंग्रहीत 6 घड़ानी द्वारा जीव इन्हायरेंसेट विनियोजन एवं प्रशासन अनुमति दिया गया है। कीमत इन्हायरेंसेट विनियोजन के बहुत विषय का है उपलब्धिः—

- i. प्रदूषक नियंत्रण हेतु परियोजना के दीपान गवाली/एडोब तौब से उत्पन्न गूल उत्तरार्द्ध की नियंत्रण हेतु जल विकास 4 लिमि. तक पहुंच जानी हेतु अनुमतित राशि 2,40,000/- प्रतिलाख रुपये दिया जाएगा।
- ii. गांव के पहुंच गांव के दीपान तौब 4 लिमि. तक तक से जल की कलार में शुद्धारणा हेतु अनुमतित राशि 12,94,750/- प्रत्यय की तो जल विकास जाएगा। इसके जीवजलसंग्रहीत अवधारणी जल की तक वजा-वजाव हेतु अनुमतित राशि 4,54,850/- जल विकास जाएगा।
- iii. इन्हायरेंसेट विनियोजन हेतु अनुमतित राशि 80,000/- प्रतिलाख रुपये दिया जाएगा।
- iv. रस्तों का संरक्षण (Road Maintenance) हेतु अनुमतित राशि 2,00,000/- प्रतिलाख रुपये दिया जाएगा।
- v. पर्यावरणीय जागृति यात्रा विष्टी एवं व्यापि गुणवत्ता की अनुसंधान हेतु अवैधिक वीरिटीरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) दिया जाएगा।
- vi. जल कर्ता हेतु प्रथम गांव जीवी की विस्तृत वार्तायोजना की व्यवस्था करनी हुर अनुमतित राशि राशि 63,05,450/- जल कर्ता उत्तराधिकार दिया गया है। जल हेतु जलवा पान वी अनुमति दिया गया है। कीमत इन्हायरेंसेट विनियोजन एवं प्रशासन के विवादावाद हेतु सभिति द्वारा गहराई व्यवस्था की गई।
- vii. वीरिटीरिंग हेतु 12 लोगों की वीरिटीरिंग वर्गिक्षा का गहन करना उपलब्धित है।

19. जाति जातिकार, पर्यावरण, जल और जलवायु विभागीय विभागों, नई निलंबी द्वारा जारी हुई अर्थात् अधिसूचना, 2008 (ज्ञान विभागीय) के प्राक्कर्त्तनी एवं जीवजलसंग्रहीत जीव जलसंग्रहीत आदेश की अनुसार जलसंग्रह हेतु कीमत इन्हायरेंसेट विनियोजन एवं प्रशासन विकास जलसंग्रहीत दिया जाना आवश्यक है।

सभिति का यह है कि कलकत्ता में जागिल जीवी जलानी द्वारा जलसंग्रह की जीवजलसंग्रहीत जीव जलसंग्रहीत की जीवजलसंग्रह हेतु जीवजलसंग्रहीत एवं जीवजलसंग्रहीत व्यवस्था की विस्तृत एवं वीरिटीरिंग वर्गिक्षा दिया जाना आवश्यक है।

सभिति का यह है कि कलकत्ता में जाने वाले जाहानी की उत्तराधान वीरिटीरिंगों से पर्यावरणीय ग्रामीणों का बहुत जाले जीवजलसंग्रह हेतु कलकत्ता में जाने

वहाँ समस्त खदानों को लाभित करते हुए, वक्षकरण के द्वारा इन्हायरेंट एंड एक्सीट एक्सप्रेस द्वारा दिये जाने हेतु संघरण, संचालनालय, पीमिली तथा स्पेशल इंडोरी भवन, नवा रायगढ़ अटल बगर, जिला – रायगढ़ (इंडोरीगढ़) के भाग से उत्कृष्ट कार्यकारी दिया जाना चाहिए होगा।

## 20. ई-कार्ड प्रिंटर का विवरण–

- i. वह एवं वायु वायि गुणकाता कंकी जानकारी – वीमिटिंग वार्ष दिनांक 19/12/2019 से दिनांक 16/03/2020 के बाय दिया गया है। 10 फ्लॉर्सीट के अंतर्गत 6 खदानों पर एक्सीट वायु गुणकाता जानक, 4 खदानों पर वायु-वायि गुणकाता जानक, 8 खदानों पर वायि जाव जानक, 9 खदानों पर जावही जाव गुणकाता जावा 3 खदानों पर एक्सीट का विवरण दिया गया है।
  - ii. वीमिटिंग परिवहनों के अनुमान वीएम् 10.1 से 37.4 मार्किंग्याम/एक्सीट, वीएम् 42.2 से 57.3 मार्किंग्याम/एक्सीट, एक्सीट, 6.2 से 9.4 मार्किंग्याम/एक्सीट तथा एक्सीट 10.1 से 18.4 मार्किंग्याम/एक्सीट वाई नहीं है। जो विवरित गणक के अनुमान है।
  - iii. वायिक्यात्मा गणक के आवाहन जाव खदानों की गुणकाता वायिक्यात्मा गणक के अनुमान है।
  - iv. वायिक्यात्मा वर्षीय जाव (Day time) 41.8 बीमीए से 51.8 बीमीए जाव वर्ष (Night time) 30.2 बीमीए से 33.2 बीमीए जाव गया। जो उक्त उम्र के विवरित गणक के अनुमान है।
21. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 तक 1200 बजे खदान जाव विवाह घटना घटाई, ताजीत-ताजिम, जिला-परिवार वे जावन हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज जावला संधिय, वालिकागढ़ जावावाला लोकान गंडल, नवा रायगढ़ अटल बगर, जिला-रायगढ़ के बाब दिनांक 31/03/2021 द्वारा दीक्षित दिया गया है।
22. जननुसारी के दीर्घ दूर्ध दूर्ध से विष्णु गुप्तम/विवार दूर्धुर दिये गये हैं–
- i. वासीन-बहुलता में कालीगंगन खदानी लकड़ीका 60 वर्गी की वायालित होना वायावा गया दिनु इनमे दिनी के खदान जावालान के जाव पर लोक वाव दीहन दिया जावा रहा है। उम्र मे जो खदानी 60-65 विंट का छन्दों भी लक्षिक दृष्टिकोण मे अधैर काव से जावालित हो रही है, एव पर लाईत कावेहारी दिए जाने जावा एवं खदानी की जावान द्वारा जाव का खदानी की गदली पालन का एवं जाव खदानी की जाटका एवं एव दूर्धालेपन के लिये उपयोग दिया जाए। खदान जावालानी के द्वारा जावालन की जूला के लिए ईलिकागढ़ जावाव दिए जाएं जाएं। पर्यावरणीय वायावालों मे वहाँ हुए दूर्ध दूर्ध जावी दिया जाने एवं जावालान से अनुरोध है कि उक्त दूर्धालन एवं दीक्षित जावावों।
  - ii. खदानी कावालकी द्वारा वाहिनीका के विवरण के लिए जावाव मे लाई जाने जावे सहजी का जाव-जाव दिया जाए।
  - iii. खदानीकी जावी को रोजावान के द्वारा वायाविका ही जाए।
- लोक सुनवाई के दीर्घ दूर्ध दूर्ध से विष्णु गुप्ती की विवाहन की दिया गया वायिक्यात्मा वायावाक की जाव के वायालित प्रिविनिति/बॉक्सटाई का जाव विवाहनुसार है–



- I. सीमा लाई के बारे में कोरिय की जाएगी। जास्त ही 7.5 मीटर की परिमिति एवं पहुँच नारे में शुल्कीयन दिया जाएगा। प्रत्यक्षित खदान को नियन्त्रित रख-खदान दिया जाएगा।
  - II. खदानों का रख-खदान दिया जाएगा ताकि इस दिक्षिण दिया जाएगा। पहुँच नारे की दिलाई युक्ताठेपन की जावस्था की जाएगी।
  - III. खदानीय लोगों को अवश्यकतानुसार सेवगान हेतु प्रवालीकरण की जाएगी।
23. यात्रिगंग चलाईन खदान – खदान बंद करने के पूर्व नियिका खदान के भवाव हेतु 9 मीटर की यहांतु तक 12.437 यात्रिगंग खदान देश से हेतु 6 मीटर की यहांतु तक और बहुत बहुत/उत्तरी नियिका से यहां तक 760 यह शुल्कीयन दिया जाना चाहिए है। यहां हेतु यहां यह प्रवाल दिया जाय है।

सभियों द्वारा उत्तम चलाईन को दियें दिया जाय या यह चलाईन को उत्तम चलाईन एवं जोड़ा। (सीमी जारी जारी के बारे के बारे) की ओर इमुग्र दिने हेतु नियिका दिया जाय।

गदानुसार एकू॒१८. उत्तम चलाईन के जापन दिनांक 28/06/2021 के चलिके में उत्तम चलाईन प्रवालक द्वारा दिनांक 31/06/2023 के जापनकी/उत्तम चलाईन जारुर दिया जाय।

(ii) सभियों की 422वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

सभियों द्वारा नस्ती, प्रवृत्त चलाईन का उत्तम चलाईन एवं चलिके करने पर विन दियते जाएं गए—

1. आधिकार उत्तम चलाईन (जिमिय जापन), दिया—परियावर के जापन दिनांक 260/परि./न.जा./2023-24 परियावर, दिनांक 05/08/2023 द्वारा “उत्तम चलाईन” नीव उत्तम दिया, 2018 (जोड़ा चलाईन) उत्तमिका ५५(४) के अनुसार एकलीका उत्तम चलाईन चट्टा जारीयी जापन चलाईन कार्यालयी सार्वीय की जीतन साथ के दिक्षिक उत्तम चलाईन की जारी साथ यही नव यीजन साथ दियायी जापनका, चलिके के बाय से संबंधित ही जारीनी। उत्तम चलाईन के समस्त उत्तम चलाईनों में सार्वीय यीजन साथ के जीतन यही जारी साथ यहा जारीना।” हेतु आदेत जारी दिया जाय है।
2. सीईआर कारो एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में युक्ताठेपन कार्य के नोटिसियर एवं उत्तमिका हेतु दि—प्रतीय सभियों (जिमियाईवर/प्रतीयिति), जून प्रवालक के प्रदातिकरणी/प्रतीयिति एवं दिया जापन या उत्तम चलाईन चलाईन यान्हुस के प्रदातिकरणी/प्रतीयिति चलिके दिया जाना जापनका है। जास्त ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में युक्ताठेपन का बारे पूर्ण दियो जाने के उत्तम चलिके दि—प्रतीय सभियों ही जापनका चलाना जाना आवश्यक है।

सभियों द्वारा दियो उत्तम चलाईन की नियन्त्रित दियें दिया जाय—

1. उत्तम चलाईन (जिमिय जापन), दिया—परियावर के जापन दिनांक 79/परि./जा./न.जा./2023-21 परियावर, दिनांक 31/06/2021 के अनुसार आदेत खदान के 500 मीटर के भीतर उत्तमिका 44 खदानी जापन 34.832 हेक्टेयर है। आदेत खदान (जाप—जासीन) का क्षेत्रफल ८.६२ हेक्टेयर है। इस खदान आदेत खदान (जाप—जासीन) को नियावर ताज दोक्कल ३८.१५२ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में रोड्स/पायालित खदानी का



- मूल क्रियाकल अंतर्गत से जीवित होने के कारण यह वादाम थी—। जेंडी की वापी गई।
- मात्रा बदलार परीक्षण, एवं और वलायु परिवर्तन विभाग, नई फिल्डी ट्रॉप पार्टी इंस्टीट्यूट, विभिन्नता, 2006 (फ्रांस कोर्सेल) के प्राप्तानी एवं मानसीय एवं योगी द्वारा आवी बाईं को बदलार बदलार में जाने वाली वादानी की सालगत विविधियों ने परीक्षणीय घटकों पर पहुँच दाले जानी वाली विवरणों के साथबाहम हेतु बदलार में जाने वाले वादान वादानों को वापिस करायी तुर्हे, बदलार हेतु खीमग इन्वेस्टिगेट ऐमेंट एवं विवर दिये जाने वाले विवरणों कराने हेतु वादालाक, वादालालाय, वीरियों तथा वारियों, इन्डियारी वादान, यह वायपुर बदल वाद, विला—वायपुर (वालीवाला) के वाल से वायपुर वारियों दिये जाने हेतु विविध विवर आए।
  - वारियों द्वारा विवर दियी गयी वारियों की आवेदन—मेलों वारीय वारिय कठोन वायपुर (प्रौ.—की वीलों वृक्षान वाय) को वाय—वारीय, वादालाल—वारिय, विला—वारियों के वादान इन्वेट 1458/।। मे विवर कठोन वटीन (वील वारिय) वादान, वृक्ष वीलपाल—५५२ हेतु विवर वायपुर वायपा—३,४३८ टन प्रतिलों हेतु वीरियों—०५ मे वारिय वारी के अवीय परीक्षणीय वारियों विवर दिये जाने की अनुमति दी गई।

एवं वारीय परीक्षण द्वारा वादालाल वारियों (वाईअौर्ट), वारीयों को बदलार चूकित दिया जाए।

- मेलों वारीय वायपुर वटीन वारी (प्रौ.—की वारीय विला वायपुर, वाय—वारीयों, वादालाल—विवर, विला—वालीवाला—वाटावात (वालीवाला के वाली वादान १९२०) वीरियाईन वायेदन — इपोजल वालर — एवायाई/ वीली/ एवायाई/ ७१३८८/ २०२२, दिनांक २५/०१/२०२२ द्वारा दीखीजाए हेतु वायेदन दिया गया था। वारियोंवाला वायपुर वायपुर वायेदन में वारियों होने से ज्ञान वायपुर विवर ३१/०१/२०२२ वर्ष १७/०१/२०२२ द्वारा वालीवाली वायपुर वायेदन हेतु विविध दिया गया। वारियोंवाला वायपुर वायपुर वालीवाली ज्ञान दिनांक ०५/०१/२०२२ वर्ष १७/१२/२०२२ की वीरियाईन वायपुर की गई।

ज्ञान का विवर — यह यूही की वारियों वायपुर वायपुर (वील वारिय) वादान है। वायपुर वाय—वारीयों, वाय—वारील—विवर, विला—वालीवाला—वाटावात विवर वायपुर वायपा—४७१/२, वृक्ष वीलपाल—१५२ हेतु विवर में है। वादान की वारियों वायपुर वायपा—१०,०९६.८८ टन प्रतिलों है।

वायपुर वारियोंवाला वायपुर को इसईरही, वारियोंवाला की वायपुर विवर १०/०१/२०२२ द्वारा वायपुरीवाला हेतु चूकित दिया गया।

वैतानी का विवरण —

- वारियों की ५५३ी वैतान दिनांक २५/०१/२०२२

वायपुरीवाला हेतु की वारिय विल वायपुर वीलपाल उपरियोग है। वारियों द्वारा वारी, वायपुर वायपुर का वालीवाला वायपुर वायपुर कराने का विवर विवरीय वाई नहीं—।

- यूही में वारी वालीवाली वालीवाली वाली विवरण—

- पूँजी में बुला पात्र वाला दस्तावेज 471/2, बुला लैंडफार्म-182 इकड़ीज, सम्पत्ति-10,000.00 एवं परिवहनीय नवीकृति दिला जाती है। परिवहन वालावाहि फ्लॉट इक्सारेंस, दिला-बलीदारावाहि-ज्ञातपाता द्वारा दिनांक 14/02/2017 की गई है। वह नवीकृति पारी दिनांक से 5 वर्ष तक है।  
परिवहना प्रकारका द्वारा जाती है कि याता वालावाहि, एवं अन्य पालवाद्य वरिष्ठोंने बंदगति, नहीं दिली है जारी असंगुलाम दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

“A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.”

जापानी असंगुलाम की अनुसार परिवहनीय नवीकृति की जाता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक है।
- परिवहना प्रकारका द्वारा पूँजी में जारी परिवहनीय नवीकृति की जाती है। यातावाहि द्वारा जानवारी प्रस्तुत की गई है। जारीति का यह है कि परिवहना प्रकारका द्वारा एक्सीप्रू लैंडफार्म, जाता वालावाहि, परिवहन, एवं एवं पालवाद्य वरिष्ठोंने बंदगति, जाता राज्यपुर अटल वाहा से पूँजी में जाती परिवहनीय नवीकृति का पालन प्रतिशेषण द्वारा का प्रस्तुत दिला जाना आवश्यक है।
- परिवहना जारी असंगुलाम नहीं दिला जाता है।
- दिला जाती है कि यह वाला वालावाहि दिलीतीय कांग नहीं होनी चाहिए जानवारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः जारीति का यह है कि दिला जाती है कि यह वाला वालावाहि की जानवारीक याता ही जानवारी अदान नियमि तक दिलीतीय कांग नहीं होनी दिला जाना आवश्यक है।
- एवं परिवहन का अन्यायी इमार एवं – उत्तरान छोड़ने वें द्वारा परिवहन उत्तीर्णीषीय का दिनांक 23/04/1999 का अनावरित इमार एवं प्रस्तुत दिला जाता है। दिलामे वालावाहि के दिल 10 वर्ष हेतु सीज में दिले जाने का नियम दिला जाता है। अतः जारीति का यह है कि उत्तरान के सींज में द्वारा परिवहन का अनावरित इमार एवं की अदान उत्तीर्णीषीय प्रस्तुत दिला जाना आवश्यक है।
- वालावाहि दीजना – जारीति पहले प्रस्तुत दिला जाता है और लैंडफार्म-जापानका (ज्ञात), संचालन-वालावाहि जाता जारीति, तथा राज्यपुर अटल वाहा के द्वारा दा. 6902/संवि. 02/परिवहनअनुसंधान/म.क्र.06/2021(2) वाला रामपुर, दिनांक 20/12/2021 द्वारा अनुर्ध्वाधित है।
- 900 दीजन की वर्तिये में दिला जाता है – जारीति कालेजर (जारीति जाता), दिला-बलीदारावाहि-भालावाहि के द्वारा दानांक 303/संवि./2022 बलीदारावाहि, दिनांक 20/06/2022 अनुसार अन्येतिर जाता है 900 दीजन की वर्तिये अन्येतिर ज्ञात 32 जाताने, संज्ञक 63.273 दिलेवर है।

5. 200 वीटर की लीजिंग में सिविल सार्वजनिक सेवा/संवर्धनाद - जातीयता कर्तव्यदाता (प्रानिय ग्राम), जिला-कर्तीकाशाला-माटाकाला के ज्ञापन इनाम 200/प्रानि/2022 कर्तीकाशाला, दिनांक 20/08/2022 द्वारा जारी प्राप्त यह अनुसन्धान एवं यहां से 200 वीटर की लीजिंग में कोई भी सार्वजनिक सेवा नहीं दी गई। लीजिंग, कर्तीकाशाला, पुल, नदी, गेल लाईन, अध्यात्म, नद्युत, एवं बोर जैसे यह अनुसृत आविष्कारित सेवा नहीं हैं।
6. नूपुर एवं लीजिंग की दो दिवसीय - यह सार्वजनिक भूमि है। लीजिंग की अपेक्षा नद्युत के ग्राम नहीं है। लीजिंग की दो 10 वार्गी दिनांक 10/08/2022 से 06/09/2022 तक की जारी दिनांक 10/08/2022 से 09/08/2022 तक की जारी देखा गया दिनांक की गाँवी है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - कर्वी 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जारी प्रस्तुति की गई है।
8. यह विद्युत का अनुसृति प्राप्त एवं - कार्यालय वनस्पतिविज्ञानी, कर्तीकाशाला वनस्पति, कर्तीकाशाला के ज्ञापन इनामक/कर्तीकी/सानिय/2022 कर्तीकाशाला, दिनांक 10/08/2022 से जारी अनुसृति प्राप्त एवं अनुसन्धान अनुसृति द्वारा विकलातम इन सेवा की सीमा की 10.2 किमी की दूरी पर है।
9. नहरपूरी चारबागड़ी की दूरी - विकलातम अवार्दी घास-ए-पार्करी 1.2 किमी, नद्युत घास-नुहिला 2.8 किमी, एवं अन्यतम घास-नुहिला 2.8 किमी, जी दूरी का फिल है। नाईट्रोजन 26.5 किमी, एवं लकड़ागार 12.5 किमी, दूर है। विवरण नदी 13.7 किमी दूर है।
10. नारिनीपुरियांची, कोरारिपुरिया सर्वेनवालीन सेवा - नारिनीपुरिया प्रवालक द्वारा 10 किमी, जी लीजिंग में लोहारुपीय सीमा राष्ट्रीय पथान, अनामाराम, लोन्हीय नद्युत विकलातम कोई द्वारा दीर्घि उभिटेकी सील्युटेक एवं, नारिनीपुरियांची सर्वेनवालीन सेवा पा लीजिंग दीर्घि प्रवालक के सिविल गाँवी हीना उभिटेक विकलातम है।
11. छानन चापांग एवं छानन का विकलातम - विकोलीशिकाल लिंग 11,98,485 टन, नद्युतेक लिंग 4,34,744 टन एवं लिक्कारेक्ल लिंग 4,13,067 टन है। लीजिंग की 7.5 वीटर जीकी सीमा पहाड़ी (छाननन के लिए उभिटेकित सेवा) का लोकल 4,117.14 वर्गमीटर है। औपन कालू बेन्युल विक्षि से छाननन विकलातम जाता है। छाननन की प्रवालीपुरिया लोकल 34 मीटर है। लीजिंग सेवा में जबकी विक्टुरी की जोड़ी 1 वीटर है। बेंग की जांच 1.5 मीटर एवं जीवांग 1.5 मीटर है। छानन की संभावित जाय 16 वर्ग है। विक्षिंग एवं जारित नहीं विकलातम है। लीजिंग सेवा में छानन नहीं है एवं इसकी स्थायन का प्रस्ताव नहीं विकलातम है। छानन में जाय प्रवाल विकलातम हेतु जल का विकलातम विकलातम जाता है। वर्षाकार अल्पावधि छाननन का विकलातम विकलातम है।

क्रम	प्रवालीपुरिया छाननन (टन)	क्रम	छाननन का छाननन (टन)
छानन	33,770.67	बहुम	36,894.80
हिंडीप	33,099.95	कासाम	33414.01
नुहिल	43,722.61	अन्यम	30997.74
फूर्झ	4,1345.91	बायम	39645.60
याम	38439.57	दक्षन	26297.79

12. जल आपूर्ति – विनियोगका लिए उत्पादन के जल की संखा 4 मीलीला छोटी ही है। उत्पादन में जल की आपूर्ति का महत्व/संकेत एवं संतुष्टि नियम की अनुमति प्राप्त कर लागु किया जाना आवश्यक है।
13. शुद्धारोपण कार्य – लौज बीज की लीक में जली और 7.5 मीटर की घट्टी में शुद्धारोपण नियम लागू।
14. जालान की 7.5 मीटर की चौड़ी लीन पट्टी वे उत्पादन – जील क्षेत्र के बीच और 7.5 मीटर की सीना पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,117.14 हेक्टेक्टर होता है। जिसमें से सुधा याने 7 मीटर व्यापक तरफ उत्पादित है। इनीभित 7.5 मीटर चौड़ी लीन पट्टी में उत्पादन नियम जाना उद्देश्यवाही अनुमति की जरूरी का प्रत्ययन है। अतः परियोजना प्रस्तावक की विषय नियमगुप्तार केवलिक कार्यकारी नियम जाना आवश्यक है।
15. यह स्थानान्वय है कि जालान उत्पादन, उत्पादन, कर एवं उत्पादन विभाग के अनुसार नाईन बोल नाईनिंग डोकोद्दा लिए गए उत्पादन कर्ता जारी की गई है। कर्ता उत्पादन जालान की अनुमति –

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

जालान यानों की अनुमति नाईन लीन बीज की ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीनी पट्टी में शुद्धारोपण नियम जाना आवश्यक है।

16. उत्पादन अनुमति कार्डिन में उत्पादन कामा 10,000.00 टन प्रतिवर्ष उत्पादित है। यहाँ पर्याप्त जली जल अनुमति लीजार प्रस्तावक उत्पादन का नियम नियमगुप्ता है—

कार्य	प्रतिवर्ष उत्पादन (टन)	कार्य	प्रतिवर्ष उत्पादन (टन)
प्रबन्ध	50,770.87	प्रबन्ध	35,884.60
छोटी	33,000.00	रायगढ़	33414.01
मूली	43,722.61	कर्णपाल	30967.74
पर्याप्त	41,048.91	निल	28645.66
पर्याप्त	38439.57	राजगढ़	26367.76

स्थिति का यह है कि जालानी जर्नी के लिये जारी जाने उत्पादन कामा अनीभित उत्पादन कामा 10,000.00 टन प्रतिवर्ष की अनीभित है। अतः उत्पादन की जारी की अनीभित उत्पादन उत्पादन नियम जारी।

अनीभित उत्पादन उत्पादित की नियमगुप्तार नियम नियम जारी करा—

1. जालानी जर्नी ने विशेष जारी जाने उत्पादन कामा अनीभित उत्पादन कामा 10,000.00 टन प्रतिवर्ष से अनीभित है। अतः उत्पादन की जारी की अनीभित उत्पादन उत्पादन नियम जारी।
2. यहीं में जारी उत्पादित उत्पादित का उत्पादन उत्पादित एकीकृत लीनीप करनामान जालान उत्पादन, उत्पादन, कर और जालान उत्पादित उत्पादित की जारी की होने वाले नियम जारी करा जाए।

3. नव्हीन सीज सेव के बारे ओर 7.6 मीटिंग चीफ अधिकारी जीव के द्वारा याम में लिये गये उत्तरानन के इसमें इसका इस की उपलब्धी उपायी (Remedial Measures) के साथ में इस सीज सेव के आवास नहीं बिनाकरण के उत्तरानन इदूरी के नियंत्रण हेतु आवासक उपलब्धी यथा क्षारियत आदि की लिये समुचित उपलब्ध आवास, आवासनालय, बीमिती तथा सुनिकाने, इंद्राणी भवन, यथा रामगुरु अठल भवन, जिला - रायगढ़ (खालीसाराद) को यह सेव लिया जाए।
4. परिवर्तित 7.6 मीटिंग चीफ अधिकारी पट्टी में इसी उत्तरानन यामे जाने पर जीव आवास नियंत्रणारा नियंत्रित करायाई जिसे जाने हेतु आवास, आवासनालय, बीमिती तथा क्षारियत एवं पार्किंग की इसी पट्टीमें हेतु उत्तीर्णामुख पर्यावरण संबंध योजना, यथा रामगुरु अठल भवन को नियंत्रित करायाई जिसे जाने हेतु सेव लिया जाए।

उत्तरानन एवं इसी आवासनाका इस विनाक 15/03/2023 के परिवेष में परिवर्तित आवासनाका इस विनाक 03/10/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(b) जमिन की 400ली बिडक विनाक 13/10/2023

जमिनी द्वारा यारी, इसका आवासनाका आवासीका एवं परिवर्तन करने पर याम भित्ति पार्द नहीं—

1. आवासी यारी गे लिये जाने वाले उत्तरानन यामा आवेदित उत्तरानन कमा 10,000.00 टन प्रतिवर्षी की उत्तिक है। आइ याम की संकें में अन्तीकरण इकट्ठा रखने हुये परिवर्तनाका उत्तरानन का कामन है जि युक्ति अनुमेदित उत्तरानन योजना बाट में लियर्व की यामा की अनुमान इन्हाई नहीं है। इस उत्तरानन आवासी यारी में लिये जाने वाले उत्तरानन यामा आवेदित उत्तरानन यामा 10,000.00 टन उत्तिक से उत्तिक है। यारी में यी जीईआईएए, करीबाकाशारा गे 10,000.00 टन प्रतिवर्षी के लिए पर्यावरणीय सीमावृत्ति द्वारा हुया या, नियामी याम की यामा हो युक्ती है। इस कामना में युमने यारी दीकरण के लिए आवेदन किया है। सभा की परिवर्तित आवासनाका द्वारा आवासा लिया याम है जि 10,000.00 टन प्रतिवर्षी से अधिक उत्तरानन नहीं किया जाएगा तथा इस बाबत् कार्डिल इन्हाईए, नियोंमें सामन यारी द्वारा किया जाएगा।
2. परिवर्तित आवासनाका द्वारा यारी में यारी पर्यावरणीय सीमावृत्ति की यारी की याम में की नहीं करायाई गी यारी-प्रतिवर्षी यामकामी प्रस्तुत यारी नहीं है। जमिनी द्वारा यारी दिया गया यि यारी में एसईएसी, आवासीका याम विनाक 1413, विनाक 13/09/2020 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion," की संकें में याम संकेत, पर्यावरण, या एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी, नहीं दिल्ली की यामीकान के लिए यारी प्रतिवर्षी किया याम याम है। यामदारी द्वारा होने पर यामानुसार संवर्तकारी की जाएगी।
3. जननीय एन्डजीटी, विविध याम, यारी दिल्ली द्वारा यारी-प्रतिवर्षी विकल्प यामा यामदार, पर्यावरण, या और जलवायु परिवर्तन संबंधी, नहीं दिल्ली एवं अन्य (जीटिएसल रुपियांकुन नं. 160 यारी 2018 एवं याम) में विनाक 13/09/2018 यारी परिवर्तन आवेदन में युक्त या से नियामुत्तरा नियंत्रित किया याम है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा नियन्त्रित उपर्युक्त संस्थानों में नियन्त्रण लिया जाये गये हैं—**

1. कवरोलव रासेकर (खानिल जामा), खिल-कानीदारायाप-महाराष्ट्र के ज़ख्मी क्षेत्र 309/खानिल/2022 रासेकरायाप-महाराष्ट्र के नियन्त्रण जारीदित ज़ख्मी क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी तकीयता 32 वर्गमीटर, लीकाग्नि 63.273 हेक्टेयर है। अधिकारी क्षेत्र (जामा-कानीदारायाप) का क्षेत्र 1.82 हेक्टेयर है। इस प्रकार अधिकारी क्षेत्र (जामा-कानीदारायाप) को नियन्त्रण कुल क्षेत्र 65.000 हेक्टेयर है। ज़ख्मी की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थीरकृत/संगतीकृत ज़ख्मी क्षेत्र कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का व्यवस्थित होने के कारण यह ज़ख्मी 'ही' क्षेत्री की मानी जाती है।
2. नाईन लोल सेत्र की जारी और 7.5 मीटर वर्षे से ऊपरी ज़ोन की क्षुद्र ज़ख्मी में नियन्त्रण लोल के क्षेत्र की नियन्त्रित संपत्ति (Remedial Measures) की जारी हो तथा योजना के अंदर नाईन लोल नियन्त्रण क्षेत्रकालिकी के बाहर या उपर्युक्त प्रदूषण की नियन्त्रण हेतु आवश्यक सुधारी काम क्षेत्रान्वयन आदि की नियन्त्रण जारी करने वाला संसाधन, भवानन्दालय, भौतिकी ताता अधिकारी, इंदाशती चक्र, या राष्ट्रीय अटल जनरल नियन्त्रण कामपूर (खानिलजामा) को यह लोल लिया जाए।
3. अधिकारी 7.5 मीटर वर्षे सीमा पहुंची से अधिक प्रदूषण क्षय करने पर अधिकारी क्षेत्रकालिकी कामोंकारी नियन्त्रण ज़ोन हेतु संसाधन, संसाधनालय, भौतिकी ताता लोल क्षेत्रमें एवं पर्यावरण की अधि व्यवस्थाएं हेतु उत्तीर्णकृत पारिवहन संस्थान संस्थान, या राष्ट्रीय अटल जनरल की आवश्यक कामोंकारी नियन्त्रण ज़ोन हेतु लिया जाए।
4. अधिकारी द्वारा नियन्त्रण लिये जाने वाली उपर्युक्त संस्थानों के उपरी की ज़ख्मी क्षेत्र साल संखार, पर्यावरण, या और ज़ख्मी हेतु परिवर्तन विकास या द्वारा अंतिर 2016 में प्रकाशित द्वारा दीक रिफरेंस (टीडीआर) और ई-आरए/ई-एनपी लिये होने विशेषज्ञ/एकाडेमिक नियन्त्रणकार्यक्रम व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं अंतिर हेतु अंतिर नोटिफिकेशन, 2006 में दीक दीकी १०(१) का द्वारा दीक टीडीआर (दीक युनिवर्सिटी एडिल) दीक दीक नाईन लोल नाईन लोल क्षेत्र हेतु नियन्त्रण दीक टीडीआर की ज़ख्मी कामों की अनुसार की गई—
  - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & overburden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
- vii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for mining.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchams and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 894(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of green belt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 65 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance

to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- iii. Project proponent shall submit OEM proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

एवं यांत्रिक पर्यावरण अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रतिक्रिया (प्राप्ति अधिकारी), आवृत्तिशब्द की उत्तमतावाली सुनिश्चित रिपोर्ट जाए।

6. मेसनी ग्रामीणी लकड़ी बटोर याती (प्र.- बीमती इग्निया लकड़ी), दाम-आगरीनी, तहसील-हिंगांग, फिला-कलीदाराबाजार-बाटापाता (सर्वियलय का नस्ती दर्शक 1016) अधिकारीने आवेदन - बटोर याती - एसडीएस / बीमती / एमडीएस / 21328 / 2023, फिला 22/01/2023 द्वारा दी.ओ.आर. ईनु आवेदन दिया गया है। परियोजना का वातावरण का अध्ययन विभाग द्वारा अनुमति दिया गया है। परियोजना प्रवर्तन का वातावरण जानकारी दिनांक 10/12/2022 की अधिकारी द्वारा दिया गया है।

प्रवर्तन का विवरण - यह यूं से संबंधित कूपा भवार (दीन खानीव) व्यापार है। व्यापार दाम-आगरीनी, तहसील-हिंगांग, फिला-कलीदाराबाजार-बाटापाता फिला याती दर्शक 1 एवं 2, यूं सीखाल-1068 ईकेटर में है। याती की अधिकारी दर्शक अमृता दर्शक-20.128.36 द्वारा प्रतिष्ठित है।

उत्तमतावाली सुनिश्चित रिपोर्ट की एसडीएस, आवृत्तिशब्द की उत्तम दिनांक 10/01/2023 द्वारा प्रभुत्वावाली सुनिश्चित रिपोर्ट दिया गया।

फिला का विवरण -

(i) खानीव की अधिकारी दिनांक 22/01/2023:

उत्तमतावाली सुनिश्चित रिपोर्ट की अधिकारी दर्शक अधिकारी दर्शक द्वारा नस्ती अनुमति दिया गया है। अधिकारी दर्शक द्वारा अनुमति दिया गया है। अधिकारी दर्शक द्वारा नस्ती अनुमति दिया गया है।

1. यूं में याती पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी विवरण-

- यूं में यूं का भवार (दीन खानीव) व्यापार जानकारी दर्शक 1 एवं 2, यूं सीखाल-1068 ईकेटर, दर्शक 20.128.36 द्वारा प्रतिष्ठित स्थिरता संबंधी विला स्थानीय पर्यावरण व्यापार फिला प्राविधिक, फिला-कलीदाराबाजार-बाटापाता द्वारा दिनांक 14/02/2017 की जाती की गई। यह स्थिरता संबंधी दिनांक 6 वर्ष तक ही।

परियोजना प्रवर्तन का वातावरण याता द्वारा दिया गया है। याता सत्यार्थ, पर्यावरण, दर्शक द्वारा अनुमति दिया गया है। अधिकारी दर्शक द्वारा नस्ती अनुमति दिनांक 10/01/2021 अनुमति-

"A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearance granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and

subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय समीक्षा की विषय जारी रिपोर्ट के दिनांक 13/12/2020 का ही होगा।

- a. पर्यावरणीय समीक्षा द्वारा यहीं में जली पर्यावरणीय समीक्षा की गति के प्रभाव में ही वही कार्रवाई की जाएगी जो इनका की गई है। लगभग १० का यह है जो पर्यावरणीय समीक्षा द्वारा एकीकृत कीर्ति कार्रवाई, जलज जलवायन, जलवायन, जल एवं जलवायन परिवर्तन जलवायन, जल जलवायन अटल नदी के यहाँ में जारी पर्यावरणीय समीक्षा की प्राचलन परिवर्तन द्वारा जल इनका विषय जारी रखा जाएगा है।
- b. निश्चिह्नित जलीनुसार जलाशयन नहीं विषय नहा है।
- c. विषय यहीं में जिसे एके उत्तराधिकारी (केंद्रीय या नि.) की अनुसार जलवायनी प्रक्रिया नहीं की गई है। अतः नहींहोने का यह है जो विषय यहीं में जिए नए जलवायन की जारीकरण याज्ञ की जलान्वासी अटल रिपोर्ट तक केंद्रीय या नि. राजनीति विभाग से उत्तराधिक जलाशयन प्रक्रिया विषय जारी रखा जाएगा है।
- d. एवं फैलावत का अनावर्ति प्रयोग यज्ञ – जलवायन के जारी में इस फैलावत अनावर्ती का दिनांक 10/12/2020 को अनावर्ति प्रयोग यज्ञ इनका विषय गया है।
- e. जलवायन योग्यता – इसी व्याय प्रक्रिया विषय गया है, जो कामुक-जलाशय (वि. १), संघरणनाशय, औरियी तथा जारीकरण, जल जलवायन अटल नदी के पु. जलवायन अन्वयन ३०४/केंद्रीय/जलवायन/उत्तरी/२०२१(१) वाला जलवायन, दिनांक ३०/१२/२०२१ द्वारा अनुमोदित है।
- f. ५०० बीटर की सीधिये में विषय जलाशय – कार्यालय वर्लेसर (केंद्रीय जारी), विज्ञ-जलीनाशय-जलाशय की जलाशय अन्वयन ३०४/केंद्रीय/२०२२ जलीनाशय, दिनांक २०/०८/२०२२ के अनुसार जारीकरण जलाशय से ५०० बीटर के भीतर जलवायन ३२ जारी, अन्वयन ६४.८५ हेक्टेक्टर है।
- g. ३०० बीटर की सीधिये में विषय जारीजनक दीव/जलवायन – कार्यालय वर्लेसर (केंद्रीय जारी), विज्ञ-जलीनाशय-जलाशय की जलाशय अन्वयन ३०४/केंद्रीय/२०२२ जलीनाशय, दिनांक २०/०८/२०२२ द्वारा जारी प्रयोग यज्ञ अनुसार जलाशय जलाशय से ३०० बीटर की सीधिये में कोई भी जारीजनक दीव नहीं खड़ी, नरपट, नद्दी, अन्वयन, चुल, जल, जलीन जलवायन, जलवायन एवं एनीजन अन्वयन परिवर्तित जाव विषय नहीं है।
- h. चूमि एवं लीज का विषय – चूमि एवं लीज भीनी अन्वयन जलवायन के जाग यह है। लीज लीज १० लीज अन्वयन दिनांक ३१/१२/२०११ से ३०/१२/२०२१ तक ही होने चाही जलवायन लीज २० लीज अन्वयन दिनांक ३१/१२/२०११ से ३०/१२/२०४१ तक विषयावधि की गई है।
- i. विस्ट्रीफ्लैट सी रिपोर्ट – कर्त २०१० की विस्ट्रीफ्लैट सी रिपोर्ट (Market Survey Report) की प्रति इनका की गई है।
- j. जल विभाग का अनावर्ति उत्तराधिकारी – कार्यालय वन्नावायनाविकारी, जलीनाशय अन्वयन, वर्लेसर जलाशय के जलाशय अन्वयन/कामीकरी/अन्वयन/२०२२

कानूनी दावतालात्, दिनांक 18/03/2022 के अन्तर्गति प्रमाण एवं अनुसार आवेदित कोष नियन्त्रण वन कोष की सीधा 9.5 किमी की दूरी पर है।

9. गहराकुर्बी गंगावनाघी की दूरी – निकटतम आवाही एवं मध्यम गंगा-जलसागरी 1.15 किमी, अमरालाल गंगा-मुहान 4 किमी दूरी पर सिवाय है। गहराकुर्बी गंगावनाघी 3.85 किमी, एवं गंगावनाघी 1.5 किमी दूर है। लालाच 1.45 किमी एवं नियन्त्रण 17.4 किमी दूर है।
10. पारिसंरक्षितीय/प्रौद्योगिक उद्योगस्थील कोष – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की सीधी में अतिरिक्तीय सीधा, गहराकुर्बी गंगावनाघी की दूरी पर दृश्य प्रदूषण नियन्त्रण कोई द्वारा योग्य डिरीकली वील्स्ट्राइड एटिला पारिसंरक्षितीय उद्योगस्थील कोष का प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक सीधा सिवाय की होना प्रीरिकेति सिवा है।
11. जलवा गंगा एवं गंगावन का नियन्त्रण – नियन्त्रणस्थिति नियां 6,33,800 टन, गंगावन की 3,44,063 टन एवं नियन्त्रणस्थिति नियां 2,31,889 टन है। सीधा की 7.5 कीमी सीधी सीधा गहरी (उत्तरान के लिए प्रौद्योगिक सीधा) का कोषकल 2,337.82 वर्गमीटर है। बीच बालाट सीधी मेहेन्याकुर्बी लिये से उत्तरान सिवा याता है। उत्तरान की प्राप्तानित अविकाश गहराई 27 वीटर है। लीज दोन में लघुपी लिये की लेटर्ड 1 वीटर है कथा युल गंगा 6,510 वर्गमीटर है। दोन दो लीज 1.5 कीमी एवं बीच 1.5 कीमी 1.5 वीटर है। लालाच की दृश्यप्रस्ताव आयु 16 वर्ष है। लीज सीधा में जलवा व्यापित नहीं है कुछ इसकी लंबाई का व्यवाय नहीं लिया गया है। ब्रिलिंग नहीं लिया जाता है एवं बहरिटर की अवलम्बनता होने पर दीवीजीएलएस तो अनुमति देता कर अविकाश विस्तोरक सहारेस पर्स (Explosive License Holder) द्वारा करता जाता है। उत्तरान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का नियन्त्रण सिवा जाता है। लीजप्र प्रस्तावित उत्तरान का नियन्त्रण नियन्त्रणस्थिति है—

क्रम	प्रस्तावित उत्तरान (टन)	क्रम	प्रस्तावित उत्तरान (टन)
प्रथम	33,241.30	पाद्धर	15,766.00
द्वितीय	26,211.90	उत्तरान	14,324.12
तृतीय	20,487.57	अमराल	13,349.69
चतुर्थ	18,848.69	नदी	11,641.71
पंचम	17,272.50	दरान	10,430.04

12. जल अपूर्ति – परियोजना हेतु अवायक जल की नापा 4 वर्गमीटर प्रीरिकेति होती है। जलान में जल की अपूर्ति का नाप्तम/सीधों एवं गंगावन की नियन्त्रण से अवायकित प्रस्ताव एवं प्राप्ता जल इन्हाँत लिया जाना आवश्यक है।

13. गुणारोपण कार्य – लीज सीधा की सीधा में जली और 7.5 वीटर की लिये 100 ग्रम गुणारोपण लिया जायगा।

14. लालाच की 7.5 वीटर की सीधी सीधा गहरी में उत्तरान – लीज सीधा के जली और 7.5 वीटर की सीधा गहरी में उत्तरान कार्य नहीं लिया जाया है।

15. उत्तरान और लालाच की नियन्त्रण में उत्तरान इन्हाँत 20,128.30 टन प्रतिकाली उत्तरान है। जलकी प्रस्तुत लंबी जलवा अनुसार वर्षावर उत्तरानित उत्तरान का नियन्त्रण नियन्त्रणस्थिति है—

क्रम	प्रस्तावित उत्तरान (टन)	क्रम	प्रस्तावित उत्तरान (टन)

प्रथम	33,241.33	लाखों	16,766.02
द्वितीय	25,211.99	लाखों	14,324.12
तृतीय	22,467.57	लाखों	12,949.69
चतुर्थ	18,846.69	लाखों	11,641.71
पंचम	17,272.50	लाखों	10,400.04

समिति का नाम है कि आगामी बर्षी (एम. डिसेंबर एवं जूनीय) में किये जाने वाले प्राचलन अनुसार आवेदित उत्तराधिकार अनुसार 20,128.39 टन प्रतिलंब से अधिक है। इस उत्तर के संदर्भ में समर्थकानन प्राप्ति किया जाए।

समिति द्वारा उत्तराधिकार संरक्षणात्मकी से विवादानुसार निवेद लिया गया था—

१. आगामी बर्षी में किये जाने वाले प्राचलन अनुसार आवेदित उत्तराधिकार अनुसार 20,128.39 टन प्रतिलंब से अधिक है। इस उत्तर के संदर्भ में समर्थकानन प्राप्ति किया जाए।
२. यूरो में आरी पर्सियानीय स्थीरकी का पालन प्रतिवेदन एकीकृत बोर्डीय कार्यालय, मानस राज्याधार, पर्सीसाथ, बन और उत्तराधिकारी परिवहन विभाग से आगामी जाने हेतु प्राप्त संस्था लिया जाए।

उत्तराधिकार एकीकृती, पर्सीसाथ के उत्तराधिकार द्वारा दिनांक 16/09/2023 से परिवेद्य के परिवेद्यका उत्तराधिकार द्वारा दिनांक 08/10/2023 की आवश्यकीय/दस्तावेज़ प्राप्ति किया गया।

(३) समिति की बहुवीकृति दिनांक 13/10/2023:

समिति द्वारा जारी, प्राप्ति आवाहनी का आवाहन एवं विवरण कहाँसे पर लिया गया था—

१. आगामी बर्षी में किये जाने वाले प्राचलन अनुसार आवेदित उत्तराधिकार अनुसार 20,128.39 टन प्रतिलंब से अधिक है। इस उत्तर के संदर्भ में समर्थकानन प्राप्ति करनी यूरो पर्सियानीय प्रकाशक का वापस है कि यूरो अनुसारीकृत उत्तराधिकार कार्ड में दिये गए गवाना के अनुसार वर्णन नहीं है। इस वापस आगामी बर्षी में किये जाने वाले प्राचलन अनुसार आवेदित उत्तराधिकार अनुसार 20,128.39 टन प्रतिलंब से अधिक है। यूरो में भी यौद्दीकारी, उत्तराधिकार से 20,128.39 टन प्रतिलंब के लिए पर्सियानीय स्थीरकी द्वारा हुआ था, जिसकी समय सीमा राखा ही नुसी है। इस वापस के हमने उसी विवरण के लिए आवेदन दिया है। इस द्वारा समिति द्वारा आवाहन दिया गया है कि 20,128.39 टन प्रतिलंब से अधिक उत्तराधिकार नहीं किया जाएगा क्योंकि फाइनल इकाई दियोर्द द्वारा दिया गया था।
२. परिवेद्यका प्रसारात्मक द्वारा यूरो में आरी पर्सियानीय स्थीरकी की जारी का पालन में की नई कर्तव्याधीन बोर्डी-प्रतिवेदन आवाहनी प्राप्ति की जाए है। समिति द्वारा नीट लिया गया था कि यूरो में एकीकृती, पर्सीसाथ के उत्तराधिकार दिनांक 14/13, दिनांक 13/09/2023 द्वारा “Clarification Requested on Requirements of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals with regard to Expansion.” के संदर्भ में मानस राज्याधार, पर्सीसाथ, बन एवं उत्तराधिकारी परिवहन नियमों, जहाँ दियी गई पर्सीसाथ के लिए प्राप्त लिया गया था, इस परिवेद्य में आवेदन करा नहीं हुआ है। पर्सीसाथ प्राप्त होने वाले उत्तराधिकार कार्यालयी की जारी।

3. यान्त्रिक रूप से ही, विभिन्न बैठक वह फैसले का प्रयोग करती हैं जो अन्य समवेत विवेचन, वन और पर्यावरण विभागों द्वारा यह फैसले एवं अन्य (जीवविवरण एवं विविधान नं. 188 तिथि 2010 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 वाले विवर आदेश में दृष्टि का हो रहा था तो विषयात्मक फैसले फैसले गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 6 to 26 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by BEAC & BEA&A as well as for cluster situation where over it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 6 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समीक्षा द्वारा विवर विवरों उपरान्त वर्णनात्मक से विषयात्मक फैसले दिया गया है:-

- आधिकारिक कालेजर (जीवविवर वाला), वित्त-विविधानात्मक-भवानात के अधिन अन्यांश 304/कृषि/2023 विविधानात्मक, दिनांक 20/08/2023 के अनुसार आधिकारिक वादान वी 300 मीटर की वैतान अवधिकारित 22 वर्गमी. क्षेत्रफल 64.004 हेक्टेकर है। आधिकारिक वादान (इस—आनंदनी) का वक्ता—जी.एस. विविधान है। इस वादान की वीथा से 300 मीटर की वैतान में लीक्यू/संचालित वादानों का युक्त क्षेत्रफल 3 हेक्टेकर है और इस का वादान विविधार होने के बावजूद इस वादान 'वी' वीथी की गयी गयी।
- समीक्षा द्वारा विवर विवरों उपरान्त वर्णनात्मक से वादान वी' वीथी का होने के काला भासत वादान, वादान, वन और पर्यावरण विभागों विवेचन द्वारा अप्रैल, 2019 में प्रकाशित होने वाले विविधान (जीवविवर) और इंडिपॉर्ट/इंडिपॉर्ट विविधान (विविधान वीथी) विविधान/एकटीकटीव विवादित वादानों की विविधान वीथी 1(ए) वाले क्षेत्रफल 64.004 हेक्टेकर (युक्त वादान) वीथी वीथी वादान विविधान द्वारा विविधार विविधान की वादान वादी वीथी की अनुसंधान की गई है।
  - Project proponent shall inform BEA&A & B.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & overburden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
  - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objection/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchsamsa and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 904(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

एवं निम्न परिवार प्रमेय अक्षय अधिकारी (अनुसंधान विभाग) द्वारा निम्नलिखित रूप से दिया गया है।

द्योष अवश्य ज्ञान के काम रहेगा।

(Mr. अक्षय अधिकारी)

सचिव सभी

राज्य सरकार विभाग अधिकारी  
उत्तराखण्ड

(Mr. अक्षय अधिकारी)

सचिव

राज्य सरकार विभाग अधिकारी सभी  
उत्तराखण्ड

मेहरानी करियर सीमा मार्ग (लखनऊ, यात्रा संचयन करियर),

को पाटे और लगात डमाक रोड, बुजुर बाजार – ५०० हेक्टेयर में दीज का कुल ८० प्रतिशत सीमावल में ही ऐत उत्तराखण्ड, राम-करियर, लक्ष्मी-लक्ष्मण, विला-यात्रा बहल कार्बन (ए.ट.) में उत्तराखण्ड में ऐत उत्तराखण्ड कुल ५५,५०० यात्रीय इनियर हेतु प्रश्नावित एवं उत्तराखण्ड में दी जाने वाली थी।

यह उद्योगसभीय सीमावलीय इनियरिंग दीज की जा रही है। इस दीज की बहुत व्यापक से यह उत्तराखण्ड कार्बन से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

१. यह उद्योगसभीय सीमावलीय यात्रा पट्टी के नियाइन की तारीख से यांत्र वर्ष तक की अवधि हेतु यह होती है।
२. सहेनेवल सीमा भूमिनिय इनियरिंग गाइडलाइन, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्मेंट एवं एनिटरिंग गाइडलाइन एवं संट्रां भूमिनिय, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
३. इन्फोर्मेंट एवं एनिटरिंग गाइडलाइन एवं संट्रां भूमिनिय, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत का इनियर दीज में उत्तराखण्ड करने किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
४. याद उत्तराखण्ड (सिल्वेटन एट्डी) लिंसेट – उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड की जागरूकी १.५ ली. मी. लिस्टर याद उत्तराखण्ड (Creation Survey) करायेगा। लाइसेट ऐत से उपलब्धता (Replenishment) कार्बन दीजी आवंट्टे, ऐत उत्तराखण्ड का नदी, नदीयाँ, उद्योगीय उत्तराखण्ड, जीव एवं सूखम जीवों पर उत्तराखण्ड की जानी की गुणवत्ता का ऐत उत्तराखण्ड की जाही जानकारी प्राप्त हो जाए।
५. उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड द्वारा दीज दीज के गुण प्रोफेशनल द्वारा पालन (लीज उत्तराखण्ड दीज नाम, उत्तराखण्ड का दीजवाल अक्षय एवं रितेश नाहिं, उत्तराखण्ड की जाना, सीमावलीय अवधि) जानाया जाए।
६. दीज दीज के जाही जीवों उत्तराखण्ड की जाही कीज एवं लीजेट के जाही उत्तराखण्ड अवधियाँ हैं ताकि दीज दीज जाही में याद रखियाँ जाएं हो सकें।
७. याद उत्तराखण्ड द्वारा अविस्तृत दीजी उत्तराखण्ड में है, उत्तरा ६०० लीटर की वीत नदीवाला ऐत उत्तराखण्ड का बुजुर वर्षा ५ हेक्टेयर से अधिक नहीं है तो उत्तराखण्ड सीमावलीय भावन नहीं होती।
८. भूमिनिय उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड दीज ५०० हेक्टेयर की कुल ८० प्रतिशत सीमावल में अधिक नहीं होता। तीव्र ५० प्रतिशत सीज में उत्तराखण्ड नहीं किया जाएगा। ऐत का उत्तराखण्ड जातह १.५ लीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उत्तराखण्ड अधिक नहीं। इसी प्रकार उत्तराखण्ड की जात का अधिकतम उत्तराखण्ड ५५,५०० यात्रीय इनियरों से अधिक नहीं होता।
९. उद्योगीय एवं जीवी के अद्देश दिनांक २५/०२/२०२१ की अनुसार पट्टीवार द्वारा भूमिनिय पालन एवं उद्योगसभीय सीमावलीय दीजी जीवों का पालन सुनिश्चित करने वाले हेतु उत्तराखण्ड प्रशासनक की पट्टीवार रिपोर्ट करना होता।
१०. ऐत उत्तराखण्ड प्रारंभ करने के दूर्वा उपर्युक्तानुसार इनियरिंग यात्रा लिस्टरों पर जाही में ऐत की जातह की जाती (Levels) का सौंदर्य वाले उत्तराखण्ड एवं जीवी।

१०. प्रतीक्षाएँ को प्रदूषित किये जाएं। गोट-वान्सून (गोटुन/वान्सून वाले में भी वाल्सन वाले लोगों को शुद्ध) इन्हीं विश्व विन्दुओं में वाहिनी लोग लोग लोग लोग को आवश्यक एवं वाकाशटून में ५०० मीटर तक लोग लोग लोग लोग को वाह / नहीं रह दें (लोगों और) को ५०० मीटर तक के होड़ में नहीं रहते लोगों को वाही (वाही) का लोग शुद्ध विश्वासित विश्व विन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसा सम्बन्ध मनसून को शुद्ध (भूमि वाह के अधिन सम्बन्ध/वृक्ष के प्रथम अवधार) इन्हीं विश्व विन्दुओं पर ऐसा लोग के लोकल्स (लोकल्स) का वापस लिया जाएगा। ऐसा लोग को शुद्ध विश्वासित विश्व विन्दुओं पर ऐसा लोग के लोकल्स (लोकल्स) को वापस कर काम आवानी ६ वर्ष तक विश्व विन्दुओं पर किया जाएगा। गोट-वान्सून के अवधार विश्वास २०२३, २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८ एवं गोट-वान्सून के अवधार विश्वास २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९ तक अधिकारी लोग की एकाई अवधार, प्रतीक्षाएँ को प्रदूषित किये जाएंगे।
११. ऐसा लोग शुद्धी एवं नवाही अधिकारी द्वारा (Ministry) की जाएगी। इस अधिकारी के लिये विश्व वाल्सन लोकल्स (Machinery) आदि का वापसी नहीं किया जाएगा। विश्व वेद में भी वाहनी का अधिक अधिकारीता रहेगा। लोग होड़ में विश्व ऐसा शुद्धी गद्दी (Excavation pits) से लोकिंग वाल्सन तक ऐसा का परिवहन द्वारा दूसी द्वारा लिया जाएगा।
१२. ऐसा वाल्सन लोकल्स विश्वास, गोपनीयता एवं लोकिंग होड़ में ही किया जाएगा। ऐसा वाल्सन लोकल्स विश्वासी गद्दी को १५ मीटर अवधा वाल्सन तक लोग की लोकल्स लोग हो १ मीटर अधिकारी लोकों में से भी उसी लोग हो, जो अधिक नहीं लोकी। ऐसा वाल्सन विश्वासी वी परिवेशात्री में लोक लोग के नीतों नहीं किया जाएगा। न्यूलाल २५ मीटर शुद्धी रहा जो ऐसा नहीं तज (तजों लोक) को वापस छोड़ा जाना अधिकारी है।
१३. ऐसा वाल्सन नहीं रही हो तो उसी वाल्सन को २५ मीटर अवधा नहीं की शुद्धी की ५० प्रतिशत की दूसी जो भी अधिक हो अधिकारी ही किया जाएगा, लोकि नहीं तो तो का वापस न हो। विश्वासी वी गुरुत्वा, वरावाहिम, वाह, एकीकरण, तक वाल्सन वाल्सन एवं अन्य नवाही लोकल्सों से लोकान के अवस्थान ५०० मीटर तक वाल्सन वाल्सन में न्यूलाल २५० मीटर सुखित होने लोकों जाना अधिकारी है।
१४. वह लोकिंगवाला किया जाए कि ऐसा वाल्सन लोकल्स लोकी होड़ का वेग, टर्मिनों एवं लोक लोक की लालव एवं लोकी विश्वासी प्रबाह न रहे।
१५. वह लोकिंगवाला किया जाए कि वाल्सन लोकल्स लोकी होड़ में किया जाए विश्वासी लोक विश्वासी अवा—वाह को होड़ पर लोकी जी लोक—जन्म प्रबाह लोकु विश्व न हो। काल्जी की वाल्सन वृक्षाल्लोकी / लोकी का लोकल्स वाल्सन है, अतः इन लोकों के वास वाला ऐसा वाल्सन नहीं किया जाए।
१६. ऐसा वाल्सन एवं वाही / परिवहन दिन के समय की किया जाए। वह वार्षी लोकों के कामप नहीं किया जाए। लोकि में अधिक वाल्सन लोकों जाने की विश्व में परिवेशना वाल्सन की विश्व विवाहानुसार कर्वेशी ही जायेगी।
१७. परिवेशना प्रस्तावक द्वारा ऐसा वाल्सन विश्व विवाही लोक लोकिंग / अवधारित आदि से वाल्सन होने वाले लोकु जिन्हिंग लोक लोकिंग के विवेश्व हेतु अपमुक्त वाह वाल्सन विवेश्व वाल्सन लोकों जो वाल विश्वासी अवधा अन्य वाल्सन वाल्सन की जाए। ऐसा वाल्सन लोक में वालीलीय लोकु की गुरुत्वात् भावत वालावर वालीवार।

कर और यह बायु परिवर्तन संबंधी नई वित्ती हारा अधिकारित योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. यह का परिवर्तन संबंधित अवया जल्द उपलब्ध योग्यता से इसे दूर यात्रा से लिया जाए, ताकि यह यात्रा से बाहर नहीं हो। योग्यता का परिवर्तन कर यह योग्यता की बदलता से अधिक नहीं यह यात्रा सुनिश्चित लिया जाए।
16. संतरण कीज में योग्यता प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित लिया जाए।
17. प्रदूषणिकता की बदलता पर संतरण प्रक्रिया हारा कर्व 2023-24 में नटीवाट के कानून को संकेत द्वारा लीज सेत के अनुसार अमृत, जामून, बहु, गोमाता, नीम, कंकाल, लीकू, जाम, इनली, चींचा आदि अन्य अन्यायी प्रदूषणिकों के बूत 1,000 नए योग्यता का संतरण नहीं होता पर योग्यता लिया जाए। संतरण की सुनिश्चित बदलते के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैव जटाईवार यात्रा की बाह का उपयोग) लिया जाए। ५ योग्यता वे ५ योग्यता द्वारा योग्यता का दूर योग्यता लिया जाए। योग्यता कुलदीपन यात्रा की भूमि पूर्ण लिया जाए। योग्यता योग्यता की सुनिश्चित एवं स्थानीय आवासी ५ योग्यता तक बदलते का यातारदायित्व से संबंधी बदलता का बदलता पर जामून लिया जाए। योग्यता योग्यता की सुनिश्चित एवं स्थानीय आवासी ५ योग्यता तक बदलते का यातारदायित्व संशोधन का उद्देश्य लिया जाए।
18. योग्यता लिये जाने वाले योग्यता में संखारण (Numbering) एवं योग्यता के नाम का बदलते करते हुए फोटोडायला भवित्व बदलता अधिकारित लिंगोट के माध्य यात्रा करें। ऐसा नहीं करने पर योग्यता द्वारा योग्यता की योग्यता।
19. कुलदीपन का स्थानीय आवासी ५ योग्यता का सुनिश्चित बदलते हुए भूमि योग्यता को बदलते (Mortality replacement) लिया जाए।
20. योग्यता योग्यता की पुरी द्वारा योग्यता (Differential Global Positioning System) से एवं फोटोडायला अधिकारित लिंगोट में योग्यता बदलते हुए सुनिश्चित एवं स्थानीय संतरण योग्यता एवं एकई आदि एवं योग्यता योग्यता की द्वारा लिया जाए।
21. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा निर्माणात्मक प्रक्रिया का एवं पर्यावरण द्वारा योग्यता की जटाई लिया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
Following activities at, Village- Kariba				
29.93	2%	0.59	Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75



26. शीर्षकार के द्वारा नियमित कार्रवाई 08 जन में अधिकारी का से पूरी लिख जाए। शीर्षकार के उपस्थित प्रस्तावित कार्रवी के कार्रवी पूर्ण प्रयोग संबंधित इसमें सम्बंधित कार्रवी पूर्ण प्रयोग लिख जाए। शीर्षकार, कार्रवी की उपस्थित पुर्णतरिका कार्रवी अप्रत्यक्ष उपस्थिति लिख देता। पुरानीपन कार्रवाई द्वारा पर वर्धितल स्थिरता लिखने की जावेगी।
27. शीर्षकार के अधिकारी उपस्थित के बारे और नुसारेवा (अम, कदहार, यामुन) हेतु प्रयोग उपस्थित अनुभाव युक्त 08 जन लिखने से 10 जन युक्त पूर्ण से उपस्थित के बारे और अधिकारी है। ऐसे 30 जन बीमों के लिए याति 3,000 रुपये, बीमों के लिए याति 4,500 रुपये, आदि हो लिए याति 1,500 रुपये, लिखार्ह 08 जन रुप—रुपार आदि हो लिए याति 16,000 रुपये इस अकार उपस्थित की में युक्त याति 36,000 रुपये जारी रखा जायेगी 4 जन में युक्त याति 60,000 रुपये हेतु यटहार उपस्थित का लिखार्ह प्रयोग लिख देता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याम प्रयोग कर्तव्य के सहमति उपरात प्रयोगीय उपस्थित करान (उपस्थित अप्रत्यक्ष 08, बीमारुप 1.22 उपरेक्षा), हो संघर्ष में उपस्थिती प्रयोग उपस्थित अनुभाव कार्रवी पूर्ण करें।
28. शीर्षकार एवं नुसारेव्य कार्रवी की बीमोंटरिय एवं परीक्षण हेतु फि—फ्लॉय लाइनी (ट्रैफलाईटर/प्रतिशेषी, याम प्रयोग के परियोजना/प्रतिशेषी एवं लिखा प्रस्तावना का अव्याप्तिकार्य पर्यावरण उपस्थित यामका के परियोजना/प्रतिशेषी) लाइन लिखा जाए। जावा ही शीर्षकार एवं नुसारेव्य का कार्रवी पूर्ण लिखे जाने के प्रयोग लाइन फि—फ्लॉय लाइनी से उपस्थित कराया जाए।
29. याम की लिखार्ह एवं/अधिकारी लिखार्ह हेतु रुपल या जारी, एवं एन्टी यामार/प्रायोग/परदा के लिखार्ह से रुप—रुप शीर्षकार के लाभ आने का उपरात जारी गये कार्रवी का लिखार्ह भी अधिकारी लिखार्ह होनी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शीर्षकार के लाभ उपस्थित कार्रवी करना जीवी यामे पर वर्दीवालीय स्थिरता की लिखार्ही की जाएगी।
31. अन्तिमाम यीक छपित लिख 2023, रुपल यामक द्वारा एवं उपस्थित एवं अधिकारीय लिखार्ह 2/3/2024 के प्राप्तकर्ता/हीरी एवं ग्राहककर्ता जारी लिखा लिखार्ही, अन्तिमाम उपस्थित योजना एवं वर्दीवालीय प्रक्रान योजना का यातन सुनिश्चित लिखा जाए।
32. कार्रवी रुपल या जारी कीर्तिय लाइक कार्रवी या उपस्थित जारी हो एवं लिखार्ही की आवास ही जारीत उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीवी जाएगी। आवासीय उपस्थित अस्थायी संरक्षणको ले कर में हो जानी है, जिसे परियोजना यूटी डीमो की उपस्थित ढारा या जाके।
33. अधिकारी के लिए उपस्थित रुपल या उपस्थित लिखार्हीय सुनिश्च, योगदान दायरेट आदि ही उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीवी जाए। जावा ही जारी गये युक्त लिखार्ही अस्था उपस्थित योजना के लिए, परियोजना आदि का लिखार्ही प्रतिशेषी रहेगा। नहीं ऐसे जारी जाल ही उपस्थित का अध्यान रखा जाए।

३४. अधिकारी का आप—जन्म पर असमुदायगत होना संवित्रित कराया जाए।

३५. उत्तराखण्ड की जनजीव, जन्मी की एवं अनुसारिति प्रशंसन वीजन के अनुसार अधिक जीवन में दिल्ली की प्रकार का परिवर्तन एसडीआईएस अस्सीसेन्ट / भाषा ग्रन्थालय, पर्यावरण, बन और अस्सायु अधिकारीन जीवन, नई दिल्ली की पूर्ण अनुभवी की जिम्मा जानी जिम्मा जाए।

३६. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जानी करने का आपका दिल्ली अधिकारीपत्र अल्पा अन्य सम्बोधित पर अधिकारी दर्शाने का नहीं है एवं वह जनजीवनीय स्वीकृति दिल्ली निवी सम्बोधित को नुस्खाने पूर्वाने अल्पा अधिकारीपत्र अधिकारी के अधिकारी अल्पा जीन्द्र, जन्म एवं जनजीवन कानूनों / निवीतों के प्रश्नोंपर हेतु अधिकृत करता है।

३७. एसडीआईएस अस्सीसेन्ट पर्यावरण जीवन की दृष्टि से, परियोजना की कलेक्टर में अधिकारीन अल्पा निवीतिकृत जीवी के जीवनदर्शक जन्म से प्रश्नोंपर जीवन की दृष्टि में दिल्ली की जीवी के जीवन में अधिकारी / निवीत करने पर अल्पा नई जीवी जीवन जास्तीगत / निवीत के जीवन के अधिकारी जीवनीय की जीवन के अधिकारी का अधिकारीपत्र सुनिश्चित रखता है।

३८. परियोजना प्रकारक नुस्खाने २ जनजीवन सम्बाद पर्वी में, जो कि अधिकारीजना के जीवन की आप—जन्म जीवन की उत्तराधित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा हीने की ७ दिल्ली के भीतर इस जीवन की नुस्खा उत्तराधित करेता कि अधिकारीजना की जीवनीय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति जन्म की दिल्ली अधिकारी जीवी जीवनीय सम्बोधित, जास्तीगत पर्यावरण जीवन मन्त्रालय से अस्सीसेन्ट हेतु जीवन है। जाप ही इसका अस्सीसेन्ट भाषा ग्रन्थालय, पर्यावरण, बन और अस्सायु परिवर्तन जीवनदर्शक, नई दिल्ली एवं एसडीआईएस अस्सीसेन्ट की [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) पर जीवन जीवन करता है।

३९. पर्यावरणीय स्वीकृति में की गई जीवी के जीवन हेतु जीवनीय कार्यवाही की जीवी अधिक दिल्ली अस्सीसेन्ट पर्यावरण जीवन मन्त्रालय, जाप जायगुर अटल नगर, निवा-जायगुर, जीवीय कार्यवाही, अस्सीसेन्ट पर्यावरण जीवन मन्त्रालय, जगदस्तगुर, एसडीआईएस, अस्सीसेन्ट एवं एस्सीहुत जीवीय कार्यवाही, जाप जायगुर अटल नगर की दिल्ली निवीत जीवन जाए। एस्सीहुत जीवीय कार्यवाही, जाप जायगुर, पर्यावरण, बन एवं अस्सायु परिवर्तन जीवनदर्शक, जाप जायगुर अटल नगर हुआ पर्यावरणीय स्वीकृति में घटक जीवी के जीवन की जीवनीटीन की जाएगी।

४०. एसडीआईएस, जाप जायगुर, पर्यावरण, बन एवं अस्सायु परिवर्तन भवितव्य, नई दिल्ली/एस्सीहुत जीवीय कार्यवाही, जाप जायगुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रशासन निवालय जीवी/अस्सीसेन्ट पर्यावरण जीवन मन्त्रालय के दिल्लीनी/अस्सीलिपी की जीवी के अनुजालन के संबंध में की जाने जानी जीवनीटीन हेतु जीवी जीवनीटीन इवान जीवन जाए। परियोजना प्रस्तावक हुआ निवीतिकृत जीवी का अनुजालन करना जीवी जाने पर जीवनीय स्वीकृति निवालय की जा सकती।

४१. परियोजना प्रस्तावक उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण जीवन मन्त्रालय एवं जाप जायगुर हुआ ही गई जीवी का अनिवारी करने ही जीवन करेगा। ऐ जीवी जाप (जायगुर निवालय जाप निवालय) अधिकारी, १९७५ वर्ष (जायगुर निवालय जाप निवालय) अधिकारी, १९७६ वर्ष (जायगुर निवालय जाप निवालय) अधिकारी, १९८१, पर्यावरण (जायगुर) अधिकारी, १९८६ वर्ष (जायगुर निवालय जाप निवालय) अधिकारी, परिवर्तनमय अधिकारी (जायगुर जायगुर एवं जीवनीटीन निवालय) विवाद २००८ (जाप)

पात्रोंमें) तथा लोक विभिन्न देशों के अधिकारी (वर्ष 2001) के बीच विभिन्न सभी को जारी है।

42. इमारिया परिवर्तन के बारे में एसईआईएए, उत्तीर्णदृष्टि में इन्हें वी विभाग आवास परिवर्तन हीने की वजह से एसईआईएए, उत्तीर्णदृष्टि को पुनः नवीन आवासकारी सहित सुधित किया जाए, ताकि एसईआईएए, उत्तीर्णदृष्टि द्वारा यह विभाग कर जाती की उपयुक्तता आवास नवीन जाहीं विभिन्न करने का वाचा कियाये हो सके। इदान ये वीहें वी विभाग आवास उन्नति एसईआईएए, उत्तीर्णदृष्टि / आवास संस्थान, परिवर्तन, यह और जानकारी परिवर्तन विभाग, वी विभाग की सूची उन्नति को किया जाए।
43. उत्तीर्णदृष्टि परिवर्तन संस्थान आवास परिवर्तनीय स्वीकृति की प्रति को एकत्र शामिल, विस्तृ-व्यवाप एवं वाहनों जैन्द्र एवं उत्तीर्णदृष्टि/उत्तीर्णदृष्टि विभाग में 30 दिन की अवधि के लिये प्रदर्शित करेंगा।
44. परिवर्तनीय स्वीकृति के विस्तृ आवास नेतृत्व सेवा ट्रीब्यूनल के ताप्त, नेतृत्व सेवा ट्रीब्यूनल एवं 2010 की वाता ५८ में दिए गए प्रश्नोंनी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

उदाय जाठि, एसईएए

—अवास, एसईएए

देशी कर्तवीकार संघ नाईन (संसदीय, जल पर्यावरण वन्नीकारक),  
जो पट्ट और ग्राम क्रमांक 204/१, ग्राम लोकपत्र - ५ एक्टेकर में द्वारा का कुल ६०  
द्वितीय लोकपत्र में ही ऐसे वर्णन, जल-पर्यावरण, अद्वितीय-वैज्ञानिक,  
विज्ञ-विज्ञानपूर (विज) में ग्राम से ऐसे वर्णन करना ३४,००० घनमीटर प्रतिवर्ष है।  
प्रत्यावर्त वर्यावरण स्थीरता में ही जाने का ही है।

यह पर्यावरणीय स्थीरता विनाशित करने के कारण भी जा रही है। जल जल करने की  
बहुत जगत से पहले यही जल करने की प्रक्रिया का विवरण करना सुनिश्चित लिया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्थीरता विनाश पट्ट के विवरण की तरीकी भी यह वर्ते तक की  
अवधि हेतु दिया गयी है।
2. एकेंव्रिक गोप्य पाइपिंग मैनेजमेंट गार्डलाइन, २०१० (Sustainable Sand Mining  
Management Guidelines 2010) एवं इन्फोर्मेंट एवं एफिक्युरिंग पार्किंगलाइन  
परिवर्त गार्डपिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand  
Mining) के अनुसार यहां सुनिश्चित लिया जाए।
3. इन्फोर्मेंट एवं एफिक्युरिंग गार्डलाइन परिवर्त गार्डपिंग, २०२० (Enforcement  
& Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ५० एक्टिविस्ट्स को जलवायन  
कार्य लिया जाना सुनिश्चित लिया जाए।
4. यह जलवायन विलेक्षण रिपोर्ट - परिवेशना प्रशासक ने जलवायन सीधे वे  
जगतमें १.५ वर्षे के विचार ग्राम अध्ययन (Station Study) करवाया। इसके द्वारा का  
पुनर्वापन (Replenishment) जलवायन की अवधि भी यह जलवायन का जली, नदीमत्त,  
जलानीय उन्नती, और एवं सूख जीवी वर प्रमाण जला जली के यही की गुणवत्ता  
एवं यह जलवायन की जली जलानीय प्राप्त ही है।
5. परिवेशना प्रशासक द्वारा लीज देव के सुख व्यवस्था एवं जलवायन पटल (लीज  
व्यवस्था का नाम, जलवायन का विवरण आहेत एवं देशांतर लागित, जलवायन की जली,  
स्थीरता अवधि) लगाया जाए।
6. सीज लोक के जाहे लोको जला सीज लाईन की कम में गोर्बिट के जामी जलाना  
आवश्यक है जली लीज होते रही में यहां दृष्टिकोण ही कहते।
7. यह जलवायन स्थानिक द्वारा अधिसूचित लियी गवाहार में है। जल्य ५०० मीटर  
के लिए स्थीरत तो जलानी का कुल जला ५ एक्टेकर से अधिक लोड है तो  
पर्यावरण स्थीरती नाम्य नहीं होती।
8. गार्डपिंग ज्ञान अनुदार के जलवायन सीज ए एकेंवर के कुल ५० प्रतिकाल कोणारकी  
अधिक नहीं होता। ऐसे ५० एक्टिविस्ट्स की जलवायन नहीं लिया जाएगा। ऐसे का  
जलवायन कुछ ही १ मीटर वहाही तक ही लिया जाएगा। जलानी अधिक नहीं। इसी  
जलानी जलवायन सीज का अधिकार जलवायन ३४,००० घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक  
नहीं होता।
9. जानीय एन्डोटी के अधीक दिनांक २५/०२/२०२१ के अनुसार एकेंवर द्वारा  
पाइपिंग व्यवस्था एवं पर्यावरणीय स्थीरती की जली का जलवायन सुनिश्चित कराये जाने  
हेतु परिवेशना प्रशासक की वर्यावरण विवेश लियुक्त जगत होता।
10. ऐसे जलवायन द्वारा जलाने करने की पूरी जलवायनानुसार विवेशित दिव्य विन्दुओं पर जली के  
ऐसे की साल के लाई (Levels) कम जली तर एकांकी जलवायन एकाई जारी है।

५. उत्तरीसिंगढ़ को प्रस्तुत किये जाएं। पीट-मानसून (प्राविदूर/कालाबा नदी में बैठ उत्तरनन्द घासे करने वाली एवं पूर्वी इनी विश्वकोश में वर्णित सीख से तथा लीज लीज के अन्तर्गत एवं उत्तरनन्दीमें 100 मीटर तक तथा उत्तरनन्द लीज के बाहर / बड़ी तट (टार्मो ब्रेंड) के 100 मीटर तक ही सीख में वही उत्तरनन्द के खाड़ी (खाड़ी) का यही पूर्वी विश्वकोश द्वितीय विश्वकोश का किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसा उत्तरनन्द उत्तरनन्द के पूर्वी एवं बाहर के अधिक उत्तरनन्द / दूसरे छोड़े उत्तरनन्द इनी विश्वकोश पर ऐसा उत्तरनन्द को लोवल्स (Leveles) का उत्तरनन्द किया जाएगा। ऐसा उत्तरनन्द का पूर्वी विश्वकोश द्वितीय विश्वकोश पर ऐसा उत्तरनन्द के सेवल्स (Leveles) के उत्तरनन्द का उत्तरी अन्तर्गती एवं उत्तरनन्द किया जाएगा। पीट-मानसून के आवाही विश्वकोश 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं दी-मानसून के आवाही अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनियावें तरफ से एवं आवाही दूर, उत्तरीसिंगढ़ को उत्तरनन्द किया जाएगी।

६. ऐसा यह उत्तराधि एवं भवार्ड अनियों द्वारा (Machinery), की जाएगी। इस प्रकार उत्तरनन्द के लिये विश्वी उपकरण संयंत (Machinery) अदि का उत्तराधि वही किया जाएगा। विश्व वेट में वाही वाहनों का उपयोग अतिविविष्ट नहीं। सीख लीज में विश्व ऐसा उत्तराधि वाहन (Excavation pits) की लोडिंग वाहन तक तेज का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

७. ऐसा उत्तरनन्द कीलत विश्वी, सीखकिल एवं चीमित कील में ही किया जाएगा। ऐसा उत्तरनन्द वीर अधीक्षण गहराई उत्तराधि की। बीटर आवाही विश्वनन्द तथा रस्ते की उत्तराधि उत्तराधि से + बीटर अधीक्षण लीनी वे से वही उत्तराधि ही नहीं होती। ऐसा उत्तरनन्द विश्वी वीर अधीक्षण में उत्तर रस्ते की नीचे वही किया जाएगा। न्यूनतम ३ बीटर अधीक्षण उत्तराधि तो ऐसा नहीं उत्तर रस्ते की उत्तर उत्तराधि जाना आवश्यक है।

८. ऐसा उत्तरनन्द वही उत्तराधि की तरफ से उत्तर उत्तराधि वही की गोद्वार्ड की १० अधीक्षण की दूरी यो वीर अधीक्षण ही उत्तराधि की किया जाएगा, ताकि वही उत्तराधि उत्तराधि न हो। विश्वी वीर मुक्तिया, नियमांश, बांध, एवं अधीक्षण, तथा प्रदायन उत्तरनन्द एवं उत्तर उत्तराधि संस्थानों से उत्तरनन्द के उत्तराधि ५०० मीटर तथा उत्तरनन्दीन में न्यूनतम २५० मीटर सुरक्षित कीव उत्तराधि जाना आवश्यक है।

९. यह न्यूनियोक्षण किया जाए ताकि ऐसा उत्तरनन्द के उत्तराधि वही उत्तर तथा ट्रैक्टरी एवं उत्तर रस्ते की उत्तराधि पर आवाही विश्वकोश अभाव न यह हो।

१०. यह न्यूनियोक्षण किया जाए ताकि उत्तरनन्द कीलत उत्तराधि की लोडिंग विश्वी तथा विश्वांश आवाही-उत्तराधि की लीव-जेन्ट्र उत्तरनन्द हेतु विश्वर न हो। उत्तराधि की प्रदायन इकाईयों / लीनी का संखात्र आवश्यक है, जहाँ इन लीनी की आवाही ऐसा उत्तर उत्तरनन्द नहीं किया जाए।

११. ऐसा उत्तरनन्द एवं भवार्ड / परिवहन विश्व के समय ही किया जाए। यह कार्य लकड़ि के समय नहीं किया जाए। ताकि में अधीक्षण उत्तरनन्द यार्ड जाने की विश्वी में अविदेयता प्रकारक के विकल्प विषयानुसार कार्यालयी की जाएंगी।

१२. लीनीदेवना इस्तावक द्वारा ऐसा उत्तरनन्द विश्वनन्द प्रभावी यत्ता लोडिंग / अवलोडिंग अदि से उत्तरनन्द हीने वाली व्युत्तिविहित ड्रेट उत्तराधि को विश्वकोश हेतु उत्तरनन्द यार्ड प्रदूषण कियोजन उत्तराधि जीने उत्तर विश्वकोश उत्तराधि अन्य उत्तराधि उत्तराधि की जाए। ऐसा उत्तरनन्द हीने में व्युत्तिविहित यार्ड की युक्तिता यार्ड उत्तरनन्द, पर्यावरण,

यह और यह यथु परीक्षण, विज्ञान, वह निली हाथ अधिकृत योग्यता की अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. ऐसा का वर्णित हालांकि इसका अन्य उपयोग विद्यमान से कही तुम बहन से किया जाए, ताकि ऐसा बहन से बाहर नहीं निर्गत। वर्णित का वर्णित हाथ यह बाहरी को बाहर से अधिक नहीं भेज जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उदाहरण होते ही खाने प्रदूषण न हो, वह सुनिश्चित किया जाए।

20. प्राक्तिकता के आवाह यह उदाहरण प्रकाशन द्वारा जी 2023-24 में गरीबी के बाहर की दौड़ने हेतु लौज लौज के बनाम बन्दूच, बालू, बद्दल, बीज, बरंज, लौज, जाम, फली, बीज आदि अन्य कानूनीय प्रजातीयों के लूप 800 वारे बीजों का सेवन नहीं होता पर रोगित किया जाए। लौज को बुनियाद रखने के लिये उपयोग एवं पर्याप्त जानकारी (जैसा कॉटेंट ताक की बाब का उपयोग) किया जाए। 6 बीटे से 8 बीट ऊंचाई वाले बीजों का दी सेवन किया जाए। उपरोक्त बुनियाद उदाहरण वर्ष में पूरी किया जाए। रोगित बीजों नी बुनिया एवं रस-जलाव जानकारी 6 वर्षीय तक बढ़ने का जलावदातित होने जानकारी आवाह का बाबक वह प्रदूषण किया जाए। रोगित बीजों की बुनिया एवं रस-जलाव जानकारी 6 वर्षीय तक बढ़ने का जलावदातित वर्णियोंका प्रभावक बन जाएगा।

21. रोगित बीजों जाने वाले बीजों ने संख्यांकन (Numbering) एवं बीजों के नाम का जालीकू करते हुए फोटोजावान रोगित जानकारी अंतर्राष्ट्रीय नियोगी के साथ बना करी। ऐसा नहीं बनने पर पर्यावरण बीजेक्टि नियम की जा सकती।

22. बुनियाद एवं रस-जलाव जानकारी 6 वर्षीय तक सुनिश्चित करते हुए बुने बीजों को बदलियादीत (Mortality replacement) किया जाए।

23. यही बुनियाद जी पुरानी हेतु बीजीपी एस. (Differential Global Positioning System) सभी एवं फोटोजावान अंतर्राष्ट्रीय नियोगी में समर्हित करते हुए जालीकू जानकारी जलावन संख्या एवं एनडीआर्डू, जानकारी को प्रोत्ता किया जाए।

24. बीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार जलावन पर एवं उदाहरण प्रकाशन लौजन के अन्तर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.75	2%	0.32	Following activities at, Village-Pandre Plantation at Village Pond <b>Total</b>	0.00 0.00 <b>0.00</b>

25. बीईआर. के जहान नियादित जानकारी 06 वर्ष में अधिकार्य काम से पूरी किया जाए। बीईआर. की उदाहरण प्राक्तिकूल करनी हो जाती है एवं संवर्धन जलावन से जलावनी प्रतिबंधन जाए तर अंतर्राष्ट्रीय नियोगी में समर्हित करते हुए जलावन किया जाए। बीईआर. कार्य की जानकारी सुनिश्चित करना आपका जलावदातित होगा। बुनियाद अनुसार होने पर पर्यावरण बीजेक्टि नियम की जानकारी।

26. सीईआर के अन्तर्गत राजसव के बाहरी और कृषिक्षेत्र (कृषि कलहन, पानुप) हेतु प्रभुग्र इकाय अनुसन्धान पूर्व 40 वर्ष तिक्कामे में 30 वर्ष तक पूर्वी राजसव की जारी और अधिसिप्ता है। ये 30 वर्ष लोडों के लिए यात्री 3,000 रुपये, लोडों के लिए यात्री 4,500 रुपये, यात्रा के लिए यात्री 1,500 रुपये, विशेषज्ञ राजा 60-70 रुपये और के लिए यात्री 12,000 रुपये इस इकाय राजसव की भूमि 22,000 रुपये तथा अन्यार्थी 4 रुपये में दूसरे रुपये 38,000 रुपये हेतु इकाय राजसव का विवरण प्रभुग्र लिखा गया है। परियोजना प्रसारक द्वारा राजसव के लक्ष्यों में उपरोक्त राजसव के लक्ष्यों के बाहर इकाय राजसव का लक्ष्य नहीं करने।
27. सीईआर एवं युवानीयन राजीव के लिए इकाय राजसव हेतु विभिन्न विभिन्न (प्रियोजित/इकाय) राजसव के लक्ष्यों/विभिन्न एवं विभिन्न प्रायानन का अलीसनाम वर्णन संख्या वर्षहस्त के लक्ष्यों/विभिन्न विभिन्न यात्रा का। सभी ही सीईआर एवं युवानीयन का वर्ष पूरी लिखे गये के प्रायानन विभिन्न विभिन्न संस्थानों से सम्बद्ध करना जाए।
28. यह दी निरीक्षण दस्त/अधिकारी निरीक्षण हेतु यात्रा पर आई तब जब जल संवर्धन/जलधीर/पर्यटक के निरीक्षण के राज-राज यीईआर के लक्ष्य अपने द्वारा बनाए गये कार्यों का निरीक्षण भी अधिकारी राज से कराया जाना चिह्नित होगी।
29. परियोजना प्रसारक द्वारा सीईआर के लक्ष्य प्रसारित वर्ष लक्ष्य नहीं यात्रा जारी पर वर्षभूलीय कर्तव्यकृति को निरीक्षण जानने की करनेवाली ही जारी।
30. परियोजना प्रसारक केन्द्र/राजसव राजसव के नियमों अनुसार एवं जल संख्यानी से ऐसे राजसव अपने जारी के पूर्व आवश्यक यात्री अनुमतियां द्वारा करेगा। परियोजना प्रसारक द्वारा यात्रा एवं यात्रा इकाय निरीक्षण लक्ष्य परियोजना संख्या हेतु समय-लम्ब पर केन्द्र/राज्य सरकार, विभिन्न प्रदूषण नियोजन बोर्ड/प्रतीक्षाग्रह पर्यावरण संख्या वर्षहस्त द्वारा यात्री निरीक्षण / पर्यावरणिका का यात्रा नुस्खिता लिया जाए।
31. राजीवांगढ़ यीम नियम, 2015, राज्य राजसव द्वारा यात्रा यात्रा नुस्खिता दिनीक 2/3/2018 के द्वारा नहीं/राजीव एवं अद्युत्तम यात्री विभाग विभिन्न अनुमतित राजसव योजना एवं पर्यावरणीय इकाय योजना का यात्रा नुस्खिता लिया जाए।
32. कार्य क्षमता पर पर्यावरण विभिन्न कार्यों पर लक्ष्यों लाते हैं तो ऐसे भवितों के आवश्यकी उपयोग अवश्यक परियोजना प्रसारक द्वारा ही जारी। विभिन्न विभाग आवश्यक अवश्यकी लक्ष्यों के जल में ही जारी है जिसे परियोजना पूरी होने के यात्रा द्वारा कर सकती।
33. भवितों के लिए यात्रा क्षमता पर कार्य प्रयोजन विभिन्न विभिन्न नुस्खिता, भौवाहन ट्रायलेट अद्युत्तम की आवश्यक परियोजना प्रसारक द्वारा ही जारी। सभी ही नदी में जल पूर्व विभागीय अवश्यक जाति राजसव के लिए, विभिन्न विभिन्न यात्री का नियमें प्रतिक्रिया लेगा। नदी एवं नदी जल की स्थानकार्य का व्याय रखा जानी।
34. भवितों का राज्य-राज्य यात्रा अनुमतिनाम इन्हें संविहार करना जाए।
35. राजसव विभी राजनीति कार्य द्वारा अनुमतित राजसव योजना की अनुसार विभिन्न योजना में जिसी भी यात्रा का विभिन्न एसईआरएए, राजीवांगढ़ / राजसव कलहन, यात्रा और यात्रा पर्यावरण, नदी दिल्ली की पूरी अनुमति के बिना नहीं लिया जाए।

36. इस पर्यावरणीय सीमूलि को जाने के बाद विसी वर्गीकरण अवधि का उपयोगिता पर अधिकार दाताने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय सीमूलि विसी विसी वापरीत को युक्तवाच दर्शाने अथवा अविकल्प अधिकारों के अविकल्प अवधि के बाबत देखनीय बाबूली / विसीतों के वापरोंमें ऐसा अविकल्प कहा है।
37. एस.एस.एस.ए. अलीमगढ़ पर्यावरण संबंध की दृष्टि से, वरिधारणा की वापरीता में परिवर्तन अथवा विभिन्न जाति के संतोषदाय का से वापर जे उपरोक्त विवरों में जाति में संतोषदाय/विवर करने अवधि नहीं जाति अथवा लालचान / विवर के वापरों की ओर वापर करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है।
38. परिधीजना प्रस्तावक न्यूनतम् 2 वापरीत समाचार दर्जी में, जो कि परिधीजना द्वारा की आवश्यक सूची से अमानित हो, अलीकरणीय सीमूलि प्राप्त होने के 7 दिनों के बीतार इस आवधि की सूची प्राप्ति करेगा कि परिधीजना की वापरीते पर्यावरणीय सीमूलि द्वारा ही नहीं है एवं पर्यावरणीय सीमूलि वापर की प्रतीक्षा आवश्यक जाति जाहिर वर्गीकरण, अलीकरण वर्गीकरण संस्कार वापरों में अवालोकन हेतु उपलब्ध है। याथ ही युक्त अवालोकन अवधि कालावधि, पर्यावरण, वन और अलावा अलीकरण वर्गीकरण, नहीं विसीती एवं एस.एस.एस.ए. अलीकरण की विवरोंपरिवर्तनी.nic.in पर भी लिया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय सीमूलि के दी गई जाति के वापर हेतु जी नई कार्यवाही की जो वार्ता विसीट अलीकरण वर्गीकरण संस्कार वापरों, नवा राष्ट्रपुर अठल वापर, विवर-राष्ट्रपुर, लोकीय कार्यवाह, अलीकरण वर्गीकरण संस्कार वापर, विवराष्ट्रपुर एवं एस.एस.ए. अलीकरण एवं एकीकृत लोकीय कालावधि, वापर वालावधि, वर्गीकरण, वन एवं अलावा अलीकरण वर्गीकरण, नवा राष्ट्रपुर अठल वापर को विवेत लिया गया। एकीकृत लोकीय कार्यवाह, वापर संसाधन, वन एवं अलावा अलीकरण वर्गीकरण, या या राष्ट्रपुर अठल वापर द्वारा पर्यावरणीय सीमूलि में जाति जाति के वापर की वार्तितरित की जाएगी।
40. एस.एस.एस.ए. अलीकरण वापर वालावधि, वर्गीकरण, वन एवं अलावा अलीकरण संकालन, नहीं विवरी/एकीकृत लोकीय कालावधि, वापर संवाहन, पर्यावरण, वन एवं अलावा अलीकरण संकालन, नवा राष्ट्रपुर अठल वापर/को-ट्रीप्रदूषण विवरोंमें/अलीकरण वर्गीकरण संस्कार वापरों के विवरोंमें/अविकल्परिवरों की जाति के अनुवालन के संबंध में जी जाने वाली विविटरिंग हेतु पूरी संहिता उदान लिया जाए। अरिधीजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न जाति का अनुवालन करना नहीं जारी जाने वन पर्यावरणीय सीमूलि विवरों की जा सकती।
41. वरिधीजना प्रस्तावक अलीकरण वर्गीकरण संस्कार वापरों वाला वालावधि द्वारा ही गई जाति का अनिवार्य वापर की वापर करेगा। वे जाति जल (प्रदूषण विवरण तथा विवरण) अविनियम, 1974 वापर (प्रदूषण विवरण तथा विवरण) अविनियम, 1981, पर्यावरण (विवरण) अविनियम, 1986 तथा हुन्हों उदान वनावे गये विवरण, परिसंकरण अविनियम (विवरण वालावधि एवं लोकावाह विवरण) विवरण, 2006 (विवरण संशोधित) तथा लोक वालीवाह वीना अविनियम, 1991 (विवरण वालीवाह) के अविनियमित वापर की जा सकती है।
42. वापरोंत वरिधीजना के जारी में एस.एस.ए. अलीकरण ने अलावा विवरण में लोकीय वी विवरण अथवा विविटरिंग होने वी दशा में एस.एस.ए. अलीकरण को पूर्ण नहीं जानकारी जाहिर सुनिश्चित किया जाए, ताकि एस.एस.ए. अलीकरण इस पर विवार वापर जाति की दृष्टिकोण अथवा नहीं जाति विभिन्न वापरे वापर विवरण से जाए। वादान में जारी वी विवरण अथवा उल्लेख एस.एस.ए.

प्रतीकागद / पात्र कर्ता, पर्यावरण इन और जलवायु परिवर्तन संबंधी नई  
टिकटी की पूर्ण अनुमति के लिए भी लिखा जाए।

43. प्रतीकागद संस्थान कानून पर्यावरणीय टिकटी की उत्ति को उनके संवीध  
कानूनीय, नियम-व्यवसं एवं राजीव केन्द्र एवं कर्तव्य/प्रहसीकरण कानूनों में  
उत्ति दिल्ली की अक्षयी के लिए प्रदत्तित करेगा।
44. पर्यावरणीय टिकटी के लिए अधिक नियम दीक्षाता के साथ, नियमों  
हीन दीक्षाता एवं 2010 की पात्र 15 में दिए गए जातानी अनुसार, 30 दिन की  
समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य लिपि, एकटीकरी

  
लिपि, एकटीकरी

केरल सरकार द्वारा कार्यवाही की गिरिधारा दिया जाता है।

को पाटी की बाबत कलाकृत डॉ. बुल शेखरकुल - ३ लैटेन्चर में लेन का बुल ८० अरिका लीजेक्स में ही ऐसा उत्पादन, अपराधिका विवर-वापर, लकड़ील-वापर, वित्त-व्यापारीय वापर (एम) में हालांकि नहीं हो ऐसा उत्पादन कलाकृत ५०,००० एक्रिटर इकाइयों हेतु प्रत्येक उत्पादन लीजेक्स में दी जाने वाली रुपी

यह अधिकारीय लीजेक्स विभागित राती के अधीन की जा रही है। अब इन राती को बहुत ब्याप की पक्की राती तथा कहाँदी के पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय लीजेक्स विभागित राती के अधीन की जा रही है। अब इन राती को बहुत ब्याप की पक्की राती तथा कहाँदी के पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
2. फार्मटेगेजल सीएस वाईमिंग गाइडलाइन, २०१८ (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्मेंट एवं विभागित वाईमिंग गाइडलाइन और रीपाय वाईमिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्मेंट एवं विभागित वाईमिंग गाइडलाइन और लैन वाईमिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तत्त्व को अधिकारीय राती के उत्पादन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. याद कर्वन (रिस्ट्रेटर एटी) विवेद - परिवेश का प्रत्यावरण ऐसा उदास कीर में अभावी १.६ वर्ष में विश्वास याद कर्वन (Question Study) करायेगा, ताकि ऐसे के पुनर्वापन (Replenishment) कलाकृत नहीं अपने, ऐसा उत्पादन का नहीं, नदीकाल, स्वास्थ्य वनस्पति, जीव एवं सूख प्रीति पर प्रभाव तथा नहीं हो पानी की गुणवत्ता पर ऐसा उत्पादन के द्वारा की जाने वालकारी दाव हो सके।
5. वरिलोजन उत्पादक द्वारा लीज के कुछ द्वितीय द्वारा पर सुधारना कराया जाना उदास का नाम, उदास का लीजकाल अलंकार एवं देखाता सहित, उत्पादन की मात्रा लीजेक्स अवधि) लगाया जाए।
6. लीज की राती के बाहे द्वारा तथा बीच लाईन के कावे के लीजेट के बाहे उदास उदासका ही ताकि लीज की नहीं हो सकते द्वितीयकार हो सके।
7. यदि उदास लीजेज द्वारा अधिसूचित कियी उत्पादन में है, उदास ५०० मीट्रिक की वीजर लीजेक्स ऐसे उदासी का कुल उदास ५ हेक्टेयर से अधिक होता है ऐसे परिवर्तन लीजेक्स उदास नहीं होती।
8. वाईमिंग उदास उदासका केवल उत्पादन की ५ हेक्टेयर की बुल ८० अरिका कीकाल से अधिक नहीं होता। ऐसे ५० अरिका कीकाल में उत्पादन नहीं किया जाएगा। ऐसा का उत्पादन उदास से १.५ मीट्रिक बहाँदी तक ही किया जाएगा, उदासी अधिक नहीं। इसी प्रकार उदास से ऐसा का उत्पादन उत्पादन ५०,००० एक्रिटर इकाइयों से अधिक नहीं होता।
9. यानीय एमजीटी के आदेश दिनांक २८/०२/२०२१ के अनुसार पट्टेवार द्वारा वाईमिंग उदास एवं अधिकारीय लीजेक्स की राती का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रसारण की परिवर्तन विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. ऐसा उत्पादन प्राप्ति उदासी के द्वारा उत्पादनानुसार विभागित विवेद लियुआई पर यदी के लिए उदासी की सारी (Leave) का राती का उदासी अपेक्षी उत्पादन एमजीटीए।

१०. अस्तीचारक की जाग्रता दिये जाएँ। पीट-गल्फ (PET-GOLF) / गल्फर जहां में वो उत्तराखण्ड प्राचीन संग्रहीय पूरी इन्हीं दिन विन्दुओं में अद्वितीय सीख संग लक्ष लीज संग के अपर्याप्त एवं अतिरिक्त हैं १०० फीट तक तक रुमन लीज के बाहर / नदी तक (सीधी झोल) से १०० फीट तक के बीच में नदी रातह के भरवी (Levee) का कई पूरी निर्मित दिन विन्दुओं पर दिया जातेन। इसी इवार जैसे रामन रुमनां वायस्कूल के पूरी (भूई) पहुँच के अंतर्गत रातह / रुमन के प्रबल गायत्री) इन्हीं दिन विन्दुओं पर ऐसे रातह के लोकलो (Locals) का नाम जैसा जागती है जैसे रातह दिया जाएगा। पीट-गल्फ (PET-GOLF) की अवधि अप्रैल २०२३, २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८ एवं दी-गल्फ (D-GOLF) की अवधि अप्रैल २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९ तक अनिवार्य रूप से एक इकाई पर, अस्तीचारक की जाग्रता दिया जाएगी।
११. ऐसे की जूराई एवं परद्दु अविली हात (Handy) की जाएगी। इस परिवर्तन की दिये दिनी उपकरण समूह (Machinery) अदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिन देव में आठी रातही का आंशिक अनिवार्य रहेगा। सीख संग में दिन ऐसे जूराई परद्दु (Excavation pass) की लोकिन आंशिक रूप से का परिवर्तन दैक्षण्य होनी द्वारा दिया जाएगा।
१२. ऐसे का उत्तराखण्ड लोकल दिनीत, सीखक्षित एवं चांचित संग में ही दिया जाएगा। ऐसे उत्तराखण्ड की अविलोक्य गहराई रातह से १.५ फीट तक ताजा उत्तराखण्ड जहां जहां की जूराई रातही से १ फीट तक दैक्षण्य देनी के की ओर कर दी, ही अविली नहीं होती। ऐसे का उत्तराखण्ड दिनी की परिवर्तनी में यात्रा रातह की नींवे नहीं किया जाएगा। न्यूताम २ फीट भूराई रातह की भी नहीं ताजा रातही दीक्षा का यात्रा अविली जाएगा ही।
१३. ऐसे उत्तराखण्ड नदी तटी से लम्ब से कम ७.५ फीट तक जहां नदी की जूराई के १० अंतिकाता की दृष्टि जो भी अंतिक ही लोकलर ही दिया जाएगा, ताकि नदी तटी का यात्रा न हो। दिनी भी गुरुविया, चतुर्वेदी, वार्ष, एकीकरण, जल प्रदान अवलोकन एवं अन्य जहां की सर्ववन्धी से रातह के अपर्याप्त ये घूमाय ५०० फीट तक ताजा उत्तराखण्ड में न्यूताम २५० फीट भूराई देनी दीक्षा जाना अविली ही।
१४. यह गुरुवियात दिन जाए तो ऐसे उत्तराखण्ड की यात्रा नदी रातह का देख, लोकिनी एवं यात्रा यात्रा की सरकार यह जूराई दिनीत उभार न पढ़।
१५. यह गुरुवियात दिन जाए तो उत्तराखण्ड लोकल नदी संग में दिया जाए दिनी तथा दिनी अम-गल्फ के संग पर जूराई वी ली-जन्म प्रवास लेनु दिनी न हो। कम्बुजी के उत्तराखण्ड जूराईयों / लोकों का संवाद अवश्यक है, जहां इन संजों की आस यात्रा ऐसे उत्तराखण्ड नहीं किया जाए।
१६. ऐसे उत्तराखण्ड एवं भूराई / परिवर्तन दिन के समय की दिया जाए। यह कर्त्ता दिनी की समय नहीं दिया जाए। दिनी वे अंति उत्तराखण्ड यात्रे जाने की दिनी में अरियोजना प्रस्तावक की दिनद्वय दिनानुसार जारीकरी की जायेगी।
१७. अरियोजना प्रस्तावक द्वारा ऐसे उत्तराखण्ड दिनीन द्वारा क्या लोकिन / जनलोकिन जहां से उत्तराखण्ड द्वारे कामे कामुकिनिय जहां उत्तराखण्ड के निवासन लेनु उत्तराखण्ड यात्रा उत्तराखण्ड निवासन यात्राकर्ता द्विसे यात्रा दिनवर्तन अवश्य उत्तराखण्ड अवलोकन की जाए। ऐसे उत्तराखण्ड संग में अरियोजना यात्रा की गुणवत्ता भवता समझन, परिवार,

का और एक कानूनी विवाद, मंडलार्य, जो निलंबि द्वारा अधिकृति बासी के अधिक नहीं होनी चाहिए।

16. ऐसा का विवाद दातव्यता अथवा उपयुक्त व्यवस्था से इसे हुए बास के लिया जाए, ताकि ऐसा बास के बाहर नहीं निरो। लगभग एक परिवहन कर वह बाहरी की समस्या से अद्वितीय नहीं भए जाना चाहीचित किया जाए।
17. उत्तराखण्ड के अन्तर्गत एक बासान घोषणा द्वारा वर्ष 2023-24 में जलीयता के बाबत की दीक्षाएं हेतु सीख दीव की जनुआर कर्तृत, जापूर, बदू, बीमर, गीर, कर्णज, गीमू, जाम, इमली, सीमर आदि अन्दर जलानीय उत्पादियों की सूत 1,000 नग दीक्षी का सेवन नहीं कर पर लीकिया जाए। दीपक की गुरुत्वित रक्षणे के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा काठियां तार की बाज़ जा जायेगा) लिया जाए। इसीट ने इसीट जंघार्ड वाले दीक्षी का ही सेवन लिया जाए। जलानीय जूलानीय उत्पाद वर्ष में बूले लिया जाए। सीधित दीक्षी की सूतका एवं रक्ष-रक्षाव अवधीनी ह वही रक्ष करने का उत्तराखण्डित परिवीक्षण जलानीय का रहेगा।
18. संकेत लिये जाने वाले दीक्षी व संख्यांकन (Numbering) एवं दीक्षी के नाम का एलेक्ट्रॉनिक रूप से जलीयांश जानकारी अंतर्राष्ट्रिय लिंकेट से जाल जमा करें। ऐसा नहीं करने पर फलान्न दीक्षियि निवास की जा सकेगी।
19. सूतका जल एवं रक्ष-रक्षाव अवधीनी ह वही रक्ष करने की बूले दीक्षी की अंतर्राष्ट्रिय (Mortality replacement) लिया जाए।
20. निवेदित दीक्षी की सूती हेतु जी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) द्वारा एक जलीयांश अंतर्राष्ट्रिय लिंकेट में जालित होनी हुई जलानीय उत्पादियों दीक्षाने वाले एवं एम.डी.जी.ए.ए. प्रदीवनक की लिया जाए।
21. श्री.इ.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निमानुसार उत्तराखण्ड पर नवीनी पर्यावरण उत्पादन दीक्षिया के लिये निवेदि लिया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
₹1.50	2%	₹30	Following activities at: Nagar Palika Parishad-Champa Plantation at Village pond	₹1.70 ₹1.70
			Total	1.70

25. शीर्षकार के तहत विस्तृत कारबोहरी 00 नम्बर में अधिकारी कार्य से दूरी लिपा जाए। शीर्षकार के उपचारित प्रस्तुति करने से कार्य दूरी दूर्योग संबंधित ग्राम पंचायत से कारबोहरी इसिंदेवन जाए तभ अधिकारीक लिपाहै में समाप्ति करने दूरी प्रस्तुत लिपा जाए। शीर्षकार कार्य की उपचारित सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित होना। कुलांतरण अवश्यक होने पर वर्वारतम सीधीकृत लिपा की जावेगी।
26. शीर्षकार के उपचारित तात्पर के बाद और कुलांतरण (आम, कट्टाडा, फागुन) होने प्रस्तुत जाताव अनुग्रह कुल 00 नम्बर लिपाहै 00 नम्बर कुल पूरी से तात्पर कार्य दूरी अधिकारी है। ऐसे 70 नम्बर लिपी के लिए राति 7,000 रुपये, लिपींग के लिए राति 10,500 रुपये, जात के लिए राति 3,000 रुपये, लिपाई तथा तात-तात आदि के लिए राति 35,000 रुपये, इस प्रकार इतना जात में कुल राति 56,000 रुपये तथा अलायी 4 जात में कुल राति 4,14,000 रुपये होने परकार अव तभ लिपा प्रस्तुत लिपा जाए है। परियोजना प्रत्यावर्त द्वारा नवार वालिया चरित्र जायी के उपचारित उपचारित कारबोहरी जातन (जाताव अवाह 1620, खेतकल 2,000 ईकेट्टर) के जातन में जातावही प्रस्तुत जाताव अनुग्रह कार्य दूरी करी।
27. शीर्षकार एवं कुलांतरण जाए के संबंधिति एवं वर्वारतम होने पि-पर्वीय समिति (अंपत्तार्टिय/इतिमिति, यात्र वंशायत के परामिकारी/इतिमिति एवं लिपा प्रशासन का उपचारित वापर प्रस्तुत कारबोहरी के परामिकारी/इतिमिति) गठित लिपा जाए। यात्र ही शीर्षकार एवं कुलांतरण के कार्य दूरी लिपे जाने की उपचारित गठित पि-पर्वीय समिति के जातावही कारबोहरी जाए।
28. यात्र भी लिपीकार जात/अधिकारी लिपीकार होने पर जाए, तभ उन्हें जाताव/कालीय/कट्टा के लिपीकार के जात-जात शीर्षकार के तात्पर अधिकारी द्वारा कराये जाये जाएं तभ लिपीकार भी अधिकारी जात से जाताव जातावी लिपीकारी होती।
29. परियोजना जातावक द्वारा शीर्षकार के तात्प्र प्रस्तुति कार्य करना नहीं पाये जाने पर वर्वारत्त्वीय सीधीकृति को लिपा करने की कारबोहरी की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक उपचारित जोन/ जात जातन के लिपाहै जन्मदली एवं अन्य संस्थानी से ऐसे प्रस्तावना जारी करने की दूरी अवहारक लाली अनुभवितों द्वारा कराया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं नायु प्रदूषण लिपवाल तथा उपचारित संकाल होने जात-जात पर जोन/जात जातकार, कालीय उद्यान लिपवाल जीवी/ जलजीवनकृ पर्यावरण संकाल द्वारा जाते लिपाहै / भारदर्शिता का जातन सुनिश्चित लिपा जाए।
31. जातीयतावही वीज स्थानिय लिपा, 2016, यात्र जातन द्वारा ऐसे उपचार द्वारा जाती अविवाहना हिन्दी 2/3/2006 के जातावही/जाती एवं अनुग्रहार जाती लिपीहै, अनुमोदित उपचार योजना एवं वर्वारत्त्वीय जाताव योजना का यातन सुनिश्चित लिपा जाए।
32. कार्य जात पर योहि जीवीय अविक कार्य पर जायाये जाते हैं तो ऐसी अविकों के जायाव तो उपचारित जातावहा परियोजना प्रस्तावक द्वारा जी जाएगी। जातावीय उपचारित जातावही जायावही के जाय में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के जायाव होता जा सकती।
33. लिपीहै के लिए जातन संकाल पर जाय येत्तव्वल लिपित्वावीय सुनिश्चित, येत्तव्वल उपचार आदि की जायाव योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा जी जाए। यात्र ही नहीं में यह कुल लिपाहै, अवार जात जातनी के लिए अविकित आदि का लिपाहै अविकित जाएगा। यही एवं नहीं जल जी जायाव जाय जाए।

34. अधिकारी का जन्म-जन्मता का जन्मसूचितनाम हेतु निम्नोंका बताया जाए।
35. जन्मनाम की जानकीक, जारी होते हए अनुमोदित जन्मनाम लोकना के अनुसार वर्षिक सौख्य में निम्नी की प्रकार का परिचय एवं ईडीआईएस्. अधिकारीका / भास्त जन्मनाम, पर्याप्तता, वन और जन्मसूचि परिचय संबंधी, नई निम्नी की पूर्ण अनुमति के लिया नहीं किया जाए।
36. इस पर्याप्ततीय सौख्य को जारी करने का जन्मव निम्नी वर्षिकात जन्मनाम जानकीत एवं अधिकारी दस्तावेज का नहीं है एवं वही वह पर्याप्ततीय सौख्य निम्नी निम्नी जन्मनाम की जुकामान यहीलाए उपरा वर्षिकात अधिकारी के अधिकारी जन्मनाम जारी, जारी एवं जानकीय कानूनी / नियमों की वर्तावाय हेतु समीकृत करता है।
37. ऐसा ही आईएए, जन्मीसगढ़ पर्याप्तता संख्या की दृष्टि से, वर्षिकात जन्मनाम की जन्मनाम एवं परिचय अधिकारी दस्तावेज का नहीं है एवं वही वह पर्याप्ततीय सौख्य निम्नी की जारी में संदीधन/नियम जन्मनाम जन्मनाम नहीं जारी जोकी उपरा जन्मनाम / नियमान के मानकी को और जन्मनाम को का अधिकार सुनिश्चित करता है।
38. वरियोजना जन्मनाम न्यूनतम 2 जानकीय जन्मनाम नहीं है, जो कि वरियोजना संघ के आठ-एक व्यापक काम से प्रभावित हो, पर्याप्ततीय सौख्य प्राप्त होने के ; निम्नी के बीतर ऐसा जारी की जूकामा प्रभावित करेगा कि वरियोजना को जारी पर्याप्ततीय सौख्य प्राप्त हो गई है एवं पर्याप्ततीय सौख्य प्राप्त हो जानी जानकी जन्मनाम जन्मीसगढ़ पर्याप्तता संख्या वर्तावाय में अधिकारीका हेतु उपलब्ध है। याथ ही इनका अधिकारीका जारी जानकी जन्मनाम, नहीं निम्नी एवं ईडीआईएए, जन्मीसगढ़ की वेबसाइट [parivash.nic.in](http://parivash.nic.in) पर की जिया जा सकता है।
39. पर्याप्ततीय सौख्य में की नई जारी की जान छेत्र की जानी वर्षिकारी की जान वर्षिकारी दस्तावेज पर्याप्तता संख्या जन्मनाम, जारी राज्यपुर अटल नगर, नियम-जान्मनाम, खालीका कानून, अधीकारीका पर्याप्तता संख्या जन्मनाम, विजायपुर, ऐसा ही आईएए, जन्मीसगढ़ एवं एकीकृत जारीका जानकीय जानकीय, जारी जन्मनाम, जन्मनाम, वन एवं जन्मसूचि परिचयीन मंबालय, जारी राज्यपुर अटल नगर की विवित नियम जारी। एकीकृत जारीका जानकीय, जारी जन्मनाम, जन्मनाम, वन एवं जन्मसूचि परिचयीन मंबालय, जारी राज्यपुर अटल नगर द्वारा पर्याप्ततीय सौख्य में प्रदान जारी की जानकीय जानी वर्षिकारीका वर्षिकारी की जान जानकीय।
40. ऐसा ही आईएए, जन्मीसगढ़, जारी जन्मनाम, वन एवं जन्मसूचि परिचयीन मंबालय, नई नियमों/एकीकृत जारीका जानकीय जानकीय, जारी जन्मनाम, जन्मनाम, वन एवं जन्मसूचि परिचयीन मंबालय, जारी राज्यपुर अटल नगर/एकीकृत प्रदूषण नियमका बोर्ड/जन्मीसगढ़ पर्याप्तता संख्या जन्मनाम के विवाहिती/अधिकारीकी की जारी की अनुमतिन के संबंध में की जारी जारी जीवनसंरक्षण द्वेष पूर्ण जानकीय प्रदान किया जाए। वरियोजना प्रस्तावक द्वारा विविदिष जारी का अनुमतिन करना नहीं पर्याप्त जारी कर पर्याप्ततीय सौख्य नियम की जा सकती।
41. परियोजना प्रस्तावक जन्मीसगढ़ पर्याप्तता संख्या जन्मनाम द्वारा यात्रा सुविधा द्वारा नई जारी का अधिकारी का जारी जन्मव विवाहित विवाहित जारी नियमान) अधिकारीका, 1974 जारी (प्रदूषण नियमका जारी नियम) अधिकारीका, 1981, जारी जन्मनाम (जानकीय) अधिकारीका, 1988 जारी इन्हें जारी वनकी नई नियमों परिचयकारी अधिकारी (विवाहित जन्मनाम एवं जीवनसंरक्षण नियम) नियम, 2008 (जारी

संस्कृतिय) लखनऊ वारिता दीप अधिकारीय, 1991 (जल संस्कृति) के अधीन  
विभिन्न भूमि पर जाती है।

42. प्रस्तुति परिवेश के बारे में एसईआईएस, उत्तीर्णद में उत्तुत विवरण में  
कोहु ने विवरन कल्पक परिवर्तन लोगों की दस्ता में एसईआईएस, उत्तीर्णद को  
पूरा नहीं जानकारी भरित सुनित दिला भारत तकि एसईआईएस, उत्तीर्णद  
इस पर विवरन कम जटी की प्रयुक्ति इसका नहीं होते विवरन कम कम जान  
निष्ठा से जाती है। जानने में कोहु ने विवर आवाह उत्तीर्ण एसईआईएस,  
उत्तीर्णद / जल संरक्षण परिवर्तन का और जलाधु परिवर्तन प्रकल्प एवं  
वित्ती की पूर्ण अनुभवी ले विव नहीं दिला भारत।
43. उत्तीर्णद विवरण संस्कृत विवरन परिवर्तनीय लोकोत्ति की जटि को जल्दी कोरीय  
कार्यालय, विज्ञ-व्यापार एवं उद्योग बोर्ड एवं कलेजिय/हाउसिलार कार्यालय में  
30 दिन की अवधि की दिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय संवेदी के विस्तृ अवौत नेशनल दीन द्वीपसूल के समान, नेशनल  
दीन द्वीपसूल इस 2010 की दस्त 10 में दिए गए प्राक्तनी अनुसार, 30 दिन की  
समय अवधि में की जा सकती।

महाराजा राजेन्द्र, एसईएसी।

  
महाराजा राजेन्द्र सी.

**मेवली मुर्हिरिया स्टोन नाईन (यों— दी जाने वाली जगह)**  
**दी जाने वाली ग्रामीण नं. १५, बुल ग्रीन लीज १, हैटेंडर, राम-मुर्हिरिया, तापील-मुर्हिरिया, निसा-बोरिया में स्थानीय पालन (ग्रीन ग्रामीण) राज्यवन — ७.४५५ एकड़ (३.०८ एकड़ियाँ)**  
**इनीवर्ती हेतु पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ में दी जाने वाली जगह**

इस पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ ग्रामीण जगह की जगह ही जा रही है। अतः इस जगह की बहुत ज्ञान ही पक्ष पक्षी तथा कवकों से जालन करना मुर्हिरिया जिसा जान।

१. यह पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ अधिकारीय प्रशासन की जगह (लीज लीज) १ हैटेंडर अवल छातीसगढ़ राज्यवन, ग्रीन ग्रामीण जिसमें इसी स्थानीय प्रशासन का अधिकारीय प्रशासन ७.४५५ एकड़ (३.०८ एकड़ियाँ) इनीवर्ती से अधिक नहीं होता। लीज लीज की सीमाओं का सीमांकन करनेवाले कोके मुन्होंने ज्ञान जाए।
२. यही ज्ञान ग्रीन ग्रामीण इसी अधिकारीय ग्रीन ग्रामीण में है, जो पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ जानने नहीं होती।
३. परिवेशना प्रस्तावक इसी ज्ञान जानने से जापन जल एवं घोर्सु दूषित जल (योंदि कोई नहीं), के उपचार की उपेत एवं उचित व्यवस्था जिसा जाए।
४. पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ की विभिन्न जगह जलकार के पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन, गंभीरतम् इसी इंजीनियर, नीटीरियोग्यान, २००८ (जन संहीनित) के व्यवहारी के जाए रहेंगी।
५. मननीय इन व्यवस्थाएँ के आदेत दिनांक २८/०२/२०११ के अनुसार पट्टेयन इसी ग्रामीणीय ज्ञान एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ की जगह का जलवायु मुर्हिरिया करावे जाने हेतु पर्यावरणीय प्रशासन की पर्यावरण विभाग नियुक्त करना है।
६. अधिकारीय प्रशिक्षा एवं ज्ञान जी उपर्युक्त जल की विभीती जल की वृष्टिजल जल की विभीती नहीं ज्ञान जानी जल जलीजी में विभीती की परिस्थिति में विस्तारित नहीं जिस पाए, लघुप्रेरित इसी प्रशिक्षा में ज्ञाना ग्रामीणमें हेतु पुनर्वापनों जिसा जाए। घोर्सु दूषित जल की उपचार की विद्या लीखित दृष्टि एवं एहां खोल्डीट की ज्ञानमात्रा की जाए एवं एहां जल की विभीती नहीं ज्ञाना जानी जल जलीजी में विभीती की परिस्थिति में विस्तारित नहीं जिस पाए। दूषित जल एवं वर्षांशु जल जल ज्ञानमें जल विभाग देखे हेतु जी ज्ञानमात्रा की जाए। ज्ञानमात्रा दूषित जल की ग्रामीणा जलता जलवायर, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन, गंभीरतम्, नई विभीती इसी ज्ञान अधिकारीय ग्रामीण ज्ञान ज्ञानमात्रा एवं जलवायर, जलवायर, जलवायर जलवायर जलवायर अधिकारीय ग्रामीण (योंदि कोई नहीं) के अनुसार जुर्मिरिया जिसा जाए।
७. ज्ञानी पट्टा यासक ज्ञान संवादन बैठ करने के उपर्युक्त (after closing meeting operations) जगह जीव ज्ञान विभीती वी जनन्य सीज जो कि उनकी जुनाई जनन ग्रामीणियों के जारी अधारित (prescribed rules of the gram panchayat operations) हुए हैं, उनकी जी—जारीय (in—prescribed) जी जाएगी एहां दूषि का पुनर्वापन इस विभीती जल जिसा जाए, जिसकी जह जाना, जननानियों, जीवों की उपस्थिति हेतु उपयुक्त हो। परिवोज्ञा ज्ञानमात्रा इसी ज्ञान ज्ञानमात्रा की अनुसीदित जाईन जलीजी जल एहां जह की जीवान जानुपर जिसा जाए।
८. भू—जल की उपस्थित (योंदि जिसा जाए हो नहीं) हेतु जी—जी भू—जल जी—जल की जननान जनन जनने की फूं अनुग्रामी जापा ही जाए।

- ii. निम्न लिखी / हैट / पाइप गोली के पार्टिकुलर बेटा उत्तराखण की जगह 20 मिलीमीटर / साथान एक्सीटर की कम सुविधिपूर्ण लिया जाए। अब तक नीन ट्रॉफी वांडरा (पर्फि कोई नहीं) में बायु इन्डस्ट्रीज द्वारा बहु बहु एक्स्ट्राक्शन गिरिजा की जगह उत्तराखण का बेटा गिरिजा उत्तराखण की जिया जाए। नीन गिरिजा उत्तराखण गिरिजियों के विभिन्न स्तरों की उत्तराखण पार्टिकुलर बहु बहु उत्तराखण का विवरण इसी एवं विवरित कर के लिया जाए। पर्फि गोली, ऐन्स गोल्डन गोल, गोल्ड एवं अन्य बहु बहु उत्तराखण गिरिजों का बहु बहु बहु उत्तराखण एवं उत्तराखण की अवधारणा की जाहाज इतावर उत्तराखण / उत्तराखण सुविधिपूर्ण लिया जाए। निम्न लिखिंग दीज का निम्नाखण सुविधिपूर्ण लिया जाए।
10. बहुभी, उत्तराखण एवं अन्य विविधा से उत्तराखण बायु इन्डस्ट्रीज की जाहाज उत्तराखण अधिकारी, 1990 एवं बायु (इन्डस्ट्रीज नियामन तथा नियामन) अधिकारी, 1991 के जाहाज विनियोगीय विनाकारी के अनुसार बदल जाएगा। उत्तराखण दीज में परिवेशीय बायु की बुखारता जाहाज कानूनी के विवरण, उन और उन बायु विविधाय में बदलाव, यह दिनों द्वारा अधिकारीय विनाकारी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज दीज के बारे तक यहाँ यह रा. वीटर की ओरी बहुती में बोहु वेस्ट का जो अवधारण नहीं लिया जाए तथा इस बहुती में उत्तराखण लिया जाए।
12. उत्तराखण इकियु के दीनान बहुती यह जानी लिटोरी (टीप नीर्दित) का उपयोग उत्तराखण द्वारा उपयोग में न आये वाली भूमि के बुन बहुता हेतु उत्तराखण बहुती ऑफलाईन की लियर (ऑफलाईन) जानने में लिया जाए। जानी लिटोरी (टीप नीर्दित) को लीज दीज की जाह एक्स्ट्रा से अवधारण जानने की अनुमती नहीं होनी।
13. ऑफलाईन एवं उपयोगी/निकी अवधारण विविज (वीटर दीज) की जाह के पूर्ण से पूर्ण से विनियोग उत्तराखण जानी लिया जाएगा। इस जानने की अवधारण जानी लिया जानी अवधारण से लूपित रहे जाए ताकि अवधारण जानी जास-जास की भूमि पर विवरित एक्स्ट्रा न जात रहे। एव्य एवं उपयोगी उपयोग एवं वीटर तथा रोपन 20 लियों से अधिक न हो। ऑफलाईन जान्य का जाह जानने हेतु विवारित लीज की उत्तराखण लिया जाए।
14. बहुती एक जाह तो ऑफलाईन एवं अनुपयोगी/निकी अवधारण विविज (वीटर दीज) की जाह की वहगाह करने वाली में पुनर्वाप (डिक विविज) हेतु उपयोग लिया जाए ताकि भूमि का बुन उपयोग उत्तराखण विविज वैलीयक उपयोग सुविधिपूर्ण लिया जा सके।
15. विविज का उत्तराखण उत्तराखण द्वारा वह सुविधिपूर्ण लिया जाए कि उत्तराखण इकिया से उत्तराखण लीज दीज की जास-जास के बहुती जास रक्षातों में प्रवाहित न हो। इसी दीजने हेतु उपयोग वीटर तथा एव्य दीज में विवरित दीज / उत्तराखण दीज की अवधारण जाहक जाह तो नहीं जाए।
16. विविज का उत्तराखण उत्तराखण की जाही जाहन की लिया जाए, ताकि विविज वहन से जाहन नहीं होते। विविज का उत्तराखण जान रहे वालों की जाहन की अधिक नहीं जाना सुविधिपूर्ण लिया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु नियामनुसार उत्तराखण का वार्षिक पर्यावरण विविज के अंतर्गत लिया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(In Lakh Rupees)		Allocation (In Lakh Rupees)
31.63	2%	0.6326	Following activities at Nearby Village Pond, <b>Village- Medipara</b>	
			Plantation around village pond	0.78
			Total	0.78

18. लीटूआर के तहत निम्नलिखित कार्यक्रमों के पारा में अनिवार्य स्वयं सीर्व लिया जाए। लीटूआर के लगभग 10 हектारीय क्षेत्र के कार्य कुर्स उपर्युक्त नामसंकेत सम्बन्धित कार्यों में सम्मिलित करते हुए उन्हें उन्हें लिया जाए। लीटूआर कार्य की लगभग 10 हектारीय क्षेत्र कार्यक्रम कार्यक्रम अन्यथा अवश्यक नहीं होता। नुसारेपन क्षेत्र की ओर से पर वर्गीकरण लीटूआर की जांचेगी।
19. लीटूआर के अन्तर्गत लगभग पाँच हेक्टार उन्हें प्रदूषित अनुचार 42 नग कीड़ी के लिए लगभी 4,300 कार्य, चौमिश के लिए लगभी 6,300 कार्य, गोव के लिए लगभी 2,300 कार्य, निम्नलिखित तथा तथा-तथा आदि के लिए लगभी 15,000 कार्य, इस प्रकार प्रदूष कर्म में युक्त लगभी 28,000 कार्यों का कार्य आगामी 4 दिन में युक्त लगभी 30,000 कार्यों हेतु प्रदूषकार अवधि का विवरण प्रदूषित लिया जाए है। वर्षोंभूमि प्रदूषकार द्वारा तथा पर्यावरण पर्यावरण के सहभागी एवं लगभग व्यापकीय लगभग 200, लीटूआर 0.4326 हेक्टार) के संकेत में प्रदूषित जलावाह अनुसार कार्य कुर्स होते हैं।
20. लीटूआर एवं नुसारेपन कार्य के नामसंकेत हेतु फि-फोर्म लीटूआर/निम्नलिखित/प्रदूषकारी/जलसंकेत/लीटूआर एवं लिला जलावाह या अन्यीनमानक लगभग 10 हектार क्षेत्र के वर्गसंकेत/निम्नलिखित/लीटूआर लिया जाए। तथा ही लीटूआर एवं नुसारेपन कर कार्य कुर्स लिये जाने की जांच करिया फि-फोर्म लीटूआर करका जाए।
21. यह यी निरीक्षण दस/झीजिली निरीक्षण हेतु लगभग पर आवं तथा उन्ही जलावाह/एवं दोषीय/अदृष्ट के निरीक्षण के तथा-तथा लीटूआर के तहत आवं दोषीय कार्यों की कार्यक्रम के अनिवार्य कर्म से करनका अवधि लियेगायी होगी।
22. उत्तराखण हेतु निरिक्षण कोर्ट द्वारा करक 7.5 लीटर लीका लीका, दोल दोल, और लगभग जल आदि में सार्वानीय उपकारी के 425 कीड़ी का तथा नुसारेपन कर्म लिया जाए। इहिं पद्धति का विवरण कोर्टीय दृष्टिकोण लियाजारी की नामसंकेत को अनुसार लिया जाए।
23. प्रदूषकार के अवधि तथा जलावाह उत्तराखण द्वारा करक 2020-21 में लीका लीक के अनुसार यह, लीकल, लीम, कर्लज, लीकु, जाम, इमली, बर्दुन, लीकल आदि अन्य सार्वानीय प्रदूषकारी के 200 नग कीड़ी का लीकल (युक्त 635 नग कीड़ी) जलावाह के युक्ते कोर्ट में लिया जाए। लीकल को युक्तिपूर्वक लगभग को लिये जायदूका एवं पर्याप्त जलावाह (जलावाहीदार जल के बाह जलावाह द्वी पार्स का उपलब्ध) लिया जाए। जलावाह जलावाह नहीं होने की दशा में संविधित यात्रा पर्यावरण द्वारा निरीक्षण की जलावाह नुसार नुसारेपन लिया जाए। 6 पीट ही 6 पीट जंघाई जाते कीड़ी का लीकल लिया जाए। उपरोक्त नुसारेपन जलावाह कर्म में युक्त लिया जाए। नुसारेपन जली करने पर जारी पर्याप्त स्थीरकृति जलावाह निरीक्षण की जलावाह है।

24. संरित निये जाने वाले बीमों में संखेभवन (Numbering) एवं बीमों के नाम का उल्लेख करते हुए खोटोपाथा गठित जानकारी प्रदान प्रतिवेदन के साथ जाएं।
25. ग्राहीभवन और संख के बाद एवं बाद जाने पूछायेगा निये जाने एवं संरित बीमों का समाप्तिभवन ई (Survival rate) एवं अधिकारी ग्राहीभवन निया जाए। जाने की ग्राहीभवन तथा पृष्ठ-पृष्ठ अग्रामी एवं तक ग्राहीभवन करते हुए बीमों की प्रतिस्थापन (Mortality replacement) निया जाए।
26. निये जाने ग्राहीभवन की ग्राही हेतु ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Differential Global Positioning System) की एवं खोटोपाथा अवधारणीक नियों में समाहित करते हुए ग्राहीभवन ग्राहीभवन संखया प्रदान एवं एसडीआईएए, अलीसन्ड की प्रतिवेदन निया जाए।
27. संरितेभवनों प्रदानाक द्वारा 7.5 बीम ग्राहीभवन के बाहर ग्राहीभवन करते हुए लूंगार की तहत प्रदानित करते करना नहीं चाहे जाने पर ग्राहीभवनीय बीमाओं की नियत जाने की कार्रवाई की जाएगी।
28. ग्राहीभवन से जिन-जिन सब्जेक्टों से प्रदूषिति जान जाताहै तोगा, जान सब्जेक्टों पर नियमित जल विकास बीम जाना निया जाए।
29. ग्राहीभवन प्रदानाक द्वारा नियतना कलीहान नियम (Minerals Consumption Rule) की तहत जारीभूती नियतनी द्वारा ग्राहीभवन का कर्तव्य ग्राहीभवन निया जाए।
30. ग्राहीभवन प्रदानाक द्वारा जलाव, धोका, नहर, नदी, नदा एवं अन्य जल नियतों के संहार एवं नाशहान निया जाए।
31. ग्राहीभवन द्वारा जारी प्रदूषण के नियतना हेतु जलावाह जलाय निया जाए। इनी जल जार जलावाह नहीं में दिन से जलय 70 DSW; एवं रात्रि के जलय 70 DSW में अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे इनी जले संघी में जाम जाने वाले अभियों की ग्राहीभवन/जल आर्द्ध जलाव निय जाए एवं जल-जलाव के विकितनालीय जीव एवं जलावाह अनुग्राह जानका जापान भी कराया जाए।
32. नीज संघ के छोटे खड़कों/ प्रदानित जलाव एवं वैद संभव (एक माह का स्टॉरेज कंवीनिटी ग्राहित) जानाया जाए।
33. जावर के छोटे-छोटे दुकानों (खार्ड बीमों) को उड़ने से बचाने हेतु पर्यावरण एवं जलावाह निया जाए। ऐसे वित्तिय जानका यह प्रदूषण नियतना जलावाह जलावाह वित्तिय निया जाए, जिसके जान का जलाहीव नियतना में नहीं।
34. जलावाह व्यक्तिया भू-जल संघ के जावर असंतुष्ट प्रशांत में जी जाएगी एवं जलावाह ग्राहीभवन भू-जल संघ के नींवे नियों द्वी परिस्थिति में नहीं निया जाए।
35. जलावाह की व्यक्तिया इस इकार मुनितिका जी जाए जि लौंगीय नियत जनस्थिती एवं जीव-जलस्थिती पर दृष्टान्त न हो। जीव एवं जले जाने पाने प्रदूषितिक जीव-जलस्थिती, जनस्थिती का समृद्धि संखया आपका जापित होगा।
36. ग्राहीभवन प्रदानाक द्वारा नीच जानिये जल जलावाह जलीसन्ड गीव जानिये नियम, 2016 से जानकारी, अनुसूचित जलावाह योजना एवं पर्यावरणीय प्रशंसन योजना के अनुसार निया जाए। याँके एक नाम के इकारानी का जाना निया जाए।
37. जावर जलाव एवं जीव जानिये अभियों कार्य एवं लगानी जाने ही तो ऐसे अभियों के जावर में यह दुकान हेतु उकित जलावाह ग्राहीभवन जलावाह द्वारा जी जाएगी। जलाहीव जलावाह जलाहीव संरक्षणाली के जावर में ही जानी ही जिसे ग्राहीभवन पूरे होने के जलावाह जाना जाए।

38. अभियोगी के लिए जल्दी सहज तर हमारा परिवहन विभिन्नतरीका उपयोग, बोरडबुल ट्रैक्सेट कार्डि की व्यवस्था परिवहन का उपयोग का द्वारा की जाए।
39. अभियोगी का जनप्र-जनप्र पर आवश्यकताहात हेतु सहित जल्दी जाना चाहाया है।
40. जल्दीनम की तरफीक, कर्त्ता होते हुए अनुचितिक जल्दीनम योग्यता के अनुचित गतिक जोखाय, जिसमें जल्दीनम, स्थिरित की जाती होते अनुचित सहितिरहि है, वे जिसी भी जल्दीन का विवरण एसईआईएट, असीसाइट / वर्किनम, जन और जल्दीन परिवहन विवरण, जारी जल्दीन की तृप्ति अनुचित की जिम्मा नहीं जिम्मा जाए।
41. इस परिवहनीय स्थिरित की जारी जल्दीन का जानप्र जिसी अवधिताहत जल्दी उन्हें कानूनित पर अधिकान दर्शाने का नहीं है एवं वह ही एह एवं परिवहनीय स्थिरित जिसी जिसी जल्दीन की नुकसान परिवहने अथवा जारीताहत अधिकान के अधिकान अथवा कीन, जल्दी एवं तरफीक जानूनी / जिसी के जल्दीन ऐसु अविकृत जल्दी है।
42. एसईआईएट, असीसाइट वर्किनम जल्दीन की दूषित है, अधिकान की जारीता में परिवहन अथवा जिसीहीर जारी के जल्दीन एवं जल्दी जोड़ने की जारी में जिसी भी जारी में जारीतन / जिसी जल्दी जारी अथवा नहीं जारी जोड़ने अथवा जल्दीन / जिसी जल्दी जोड़ने की और जल्दी जारी का अधिकार सुरक्षित जाना है।
43. वरियोजना प्रस्तावका न्यूनतम 3 वर्षानीय जल्दीन एवं जो जिस परियोजना की जाप-जाप व्यवहक काम की प्रक्रिया है, परिवहनीय स्थिरित जाप होने के 7 दिनों के भीतर इस जल्दीन की जूदा प्राप्ति जापना कि वरियोजना की परिवहनीय स्थिरित प्राप्त हो गई है एवं परिवहनीय स्थिरित पर की जिसी स्थिरितप्र, असीसाइट परिवहनीय जल्दीन जापने में अवश्यकता हेतु जाना है। जाप ही इसका अवलोकन एवं एसईआईएट, असीसाइट की वेबसाइट [www.esicai.org.in](http://www.esicai.org.in) पर भी जिम्मा जा सकता है।
44. परिवहनीय स्थिरित में दी गई जारी के जल्दी जारी की गई कार्रवाई की जांच अभियंते असीसाइट परिवहनीय जल्दीन जाकर, अटल जाप, लोकीय जारीतप्र असीसाइट जल्दीन नज़दी, अभियंता, एसईआईएट, असीसाइट एवं एसीसूत लोकीय जारीतप्र, परिवहन, जाप एवं जल्दीन परिवहन जंजाजप्र, जानता जालार, जापन जो उत्तित जिम्मा जाए।
45. एसीसूत लोकीय जारीतप्र, परिवहन, जन एवं जालार जल्दीन जंजाजप्र, जानता जालार, जापन द्वारा परिवहनीय स्थिरित में उद्देश जारी के जल्दी जोड़ने की अनिवार्यता की जाएगी। इस हेतु वरियोजना प्रस्तावका द्वारा जाप-जाप वर उन्होंना जिस एवं उपलब्धिकी एवं आवेदन का पूर्ण लेट एसीसूत लोकीय जारीतप्र, परिवहन, जन एवं जालार जल्दीन जंजाजप्र, जानता जालार, जापन की उत्तित जिम्मा जाए।
46. एसईआईएट, असीसाइट, जन लोकीय जारीतप्र जल्दीन जंजाजप्र, जानता जालार / एसीसूत लोकीय जारीतप्र जल्दीन, जन एवं जालार जल्दीन जंजाजप्र, जानता जालार, जापन / कंन्हीय जापन नियंत्रण जोड़, असीसाइट जल्दीन जालार जापन नज़दी के विभिन्नीय/अभियंतियों को जारी के अनुपालग के संबंध में जो जारी जासी नामेहानिग हेतु पूर्ण जाहीर प्राप्त जिम्मा जाए। वरियोजना प्रस्तावका ज्ञाना जिसिंदेह जारी का अनुपालग करना नहीं जाने पर परिवहनीय स्थिरित जिसी जो जाकेगी।
47. वरियोजना प्रस्तावका असीसाइट परिवहनीय जल्दीन जापन एवं जालार जालार द्वारा एवं जारी के अनिवार्य काम से जल्दी जानेगा। वे जारी जाप (प्रदूषण नियंत्रण जाप नियंत्रण) अभियंता, 1974 वारु (प्रदूषण नियंत्रण जाप नियंत्रण) असीसाइट, 1987, परिवहन (जालार) अभियंता, 1988 जाप दूनहो जालार जापने जारी जिसी, परिवहनकाम

लौर अन्य अधिकारी (अंकुष एवं संसाधार संघरण) नियम, 2020 का और पारिवहन बोर्ड  
अधिनियम, 1991 (यात्रा संशोधन) के अधीन चिरिंदिंद की यह समझी है।

43. प्रतिवर्षीय विद्युतगति को जारी में एसडीएमडीए, प्रतीकालद में उपलब्ध गई विद्युतगति अवधार अधिनियम द्वारा की दरकार में एसडीएमडीए, प्रतीकालद की पुर्ण नवीनीकरण करने की विद्युतगति अवधार अधिनियम द्वारा ताकि एसडीएमडीए, प्रतीकालद इस परिवार का एक ही विद्युतगति अवधार द्वारा नवीनीकरण की चिरिंदिंद करने वाला विनायक द्वारा किया जाए। अद्यात ये कोई भी विद्युतगति अवधार द्वारा दरकार में एसडीएमडीए, प्रतीकालद / प्रतीकाल, दरकार और यात्राएँ चिरिंदिंद संज्ञानात् यात्रा राजसत्ता की पूर्ण अनुमति के लिया नहीं दिया जाए।
44. प्रतीकालद प्रतीकाल संसाधार अधिनियम लौटूति की जैसी को उनकी कीर्ति कामालिय, विनाय-वालार द्वारा उद्योग कीन एवं कालेज/तालीमदार कालीनतय में जो दिवस जी अनुमति को दिये गएरहित करेंगा।
45. प्रतीकालनीय लौटूति के लियद्वारा उपील नेहनल दीन दीन्दुनस के सभ्य, नेहनल दीन दीन्दुनस एवं 2020 की याद व्य से दिये गए प्राप्तनी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में जी या आंकेंगी।

संसाधार चिरिंदिंद की.

  
अवधार, एसडीएमडी.

**सार्व ऐवमानदृ उत्तरी शाहीनी गटीन काली टोंडी - दी सौंज प्रदानकर्ता**  
को पाठ और वासना क्रमांक २१६, कुल तीज होते । हेल्पर, नगर पालामदृ-ऐवमान-  
शाहीन-ऐवमान, जिला-बीजापुर में युवा नवजन (प्रीन जनिंग) उत्तरान ३ वर्षों में कुल  
समाप्ति - २,००,०६३ टन से अधिक न हो, केवल पर्यावरणीय सौंजहरी में दी जाने वाली गटी

यह पर्यावरणीय सौंजहरी निम्नलिखित गटी को जारी की जा रही है। इस गटी को  
बहुत आम ही पदा जाते रहा क्षात्री से प्रत्यन करना सुनिश्चित किया जाए।

१. यह पर्यावरणीय सौंजहरी, सुनन पट्टे से निष्पादन की गटीका की ०२ की रक्त की  
उच्चती सेवु रिंग है। प्रसारित उत्तरान तीज होते । हेल्पर एवं उत्तरान क्रमांक ३ वर्षों  
में कुल क्रमांक - २,००,०६३ टन से अधिक प्रत्यक्षन दिया जाना, पाँवे जाने पर पारी  
पर्यावरणीय सौंजहरी उत्तरान प्रत्यक्षन की निष्पादन की याही रक्त अवधारणा दृष्टिकोण  
कार्यकारी की जाएगी। उपर्युक्त उत्तरान सेवु तथा निम्नलिखित गटी का प्रत्यन  
करने पर परियोजना प्रसारक को जाली रूपी में भी जाल जा जाएगा।
२. यह पर्यावरणीय सौंजहरी अधिकातम उत्तरान गोपनीय (तीज होते) + हेल्पर अवधारण  
पर्यावरणदृ जानन, लॉगिज जानन दिया द्वारा सौंजहरी लीज होते (दीर्घी में से जो कम  
हो) हेतु जान्य होगा। इसी अवधारणदृ जानन से युवा प्रत्यक्षन का अधिकातम उत्तरान ३ वर्षों  
में कुल समाप्ति - २,००,०६३ टन से अधिक नहीं होता। तीज होते ही सौंजहरी का  
कार्यकारण करतकर पक्की गुलाब अगाध जाए।
३. परियोजना प्रसारक द्वारा तीज होते की सूच्य प्रत्येक द्वितीय प्रत्यक्षन (तीज जानन  
का नाम, जानन का दीर्घात अवधारण एवं उत्तरान गटी, उत्तरान की जाल, सौंजहरी  
आदि) जानाया जाए।
४. यहि जानन उत्तरान दिया द्वारा अधिकृति दिली उत्तरान में है, तो पर्यावरणीय  
सौंजहरी जान्य नहीं होगी।
५. यहि जानन से अनित औरकर गहन की निष्पादन दिया जाता है तो, सुनन प्रतिकारी से  
अनुमति द्वारा दिया जाए।
६. परियोजना प्रसारक द्वारा अवधारण से उत्तरान जल एवं उत्तरान दूषित जल (यदि कोई हो),  
तो उत्तरार की उपरित एवं प्रत्येक गोपनीय किया जाए।
७. पर्यावरणीय सौंजहरी की निष्पादन जाल उत्तरान के पर्यावरण, जन और जलाधारु परिवर्तन-  
प्रसारण द्वारा जारी इंजीनियरिंग नीटीज़िवेन्यू, २००८ (यथा संलग्नित) के प्रावधानी के  
तहत रहती।
८. नामनीय एनजीटी, के अदेश दिनांक २५/०२/२०२१ के अनुसार प्रदानार द्वारा  
प्रदूषित प्रान एवं पर्यावरणीय सौंजहरी की गटी का प्रत्यन सुनिश्चित जानी जाने हेतु  
परियोजना प्रसारक को पर्यावरण दिलीक नियुक्त करना है।
९. बीसोंमिंट प्रतिमा एवं जानन के उत्तरान दिली वी प्रकार से दूषित जल को निष्पा-  
दनी अवधारणहरी जल संस्थानों में निष्पा-दी वित्तीयता में निष्पादन गटी किया जाए,  
अपेक्षु होते उत्तरान में अवधारणहरण हेतु प्रुण्यप्रदान दिया जाए। योग्य दूषित जल  
के उत्तरान के लिए संरिक्त देश एवं संरिक्त देश की अवधारण की जाए एवं जल की  
निष्पा-दी अवधारणहरणहरी जल संस्थानों में निष्पा-दी प्रतिमिति में निष्पादन नहीं निष्पा-  
दनी जाए। दूषित जल एवं पर्यावरणीय जल जाल जानन में ये निष्पादन हेतु हेतु यी अवधारण की  
जाए। उत्तरान दूषित जल की गुणवत्ता जाल उत्तरार, पर्यावरण, जन और जलाधारु

परियोग, मंत्रालय, नई रिस्ट्री द्वारा अधिकृति प्रमाण क्रमांक प्रदीकनाएँ पर्याप्तता संख्या नंबर द्वारा अधिकृति समझ (जो भी कठोर हो) के अनुसार गुणिति किया जाए।

10. यदि चट्टा यात्रा यात्रा प्रदीकन बंद करने के लियां (after ceasing mining operators) कानून के अन्तर्गत भी अन्य बींच जो इस सम्बन्धी खेत्र के अन्तर्गत (perturbed due to their mining activities) होते हैं, यात्री के-ग्रासिंग (re-grassing) की जाहीं एवं भूमि का पुनर्कामना इस विषय के लिया जायगा, जिसके बाद यात्रा बनावटियों औरी आदि के उपरिके हेतु अनुमति हो। परियोग के अन्तर्गत द्वारा कानून प्रदीकनी से अनुसंधित वार्षिक बलीजन यात्रा एवं यह के भौतिक अनुमति किया जाए।
11. यू-जल के उपयोग (यात्री जिया यात्रा हो गए) हेतु कंवीन यू-जल बींच से उत्तरानन अनुमति करने के लिये अनुमति प्राप्त की जाए।
12. जिसी जिसी / बैट / बैट गोले से परियोग सेटर उत्तरानन की जाती है जिसीमें / साथाना पर्सीटर से काम शुभिति किया जाए। इतना, सर्वीस, दूषकार्य प्रदूषक (यदि आई हो) में यात्रु प्रदूषक विषयक हेतु यात्रा एवं उत्तरानन विषयक के लाय यात्रा यात्रा का दो विषय लाभिता विषय किया जाए। यदियु उत्तरानन विषयकों के विषय रखी हो तो उत्तरानन पश्चिमिय यात्रा एवं उत्तरानन का विकल्प अन्य एवं विषय के लिया जाए। पहुंच यांत्री, रोप, लकड़ीय सेत्र, भूर्ज एवं अन्य छह उत्तरानन विषयों जैसे बट्टोंगेट का योग्यता विषय एवं यात्रा विषयका की व्यवस्था की जाती हैसका साथ संवादानन / साथाना शुभिति किया जाए। विष्ट विषय कीज या विषय शुभिति किया जाए।
13. यहांतों, यात्रा एवं यात्रा विषय की उत्तरानन यात्रु प्रदूषक की व्यवस्था संख्या अधिकारी, 1988 एवं यात्रु प्रदूषक विषयक यात्रा विषयक अधिकारी, 1981 के तहत विष्टियत वायुकों की अनुसन्धान यात्रा जारी। उत्तरानन सेत्र में विशेषीय यात्रु की पुनर्वाता यात्रा उत्तरानन के व्यवस्था, यात्रा और यात्रु परिवर्तन मंत्रालय, नई रिस्ट्री द्वारा अधिकृति वायुकों से अलिङ्ग नहीं होनी चाहिए।
14. लीज सेत्र के बारी तक लांबी यात्रा रोटर की जीवी पट्टी में लांबी बेस्ट का ऊंचा / उत्तरानन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में क्षारीयता किया जाए।
15. उत्तरानन विषय के द्वितीय हालाँग यात्री जिसी निट्रो (ट्रैम लीइल) का यात्रायोग उत्तरानन में न आने वाली भूमि के दूसरे यात्रा एवं अन्या यात्री लीवर्सार्फन की विषय (स्टेमिलाइजर) करने में किया जाए। उत्तरी निट्रो (ट्रैम लीइल) की लीज सेत्र के बाहर कृपक से भव्यतापूर्ण करने की अनुमति नहीं होनी।
16. लीवर्सार्फन एवं अनुपर्योगी/विष्टी अवैध व्यायिक (बिट लीज) की पृष्ठा से यात्री के विनाश क्षमता पर अनुमति किया जानी। इस प्रकार के अव्यायाम स्थलों को विनाश पृष्ठा से सुरक्षित रहने जाए ताकि अनुपर्योग यात्रा-यात्रा की भूमि पर विष्टियत धारणा न उत्तरानन करें। यात्रा की लांबाई ३ बील तक यात्रा सीधे जी अधिक न हो। लीवर्सार्फन धारणा तक यात्रा करने हेतु व्यायिक तरीके से क्षारीयता किया जाए।
17. जारी तक सभी ही लीवर्सार्फन एवं उन्हें अनुपर्योगी/विष्टी अवैध व्यायिक (बिट लीज) की यात्रा की व्यवस्था करने वायुकों में पुनर्वाता विषय किया जाए। ताकि भूमि का बहुत चाल्योग अव्यायाम विष्टियक धारणा अनुमति व्यायिक किया जा सके।

12. पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह सुनिश्चित निया जाए कि वर्षान् प्रतिवर्ष से उत्पन्न निये लीज सेवा के आम-प्रस लोगों के साथी जाग रखनी में प्रवाहित न हो। इसे लेकर ऐसे गढ़ीन वीट द्वारा जाग सेवा में नियंत्रित की जा सकती है। याकूबाबद्दुल खान जी की जागरूकता अवश्यक रूप से दी जाए।
13. समिति का वरिष्ठतम् नियंत्रित करनी चाहने से निया जाए, ताकि समिति वर्षान् से बहर नहीं निये। समिति का वरिष्ठतम् करने को याहनों की जागता से अधिक नहीं यह जाना सुनिश्चित निया जाए।
14. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा पर्यावरण प्रबन्ध वीटों की अवधि निया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.32	Following activities at Village- Paterpara	
			Plantation	5,2025
			Total	5,2025

21. सीईआर के द्वारा नियंत्रित कार्यक्रमों के बारे में अधिकारी जन से जूल निया जाए। सीईआर के द्वारा उपलब्ध जारी की कार्य सूची परिवर्तन संबंधित जाग जागरूकता से उत्पन्न नियंत्रित द्वारा जन नियंत्रित नियोग में जनसहित करनी हुये प्रस्तुत निया जाए। सीईआर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना जागता उत्तमाधिकार होगा। सुनाहेपन अवसरों द्वारा पर पर्यावरण लीडरिंग नियोग की जानी।
22. सीईआर के अधिकारी (वीट, जाम, कर्मचार, कठार, यात्रा, अक्षयताता आदि) सुनाहेपन द्वारा जनसुना जनान अनुसार 80 नव वीटों के लिए जारी 3,300 रुपये, लीडरिंग के लिए 15,000 रुपये, जार के लिए 750 रुपये, नियंत्रित जन वीट-जाग जारी के लिए जारी 1,40,800 रुपये, इस द्वारा उपलब्ध जारों में जूल जारी 1,40,800 रुपये की जाग आजारी 4 वीट में जूल जारी 3,87,440 रुपये हेतु पर्यावरण व्याप का नियन्त्रण प्रस्तुत निया गया है। पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जाग जागरूकता परामर्शदाता की सहायती जनसंघ जागरूकता सभा (ज्ञान अनुसार 257 लीडरिंग 8,288 लीडरिंग में से 0.80% लीडरिंग) की जाग ने उत्पुत प्रशासन अनुसार जारी जूल करें।
23. सीईआर एवं सुनाहेपन जारों के नियंत्रित एवं पर्यावरण द्वारा नियंत्रित (डिपार्टमेंट/डिविनिंग), जाग जागरूकता के परामर्शदाता/प्रोटोकोली एवं निया प्रसामन वा अल्लीसलाहू पर्यावरण संस्कार नवाचारों के परामर्शदाता/प्रोटोकोली गठित निया जाए। जाग जी सीईआर एवं सुनाहेपन का कार्य जूल निये जाने के उपरोक्त नियंत्रित नियंत्रित सभीं से सम्पर्कित करना जाए।
24. जाग जी नियंत्रण दल/अधिकारी नियंत्रण द्वारा जाग जी जाग जागरूकता/उद्योग/कठार के नियंत्रण के सभ-जाग सीईआर के द्वारा जारी जूल जारों नामे करनी का नियंत्रण भी अधिकारी जन से करना अपनी नियंत्रणाते होंगी।
25. उत्पन्न द्वारा नियंत्रित जूल (जूली जाग 7.8 वीट जीका जूल), जूल जूल और उत्पन्न सभ जारी में सहायी प्रजारी हो जूल का सभन् सुनाहेपन निया जाए। इसी वट्टी का नियन्त्रण बन्धीय प्रदूषण नियंत्रण वीटों की संगतीकारी हो जनुतान निया जाए।

26. लौज सेव में उपर्युक्त नियमों के बारबा एवं उत्तम प्राप्ति का लिया जानीय भूमि वाला अन्तर्गत 207 के बारबा 8,288 हेक्टेयर में से 1,000 हेक्टेयर में 1,200 करोड़ रुपयोग्य कार्य किया जायेगा।
27. इसलिये इसका कार्यावधि यह कार्यावधि कार्यावधि 2023-25 में लौज सेव की उत्तमता कर, दीपल, चीम, करंज, गौचु, आम, इफली, अमृत, लीला आदि अन्य क्षेत्रीय इलालियों को 300 गग पीढ़ी का बीचमा लैजल 1,400 गग पीढ़ी का बारबा कार्यावधि करने के लिये कामयुकत दर पर्याप्त अवधि (कार्यावधि कार्यावधि दर के बाहु अवधि द्वारा बारबा का कामयुकत) किया जाए। क्षेत्र प्रभावात्मकी होने की दशा में नामित इसमें उत्तम प्राप्ति कार्यावधि कार्यावधि का उपर्युक्त उत्तम प्राप्ति कार्यावधि का उपर्युक्त कार्यावधि किया जाए। उपर्युक्त उत्तम प्राप्ति कार्यावधि की उपर्युक्त उत्तम प्राप्ति की जा सकती है।
28. नामित लिये जाने वाले लोडों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीढ़ी के नाम का उत्तमता करने हुये फोटोवायर्स सहित जानकारी जातम प्रतिशेषन के साथ जमा जाने।
29. पर्याप्तिगत लौज सेव के अंतर एवं बाहर लौजम इसलिये जाने एवं लौजित पीढ़ी का सामान्यतावाला रेट (General rate) के प्रतिशेषन कुप्रीयित किया जाए। जाक की उत्तमता का उत्तम-उत्तम जानकारी 5 लोडों तक सुनिश्चित करने हुये युवा पीढ़ी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
30. नियम को उत्तमता की उपर्युक्त ऐतु ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System) से एवं फोटोवायर्स अवधिकारीक नियोंट में उत्तमता करने हुये उत्तमता कार्यावधि कार्यावधि का उत्तम उत्तमता एवं एकांकीकरण एवं अस्तीतिशय को प्रतिस्थापित किया जाए।
31. परिवर्तनावाला प्रस्तावक द्वारा 2.5 गोटर अविधिकारी सेव में इनसारेट कार्य एवं सीट्रुआर के उत्तम प्रस्तावित कार्य करना यही खारे जाने पर पर्याप्ततावालीय वीडीयो को निरंतर जाने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परिवर्तनावाला सेव-जिन लोडों से उत्तमता की उत्तमता किया जाए। उन लोडों पर नियमित जल डिफेन्स की उत्तमता किया जाए।
33. परिवर्तनावाला प्रस्तावक द्वारा जिनका जनरल रेट (Minerals Conservation Rule) के उत्तम उत्तमता विस्तर में द्वारा जीनकारन का कार्य उत्तमता किया जाए।
34. परिवर्तनावाला प्रस्तावक द्वारा तालाब, दीपल, गौचु, आम, इफली, लीला एवं अन्य जल जिलावाली के सामान्य एवं उत्तमता किया जाए।
35. परिवर्तनावाला प्रस्तावक द्वारा जनरल रेट उत्तमता का उत्तमता किया जाए। जनरल जल उत्तमता उत्तमता की दिन के समय 70 DBA एवं राति की जाना 70 DBA से अधिक यही लोडों वालिए। जीव जनरल जाने लोडों में काम करने वाले जनरल जीव उत्तमता/उत्तम आदि प्रशासन किए जाए एवं समय-समय पर विनियोगितावालीय जीव एवं आवश्यकता उत्तमता उत्तमता भी करना जाए।
36. उत्तम प्रतिशेषनीय / ग्लोबल प्रशासन की अनुसन्धि उत्तमता विस्तारक जाइरीस वालक (Explosives License Holder) द्वारा उत्तमता एवं नियमित जीवों से उत्तमता उत्तमता किया जाए। यत्तेव जीव-जीव दुखको (प्रत्यक्ष लीला) की उत्तमता से उत्तमता देतु पर्याप्त एवं उत्तमता उत्तमता किया जाए। जीव डिफेन्स उत्तमता जनरल उत्तमता उत्तमता उत्तमता उत्तमता किया जाए, जिससे जल एवं उत्तमता नियमित हो।

37. उत्तराखण्ड गृ-जल बोर्ड के सफर आयुर्वद इथार में जी जाएगी एवं उत्तराखण्ड प्रशिक्षण गृ-जल बोर्ड के नीचे लिखी थी परियोजनाएँ में नहीं लिखा जाए।
38. उत्तराखण्ड की प्रशिक्षण गृ-जल बोर्ड शुभोदयिता की ओर लिए जानीप लिखा उन्नत्यादितों एवं जीव-जननुकी एवं उत्तराखण्ड में ही। इस में जाये जाने वाले आयुर्वद जीव-जननुकी उन्नत्यादितों का सम्मुखियत संक्षण आयुर्वद यापिता होता।
39. जीव जीव में कृषि जीवित है, जिसे बहुत अत्यधिक हीमें पर ही यज्ञ कुमी की कराई साथम प्रयोजनीय से अनुगति उन्नत्यादितों की जाएगी।
40. परियोजना इत्यादित द्वारा गौतम चौमित्र का उत्तराखण्ड आयुर्वद गौतम शुभोदय मिथम, 2016 के प्रयोजनीय अनुगतित उत्तराखण्ड योग्यता एवं पर्यावरणीय प्रशंसन दीक्षन के अनुसार लिखा जाए। नव्येन एकत्र 1952 के इत्यादितों का प्रस्तुत लिखा जाए।
41. जाये जाने एवं बढ़ि जीवित जीवित जाये पर जायावे जाहे ही तो ऐसे जीवितों के जायासे एवं सुखावे हेतु उत्तित उत्तराखण्ड परियोजना इत्यादित द्वारा वी जाएगी। जायावीय उत्तराखण्ड अन्नादी संतरनादी के जय में ही जावी है, जिसे परियोजना यूनी हीमें के प्रस्ताव इटाया जा जाए।
42. जीवितों के लिए उत्तराखण्ड पर जायावे प्रयोजन लिखितसारीय शुभित, नीवारुत उत्तराखण्ड जीवि की जायावा परियोजना इत्यादित द्वारा वी जाए।
43. जीवितों का उत्तराखण्ड पर आयुर्वदेशीय हीत्या जीवितेना करना जायावाहा है।
44. उत्तराखण्ड की तकनीक, जाये क्षेत्र एवं अनुगोदित उत्तराखण्ड जीविता के उत्तराखण्ड जीविता जीविता, जिहानी उत्तराखण्ड जीवितों वी जाया एवं अन्तिम जीवितिता है, तो जिहानी वी प्रशंसन का वीक्षितन एकाई-आई-ए. उत्तराखण्ड / पर्यावरण, एवं जीव उत्तराखण्ड परियोजना गैरकलाय, जाया जायावा वी पूर्ण अनुगति के लिए नहीं लिखा जाए।
45. इस पर्यावरणीय जीविति को जारी करने का आयुर लिखी जीवितायत आयुर उत्तराखण्ड पर जीवितायर उत्तराये जा जाती है एवं न ही एवं पर्यावरणीय जीविति लिखी जीविती जायावीता को गुरुतामान यूनीवाने अन्ना उत्तराखण्ड उत्तिकारों के उत्तिकामय अन्नावे फैन्द, जायावे एवं जायावीय जायनुकी / लिखितों के उत्तराखण्ड हेतु जीवित जानत है।
46. एकाई-आई-ए. उत्तराखण्ड पर्यावरण संकालन की गृहिणी हो, परियोजना वी जायावा में परियोजने अन्ना लिखितेन्द्रिय उत्तराये के भावोवद्वय एवं एवं प्रशंसन की देश में जिही वी उत्तराये में जायावाय / लिखिता करने जायावा नहीं उत्तराये अन्ना जायावाय / लिखिता हो जायावाय की और जाया करने जा उत्तराखण्ड शुभित जानत है।
47. परियोजना इत्यादित न्यूनतम् 2 ल्यावीय जायावा जायो गे, जो कि परियोजना हीत की जास-जाया उत्तराखण्ड का वी अन्नायित हो, पर्यावरणीय जीविति द्वारा हीमें के 7 दिनों के गीवर द्वारा जाया जाया जायावीता होती है कि परियोजना को पर्यावरणीय जीविति द्वारा ही नहीं है एवं पर्यावरणीय जीविति एवं ही जीविती संवितालाय, जायावीय अन्नावे पर्यावरण संकालन में अवायीकरण हेतु जायावा है। सभ्य ही इसमान अवायीकरण एकाई-आई-ए. उत्तराखण्ड वी वेबसाइट [pathways.nic.in](http://pathways.nic.in) एवं वी लिखा जा जाया है।
48. पर्यावरणीय जीविति वी ही एवं उत्तराये के जायावे हेतु जी गृह जायेवाही की जाए जायिक लिखी है उत्तराखण्ड पर्यावरण संकालन गैरकल, उत्तराखण्ड जायावीय जायावाय उत्तराखण्ड पर्यावरण संकालन गैरकल, जायावलहुर एकाई-आई-ए. उत्तराखण्ड एवं एकाईकरण जायेवाय, पर्यावरण, एवं एवं जायावाय उत्तराखण्ड संकालन, जायत उत्तराखण्ड, जायावा एवं जीवित लिखा जाए।

48. एकीकृत होशीर कानूनी, वार्तालाय, वा एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी, भवता वर्तमान, उपर्युक्त द्वारा पर्यावरणीय स्थिकृति में प्रदत्त जाती के पासन की वाचिकारिय की जाएगी। इस हेतु वरिष्ठोंना प्रस्तावक द्वारा सम्बन्धीत वार्ता एवं जलवायु परिवर्तन की वार्ताएँ वा पूर्ण के एकीकृत होशीर कानूनी, वार्तालाय, वा एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी, भवता वर्तमान, उपर्युक्त /कंट्रोल ड्रॉवर निवापन बोर्ड/एकीकृत वार्तालाय, वार्तालाय सम्बन्धी के वैज्ञानिकी/वित्तिकारियों की जाती के अनुसार जांच में की जाने वाली वाचिकारिय हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न जाती का अनुसार जांच नहीं करने वाले वर्तमान वार्तालायीय स्थिकृति विभाग की जा सकती है।
49. परियोजना प्रस्तावक एकीकृत वार्तालाय सम्बन्धी एवं वार्ता वर्तमान द्वारा जीवी-जाती का विविधीय काम के पासन करेगा। ये जाती वार्ता (जिल्हाय विवापन वार्ता विवरण) विविधम् 1974 वायु जिल्हाय विवापन वार्ता विवरण) विविधम् 1974, पर्यावरण (संवर्धन) विविधम् 1990 वायु अपनी लक्ष्य वाली यो विवरण, वरिष्ठवालाय और अन्य आविष्ट (जाती एवं सीधावार संवर्धन) विवरण, 2016 वायु जीव वाचिकारियम् 1990 (ज्यादा साहीकारी) के अन्तर्गत विभिन्न जीव जाकरी है।
50. वर्तमान वार्तालाय के बारे में एकीकृत हेतु जलवायु विभाग में कोई जीव विवरण अवलोकन परिवर्तन की जाता है एकीकृत हेतु, एकीकृत हेतु को पूर्ण स्थिकृति वार्तालायी जाहिर सूचित विषय नहीं ताकि एकीकृत हेतु, एकीकृत इस वार्तालाय के जाती की उपर्युक्तवाया अपना नवीन जाती विविष्ट वार्ता विवरण से जड़े जायाने में कोई जीव विवरण अवलोकन परिवर्तन संबंधी, भवता वर्तमान की दृष्टि अनुसारी के बिना नहीं किया जाए।
51. एकीकृत पर्यावरण संवर्धन सम्बन्धी पर्यावरणीय स्थिकृति की प्रति को उनके वार्तालाय, विवरण—व्यापक एवं वार्तालाय के एक वार्तालाय/वार्तालाय वार्तालाय में 30 दिन की अवधि की विषय प्रदानीत करेगा।
52. पर्यावरणीय स्थिकृति को विकल्प अवलोकन वीन ट्रीमूलाल की सम्भा, वैज्ञानिक वीन ट्रीमूलाल दफ्तर 2010 की तात 10 में दिए गए वार्तालायी अनुसार, 30 दिन की अवधि में की जा सकती है।

सदाचार्य वाचिकार, पर्यावरणीय,

  
अधिकारी, एकीकृत हेतु।

**गोदानी बाईय पर्सन स्टोर मार्केट (ट्री) - दी गोदान कुलांड जाती  
गोदान नं. 1422/1, कुल गोदान लॉन 0.52 हेक्टेयर, गोदान-बाईय, गोदानी-परिवेश-  
परिवेश-परिवेश वैज्ञानिक संस्थान (परिवेश वैज्ञानिक) प्रशासन - 2,435 दल इतिहासी हेतु  
परिवेश-परिवेश वैज्ञानिक में दी जाने वाली जाती**

यह गोदानीय बाईय वैज्ञानिक विभागीय वैज्ञानिक जाती के अधीन वी जा रही है। लेकिन इन जाती को  
बहुत व्यापक से यहां जाने तक कठारी वी पालन करना चुनिविल विषय जाए।

1. यह पर्वीवलीय बाईय वैज्ञानिक प्रशासन को आजम (लौज लौज) 0.52 हेक्टेयर  
का गोदानीय गोदान, वैज्ञानिक प्रशासन विभान द्वारा स्वीकृत लौज लौज (ट्री) में  
दी जाने वी हेतु व्यापक होता। इसी प्रशासन गोदान से वर्तमान स्टोर का अधिकारी  
प्रशासन 2,435 दल इतिहासी हेतु वैज्ञानिक नहीं होता। लौज लौज की सीमाओं का  
लोगोंका कामकार पालन युक्ति लगाया जाए।
2. पर्वीवलीय बाईय वैज्ञानिक विभान वाला कामकार वी पर्वीवलीय वैज्ञानिक  
परिवेश-परिवेश विभान द्वारा जानी है। लौज लौज, 2008 (परिवेश-परिवेश)  
के गोदानीय के बहुत रही।
3. वैज्ञानिक प्रशासन द्वारा लौज लौज के सुख उपर द्वारा वैज्ञानिक प्रशासन (लौज  
कामकार वी वाम, व्यापक वी की कामकार वाम) एवं वैज्ञानिक विभान, वालावाला की वाच  
बाईय वैज्ञानिक अधीक्षि लगाया जाए।
4. वालावाला हेतु प्रश्नात लौजन दृष्ट्यावर्तीनेट्स बैनरिटेक प्रश्न के अनुसार वालावाला एवं  
परिवेशन वालावाली एवं वालावाल से वैज्ञानिक वालावाल एवं वालावाल की  
कामी व वाला वी सुख विषय जाए।
5. वालावाला हेतु विवार है। लिंगों वी विवाह वाली पर वैज्ञानिक वाली विषय जाए  
है। वाला वालावाली पर वैज्ञानिक वैज्ञानिक वाली (वाम, वाला वाला विद्वान) विषय जाए।  
वैज्ञानिक लिंगों इसीनीभाव वैज्ञानिक वालावाल, वालावाल की वाली वालावाल  
वालीनीभाव वैज्ञानिक वालावाल वालावाल, वालावाल, वालावाल एवं वालीनीभाव एवं  
एकीकृत वाली वालावाल, वालावाल कामकार, वैज्ञानिक, वाला एवं वालावाल परिवेश-  
परिवेश, वाला वालावाल वालावाल की अधिकारी (Post Project Monitoring Report)  
संचित की जाए।
6. गोदानीय एकाऊटी के आवास विभान 20/02/2021 के अनुसार पर्वीवलीय द्वारा  
वालावाल प्रश्न एवं पर्वीवलीय बाईय वैज्ञानिक के गोदान सुनिश्चित वाला जाने  
हेतु वैज्ञानिक प्रश्नावाला की पर्वीवलीय विभान नियुक्त करता है।
7. वैज्ञानिक प्रश्नावाला द्वारा वालावाली वी वालावाल वाला एवं वालावाल वाला (वाम, वाम  
ही), के वालावाल वी वालावाल वाला वी वाला।
8. वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं वालावाल से वालावाल विकासी वी वालावाल से वालावाल की विकासी  
नहीं वालावाल वालावाली वाला वालावाली में विकासी वी वालावालिकी वैज्ञानिक वाली विषय  
जाए। अपितु इसी विकासी में वालावाल वालावाल हेतु वालावालवाल विषय जाए। वालावाल  
दूनित वाला के वालावाल के लिए वैज्ञानिक ट्रैक एवं वालावालवाल की वालावाल वी वाला एवं  
वाला की विकासी वाली वालावाल वाला वालावाली में विकासी वी वालावालिकी वैज्ञानिक वाली  
नहीं विषय जाए। दूनित वाला एवं वालावालवाल वाला वालावाल में वा विकासी ट्रैक हेतु वी  
वालावाल वी वाला। वालावाल दूनित वाला वी वालावालवाल वाला वालावाल, वालावाल, वाला

और लकड़ी परिवर्तन, मोहराम, नई दिल्ली द्वारा अविभूषित समझ लाया गया उत्तराखण्ड पर्यावरण संबंध समिति द्वारा अविभूषित समझ (जो भी कठोर ही) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. यहाँ पढ़ा गएक आव वासान के कठोरों के उपरान्त (after causing mining operations) सम्बन्ध तथा विनी भी उच्च शीर्ष जो जिसकी सुनन वर्तितियों के कठोर अवासित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, यानी ऐ—वासिन (non-dwelling) की जाएगी एवं यहाँ का पूरवावाहन इस विनी का किया जाएगा, विनी का आव वासानीयों, जोकी जाए वह उपरान्त हुए आयुक्त हैं। परिवोज्ञा प्रस्तावक द्वारा वासन वर्तितियों के अनुसारित यहाँ वासान एवं वाह के भीतर इस्तुत किया जाए।
10. यू—जल के उपरान्त हुए कीदीय यू—जल जोड़ी तो वासान आर्थ वाने की यू—अनुसारि प्राप्ति की जाए। वास ती उच्च शीर्ष तो जल का उपरान्त विनी वाने की विनी में वासान विभाग की वासान अवास कठोरों की यू—अनुसारि प्राप्ति की जाए।
11. विनी विनी / वैट / चाईट जोड़ी की वाटिक्सेट वैट वासान की वास 80 विनीजाम / वासान वासान से कम सुनिश्चित किया जाए। बाजार, स्टीम, ट्रांसार वाक्यादा (जोई जोई हो) में यात्रु प्रदूषण विनेश्वन हुए कठोर एवं वासान विनेश्वन के उच्च वास वासान का वेग विनेश्वन वासान वासान का विनेश्वन वासानी एवं विनेश्वन वास की किया जाए। वर्ती वासी, रेप, संवाहन की, भर्ती एवं अन्य जाग वासान विनेश्वनी जल वाटिक्सेट कम वासान विनेश्वन एवं वास विनेश्वन की वासान की वासान इसाव वासान वासान / वासान सुनिश्चित किया जाए। विनेश्वन वासी का विनेश्वन सुनिश्चित किया जाए।
12. वासान एवं अन्य वासियों से वासान वायु प्रदूषण को पर्यावरण वासान अविभूषित, 1986 एवं वायु (प्रदूषण विवालन तथा विवरण) अविभूषित, 1981 के उच्च विनेश्वन वासानी की अनुसार वासा जाएगा। वासान वासी में वासियोंयों वायु की वासान वासान वासान को पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन वासान वासान की विनेश्वन की वासानी जाली होनी वालिए।
13. परिवोज्ञा वासानक द्वारा वासान के वासी तस्क वासियों का वासी किये जाने की वासानी ही वासान अर्थ प्राप्ति किया जाए।
14. जीव संघ के वासी तस्क जीवी नई 7.5 वैट की जीवी घट्टी में जोई वैट का जीव / वासान वासी किया जाए तस्क इस घट्टी में वासानीयों किया जाए। ऐसा वासा वासी वासी जाने पर पर्यावरणीय वासानी कियी भी समय वासान वासान की विनेश्वन की वासानी।
15. वासान वासियों के दीर्घ रुदाई वायु वायरी विनेश्वनी (ट्रैप सीइस) का उपरान्त वासान वायु उपरान्त में व वासी वासी यूपि को पुन विनेश्वन हुए वायरा वायरी वायरलाईन को विनेश्वन (वाटिक्सेटाईश) जाने में किया जाए।
16. वासानी विनेश्वनी को जीव संघ के वासर प्रस्ताव अनुसार विनेश्वन वास वासान वास वासानी वासा जाए। विनेश्वनी का दुल्यावान, विनेश्वन एवं उच्च वासी में उपरान्त वासी किया जाए। इस विनेश्वनी का वासान वासान के दुनामवाय की विनेश्वन जाए।
17. ओवलबैन एवं अनुसारी/विनी अपेक्ष्य वासियों (विवेत वासी) को वायरा वी यूपि की विनेश्वन वास वासानीयों किया जाएगा। इस वासर में वासान वासी की वासियों प्रस्ताव में सुनिश्चित रखे जाने तकि वासानीयों अवा—वासी की यूपि वास

विवरित ज्ञान न करते रहते हैं। जगम की संस्कृति उन सेवकों द्वारा बढ़ायी जाती है जो ज्ञान के लिए अधिकारी नहीं हैं। और जबकि जगम का काला संकाय ऐसु विभागित रहते हैं तो ज्ञानोदय नियम जाए।

18. यही एक संभव हो औपचारिक एवं आम अनुच्छेदी/विभी ज्ञानोदय शामिल (एवं नीचे) को सुनने के पश्चात उनी ग्राहकों ने जुनूनप्रद इयक फिल्मेंग (इयक फिल्मेंग) ऐसु उपलोड किया जाए, ताकि वृत्ति का मूल उपयोग जगम वारियर विभागित उपयोग शुभित्रित रिया जा सके।
19. विभिन्नजन प्रसारक द्वारा यह शुभित्रित रिया जाए कि सुनन प्रक्रिया से सुनन फिल्म लीय होते ही आव-प्रता की जाती एवं लोहों में प्रवर्द्धित न हो; इसी विषये ऐसु यहाँ प्रीट एवं कथ सेवा में विटेंड्री वील / ग्रामसेवक द्वारा की जगत्ता की जाए।
20. विभिन्न वा विभिन्न काली वारन से रिया जाए, ताकि विभिन्न वारन से यात्रा नहीं हो। सुनिल का विभिन्न कर ऐसु काली की अवसरा से उपरिक नहीं यह जगम शुभित्रित रिया जाए।
21. शीर्षकार (Corporate Environment Responsibility) ऐसु निम्नानुसार जगम पर आव्य एवं उत्तम उपलोद्ध दोजना ही जारी रिया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.36	2%	0.29	Following activities at Government Higher Secondary School, Village - Basin	
			Potable Drinking Water Facility with AMC	0.25
			Plantation	0.10
			Total	0.35

22. शीर्षकार की जागृत विभिन्नित कार्यकारी दो ग्राम में अनिवार्य कर नी पूर्ण रिया जाए। शीर्षकार को याकोद्ध उत्तमत रूपी को जारी जुलै उपलोद्ध वारियर वारन के जारी हो जायेगी एवं विभिन्न द्वारा यह विभिन्नित रिपोर्ट में जापाहित करों कुछ प्रकृष्ट रिया जाए। शीर्षकार कारी की लक्ष्यता शुभित्रित जगम आव्यास उत्तमतर्वित होता। जुनूनीलग आवाजें हीमे एवं विभिन्न वारियर विभाग की जाएं।

23. शीर्षकार, वर्तमन इन्डियावीटेल मेनेजमेंट जगम, वर्तमन इन्डियावीटेल मेनेजमेंट जगम में विभिन्नजन प्रसारक की सहायिता ग्राहकों के लक्ष-प्रताव एवं जुलैउदय जारी को भागीदारी एवं विभिन्न ऐसु विभी ज्ञानोदय (विभागावीटेल/विभिन्निति) जगम विभाग के विभिन्नित/विभिन्नित एवं रिया प्रशासन का उत्तमतावाहन विभाग जगम गवाहस की विभिन्नित/विभिन्नित विभाग रिया जाए। जगम ही शीर्षकार, वर्तमन इन्डियावीटेल मेनेजमेंट जगम में विभिन्नजन प्रसारक की सहायिता ग्राहकों के लक्ष-प्रताव एवं जुलैउदय जगम विभाग जगम में पूर्ण रिया जाने के उपरान विभी ज्ञानोदय से सुखप्रद करवा जाए।

24. यह भी नियम यह/अधिकारी नियम है कि जब यह अधीक्षा विद्यालय/कॉलेज/चूटा के नियम के सभी-सभी बीड़ीजन के लकड़ा आपकी हाथ करती गयी कली का नियम भी अधिकारी कर से जबला आपकी नियमोंकी होगी।
25. उत्तराखण्ड हेतु नियम छात्र (गांवी तक 7.5 मीटर बीच होते), गोद रुक, और अपने हम साथी में ज्ञानीय प्रजाति के 429 नग घुटों का जापन शुद्धारीय इतन तर्ह में किया जाए। इहित पट्टी का नियम जैनीय प्रदूषण नियम बीड़ी की जानीशील की अनुसार किया जाए।
26. अधिकारीकार के लकड़ा जा जाना प्रत्येक हात वर्ष 2023-24 में कर से कर 200 नग छात्र हेटटेजर लीज लीज से अनुसार बढ़, दीप, करंज, चीम, लान, हमसी, बच्चुन, गोदा आदि जाने ज्ञानीय प्रजातियों के 60 नग दीपों का दीपन (जुलाई 429 नग फौं) जापन की खुले लीज में किया जाए। दीपन की सूचीका रूपमें की दिये जायेंगे एवं प्रत्येक जापनका (जिस काटेजर लकड़ा के बाहर जाना हुआ गया हुआ गया एवं जन्म जन्म जाना जाए) किया जाए। जापन उपलक्ष्य वही होने की जाता है जबकि इस प्रत्यारोपण इतन तर्ह में जून किया जाए एवं जो 4 नगी जाक रख-रखन किया जाए। 6 फौंट की 6 फौंट जानार्दन को दीपों का ही दीपन किया जाए। शुद्धारीय जूनी करने पर जानी ज्ञानीय सौभाग्य उत्तराखण्ड नियम की या जानती है।
27. संवित किये जाने वाले फौंटों में संख्यांकन (Numbering) एवं दीपों को नग का उत्तरोक्त करनी हुये नियोंटेंग (Seating) फोटोग्राफ लिहित जानकारी यात्रन इतिहास की साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. आईपीए लीज लीज की ओर एवं जापन शुद्धारीय किये जाने एवं संवित फौंटों का जापाईयां रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। सभी ही जूनारोपण का रख-रखन आपकी 6 नगी तक सुनिश्चित करनी हुये भूमि फौंटों की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपकी इतना संवित फौंटों की जूनारोपण की जापन जानकी जूनी नियमोंकी होगी।
29. किये गये जूनारोपण की पुस्ती हेतु जी-पी-एपा (Geostationary Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अंतर्राष्ट्रिय नियोंटे के सम्बन्ध करनी हुये जूनारोपण वर्षायल संस्कृत यात्रा एवं एकाई आई-एर, जानीशील को लेकिए किया जाए।
30. वरियोजना प्रसारक इतन 7.5 मीटर इतिहासित लीज में प्रत्यारोपण कार्य, बीड़ीजन के लकड़ा प्रत्यारोपण कार्य एवं जीक सुनवाई में हिये गये आपका जाने अनुसार कार्य करना, जीक इन्हालालीमेट्रिक सेंसरमें प्रवान में वरियोजना प्रसारक की जापारिता की जानी करना नहीं पाये जाने पर ज्ञानीय सौभाग्य को नियम करने की जारीकारी की जाएगी।
31. वरियोजना प्रसारक इतने जूनी प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जापनका उत्तम किया जाए। ज्ञानी जा रहा उत्तराखण्ड लीज में दिन के सभी 76 DBPSU एवं रात्रि के सभी 76 DBPSU से अधिक जूनी होना चाहिए। जीक ज्ञानी जाने की में जापन करने की अनियों को जूनारोपण/जक आदि प्रदूषण किए जाएं एवं जापन-जापन एवं नियमितसाक्षीय जीव एवं आपका जाना अनुसार उनका जापन की जानकारी जाए।
32. बाटों अधिकार का जारी की जी-एम-एपा इतन अधिकार नियोंटक लाईसेंस वालक (Explosive License Holder) इतना किया जाए प्रदूषण के छोटे-छोटे दुखकी (लाईट गैस) को उड़ाने से लैकने हेतु पर्याप्त एवं जूनारोपण जापन किया जाए। ऐट नियंत्रण आपका जापन प्रदूषण नियंत्रण जापन का जापन बिलिंग किया जाए, जिसकी जरूर जा जानार्दन नियममें नहीं।

33. प्रकाशन प्रतिका यू-जल सार के बारे असंकेत उपाय में की जाएगी एवं प्रकाशन प्रतिका यू-जल सार के नींवे किसी भी परिवर्तिति में नहीं हिला जाए।
34. प्रकाशन की प्रतिका इस प्रकाश सुनिश्चित की जाए कि उत्तराधिकारी एवं नींव-जन्मद्वारी पर कोई दुष्प्रभाव न हो। केवल में जाए जाने वाले आकृतिक उत्तराधिकारी एवं नींव-जन्मद्वारी का सामिल संकलन अपार दायित्व होता।
35. चरियोजना प्रसारक द्वारा ग्रीष्म ऋति का प्रकाशन अलीगढ़ नींव विभाग द्वितीय 2016 के अनुसारी, अनुमोदित चरियोजना योजना एवं पर्यावरणीय उत्तराधिकारी के अनुसार हिला जाए। मध्यम एवं 1992 के जारीबीं का प्रकाशन हिला जाए।
36. जारी रखा जा रहा तोनिय विभिन्न कार्ड पर लिखा जाता है कि ऐसे विभिन्नों के आगम एवं सूचका ऐसे संवित व्यवस्था परियोजना प्रसारक द्वारा की जाएगी। आगमीय व्यवस्था अस्थायी संनिवेशी के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के बजाए हटाया जा सकता है।
37. विभिन्नों को निए सुनने रखा पर सभा प्रेषण विविहलीय सूचिया, गोपनीय टाइपसेट अद्वितीय व्यवस्था परियोजना प्रसारक द्वारा की जाए।
38. विभिन्नों का समय-समय पर अवधुरेश्वर ऐसा विभिन्नों कराना आवश्यक है।
39. प्रकाशन की लकड़ी, काले बीच एवं क्रान्तिकारी प्रकाशन वीजन के अनुसार विभिन्न विभिन्न की याका एवं अवधिकार विभिन्निता है, में विभिन्नी भी प्रकाश का परिवर्तन एवं आई-आई-ए, जारीगाड़ / पर्यावरण, बन और अस्थाय परिवर्तन बोतल, बाल बालार वीर्य अनुभवी के बिना नहीं हिला जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जाए जाने का आवश्यक हिस्सी व्यवस्थाएँ अस्था अन्य विभिन्नी पर अवधिकार दाताने का नहीं है एवं न ही वह पर्यावरणीय स्वीकृति हिस्सी मिली जानी की नुस्खाओं द्वारा अस्था व्यवस्थाएँ अवधिकारी हो अविभाग अस्था केन्द्र, राज्य एवं राजनीय कानूनी / विभिन्नी हेतु अविद्युत कराता है।
41. उत्तरांशहार एवं अलीगढ़ चारों राज्यों की दृष्टि से, परियोजना की अवधिकारी के परिवर्तन अस्था विभिन्नित जाती के संतोषपूर्वक रूप से प्राप्त न होने वाले दशा में हिस्सी वीर्य में जारीगाड़/विभाग कराने का अस्था नहीं जोकि अस्था व्यवस्थीन / विभाग के अन्यको भी और साथ कराने का अवधिकार सुनिश्चित रखता है।
42. परियोजना प्रसारक न्यूनतम 3 अवधिकारी सम्बाद पक्षी में, जो कि परियोजना को जो आप-आप व्यापक रूप से उपलब्ध हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की, जिसे के भीतर इस अस्था की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पर की प्रतिक्रीय परिवर्तन, अलीगढ़ चारों राज्यों में अवधिकार हेतु उपलब्ध है। याका ही इसका कारोबार एवं आई-आई-ए, जारीगाड़ की वेबसाइट [parivashnic.in](http://parivashnic.in) पर भी दिया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति वीर्य वीर्य के प्राप्त हेतु जी गई जारीगारी की अवधिकारी लिखी अलीगढ़ चारों राज्यों संकलन सम्बाद, बाल बाल, लोडीय जारीगाड़, अलीगढ़ चारों राज्यों संकलन नमून, राष्ट्रपुर एवं आई-आई-ए, अलीगढ़ एवं एप्रिलग लोडीय जारीगाड़, साथ सरकार, सम्बाद, बन एवं अस्थाय परिवर्तन संकलन, यथा राष्ट्रपुर बाल बाल जी द्वितीय हिला जाए।
44. लोडीय लोडीय जारीगाड़, अलीगढ़ चारों राज्यों एवं अस्थाय अस्थाय, अस्था अस्थाय, राष्ट्रपुर इस पर्यावरणीय स्वीकृति में इकत्ते जाती के प्राप्त ही अविभाग

की जाएगी। इस द्वारा परियोजना प्रबलाक द्वारा जनता-वासी पर प्रभुत्व दिए गए समाजों के एवं अधिकार का सूखे सेंट एवं विभिन्न संकीर्ण कानूनीय, पर्यावरण, एवं ऐसे जनताकु परियोजना में जनता, जनता संवर्कन, वायनुप की उपेति दिया जाए।

45. एस.इ.आई.ए.ए. उत्तरीयामाद्, चर्चीवाला, जन और जलवायु परिवर्तन संघरण, जनता संवर्कन/ एवं विभिन्न संकीर्ण कानूनीय, जनताकार, जन एवं जनताकु परियोजना परिवर्तन, जनता कानूनीय वायनुप नियमण कोर्ट/उत्तरीयामाद् पर्यावरण संघरण समूह के द्वारा/अधिकारियों की जली के जनुप्रसन्न के संबंध में जी यारे जली बोनिटीन हैं तो पूरी जहांगी जनता दिया जाए। परियोजना प्रबलाक द्वारा विविध जली का जनुप्रसन्न करना नहीं यारे जाने पर वर्षाविकारीय संकीर्ण नियमण की जा सकती।
46. परियोजना प्रबलाक उत्तरीयामाद् पर्यावरण संघरण एवं जनता संवर्कन द्वारा की नहीं जली का अनियार्थी काम से प्रसन्न रहेगा। ये जली जल (प्रदूषण नियमण तथा नियमण) अधिकारिय 1974 वायु प्रदूषण नियमण तथा नियमण अधिकारिय, 1981, जनता कानूनीय अधिकारिय, 1988 तथा जली तात्पुर वायनी यारे नियमण, अधिकारिय और अन्य अधिकारिय (जैसे एवं लीग्यारा संघरण) नियमण, 2016 तथा जली दारिद्र जीव अधिकारिय, 1991 (जैसा जानीश्वरी) के अंतर्न विविध जी जा सकती है।
47. प्रसारित परियोजना के बारे में एस.इ.आई.ए.ए. उत्तरीयामाद् में प्रभुत्व नियमण में जोर्ड भी दियलग अवसर परियोजनी वीरों की जला में एस.इ.आई.ए.ए. उत्तरीयामाद् की पूरी जलीं जनताकी उत्तिः सुनित दिया जाए, ताकि एस.इ.आई.ए.ए. उत्तरीयामाद् इस जल दियलग के जली की उपयुक्तता जला नहीं जली विविध करने वाला नियमण हो जाए। जलाग में जोर्ड भी दियलग जला जला उन्नयन एस.इ.आई.ए.ए. उत्तरीयामाद् / पर्यावरण वायन और जनताकु परियोजना संघरण, जनता संवर्कन की पूरी अनुभवी की दिया जही दिया जाए।
48. उत्तरीयामाद् पर्यावरण संघरण वायनुप पर्यावरणीय संकीर्ण की प्रति को एवं जी जोर्ड जारीय कानूनीय दियलग-जायापाल एवं वायोग संघरण एवं जलेवर/उत्तरीयामाद् जारीय में 30 दियलग भी जली की दिय इतरित करेया।
49. पर्यावरणीय संकीर्ण की दियलग अवीत नेशनल लीन ट्रीचूल के जनता वेश्वर लीन ट्रीचूल एवं 2010 की जात 10 मि दिय गए जातानी अनुभाव, 20 दिन की जागत जली में जी जा सकती।

  
संदर्भ संकेत, एस.इ.ए.ए.

  
www.एस.इ.ए.ए.ए.